(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 5] विधान सभा के पंचम् सत्र का 38वां दिवस [संख्या 26

सोमवार,

दिनांक 8 अप्रेल, 1974

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पशुपालन, स्वायत्तशासन, कृषि, जन-स्वास्थ्य, पुनर्वास, वन, खनिज, वित्त, पंचायत, राजस्व, योजना, सहकारी विभाग, नगर आयोजना, कारागृह, खाद्य].

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

राठी नस्ल की गायें

720. **श्री भीमसेन (लूनकरणसर) :** क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले का लूणकरणसर एवं पूगल क्षेत्र राठी नस्ल की दुधारु गायों के लिये मशहूर है ? यदि हां, तो क्या सरकार पांचवी योजना में इस क्षेत्र में राठी ब्रीडिंग फार्म स्थापित करने का विचार कर रही है।

पशुपालन मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां।

जी नहीं, परन्तु राठी गायों की नस्ल सुधार के प्रयास इस क्षेत्र में पहले से ही किये जा रहे हैं।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय इस क्षेत्र में करीब 3-4 लाख की संख्या में गायें हैं और काफी मात्रा में राठी गायें रहती हैं। उनकी नस्ल को सुधारने के बारे में उस जिले में अभी राज्य सरकार ने कुछ काम किया है। उस सम्बन्ध में मेरा प्रश्न है क्या राज्य सरकार राठी नस्ल की गायों का क्रास ब्रीड करके सुधारने की कोई योजना रखती हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न में पूछा गया है राठी की नस्ल सुधारने के बारे में वहां अभी भी जो प्रयास किया जा रहा है वह राठी गाय की नस्ल सुधार के बारे में ही है। गंगानगर और पूगल क्षेत्र राठी गायों का केन्द्र है। अच्छी नस्ल की पैदा करके इस ऐरिया में उसका सीमेन भेजकर जहां तक क्रास ब्रीड का सवाल हैं, किससे आपका कराने का मतलब है ?

श्री गुरुदयालसिंह सिंधू : गाय की सुधार के लिये कोई काम चल रहा है, राजस्थान में ?

श्री शिवचरण माथुर : इस प्रश्न में जो राठी गाय का प्रश्न है वह गंगानगर में रघुनाथपुर के स्थान पर है और वहां एक ब्रीडिंग फार्म है और वहां पर अच्छी नस्ल के सान्ड पैदा करके सुधारने की योजना है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धू : गंगानगर में भी इस प्रकार की कोई योजना है ?

श्री शिवचरण माथुर : जी नहीं। क्रास ब्रीड के लिये जर्सी से क्रास ब्रीड कराने का विचार है। वहां पर क्रास ब्रीड जर्सी और हार्स्टिग के साथ कराने का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती शकुन्तला देवी।

नगरपालिका, आमेर को द्वितीय श्रेणी में रखने का मामला

721. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आमेर एक ऐतिहासिक स्थान है और इसकी आबादी करीब 10 हजार है तथा जयपुर की पुरानी राजधानी भी थी ?

(2) क्या यह सही है कि आमेर नगर पालिका को चतुर्थ श्रेणी में वर्गीकृत कर रखा है इस कारण इस क्षेत्र के विकास में बाधायें रहती है ?

(3) क्या सरकार इस नगरपालिका को द्वितीय श्रेणी में रखे जाने का विचार रखती है जिससे आय में वढ़ोतरी हो सकती है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम नारायण चौधरी) : (1) जी हां।

(2) आमेर नगरपालिका द्वितीय श्रेणी की शर्तों में नहीं आती है इसलिये विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(मंत्री महोदय के बैठ जाने पर)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आगे और है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह प्रश्न एक और दो में कवर हो जाता है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहती हूं कि आमेर एक ऐतिहासिक स्थल है और अन्तर्राष्ट्रीय जगत पर है, जयपुर की पुरानी राजधानी भी है। उसको अच्छी तरह डवलप करना है तो श्रेणी को बदला जाना बहुत जरूरी है। इस बारे में मंत्री महोदय क्या कहते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय नगरपालिकाओं को द्वितीय श्रेणी में बदल करने के कुछ नियम है। द्वितीय श्रेणी में जिला हैडक्वार्टर की नगर-पालिकायें आती हैं या वे नगरपालिका आती हैं जिनकी आबादी 25 हजार हो या उनकी आमदनी ज्यादा हो और पर-केपिटा इनकम 50) रु. से ज्यादा हो। इस प्रकार की जो नगरपालिकायें हैं वे ही द्वितीय श्रेणी में आती हैं।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि आमेर नगरपालिका की क्या आमदनी है ?

Page No 3

(3)

श्री रामनारायण चौधरी : आबादी इसकी 10 हजार से कम है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आमदनी पूछ रही हैं।

श्री गुरुदयालसिंह रून्धू : यह बहुत इम्पारटेन्ट प्रश्न है…

श्री अध्यक्ष : आमेर के बारे में…?

राज्य में खाद का वितरण

722. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राजस्थान में कौन कौनसी खाद कितनी कितनी मात्रा में केन्द्र से तथा अपने किन किन सांधनों से प्राप्त होती है ? पिछले तीन वर्ष में कितनी कितनी खाद प्राप्त हुई है ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस खाद का वितरण किस किस जिले में कितना कितना हुआ है ? पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा खाद की किस्मवार सूचित करें, तथा यह भी बतायें कि खाद वितरण का विभिन्न जिलों में आधार क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि खाद एक जिले से दूसरे जिले में ब्लेक में बेची जाती है ?

(4) खाद के कितने स्टाक आज तक पकड़े गये हैं ? कृपया जिलेवार सूचित करें और यह भी बतायें कि इस सम्बन्ध में कितने केसेज दर्ज हुए हैं एवं खाद की ब्लेक को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(स्थगित किया गया)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री जय किशन लाल ?

फागी एवं चाकसू तहसील की जल प्रदाय योजनायें

723. **श्री जयकिशनलाल** (फागी): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फागी एवं चाकसू तहसील में ग्रामीण जल प्रदाय योजना कहां कहां पर स्वीकृत हो चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की जावेगी तथा 1974-75 में दोनों तहसीलों के और किन किन ग्रामों में ग्रामीण जल प्रदाय योजना स्वीकृत की जा रही है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दन मल वैद) : (1) तहसील फागी में जल प्रदाय योजना फागी व चाकसू तहसील में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पदमपुरा गोनेर स्वीकृत की गई है।

(2) ग्राम फागी की जल प्रदाय योजना 3.60 लाख रु. की व ग्राम पदमपुर गोनेर की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना 5.85 लाख रु. की लागत की स्वीकृत की गई है। वर्ष 74-75 में योजनाओं की स्वीकृति धन की उपलब्धि के अनुसार की जायेगी।

श्री जयकिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह पहले प्रश्न के अन्दर जो सूची मांगी पहले तो वह सूची नहीं मिली। अब मैं किस आधार पर बताऊं ?

Page No 4

(५)

श्री चन्दनमल बैद : योजना ही दो। दोनों को मैंने पढ़कर सुना दी है। अब सूची की क्या जरूरत रह गई ?

श्री जयकिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, सूची इसलिये मांगी थी कि उन गांवों के बारे में ......

श्री अध्यक्ष : पढ़कर सुना दी न ?

श्री जयकिशनलाल : नहीं साहब सूची तो होनी चाहिये। माननीय मंत्री महोदय सूची तक ही नहीं पहुंचा सकते हैं.......

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जयकिशन लाल : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है केवल फागी, शिवदासपुर के अन्दर जल की व्यवस्था की गई है और बड़े बड़े कस्बे हैं, चन्दलाई, कोटखावदा है, माधोराजपुरा है...तो मंत्री महोदय से निवेदन है ऐसे कस्बों में जहां शिक्षा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बढ़े हुये हैं, वहां अतिशीघ्र जल प्रदाय योजना लागू करने का विचार है।

श्री चन्दनमल बैद : फागी और पदमपुरा की रीजनल योजनायें हैं। सन्तोकपुरा, रामपुरा, पांचूला, खाडोला आदि ग्राम आते हैं। फागी और शिवदासपुरा की स्वीकृत नहीं की गई है। आशा है, ये भी जल्दी ही स्वीकृत हो जायगी और जिन गांवों में आपने फरमाया मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं इस साल धन की उपलब्धि को देखकर उन योजनाओं पर विचार किया जायगा और जब स्वीकृत की जायगी तो इन पर भी विचार किया जायगा।

श्री जयकिशनलाल : गोनेर के बारे में फरमाया। इस प्रकार दूसरी तहसील को मेरे क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाय, यह ठीक नहीं है। गोनेर मेरी तहसील में नहीं है। गोनेर बस्सी तहसील में हैं।

श्री गुरुदयाल सिंह संधू : बन जायगी तहसील।

श्री जयकिशन लाल: बन कैसे जायगी? आप दाढ़ी बढ़ाते रहते हैं, मैं तो नहीं बढाता। यदि गोनेर में जोड़ दी तो मेरे क्षेत्र में कैसे आ जायगी मेरी तहसील में नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है जहां जहां बड़े उद्योगपति और सेठ रहते हैं वहां की योजनाओं को लेते हैं लेकिन जो छोटे छोटे गांव हैं 5--7--10 हजार की आबादी वाले और जहां खासतौर से छोटे किसान रहते हैं उनसे ढाई प्रतिशत जमा भी करा लेते हैं वहां तो योजना स्वीकृत नहीं होती है और स्वीकृत होती है तो स्वीकृति में टाइम लगता है और स्वीकृत भी हो जाय तो चालू नहीं किया जाता हैं। यह भेद गांव और शहरों का कब खतम करेंगे। जिनका ढ़ाई प्रतिशत जमा हो गया है उनका कब तक काम चालू करवा देंगे।

श्री चन्दनमल बैद : जब जल प्रदाय योजनाओं पर विचार किया गया तो अबकी बार यह ध्यान में रखा गया है कि शहरी योजनाओं पर कम खर्च हो और देहाती योजनाओं पर ज्यादा खर्च किया जाय। अब तो यह खतम हो गया।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय यह भेद....(बीच में बोलने पर)

श्री चन्दनमल बैद : आप सुनिये बीच में मत बोलिये। अबकी बार देहाती योजनाओं पर ज्यादा खर्च हो रहा है। ढ़ाई करोड़ शहरी क्षेत्र पर खर्च होगा और साढ़े

(श्री चन्दनमल वैद)

पांच करोड़ देहाती योजनाओं पर खर्च होगा, यह मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। अब सवाल यह है कि ढ़ाई प्रतिशत लेना। 8 डिस्ट्रिक्ट जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जहां प्राब्लम है जहां 2 जल प्रदाय योजनायें बनती हैं वहां से नहीं लिया जाता है और यह मैं समझता हूं बहुत बड़ी रकम नहीं है। दूसरी एक और बात भी है कि देहातों में जहां पम्प एण्ड टैंक योजना बनती है वहां पर जनता से कोई जल शुल्क वसूल नहीं किया जाता है जब कि शहरों में जितने भी कनेक्शन्स दिये जाते हैं उनसे जल शुल्क लिया जाता है। इसलिए इस वास्ते भी गांव वालों में यदि 2½ परसेन्ट ले लेते हैं तो मैं समझता हूं कि अनुचित नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमने गांवों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करने का प्रावधान किया हैं तो मंत्री महोदय को यह भी जानकारी में होगा कि आबादी गांवों में ही ज्यादा है और मंत्री महोदय कोई गांवों पर एहसान नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री निरंजननाथ आचार्य।

जूनियर असिस्टेन्ट के पदों पर नियुक्तियां

724. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम ने जूनियर असिस्टेन्ट (कनिष्ट लिपिक) के रिक्त पदों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये ?

(2) क्या यह भी सही है कि आवेदन-पत्र की कीमत 50 पैसे रखी गई और आवेदनपत्र भरकर प्रस्तुत करने के साथ 3) रु. का पोस्टल आर्डर लाना अनिवार्य किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त रिक्त पदों के लिए अनुमानत: 3000 आवेदन पत्र निगम को प्राप्त हुये थे ?

(4) क्या यह सही है कि विज्ञापन छपवाने के पूर्व ही उक्त रिक्त पदों पर एडहाक नियुक्तियां कर दी गई ? यदि हां, तो विज्ञापन प्रकाशित करने के कितने समय पूर्व ?

(5) जिनकी एडहाक स्तर पर नियुक्तियां की गई उनके नाम, जाति एवं सकूनत की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर):

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। जूनियर असिस्टेन्ट्स के पद के लिए कुल 1795 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं।

(4) जी हां, विज्ञापन छपवाने के चार दिन पूर्व सात जूनियर असिस्टेन्ट्स की नियुक्तियां (एडहाक) निगम के कार्य की आवश्यकता व सार्वजनिक हित में की गई थीं।

‡(5) जाति व सकूनत की सूची परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

‡(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—1 देखिये)

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिसका विज्ञापन हुआ उसकी तारीख और उसके बाद सम्पन्न कार्य-क्रम हो गया उसकी तारीख बतायें। आपने कहा कि 1795 आवेदन-पत्र प्राप्त हो गए, इनका सम्पन्न कार्य-क्रम हो गया। तीसरे मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी नियुक्तियां एडहाक बेसिस पर जो की गयी है यह नियुक्ति आवेदन-पत्र सब प्राप्त होने के बाद हुई या विज्ञापन के पहले या विज्ञापन के बीच में हुई ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने जैसा प्रश्न के उत्तर में कहा कि इनकी नियुक्ति विज्ञापन के चार दिन पहले हुई। अन्तिम तारीख आवेदन-पत्र की प्राप्त करने की 10-10-72 थी और उससे चार दिन पहले इनकी एडहाक बेसिस पर नियुक्ति कर दी गयी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और अब विज्ञापन हो गया, आवेदनपत्र आ गये। अब सलेक्शन का क्या मसला है ? सलेक्शन हो रहा है या होने वाला है या एडहाक ही चलने वाले हैं। जब इनको एडहाक बेसिस पर चार दिन पहले नियुक्त किया गया यह भी आपकी सम्मति से किया गया क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : जैसा मैंने निवेदन किया कि चार दिन पूर्व ही नियुक्ति की गयी थी यह बात सच है लेकिन जो निगम से जानकारी की है उनका कहना है कि कुछ मशीनरी हार्डिग के यूनिट्स खोले जाने वाले थे। और इमीडियेटली अधिकारियों की मांग थी कि कुछ क्लर्क को लिया जाये और विज्ञापन की अन्तिम तिथि के बाद सलेक्शन में और इन्टरव्यूज में समय लगने की सम्भावना थी और इसमें चार पांच महीने लग सकते थे इसलिए आवश्यक रूप से कुछ नियुक्तियां कर दी गयी एडहाक बेसिस पर। फिर यह तय किया गया कि जितने लोग हैं उन्हीं से काम चलाया जाये। फिर निर्णय लिया गया कि एडहाक बेसिस पर जो नियुक्तियां की गयी हैं उनको भी समाप्त कर दिया जाये और नयी नियुक्तियां भी नहीं की जायें इसलिए जो एडहाक बेसिस पर हुए उनको भी समाप्त कर दिया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य । नयी नियुक्तियां तक इन बेबस लोगों को कितने महीनों का लाभ मिला ? आपने चार दिन पहले नियुक्तियां कीं उस समय तो सम्मति थी कि नियुक्तियां की जायेंगी। कितने महीने तक यह लगातार लाभ लेते रहे और सम्मति कब आई कि आवश्यकता नहीं है ?

श्री शिवचरण माथुर : 10-10-72 अन्तिम तारीख थी चार दिन पहले नियुक्ति की गयी। इसका मतलब चार, साढ़े चार महीने रहे और 28-2-73 को एडहाक नियुक्तियां समाप्त की गयीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब आप यह बतायें कि आपने 50 पैसे में लिये दरख्वास्त पर दूसरे 3 रुपये आपने ले लिये। अब 3॥ रुपया क्या खजाना हजम करेगा या वापिस बेबसों को दे देंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : मुझे सूचना मिली है कि निगम ने फैसला किया है कि वह रकम उनको वापिस लौटा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहरसिंह।

बर्मा से आये विस्थापित

725. श्री **मोहरसिंह** (चूरू) : क्या सहायता एवं पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बर्मा से आये कितने विस्थापित लोगों को राजस्थान में पुनर्स्थापित किया गया है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ऐसे विस्थापितों को क्या क्या सुविधायें दी गई हैं ? पूर्ण विवरण बताने की कृपा करें।

सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) 292 परिवार राजस्थान में पुनर्स्थापित हुए हैं।

(2) विस्थापितों की पुनर्स्थापन हेतु व्यापारिक ऋण, जमीन खरीदने व मकान बनाने का ऋण, मकान हेतु सस्ती दर पर जमीन का आवंटन कृषि भूमि का आवंटन की सुविधायें दी जा रही हैं। इसके अलावा विस्थापितों की सन्तान को पढ़ाई का अवसर देने हेतु मेडिकल कालेज में 5 स्थान एवं पोलीटेक्नीक संस्थानों में 2-2 स्थान सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल विभाग में आरक्षित किए गए। बच्चों को पढ़ाई हेतु स्टाइपेण्ड मुफ्त किताबें आदि भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

श्री मोहरसिंह : मैंने तो अध्यक्ष महोदय पूर्ण विवरण मांगा है वह तो सदन की मेज पर अभी तक नहीं रखा गया।

श्री केदारनाथ : इसमें सेन्टर ने कितना पैसा दिया ?

श्री मोहरसिंह : विवरण नहीं मिला।

श्री परसराम मदेरणा : विवरण से आपका मतलब ? 292 फेमिलीज बर्मा रीपेट्रीयेट की राजस्थान में आई अलग अलग जिलों में है। और उनमें से 242 फेमिलीज जयपुर शहर में ही है। बाकी अलग अलग जिलो में हैं। भरतपुर में 3, अजमेर में 3, चूरू में 8, झुंझुनूं में 7, बांसवाड़ा में 1, सवाई माधोपुर में 1, अलवर में 1, कोटा में 1 और सीकर में 8 इस तरह से 292 फेमिलीज है। इनमें से 106 फेमिलीज को बिजिनेस लोन दिया गया है और उस 106 में से 4 चूरू की हैं।

श्री मोहरसिंह : मैंने चूरू की नहीं सारे राजस्थान के लिए पूछा है। बसाने के लिए सबसे पहले जमीन की आवश्यकता होती है। कितने लोगों को आपने भू-खण्ड दिये ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी तक 7 व्यक्तियों को मिले हैं। इसके लिए फारेस्ट डिपार्टमेन्ट से जमीन रिलीज करा कर स्कीम बनाई है। इसमें 132 प्लाट्स हैं। इसके लिए एक कमेटी भी कान्सटीट्यूट कर दी गयी हैं सेक्रेटरी टू दी डिपार्टमेन्ट इसके चेयरमेन हैं, कलेक्टर, चीफ इन्जीनियर, चीफ टाउन प्लानर इसके सदस्य हैं और कुल 144 एप्लीकेशन्स आई हैं और इनको आवंटन हो जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर में जो 242 फेमिलीज बताई और 144 का कर रहे हैं मेरा ख्याल है कि यह मामला 6 वर्षों से चल रहा है और अलाटमेंट की कार्यवाही की कोशिश हो रही है। मैं जानना चाह रहा था कि इतने वर्षों तक काम नहीं हुआ तो क्या आप आश्वस्त करेंगे कि इसको शीघ्र कराया जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है कि इसमें डिले हुई है। जहां तक कमेटी के

(श्री परसराम मदेरणा)

कान्सटीट्यूशन का सवाल है 1972 में रूल्स बने थे और पहले इस बारे में लिखा पढ़ी की थी। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि पहले तो डिले हुई है लेकिन अब निश्चित रूप से अगले महीने में इनको प्लाट दे दिये जायेंगे।

श्री केदारनाथ : क्या इनको बसाने का जिम्मा केन्द्र का था सारा ? सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने आपकी मार्फत किया ?

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक मकान बनाने का सवाल है इनको प्लाट के लिए 600 रु. लैन्ड डवलपमेन्ट के लिए 1500 रुपया और 2000 रुपया मकान बनाने के लिए है। 5000 रुपया ऋण के लिए हैं। स्टाइपेण्ड और दूसरी चीजों के लिए इनकम ग्रुप के ऊपर हैं। प्लाट के अलाटमेन्ट में रियायत दी जा रही है। यह सब कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : भारत सरकार ने इस संबंध में कितनी धनराशि राज्य सरकार को दी है ?

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार ने कोई लमसम अमाउन्ट नहीं दिया है। जो भी रिलीफ का स्केल हमारे सामने मुकर्रर कर दिया था उसके अनुसार जब रिलीफ का काम पूरा कर देंगे तो वह रीइम्बर्स हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री ओंकारलाल

झालावाड़ जिले की जल प्रदाय योजनायें

726. **श्री ओंकारलाल चौहान : (डग)** क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में किन किन ग्रामों की जल प्रदाय योजनाओं का कार्य चल रहा है ? राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि इन योजनाओं पर खर्च की जा चुकी है तथा अब कितनी राशि किस किस योजना में खर्च करना बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के गंगधार, डग मिश्रोली, चौमहला ग्राम की जल प्रदाय योजनाओं का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो इस कार्य को सम्पन्न कराने में कितना समय लगेगा तथा ग्रामवासियों को कब इस योजना से पानी देना शुरू कर दिया जायेगा ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद)

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची के लिए (कृपया परिशिष्ट-2 देखिये)

(2) जी नहीं। सिर्फ ग्राम डग की जलप्रदाय योजना स्वीकृत की गई है व कार्य निर्माणाधीन है। इस योजना को वर्ष 75-76 में चालू किये जाने की सम्भावना है। अन्य दोनों योजनाओं की स्वीकृति धन की उपलब्धि के अनुसार की जायेंगी।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, सूची दी गयी है उसके अनुसार 6 से 10 तक जो कार्य निर्माणाधीन हैं यह कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद :

6 नम्बर का कार्य 1974-75 में

7 नम्बर का पिड़ावा का कार्य 1974-75 में

8 नम्बर का असनावर का कार्य 1974-75 में

(श्री चन्दनमल बैद)

-9 नम्बर का इकसेरा का कार्य जून, 1974 में और

10 नम्बर का वकानी का कार्य 1975-76 में पूरा हो जायेगा।

श्री ओंकारलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा मेरा सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन यह है कि मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि डग, मिश्रोली और चौमहला की कोई सर्वे कराई जा रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां। चौमहला ग्राम की जल प्रदाय योजना 1 लाख 61 हजार की बनाई गई है और उसकी तकनीकी जांच की जा रही है और ग्राम की तरफ से 4 हजार 25 रुपये प्राप्त हो गए हैं। इसी तरह से गंधार की मा 1 लाख 95 हजार की योजना बन गई है और उसकी तकनीकी जांच की जा रही है और गांव की तरफ से 4775 रु. की धनराशि जमा की जा चुकी है।....

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कार्य कब तक शुरू होगा और कितने समय में पानी सप्लाई कर दिया जाएगा ?

श्री चन्दनमल बैद : इन योजनाओं के लिए इस साल धनराशि उपलब्ध हैं और इस साल जब योजनाएं स्वीकृत की जाएंगी उस समय इन योजनाओं को भी स्वीकार करने के लिए विचार किया जाएगा।

श्री रामप्रसाद बोहरा : झालावाड़ रोड की योजना पूरी हो चुकी है फिर भी एक कुए के झगड़े के कारण से जनता को, पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। कुआ सरकारी नहीं है और इसी पर खेती होती है और उसी से पानी दिया जा रहा है। इसके बारे में आपके पास शिकायतें आई हैं और आपने दूसरा प्रबन्ध किया है या नहीं और कुछ प्रबन्ध करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : इतनी डिटेल्ड जानकारी तो मेरे पास इस समय मौजूद नहीं है लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा और अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा।

श्री हाजी जानमोहम्मद : रायपुरा जिला झालावाड़ की योजना में क्या हो रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : रायपुर की योजना चालू है।

श्री हाजी जानमोहम्मद : कब तक यह योजना खत्म हो जाएगी ?

श्री चन्दनमल बैद : योजना चालू है, पानी दिया जा रहा है।

श्री हाजी जानमोहम्मद : वहां पर जो टंकी बनी हुई है उसमें से पानी रिसता है और इससे लोगों को पानी नहीं मिलता है, आप इसकी इन्क्वायरी करवा लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री गिरीराजप्रसाद।

श्री हाजी जानमोहम्मद : कोई जबाव नहीं दिया।

श्री चन्दनमल बैद : योजना चालू है, यह मैं आपको कह चुका हूं। अब आपने फरमाया है कि टंकी भरी हुई है और उसमें पानी रिसता है, मैं उसको दिखलवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष :

प्रश्न सं. 727

श्री गिराजप्रसाद : (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री हनुमान सहाय ।

जयपुर, सीकर एवं अलवर जिलों का सर्वे

728. **श्री हनुमान सहाय** (वैराठ) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) जयपुर, सीकर एवं अलवर जिलों में खनिज सम्पदा का कब कब सर्वे किया गया है और सर्वे रिपोर्ट के क्या परिणाम रहे ? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त जिलों में भिन्न भिन्न प्रकार की खनिज सम्पदायें हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं ? और किस किस खनिज पदार्थ का कितना कितना और कहां कहां का तथा कब कब से किन किन नियमों के तहत किस किस को पट्टे दे रखे हैं ? उनसे वार्षिक आय क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि इन जिलों में रासायनिक खाद एवं सीमेंट तथा क्राकरी की फैक्ट्री लगाये जाने हेतु कच्चा माल उपलब्ध है ? यदि हां, तो किन किन पर तथा कितनी कितनी मात्रा में ?

(4) क्या यह सही है कि नीमकाथाना एवं कोटपूतली क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री लगाये जाने के प्रस्ताव है ? यदि हां, तो किस किस एरिया के अन्दर तथा फैक्ट्री सीमेंट हेतु क्या क्या सुविधाएं दिये जाने के प्रस्ताव हैं ?

राज्य मंत्री खनिज (श्री जुझारसिंह) :

(1) उक्त तीनों जिलों में खनिज सम्पदा की खोज के लिए काफी लम्बे अर्से से सर्वे किया जाता रहा है। परिणामस्वरूप भिन्न भिन्न खनिज पदार्थ पाये गये हैं। रिपोर्टों के परिणाम सदन की मेज पर रख दिए गये हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

(3) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। रासायनिक खाद के लिए पाइराईटीज व क्राकरी के लिए क्वार्टज व सिलीकासैंड व चायना क्ले उपलब्ध है।

(4) नीमकाथाना क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री लगाने हेतु श्री केशोराम सीमेंट को लाइम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है व इसका लैटर ग्राफ इन्टेंट भी मिल गया है ? इसी प्रकार कोटपूतली क्षेत्र में पवाना ग्राम के निकट सीमेंट फैक्ट्री लगाने हेतु लाइम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत कराने के लिए प्रार्थना-पत्र केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है कि इनको क्या सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है। प्रश्न की लास्ट लाइन है कि क्या सुविधाएं दिए जाने के प्रस्ताव है, तो क्या कोई प्रावधान हैं क्या ?

श्री जुझारसिंह : हमारे यहां से तो लीज देते हैं वह दे दी गई हैं। सुविधाएं तो इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट देता होगा हमारे यहां से तो लीज देने हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : देते होंगे का मतलब है कि आप निश्चित नहीं हैं कि

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

सुविधाएं देते भी हैं या नहीं ? इण्डस्ट्री मिनिस्टर बराबर में बैठे हैं उनसे पूछकर बता दीजिए ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री हनुमान सहाय शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो सीमेंट फैक्ट्री कोटपूतली में लगाने का प्रस्ताव है तो इस सीमेंट फैक्ट्री को क्या बिजली, जमीन, एरिया वगैरा की सुविधाएं दे रहे हैं और अगर दे रहे हैं तो कब तक दे रहे हैं, या नहीं दे रहे हैं। इसको लाइसेंस मिले चार वर्ष हो गए हैं लेकिन आपके खनिज डिपार्टमेंट की तरफ से उसको पट्टा नहीं दिया गया है जिसके कारण फैक्ट्री नहीं चलती है ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो सूची आपने दी है वह इनकम्प्लीट है। कई खानों का सर्वे हो चुका है, पट्टे दिए हैं लेकिन उनका उल्लेख सूची में नहीं है। तहसील बैराठ में अनेक खानों के पट्टे दिए गए हैं और खानें चालू हैं लेकिन वे सूची में अंकित नहीं है। क्या आप जो ऐसे पट्टे दिए गए हैं और काम शुरू नहीं कर रहे हैं तो क्या उनको खारिज करेंगे और दूसरों को पट्टा जारी करेंगे ?

तीसरी बात यह है कि सोपस्टोन···

श्री अध्यक्ष : एक एक पूछते जावें और उनका जवाब आता जाय।

श्री हनुमानसहाय शर्मा : जो गारनेट के पट्टे दिए गए हैं उनके बारे में बता दें।

श्री जुझारसिंह : जो सूची दी गई है वह मेरी जानकारी के अनुसार कम्प्लीट सूची है। इसमें करीब 145 मेजर मिनरल्स और 222 माइनर मिनरल्स का उल्लेख है और इस प्रकार करीब चार सौ लोगों का मेंशन किया हुआ है। फिर यह कम्प्लीट कैसे नहीं है। किसी को लीज दी गई और उसने काम शुरू नहीं किया या जिसको लीजदी गई उसका नाम इसमें नहीं आया हो तो इसके लिए स्पेसिफिकली अगर आप जानकारी दें तो मैं जानकारी कर लूंगा। जिनको माइनिंगलीज़ दी गई है उसकी सूची है। जहां तक लीज दी गई और काम शुरू नहीं हुआ इसका सम्बन्ध है, यह अलग से प्रश्न है। किन किन को कितने एरिया की कब कब लीज दी गई है उसकी सूची आपको कम्प्लीट दी हुई है।

श्री हनुमानसहाय शर्मा : आपकी सूची इन्कम्प्लीट है। सोप स्टोन की कुछ खानों की लीज दी गई है, उनका काम चालू है लेकिन उनका लिस्ट में उल्लेख नहीं है। गारनेट की खानें दी गई हैं लेकिन उनका काम शुरू नहीं हुआ····

श्री जुझारसिंह : काम शुरू होने न होने के बारे में सूची मांगी नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जिनको लीज दी गई है उनके नाम भी लीजेज की लिस्ट में नहीं है यह माननीय सदस्य का कहना है।

श्री जुझारसिंह : मैंने जवाब दे दिया है कि लिस्ट कम्प्लीट है मेरी जानकारी के अनुसार। आपको इसके अलावा कोई जानकारी हो तो स्पेसिफिक नाम बताइये।

श्री हनुमान सहाय शर्मा : मेरा कहना है कि देवला की गारनेट की खानें हैं जिनको छः साल हो गए हैं। आप देख लीजिए तहसील बैराठ के क्षेत्र में····

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह तो बड़ी आपत्ति की बात है कि जिनको आपने लीज पर दिया है और वह काम भी कर रहे हैं लेकिन उनके नाम आपकी लिस्ट पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका आफिस आपको मिस-गाइड कर रहा है या आप हाउस को मिस-गाइड कर रहे हैं या आप स्वयं मिस गाइड हैं।

श्री जुझारसिंह : मेरी जानकारी के अनुसार लिस्ट कम्प्लीट है। जो जानकारी आपने दी है उसके बारे में फिर जानकारी कर लूंगा और अगर कोई उस लिस्ट में रह गया तो अलग से आपको इन्फार्मेशन दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री हनुमान सहाय शर्मा : क्या आपको मालूम है कि ग्राम नीझर में सोना निकलता था गन्धक के नीचे से, यहं आपकी सर्वे रिपोर्ट में हैं। जयपुर स्टेट के समय में नीझर में सोना पाया गया था।

श्री जुझारसिंह : यह तो ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया से अधिक जानकारी माननीय सदस्य को हो गई है···

श्री हनुमान सहाय शर्मा : यह तो आपकी पुरानी सर्वे रिपोर्ट के अन्दर मौजूद है माइनिंग डिपार्टमेंट की।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सोने की खदान का लोकेशन नहीं दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।

श्री हनुमान सहाय शर्मा : खान का पट्टा देने में एम. एल. एज. और एम. पीज. और इनके रिश्तेदारों को क्या प्राथमिकता दी जाती है और कोई विशेष सुविधाएं देने की क्या कोई कानूनी पाबन्दी है ?

श्री जुझारसिंह : उनको कोई खास सुविधा नहीं दी जाती है, उनको भी सभी के समान ट्रीट किया जाता हैं।

श्री हनुमान सहाय शर्मा : भारत के संविधान की धारा 191 के सहत क्या उनको कोई माईनिंग लीज नहीं दी जा सकती है और अगर देते हैं तो डिस-क्वालीफाइ हो जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रिश्तेदारों को देते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे सप्लीमेंट्री का जवाब नहीं आया अध्यक्ष महोदय। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि सीकर में पाइराइट की खानें हैं। मेरी जानकारी के अनुसार उनको भारत सरकार को दिया गया है यदि ये खानें भारत सरकार को दी गई हैं तो किस आधार पर दी गई हैं ?

श्री जुझारसिंह : यह सही है कि पी. पी. आई. को दी गई हैं और इसका खाद का एस्टीमेटेड सर्वे होने के बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया से तय करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या यह सही है कि पहले से तय करके दिया था पाइराइट माइन्स को कि खाद का कारखाना वहां लगाया जाएगा।

(कोई उत्तर नहीं)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। क्या जो खानें दी जाती हैं उसका कोई क्राइटेरिया रखा जाता है ? क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि····

श्री अध्यक्ष : यह नियमों में दिया हुआ है। नैक्स्ट।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आजाय पाइराइट के बारे में।

श्री जुझार सिंह : पाइराइट के बारे में बहुत से क्वैश्चन्स पहले भी आ चुके हैं और इस पर चर्चा हो चुकी है। इस प्रश्न का खाद का कारखाना लगाने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। 729।

आडीटर के विरुद्ध शिकायतें

729. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्थानीय निधिलेखा अंकेक्षण पूर्व जांच दल की जयपुर स्थित पार्टी के एक आडीटर अपने अधिकारियों को साजिशों में मिला कर अनेक शिकायतों के बावजूद 10-11 वर्ष से यहीं जमे हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन्होंने भतीजे, भानजे, साले व अन्य रिश्तेदारों को परिषद में अवांछित हथकण्डों में उम्र गलत लिखवा कर तथा हरिजनों के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भरती करा कर सब नियमों के विपरीत इनको कनिष्ठ लिपिक बनवा दिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आडीटर गंबन की रकमें व ऐसे ऐसे गलत बिल पास करा चुका है जिन केसों में फौजदारी मुकद्दमें चल रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की और आगे क्या कदम उठाने का इरादा है ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) जी हां, श्री कृष्णविहारीलाल माथुर नाम के आडीटर म्युनिसिपल कौंसिल जयपुर में पहली बार सन् 1963 में नियुक्त किये गये थे जिन्हें सन् 1968 में तबदील किया गया परन्तु कुछ महीनों बाद इनकी नियुक्ति पुनः जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल में कर दी गई और तभी से वे वहां कार्य कर रहे हैं।

(2) इसका सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है परन्तु स्वायत्त शासन विभाग को इन आरोपों की जांच करने के लिए कहा जा रहा है।

(3) इस बारे में इस विभाग की जानकारी नहीं है परन्तु इन आरोपों के बारे में उचित कार्यवाही करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग को लिखा जा रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 10/11 साल एक ही व्यक्ति वहां पर बना हुआ है। बराबर इसकी शिकायतें हुई हैं। स्वायत्त शासन मन्त्रालय ने भी इसकी जांच करवाई है। मैं यह निश्चितरूप से कह

Page No 14

(१४)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

सकता हूं कि वहां पर भंगियों की जगह पर उनकी बिरादरी के और उनके रिश्तेदारों को रख लिया गया है। क्या वित्त मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि 11 वर्षों तक एक ही जगह पर एक ही आदमी को रखे जाने का क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मेरी नजर में पहली बार यह बात आई है कि 11 वर्षों से वह वहां पर कार्य कर रहा है। यह आदेश दे दिये हैं कि उनका स्थानान्तरण तुरन्त कर दिया जावे। दूसरी बात यह कही गई है कि नगरपालिका में अनियमितताएं की गई हैं। तो उनकी जांच नगर पालिका विभाग कर सकता है। नगरपालिका विभाग को लिख दिया गया है कि जो अनियमितताएं की गई हैं, उनकी जांच की जाये और जिन पर एक्शन लेने की जरूरत होगी, हम लेंगे और जिन पर नगरपालिका एक्शन ले सकती है, वह लेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : स्थानान्तरण के आदेश आपने अब दिये हैं। ये आदेश कब तक लागू हो जायेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : आज ही लागू हो जायेंगे। आप मेरी आदत जानते हैं

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप क्वेश्चन का जवाब देने से पहले एक्शन लेते थे, यह आदत थी परन्तु अब जवाब देने के बाद आदेश दे रहे है। इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो आपको सन्तोष देने के लिए है।

श्री केदारनाथ : स्टे तो नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पंचायत दिशनाऊ के सरपंच के विरुद्ध मामला

730. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री खड्गसिंह, सरपंच पंचायत दिशनाऊ पंचायत समिति फतेहपुर (सीकर) की रीव्यु दिनांक 13-8-70 को खारिज हो गई और विधि विभाग ने भी 13-8-70 से पांच साल के लिये अयोग्य माना है ? क्या पंचायत एक्ट की धारा 70 (बी) में रिव्यु की रिव्यु नहीं होती ? अगर हां तो यह पत्रावली अभी तक क्यों चल रही है और रिक्त स्थान (पृथक) की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्री खड्गसिंह, सरपंच व श्री भागीरथसिंह उप सरपच को वार्डों के सम्बन्ध में तीन बार जांच बाद दोनों दोषी पाये गये ? क्या यह भी सही है कि कलेक्टर सीकर एवं अतिरिक्त विकास आयुक्त पंचायत जयपुर ने राज्य सरकार को दोनों को सस्पेन्ड करने वास्ते लिखा और मन्त्री महोदय ने भी 10-10-73 को सुनाई की तो दोषी पाया ? यदि हां तो अभी तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? पत्रावली में इसके बाद क्या कार्यवाही हुई और सुनाई की कौनसी तिथि है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री खड्गसिंह सरपंच, पंचायत दिशनाऊ पंचायत समिति फतहपुर (सीकर) के खिलाफ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट फतेहपुर (सीकर) की अदालत में

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

धारा 468, 467, 471, 409, 420, 211/182 आइ. पी. सी. के केस चल रहे हैं तथा जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि राज्य सरकार के पास पेश की जा चुकी है ? यदि हां तो उक्त सरपंच के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है और सुनाई की कौनसी तिथि नियुक्त है ? पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

श्री रामनारायण चौधरी (पंचायत मन्त्री) : (1) जी हां । विधि विभाग द्वारा यह राय व्यक्त की गई है कि श्री खड़गसिंह सरपंच पंचायत दिशनाऊ को दिनांक 13-8-70 से अयोग्य घोषित माना जावे । पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 70 (बी) के अन्तर्गत रिग्यु की रिग्यु नहीं होती है । विधि विभाग से राय दिनांक 5-4-74 को प्राप्त हुई है अतः कार्यवाही नहीं हो सकी । अब शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जायेगी ।

(2) जी हां । जांच के पश्चात् श्री खड़गसिंह सरपंच एवं श्री भागीरथसिंह, उपसरपंच पंचायत दिशनाऊ को दोषी पाया गया एवं जिलाधीश सीकर ने इन्हें निलम्बित करने की सिफारिश की थी । अधिनियमों के अन्तर्गत उनको सुनवाई का अवसर दिया गया परन्तु श्री खडगसिंह के विरुद्ध एक मामला और राज्य सरकार के विचाराधीन है, जिसमें विधि विभाग की राय मांगी गई थी । इसलिए इस मामले में अन्तिम कोई निर्णय न लिया जाकर विधि विभाग की राय की प्रतीक्षा की गई जो दिनांक 5-4-74 को प्राप्त हुई है तथा अब निर्णय शीघ्र लिया जाकर कार्यवाही की जावेगी ।

(3) जी हां । श्री खड़गसिंह सरपंच के विरुद्ध मुन्सिफ मजिस्ट्रेट फतेहपुर की अदालत में धारा 468, 471, 182, व 420 ता. हि. के अन्तर्गत मुकद्दमे चल रहे है । जिनकी सुनवाई 2-5-74 व 11-5-74 निश्चित है । जब तक अदालत द्वारा उपरोक्त मुकद्दमों में अन्तिम निर्णय न दे दिया जावे तब तक राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल ।

प्रश्न संख्या 731

जिला पाली में उपलब्ध रंगीन संगमरमर

731. श्री केशरीमल (व्यावर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली के ग्राम कुनेजा आदि के आस पास भारी मात्रा में एशिया का सबसे अच्छा रंगीन संगमरमर उपलब्ध है ? यदि हां तो उसकी कितनी मात्रा है ? क्या इस प्रकार का पत्थर प्रान्त के और किसी हिस्से में भी उपलब्ध है ? यदि हां तो कहां और उनकी मात्रा कितनी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इस खनिज पदार्थ को निकलवाने की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां तो क्या ? किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी ने इस पदार्थ को निकालना शुरू किया था ? यदि हां तो किस किसने ? क्या अभी भी यह कार्य जारी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(श्री केशरीमल)

(3) क्या राज्य सरकार इस बड़े जखीरे को राजकीय क्षेत्र से निकलवाने और इस कार्य को शुरू करने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां तो कब से ?

श्री जुझारसिंह (राज्य मन्त्री खनिज): (1) यह सही है कि ग्राम कुनेजा जिला पाली के पास काफी मात्रा में रंगीन संगमरमर उपलब्ध है लेकिन इसके बारे में कोई सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है अतः इसकी निश्चित मात्रा कितनी है नहीं बताई जा सकती। वैसे यह रंगीन संगमरमर जरूर है लेकिन विशेष अच्छी किस्म का नहीं है और विभाग ने इसको घटिया किस्म के संगमरमर की श्रेणी में रखा है।

(2) इस खनिज पदार्थ को निकालने के लिए सर्व श्री साहू मिनरल्स एण्ड प्रोपर्टीज को खनन पट्टा दिया गया था। उन्होंने इस खनिज पदार्थ का उत्खनन शुरू ही किया था लेकिन अभी इस क्षेत्र में संगमरमर के उत्खनन के लिए उक्त पार्टी द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है ?

(3) राज्य सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि इस कार्य को राजकीय क्षेत्र में किया जाय और न ही इस प्रकार की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा वह अनुचित बात है। यह कहना कि वहां पर जो पत्थर निकलता है वह अच्छी क्वालिटी का नहीं है, गलत बात है। वहां पर बढ़िया क्वालिटी का पत्थर निकलता है। साहू मिनरल उस को बाहर भी भेज रहा था परन्तु किसी कारण से उसने यह कार्य बन्द कर दिया। राज्य सरकार अपने खुद के हाथ में लेकर कार्य शुरू करे और इस जखीरे का पूरा पूरा पता लगावे। क्या राज्य सरकार यह कार्य करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पहले ही जवाब दिया है कि राज्य सरकार की तरफ से उत्खनन करने का या इसको एक्सप्लाइट करने की कोई मंशा नहीं है। जहां तक साहू मिनरल्स का सवाल है उसने यह कार्य बन्द कर दिया है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से शो काज नोटिस दिया गया है। उनका जवाब आने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री केशरीमल : क्या राज्य सरकार मजदूर अपनी को-ऑपरेटिव सोसायटी बनाकर इस पर काम करना चाहें तो उनको मौका देगी ?

श्री जुझारसिंह : यह लीज दी हुई है अगर वह लीज खत्म हो गई तो जरूर देगी परन्तु जब तक उनके ड्यूज रहते हैं, वर्क सेटीसफेक्टरी नहीं पाया जाता है उसके पहले यह लीज डिस्कन्टीन्यू नहीं कर सकते हैं। जब डिस्कन्टीन्यू कर देंगे तो जो भी पार्टी सामने आयेगी, जिसके पास इसके लिए साधन होंगे और वह इसको एक्सप्लाइट कर सकेगी तो उसको देने पर विचार किया जा सकता है।

श्री केशरीमल : जिस कम्पनी को आपने यह लीज दे रखी है उसने वहां पर काम करना बन्द कर दिया है। वहां पर अच्छी क्वालिटी का पत्थर है और बहुत

(श्री केशरीमल)

बड़ा जखीरा है। तो क्यों नहीं सरकार उसकी लीज को खत्म करके काम अपने हाथ में ले लेती है और मजदूरों की को-आपरेटिव सोसायटी फॉर्म करके काम शुरू करे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : शो-काज नोटिस कब दिया है ?

श्री जुझारसिंह : थोड़े दिन ही हुए हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कौनसी डेट को दिया है और कितने दिन का पीरियड है ?

श्री जुझारसिंह : नोटिस पीरियड 60 दिन का होता है। लेकिन नोटिस देने का यह मतलब नहीं है कि समाप्त कर दें लीज को। जवाब सेटिसफेक्टरी आ जाता है, डिपार्टमेंट सेटिसफाइड हो जाता है, रिकवरी हो जाती है तो वह कन्टीन्यू कर सकता है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्या जवाब सेटिसफैक्टरी आ रहा है ?

श्री जुझारसिंह : हम सेटिसफाइड नहीं हैं इसलिए तो केन्सीलेशन का नोटिस दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या शो काज नोटिस का जवाब सेटिसफाइड आ गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको बातचीत के दौरान सेटिसफाई हो गये हैं इस लिए जवाब को लम्बा कर दिया है।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): माननीय सदस्य को जानकारी ज्यादा है, राज्य सरकार को नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री लूणाराम।

प्रश्न संख्या 732

जागीरदारों से मालगुजारी की वसूली

732. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जब से जागीरें मर्ज हुईं और जागीरदारों से माल-गुजारी वसूल करने का प्रावधान हुआ है तब से लेकर आज तक चूरू जिले के बहुत से जागीरदारों ने मालगुजारी अदा नहीं की है ? यदि हां तो उन जागीरदारों के नाम, गांव व सालवार बकाया तथा कुल बकाया की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन जागीरदारों में ऐसे भी जागीरदार हैं जो सरकारी सेवाओं में हैं व उनमें से कई तो बहुत ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं ?

श्री मूलचन्द (राज्य मंत्री, राजस्व) :

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

प्रश्न संख्या 733

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन। (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 734

श्री रघुनाथ विश्नोई (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 735

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु।

अवैध निर्माण कार्य

736. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा आमेर रोड़ जोरावरसिंह दरवाजे बाहर श्री गंगाबक्श माली तथा लाडला माली की कृषि भूमि के अगवार (यू आइ. टी. पार्क के पश्चिम में) कोई दीवार बनाई गई थी ? यदि हां तो यह दीवार कब बनाई गई थी ?

(2) जब दीवार का निर्माण किया गया था तब श्री सेढू पुत्र श्री गंगाबक्स माली के आवेदन पर परगना अधिकारी (एस. डी. ओ.) जयपुर द्वारा स्थगन आदेश दिया गया था कि इस दीवार के निर्माण को रोक दिया जावे ? यदि हां तो यह स्थगन आदेश किस तिथि को दिया गया था ?

(3) एस. डी. ओ. जयपुर के स्थगन आदेश के बाद क्या श्री गंगाबक्श माली की खातेदारी की कृषि भूमि की तहसील जयपुर द्वारा नाप करके पत्थर गढ़ी की गई थी ?

(4) क्या इस सम्बन्ध का कोई मुकदमा न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट, जयपुर के यहां भी चला था ? यदि हां तो न्यायालय में श्री सेढू पुत्र श्री गंगाबक्श माली ने एक हलफनामा पेश करके यह कहा था कि न्यास ने जो दीवार बनाई है वह सरकारी भूमि पर है ?

(5) न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर के निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

श्री रामनारायण चौधरी (नगर आयोजना मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में चाही गई जानकारी संकलित की जा रही है और उसमें समय लगने की संभावना है। अतः इसके लिये स्थगित की प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री हरलाल मीणा।

होम तहसील में नियुक्त पटवारी

737. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि होम तहसील के रहने वाले पटवारी होम तहसील में नियुक्त नहीं रखने का आदेश राज्य सरकार द्वारा हुआ था ? यदि हां तो कब और इस आदेश की पालना कितने जिलों में हुई ?

(2) क्या कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना उचित था ?

(3) जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ क्षेत्र के रहने वाले कितने पटवारी होम तहसील के बाहर हैं और कहां कहां व उनको होम तहसील में लगाने बाबत राज्य सरकार का क्या विचार है ?

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मंत्री, राजस्व) : (1) जी हां दिनांक 12 जुलाई,

Page No 19

(19)

(श्री मूलचन्द मीणा)

1973 को ये आदेश हुये थे। इनकी पालना समस्त जिलों में हो रही है।

(2) ये आदेश प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित हैं।

(3) जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील प्रतापगढ़ क्षेत्र के रहने वाले पटवारी जो होम तहसील से बाहर नियोजित हैं उनकी सूची संलग्न है। राज्यादेशानुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रावतराम : क्या इस आदेश में ढील दी गयी है कि होम तहसील में पटवारी न रहें?

श्री मूलचन्द : पहले यह आदेश सन् 71 में हुआ था। फिर स्थगित किया गया। इसके बाद 73 में ये आदेश हुए।

श्री रावतराम : गवर्नमेंट के इस प्रकार के आदेश हैं कि होम तहसील में पटवारी नहीं रहना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : आपका मुद्दा ठीक है। राज्य सरकार ने 1971 में ये आदेश दिये थे। बाद में इनको मोडिफाइ किया गया है।

श्री भीमसेन : इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?

श्री परसराम मदेरणा : प्रशासनिक कारणों से।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रशासनिक कारणों का स्वरूप क्या है?

श्री परसराम मदेरणा : इसका स्वरूप यह था कि पटवार संघ की ओर से एक मेमोरेन्डम आया था कि इसको एकदम आउटराइट लागू नहीं किया जाये। तीन साल के अन्दर ट्रान्सफर कर दिया जाये।

श्री केदारनाथ : क्या इससे इफीसेन्सी में फर्क पड़ा है? क्या इससे एडमिनिस्ट्रेशन की इफीसेन्सी में फर्क पड़ा है?

श्री रावतराम : जैसा आपने फर्माया कि दुबारा से इसको कर दिया तो जिसका अर्थ यह लगा लेते हैं कि जिसको रखना होता है उनको रख लेते हैं और जिसको निकालना होता है उसको निकाल देते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ट्रान्सफर्स तो करना ही है। कुछ जिलों में ट्रान्सफर्स नहीं हुए हैं और काफी जिलों में ट्रान्सफर्स हुए हैं। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है प्रतापगढ़ तहसील का जिसमें चित्तौड़गढ़ के 3 पटवारी बाहर हैं उनका कहते हैं कि वापिस भेज दो तो वापिस भेजते का मोडीफाइड आर्डर में प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

उप-निदेशक एवं संयुक्त निदेशक की पदोन्नति का आधार

738. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि विभाग में उप-निदेशक एवं संयुक्त निदेशक की पदोन्नति तथा नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है? नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(2) क्या यह सही है कि श्री बृजमोहन त्रिवेदी संयुक्त निदेशक की पदोन्नति के साथ-साथ जयपुर स्थित कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि, अजमेर खण्ड जयपुर को अपग्रेड और डिग्रेड की गई है ? यदि हां, तो कब कब और किन किन आधारों पर ऐसा किया गया और ऐसा करने से राज्य सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ा ?

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : (1) कृषि विभाग में उप-निदेशक एवं संयुक्त निदेशक की पदोन्नति तथा नियुक्ति की प्रक्रिया, कृषि सेवा नियमावली 1960 (नियम संख्या, 26 एवं 28) एवं नियमावली के संलग्न परिशिष्ट में वर्णित की गई है, जिनके अनुसार वरिष्ठ पद शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। नियमावली एवं परिशिष्ट के संबंधित अंशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची कृपया परिशिष्ट-4 पर देखिये)

(2) जी हां। उपनिदेशक, कृषि, अजमेर खण्ड की पोस्ट दिनांक 27-7-72 को अपग्रेड की गई है। ये निर्णय कृषि कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया था। उपनिदेशक, अजमेर खण्ड के पद को संयुक्त निदेशक में अपग्रेड करने के साथ ही कोटा के संयुक्त निदेशक पद को डिग्रेड किया गया। इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ता, क्योंकि उपनिदेशक अथवा संयुक्त निदेशक के कुल पदों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या यह सारे अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन किसी एक ही व्यक्ति के लिए किये गये हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : जी नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह कब से कहां-कहां पर नियुक्त हुए हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : यह जिनके बारे में आपने सवाल पूछा है पहले उदयपुर में ज्वाइंट डाइरेक्टर थे 1971 में और उसके बाद जब पोस्ट अपग्रेड यहां पर हुई तो यहां पर आ गये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अजमेर में कब रहे और भरतपुर में कब रहे ?

श्री शिवचरण माथुर : ज्वाइन्ट डाइरेक्टर उदयपुर में थे 30-1-71 से।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा मतलब यह है कि इस पद को जो पदोन्नति की गई है तो क्या किसी एक व्यक्ति के कारण की गई है कि वह यहां जयपुर में रहें और इसमें उनका इन्ट्रेस्ट था ?

श्री शिवचरण माथुर : कोटा में जो ज्वाइन्ट डाइरेक्टर्स की पोस्ट्स थीं एक ज्वाइन्ट डाइरेक्टर तो यू. एन. डी. पी. के प्रोग्राम को लुकआफ्टर करने को थे और दूसरे सारा जो खेती का काम था उसको लुकआफ्टर करने को थे कोटा में। दो पोस्टों में से एक पोस्ट को डिग्रेड कर दिया गया है क्योंकि यू. एन. डी. पी. का काम समाप्त हो गया है और केवल फालो अप का काम रह गया है। इसलिए वहां पर एक ही ज्वाइंट डाइरेक्टर रखा गया है। जयपुर और अजमेर खण्ड में 7 जिले आते थे तो एक

Page No 21

(21)

(श्री शिवचरण माथुर)

पोस्ट को अपग्रेड करना जरूरी था। इसलिए कोटा की पोस्ट को डिग्रेड किया गया था और इसको अपग्रेड कर दिया। इसलिए किसी एक को एडजस्ट करने के लिए अपग्रेड करने का सवाल नहीं होता है।

प्रश्न संख्या 739।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दीपंकर।

ग्राम झोटवाड़ा में भूमि पर अतिक्रमण

740. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झोटवाड़ा ग्राम, तहसील जयपुर कृषि भूमि ख०नं०1063 व 1064 से अतिक्रमणियों को क्यों नहीं हटाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर तहसीलदार ने उक्त अतिक्रमणियों को हटाने के आदेश दिये थे ?

(3) अतिक्रमणियों द्वारा वृद्ध काश्तकार के हकों का हनन किया जा रहा है राजस्व विभाग इस बारे में क्या कर रहा है ?

(4) अतिक्रमणियों को रोकने के लिए रिसीवर नियुक्त किया था ? यदि हां, तो फिर उसे क्यों नहीं स्थाई रखा ?

श्री मूलचन्द (राज्य मन्त्री, राजस्व) : (1) ग्राम झोटवाड़ा, तहसील जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1063 तथा 1064 खातेदारी की है। खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90एवं91 के तहत कार्यवाही तहसीलदार, जयपुर द्वारा की जा रही थी उनके मामले विशेषाधिकारी, कृषि भूमि रूपान्तरण नियमितकरण, जयपुर को नियमन हेतु भेज दिये गये, क्योंकि राजस्थान भू-राजस्व (शहरी क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कृषि भूमि आवंटन एवं रूपान्तरकरण) नियम, 1971 प्रभाव में आगये और इन नियमों में ऐसे मामलों में नियमन की कार्यवाही करने का प्रावधान है, जो कि मामले वहां अभी तक विचाराधीन है।

(2) जी हां।

(3) खातेदारी भूमि में अतिक्रमण होने पर अतिक्रमकों के विरुद्ध सम्बन्धित खातेदारों को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए।

(4) न्यायालय उप-जिलाधिकारी, जयपुर के यहां श्री द्वारका प्रसाद बनाम जुगलकिशोर वगैरह के नाम से दावा इस्तकरार हक चल रहा है, जिसमें रिसीवर नियुक्त किया गया था, जो कि बाद में हटा लिया गया, जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां चल रही है। अतः मामला 'सब-ज्यूडिस' है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

श्री दीपंकर : रिसीवर मुकर्रर करने और हटाने के पीछे क्या राज है ?

श्री केदारनाथ : यह समझ में आ जाय तो मंत्री बन जाओ।

Page No 22

(22)

श्री दीपंकर : इस भूमि पर किन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है। एक बहुत बड़ा ठेकेदार है रहमतखां शराब का ठेकेदार उसके परिवार ने इस पर कब्जा कर रखा है।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): रिसीवर एपाइन्ट करना और रिसीवर हटाना इन्टेरिम स्टे ऑर्डर देना और उसको वेकेट करना यह अदालत का काम है। जो कुछ आदेश अदालतों ने दिये हैं उनके मुताबिक काम हुआ है।

श्री दीपंकर : इसमें ठेकेदार रहमत खां के परिवार ने कब्जा कर रखा था तो उसको हटाने के आदेश दे दिये थे सक्षम न्यायालय ने तो वह वापिस वियड्रा क्यों हुए ?

श्री परसराम मदेरणा : यह नई जानकारी आप दे रहे हैं कि वह अतिक्रमणी एक ठेकेदार है अथवा दूसरे लोग हैं। जो कुछ भी हो लेकिन एक प्राइवेट आदमी की जमीन है।

श्री दीपंकर : एक भूतपूर्व सैनिक की जमीन है उस पर आउटसाइडर्स लोगों ने कब्जा कर रखा है इससे उस काश्तकार का नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि क्या सरकार कोशिश करके इस भूतपूर्व सैनिक के हितों की रक्षा करेगी और ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिए कोई कदम उठायेगी।

श्री परसराम मदेरणा: भूतपूर्व सैनिक कौन है यह मेरी जानकारी में नहीं है और किस भूमि के बारे में आप कह रहे है व कितनी जमीन है। कुल 9 बीघा 3 बिस्वा जमीन थी उसमें से पौने पांच बीघा और 45 बिस्वा तो सेटलमेंट के वक्त रेलवे को दी गई तो एक बीघा और कुछ बिस्वा जमीन बची और रघुनाथ प्रसाद के नाम से जमीन है। वह करीब 1500 यार्ड्स के आस पास हैं। उसको खातेदारी मिल गई। उसके बाद उनको मकान बनाने की इजाजत मिल गई। इसी प्रकार अरविन्द कुमार और द्वारका प्रसाद के नाम से जो डेढ़ बीघा जमीन निकलती है उस जमीन के संबंध में यह ट्रेसपासर्स हैं तो यह प्राइवेट खातेदारी है इसलिए उसको कार्यवाही करना चाहिए।

स्थगित प्रश्न संख्या 279 (दि. 19-3-74)

श्री अध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जीथिंग : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : हां बड़ा गम्भीर है।

स्थगित प्रश्न सं. 459 (दि. 25-3-74)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द सामरिया।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 29-3-74)

दौसा उपखन्ड में नियन्त्रित वस्तुओं का वितरण

567. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): एवं **श्री रामचन्द्र पटेल** (सिकराय) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा उपखण्ड में कितनी नियंत्रित किन वस्तुओं का वितरण होता है और किन

Page No 23

(23)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

किन अधिकारियों की देखरेख में किया जाता है ?

(2) उक्त वस्तुओं में से 1 अप्रेल, 1973 से अब तक कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी वस्तु वितरित की गई ? इसमें से कितनी कितनी मात्रा कस्बे के लिए व कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित की गई ?

(3) क्या यह मात्रा आबादी के अनुसार सही है ?

(4) क्या ग्रामीण व कस्बे के क्षेत्रों में जो केरोसिन आयल बांटा गया वह सन्तोषजनक है ? यदि हां, तो सरकार आगे क्या विचार रखती है ?

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मन्त्री) : (1) दौसा उपखण्ड में गेहूं, चीनी, केरोसीन तेल व कोयले का वितरण स्थानीय तहसीलदार एवं स्थानीय उपखण्ड अधिकारी की देखरेख में किया जाता है।

(2) 1 अप्रेल, 1973 से जितनी जितनी मात्रा में गेहूं, चीनी व केरोसीन तेल वितरित किया गया इसकी पृथक पृथक तालिका संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

(3) वस्तुएं उपलब्धि के आधार पर आवंटित की जा रही है।

(4) केरोसीन आइल उपलब्धि के अनुसार ही वितरण किया जा रहा है जो पर्याप्त नहीं है। प्रदेश को आपूर्ति कमी के कारण ज्यादा बढ़ाये जाने में असमर्थता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या वर्तमान में जो केरोसीन आइल है वह डीलर के पास सारा आ चुका है और उसके वितरण के आदेश दे दिये गये हैं। इसके अलावा दूसरा कोटा डीलर्स ने इसलिए लेने से इन्कार कर दिया कि जब तक पहले का कोटा नहीं निकाल दिया जायगा तब तक दूसरा खरीद नहीं सकते और इसकी वजह से तेल दूसरी जगह पर वापिस भेज दिया गया है। क्या यह सही है ?

श्री शिवचरण माथुर : आप जानकारी दे रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। समय पर बांटने की बात डी० एस० ओ० कर रहे हैं। आपने जानकारी दी है तो उसकी जानकारी करूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं यह निवेदन करूंगा कि गेहूं, चीनी और केरोसीन के अलावा क्या आपके यहां पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सरकार के नियन्त्रण में अधिकारियों द्वारा वितरित की जा रही है। इन तीन के अलावा कोई चौथी वस्तु नहीं है क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : केरोसीन भी है लेकिन उसकी उपलब्धि नहीं होने के कारण नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : सीमेंट का वितरण किस आधार पर होता है। फ्री बिकता है या अधिकारी के द्वारा दिया जाता है।

श्री शिवचरण माथुर : यह सवाल मैंने आपसे पूछा नहीं था।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने पूरी वस्तुओं के बारे में पूछा था जो भी सरकार

Page No 24

(२५)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

के द्वारा वितरित की जाती हैं। किन किन को अधिकारियों के नियन्त्रण में वितरित किया जाता है।

श्री शिवचरण माथुर : सीमेंट के बारे में बता दूं कि सीमेंट के प्रोडक्शन का 30 पर्सेन्ट कोटा सरकार के नियन्त्रण में आता है और बाकी पर सरकार का नियन्त्रण नहीं, न मूल्य पर और न वितरण पर, लेकिन हम अपनी तरफ से नियन्त्रण करने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक गांवों का सवाल है वहां पर पंचायत समिति की सिफारिश के आधार पर सीमेंट का वितरण करने की कोशिश की जाती है।

श्री मूलचन्द सामरिया : वह किस आधार पर बिकता है।

श्री रामचन्द्र पटेल : क्या केरोसीन का तेल ग्रामों एवं कस्बों में सही तरीके से बांटा जायेगा? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में तेल दिया गया है? अगर नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं? जब 20 हजार की आबादी होगी दौसा की और ग्रामीण क्षेत्र की आबादी भी लगभग 20 हजार की होगी तो वहां पर सही तरीके से केरोसीन का वितरण होना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : जितना वितरण किया है उसकी तालिका सदन के पटल पर रख दी है। कहां पर ठीक से और कहां पर ठीक से नहीं हुआ है यह बहुत बड़ा व्यापक सवाल है जो इस प्रश्न के दायरे में निवेदन करना उपयुक्त नहीं होगा। यह जरूर है कि केरोसीन की कमी के कारण जितनी मात्रा में केरोसीन मिलना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा है और केरोसीन की निरन्तर कमी हो रही है यह मालूम है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं यह भी निवेदन करूं कि क्रूड ओइल का वितरण एस. डी. एम. के थ्रू किया जाता है। उन्होंने धांधली की है डीलर से मिल कर। इस कारण पंचायत समिति दौसा ने सर्वसम्मति से उनके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पास किया है। क्या ऐसे अधिकारियों, जिनकी वितरण व्यवस्था में धांधली होने के कारण पूरे क्षेत्र के लोगों ने एकमत से निन्दा की है, के पास से वितरण व्यवस्था हटा कर दीगर अधिकारी को दी जा सकेगी?

श्री शिवचरण माथुर : क्या धांधली की है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। आप जो कह रहे हैं और जो जानकारी दी है, उसके आधार पर मैं जांच कराऊंगा और कार्यवाही करूंगा।

श्री नत्थासिंह (मदवई) : मैं सीमेंट बांटने की व्यवस्था के बारे में भरतपुर की बात बता दूं। भरतपुर के कलेक्टर ने आदेश निकाला है, जिन कुओं को बनाने के लिए काश्तकारों ने ऋण लिया है, उनको ही सीमेंट दी जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि जो काश्तकार अपनी जेब से खर्च करके कुएं खोदना चाहते हैं, उनको उनके लिए सीमेंट नहीं मिले—क्या राज्य सरकार की ओर से ऐसे आदेश दिये गये हैं?

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक मुझे जानकारी है, भरतपुर के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को भी जानकारी होगी कि एक कुए

(श्री शिवचरण माथुर)

खुदवाने का अभियान चलाया गया था, उसके लिए सम्भवतः कलेक्टर ने आदेश निकाले हों। आप जो जानकारी दे रहे हैं उसकी जांच करा सकता हूं। वैसे इस अभियान में कुए खोदे जायं, उनको सीमेंट उपलब्ध कराई जाय- ऐसे आदेश हो सकते हैं।

श्री नत्थासिंह : यह ठीक है, जो माननीय मंत्री जी बता रहे हैं। फिर आप स्पेशल कोटा मंगा कर आम जनता, आम जनता को दें। उनके सामने दिक्कत क्यों आये।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य का ध्यान नम्रतापूर्वक इस ओर दिलाऊंगा कि आपके बोलने के लिए अध्यक्ष की दृष्टि पड़ना अनिवार्य है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप पटक दीजिये दृष्टि, महंगाई का मामला है।

श्री रामकिशन : निगाह पटकने के लिए बढ़िया शक्ल चाहिए।

श्री मीठालाल : पिछले छः महीने से सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। सीमेंट का जो कोटा जिला अधिकारी से अलाट होता है, वह कोटा तहसील स्तर पर नहीं उठाया जाता है। जो सीमेंट एस. डी. ओ. के रिजर्व कोटा में रहता है, वह सारा का सारा डीलर्स के स्टाक में पड़ा है और डीलर्स परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा, चीनी, डीज़ल और क्रूड ओइल का ब्लेक और तस्करी चल रही है। आप लालसोट में और दौसा में जाकर देख सकते हैं, गाड़ी ले जाकर, बिना ब्लेक के डीजल नहीं बिकता है, एक लीटर डीजल भी बिना ब्लेक के नहीं मिलेगा। आज जो ब्लेकबाजी चल रही है, इसको रोकने के लिए जब तक कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। मेरा निवेदन है कि स्थिति को सुधारने के लिए और ठीक व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी। साथ ही यह भी बतावें कि जो केरोसीन भेजा गया था, वह कितना वापिस आगया ? डीलर्स के पास में जो स्टाक था, वह खत्म नहीं होने की वजह से केरोसीन तेल वापिस आ गया।

श्री जयकिशन लाल : मेरा प्रश्न है....

श्री शिवचरण माथुर : मैं एक प्रश्न का जवाब दे दूं।

श्री भानु कुमार शास्त्री : दौसा उपखण्ड के बारे में मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है। एस. डी. एम. की, मैं समझता हूं, मिली भगत हो सकती है। आदेश न होने की वजह से डीलर केरोसीन नहीं दे पाये हैं और उनके स्टाक में पड़ा रहा है और जो नया केरोसीन आया, वह वापिस चला गया। क्या आप इसकी जांच करायेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक माननीय सदस्य ने सीमेंट के बारे में कहा, सीमेंट का स्टाक पड़ा हुआ है वह वितरित नहीं किया जा रहा है, तो आपकी जानकारी के आधार पर आज ही वितरण व्यवस्था कराने की कार्यवाही करूंगा।

केरोसीन के बारे में कहा, मैं दरअसल आपका सहयोग चाहता हूं, इस प्रकार की जो जानकारी है वह आप कृपया दें। मान

(श्री शिवचरण माथुर)

लीजिये, डीलर ने मिल कर कैरोसीन उठाया नहीं और वापिस हो गया, कोटा उठाया नहीं और वितरित नहीं हो सका, तो यह गम्भीर बात है। मैं निश्चितरूप से इस सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं।

श्री मोठालाल : मैं एक सप्लीमेन्ट्री करना चाहता हूं•••

श्री रामचन्द्र पटेल : अध्यक्ष महोदय ··

श्री नत्थासिंह : क्या मंत्री महोदय स्पेशल कोटा देकर किसानों को सीमेंट दिलाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछिये।

श्री रामचन्द्र पटेल : मेरा निवेदन था कैरोसीन के बारे में। मंत्री महोदय ने कहा, जितना दिया वह कम है। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। मेरा निवेदन है कि जितना भी तहसीलों को दिया जाय, जितना गवर्नमेंट के पास होगा उतना ही देगी, उससे ज्यादा दे नहीं सकती है, उसका जनसंख्या के आधार पर देहातों में वितरण कराने की व्यवस्था करेंगे। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं, दौसा, सिकराय में तेल गया है, वहां कस्बों में, तो वितरित होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलता है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने पिछले दिनों रात अंधेरे में बितायी है। मेरा निवेदन है, जितना तेल उपलब्ध करा सकते हैं उसको जनसंख्या के आधार पर गांवों तथा कस्बों में वितरित करायें।

श्री रावतराम : अध्यक्ष : एक सप्लीमेंट्री मेरा यह है कि यह जनरल सवाल है, एक तहसील का नहीं है। जैसा माननीय सदस्य ने आपसे कहा था, यह घासलेट तेल कस्बों में देते हैं, वहां वितरित होता है। देहातों में पिछले छः महीने से एक बोतल तेल नहीं मिला है। देहातों में घासलेट तेल देने की आप कृपया व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लीजिये।

श्री जयकिशनलाल : मेरा निवेदन है कि यदि हम सीमेंट, क्रूड ओइल और डीजल ब्लेक में लेना चाहें तो आसानी से मिल जाता है··

एक माननीय सदस्य : ब्लेक से ले लेना चाहिए।

श्री जयकिशन लाल : जब ब्लेक में लेने से आसानी से मिल जाता है तो मेरा निवेदन है कि प्रत्येक तहसील हैड क्वार्टर पर कलेक्टर द्वारा बी. डी. ओ. को इस प्रकार के आदेश प्रसारित करके निश्चित स्टेप लेकर इनका वितरण कराया जाय। आज आसानी से कोटा मिल जाता है वह डीलर को कोटा मिल जाता है, डीलर ब्लेक कर देता है। मेरा निवेदन है कैरोसीन तेल के वितरण के बारे में, विद्यार्थी इस समय अध्ययन कर रहे हैं, उनकी परीक्षायें इन दिनों हैं। मेरा निवेदन है कि चाहे डीलर इस प्रकार की बेईमानी कर लें, लेकिन जहां जहां पर इस प्रकार के हायर सेकेण्डरी स्कूल, सैकेण्डरी स्कूल और मिडिल स्कूल हैं, वहां पर विद्यार्थियों के लिए स्पेशल कैरोसीन की व्यवस्था

(श्री जयकिशनलाल)

कर दी जाय। मेरा निवेदन है कि आजकल विद्यार्थियों का जीवन सफल होने वाला है, उनका जीवन उज्ज्वल होने वाला है, उसमें तेल मिलना लाभदायक हो सकता है। मेरा निवेदन है कि विशेषरूप से योजना बना कर, जो दो महीने परीक्षा का समय है, वहां तेल की विशेष व्यवस्था कर दी जाय तो विद्यार्थियों का भला होगा।

श्री हनुमान सहाय : जयपुर शहर में पिछले छः महीने से पचास हजार सीमेंट के कट्टे पड़े हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से वितरण की व्यवस्था नहीं हो रही है। यह मन्त्री महोदय की नॉलेज में है। अगर है तो क्या व्यवस्था करायेंगे और करायेंगे तो कब तक करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री ! (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) समय नहीं है बहुत

श्री श्रीराम गोटेवाला: सीमेंट है, समय नहीं हैं। सीमेंट बंट नहीं रही है।

श्री मीठालाल : कोटा लेप्स हो रहा है फिर भी लालसोट में भेज नहीं रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्यों ने कैरोसीन और सीमेंट के बारे में जिक्र किया, वास्तव में सही बात है, कमी की वजह से दिक्कत आ रही है...

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं अर्ज करूं, सीमेंट की 26 रुपये बोरी के हिसाब से भले ही बीस हजार बोरी ले लीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : कैरोसीन आोइल के सम्बन्ध में मैं सदन में निवेदन कर चुका हूं, फसल के मौके पर थोड़ा सा लाइट डीजल आोइल रिफाइन करने की दृष्टि से भारत सरकार ने निर्णय किया है। जहां पहले कैरोसीन ओइल बनाया जाता था और कम रिफाइन किया जाता था. अब काश्तकारों की आवश्यकताओं को देखते हुए पिछले दो महीने से रिफाइन ज्यादा किया जा रहा है और कैरोसीन कम बनाया जा रहा है। इस कारण से कैरोसीन का कम उत्पादन होने की वजह से पहले दस हजार टन मिलता था, वहां पांच हजार टन मिलता है। आप अन्दाज लगाइये, आधी मात्रा हो जाय तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है।

यह जो सवाल उठाया है कि देहातों में और शहरों में अलग 2 तौर पर बांटने में फर्क है। इससे इन्कार नहीं करता हूं, उसमें फर्क है। उसको ठीक करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। देहातों में खासतौर से ऐसे मौके पर जब परीक्षाओं का सवाल है, विद्यार्थियों को कैरोसीन की आवश्यकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी देहातों में कुछ न कुछ मात्रा में कैरोसीन मिले-इसकी हम कोशिश कर रहे हैं।

सीमेंट का सवाल है, यह कहा कि पचास हजार कट्टे पड़े हैं और वितरित नहीं हो रहे हैं। यह जानकारी दी है, मैं आज ही देखूंगा कि सीमेंट क्यों नहीं बंट रही है। जल्दी से जल्दी बंटवाने की मैं व्यवस्था करूंगा।

श्री मीठालाल : जो लेप्स होता है वह दूसरे जिलों में नहीं भेजी जावे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप व्यवस्था करिये, डीलर बांट नहीं रहे हैं, इसलिए परेशानी ज्यादा हो रही है।

श्री नत्थासिंह : माननीय मन्त्री ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।

श्री मोठालाल : देंगे नहीं।

श्री नत्थासिंह : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आज 26 रुपये में चाहे जितने काश्तकारों को कट्टे मिलते हैं। 10-11 रुपये बेसी चले जाते हैं वह अधिकारी और डीलर आधे आधे, फिफ्टी 2 कर लेते हैं। यह ऐसी दिक्कत है, तो आज बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करायें, जिलेवाइज वितरण का प्रयत्न करें और दोषी अधिकारियों को सस्पेन्ड किया जाय, उनको सजा दी जाय।

श्री रामचन्द्र पटेल : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आप फर्मायें।

श्री लक्ष्मण सिंह : जो अधिकारी इन नियन्त्रित वस्तुओं का वितरण करते हैं उन सबको तो मैं बेईमान नहीं मानता लेकिन इसमें बहुत सी बड़ी मात्रा में बेईमान अधिकारी हैं। आप उनको कोई सजा देते हैं। आप उत्तर दे रहे हैं कि जांच करवाई जाएगी, जानकारी न आने पर हम यह कर देंगे वह कर देंगे, क्या सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है कि बेईमान अधिकारियों को आप निरस्त करें या सजा दें ?

श्री शिवचरण माथुर : निश्चितरूप से।

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या आपके पास में जांच करने की मशीनरी नहीं हैं ? यह तो प्रशासन का एलीमेंटरी सिद्धांत है। अगर जानकारी करने के लिए आपके पास में मशीनरी नहीं है तो आप मशीनरी को क्रीएट करें और बेईमानों को सजा दें तब तो आपका प्रशासन इफीशियेंट होगा वरना आप जानकारी सदस्यों से प्राप्त करें और प्राइमाफेसी आप मान लें कि आपकी वितरण व्यवस्था ईमानदार है, यह बिल्कुल गलत तरीका है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने किसी बेईमान अधिकारी को सजा दी है और अगर दी है तो इसी दौसा के अन्दर कितनों को दी है और भविष्य में आप सजा देने के लिए तत्पर हैं या नहीं ? अगर सजा नहीं देते हैं तो फिर वितरण व्यवस्था बुरी से बदतर नहीं होगी ?

श्री केशरीमल : उनकी तरक्की होती है।

श्री शिवचरण माथुर : दोषी अधिकारियों को सजा देने का सरकार का पूरी तरह से इरादा है और सरकार ने कितने ही लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है। अगर यह स्पेसीफिक सवाल पूछा जाता तो इसका भी मैं उत्तर दे देता…

श्री भानु कुमार शास्त्री : दौसा एस. डी. एम. के बारे में…

श्री अध्यक्ष : पहले मन्त्री जी को उत्तर पूरा करने दें।

श्री शिवचरण माथुर : सरकार का पक्का इरादा है कि इस प्रकार गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ करें लेकिन माननीय सदस्यों का सहयोग इसलिए मांगता हूं कि अगर उनके पास जानकारी हो तो कृपया मुझे दे दें और उस पर निश्चितरूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न संख्या 733 योजना के बारे में है, इसमें कोई सप्लीमेंटरी नहीं है।

श्री रामकिशन : केवल सूचना आने की है।

विभिन्न योजनाओं में प्रति व्यक्ति व्यय की गई राशि

733. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) (श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर) की ओर से) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने सन् 1956-57 से लेकर सन् 1972-73 तक पंचवर्षीय एवं वार्षिक कुल योजनाओं में विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया ? सदन में आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त जिलों को जिन पर योजनाओं में प्रति व्यक्ति बहुत कम व्यय करने के कारण बहुत पिछड़े हुए हैं उनके विकास में दूसरे जिलों के मुकाबले में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता देकर अधिक व्यय करेगी ?

योजना मन्त्री (श्री चंदनमल बैद) : (1) राज्यस्तर की योजनाओं में प्रति व्यक्ति व्यय के जिलेवार आंकड़े निम्नलिखित हैं। जिलेवार व्यय में तथा राज्य के औसत में राज्य मुख्यालय पर स्थित स्टाफ, इक्वीपमेंट तथा ऐसा व्यय जो किसी जिले विशेष को लाभान्वित नहीं करता, इसमें सम्मिलित नहीं है। वर्ष 1971-72 एवं 1972-73 के आवंटन के आंकड़े लिए गए हैं। प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1971 की जनगणना के आधार पर निकाला गया है।

	जिले	1956-57 से 1972-73 तक प्रति व्यक्ति व्यय (रुपयों में)
1.	अजमेर	226
2.	अलवर	129
3.	बांसवाड़ा	150
4.	बाड़मेर	78
5.	भरतपुर	168
6.	भीलवाड़ा	185
7.	बीकानेर	911
8.	बूंदी	360
9.	चित्तौड़गढ़	195
10.	चूरू	112
11.	डूंगरगढ़	129
12.	गंगानगर	652
13.	जयपुर	288
14.	जैसलमेर	2905
15.	जालौर	89
16.	झालावाड़	167
17.	झुंझूनू	137
18.	जोधपुर	236
19.	कोटा	477
20.	नागौर	107
21.	पाली	160
22.	सवाई माधोपुर	122
23.	सीकर	135
24.	सिरोही	171
25.	टोंक	156
26.	उदयपुर	235
	औसत राजस्थान	251

(श्री चन्दनमल बैद)

(2) केवल उपरोक्त आंकड़े किसी जिले के विकास के तुलनात्मक अध्ययन के लिए न तो पर्याप्त हैं और न उपयुक्त। पांचवी पंचवर्षीय योजना को राज्य के विभिन्न मांगों के पिछड़ेपन एवं विकास की क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों के द्रुगति से विकास के लिए कुछ विशिष्ट कार्यक्रम जैसे ड्रोट प्रोन एरियाज प्रोग्राम तथा राज्य के जन जाति क्षेत्र के लिए एक एकीकृत योजना का क्रियान्वन भी प्रस्तावित है। इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों का विकास उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए एवं उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जावेगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कांस की कावरी वन क्षेत्र

727. श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी (बयाना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बयाना के कांस की काबरी वन क्षेत्र की रेवेन्यू विभाग को हस्तांतरित करने की कार्यवाही कब से चल रही है और किस स्टेज पर है ?

(2) यह वन क्षेत्र कब तक रेवेन्यू विभाग को हस्तांतरित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) अक्टूबर 1966 से कार्यवाही चल रही थी। जुलाई 1972 में हुई जिला स्तर समिति की बैठक में यह भूमि काश्त योग्य नहीं होने से उसे वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तान्तरित नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालौर के विरुद्ध कार्यवाही

734. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सहकारी विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालोर श्री भंवरसिंह राव के विरुद्ध अनुशासनहीनता के कई अभियोग राज्य सरकार द्वारा लगाए गए थे ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अभियोगों के बारे में शीघ्र कार्यवाही की जाकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का सरकार ने गत बजट सत्र में विधान सभा में आश्वासन दिया था ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं–किन्तु बैंक की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 71-72 में भूतपूर्व अध्यक्ष श्री भंवरसिंह एवं संचालक मण्डल द्वारा अनियमितता एवं अनावश्यक खर्चे के मामलों का उल्लेख है।

(सहकारिता मन्त्री)

(2) जी हां, राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है।

चूरू जिले की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

735. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के चालू कार्यों के संबंध में अनेक शिकायतें हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले की बड़ी योजनाएं हैं उनके लिए विद्युत लाइन डालने की कार्यवाही करने से लागत व्यय कम हो सकती है और उन गांवों का विकास भी शीघ्र हो सकेगा ? यदि हां, तो क्या इसके लिए विभाग कार्यशील है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

उत्तर

(1) चूंकि कोई विशिष्ठ प्रकार की शिकायत का जिक्र नहीं किया गया अतः प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं।

(2) विभाग द्वारा जो जलप्रदाय योजनायें बिजली के अभाव में डीजल से चालू की जा रही है उनको शीघ्र से शीघ्र विद्युतीकरण के प्रोग्राम में लेने के लिये लिखा गया है।

जेल विभाग में जिले से बाहर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

739. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राजस्थान जेल विभाग के कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनके जिलों से बाहर नियुक्त हैं एवं कितने सम्बन्धित मण्डलों से भी बाहर हैं ?

(2) ऐसे कर्मचारियों को जिलों एवं मण्डलों से बाहर कब स्थानान्तरित किया गया और क्यों ? पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उनके जिले के बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जावे ? यदि हां, तो सरकार जेल विभाग के ऐसे कर्मचारियों को कब तक वापिस उनके जिलों में स्थानान्तरित करवाने की व्यवस्था कर देगी ?

उत्तर

(1) कारागार विभाग में आरमरर, प्रहरी, टेलर्स, मैकेनिक, सहायक मशीनमैन डायर, रसोईया, धोबी, नाई, हरीजन, बागवान, लेदर इन्सट्रक्टर, चपरासी, साइकिल सवार आदि 1410 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जिनमें से 1290 प्रहरियों के पद पर नियुक्त हैं। प्रहरियों को छोड़कर प्रायः सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने नियुक्ति स्थान अथवा अपने जिलों में ही नियुक्त हैं।

Page No 32

(32)

(कारागृह मन्त्री)

(2) प्रहरियों की नियुक्ति सर्किल कारागृहों के कारागृह अधीक्षकों (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, एवं उदयपुर) द्वारा उनसे सम्बन्धित पूरे सर्किल की कारागृहों एवं उप कारागृहों के लिये नियमानुसार की जाती है और इस सर्किल कारागृहों पर इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिये जाने के बाद सर्किल की कारागृहों एवं उप कारागृहों पर पद-स्थापित किया जाता है। पद-स्थापन के समय उन्हें यथासम्भव उनके जिलों में ही पद-स्थापित किये जाने का प्रयास किया जाता है परन्तु जिलों में प्रहरियों के पद सीमित होने के कारण सभी को उनके जिलों में रख पाना सम्भव नहीं है।

कारागार विभाग के 45 प्रहरी अपने मण्डलों के बाहर शिकायतों के कारण लगे हुए हैं।

प्रहरियों को उनसे सम्बन्धित जिलों से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न 1 का उत्तर स्पष्ट है। 45 प्रहरियों को वर्ष 1973-74 में मण्डलों बाहर उनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने व अन्य प्रशासकीय कारणों से किया गया है इनमें स्वेच्छा से स्थानान्तरण कराने वाले प्रहरी भी सम्मिलित हैं।

जी हां, यह सही है, परन्तु कारागार विभाग में प्रहरी जो कि अधीनस्थ सेवा की प्रथम इकाई है, उन्हें प्रारम्भ से ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में रखा हुआ है। संख्या सीमित होने के कारण सभी को, उनसे सम्बन्धित जिलों में रखा जाना सम्भव नहीं है।

यह विभिन्न स्थानों पर स्थान रिक्त होने पर ही सम्भव है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-2-74)

सूखे मेवे का वितरण

279. **श्री राम रघुनाथ** (डेगाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले दो तीन वर्षों में कन्ट्रोलर, इम्पोर्ट व एक्सपोर्ट नई दिल्ली द्वारा राज्य की विभिन्न सहकारी समितियों को सूखा मेवा (काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता) जनता के वितरण हेतु दिया गया था ? अगर हां, तो जिलावार किस किस वर्ष में कितना कितना सूखा मेवा दिया गया ? सन् 1970 से अब तक का वितरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वितरण योजना के अन्तर्गत नागौर जिले की कौन कौन सी सहकारी समितियां थीं ? इनको कितना कितना सूखा मेवा किस किस तारीख को कितनी बार में दिया गया ? वितरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन सहकारी समितियों के चयन का क्या आधार था ?

(4) नागौर जिले की इन सहकारी समितियों के प्रार्थना-पत्र लेने, प्रमाणित करने व सम्बन्धित कार्यालय दिल्ली को भेजने आदि की व्यवस्था किसके जिम्मे थी ? जिले के सम्बन्धित अधिकारी ने किस आधार पर यह वितरण व्यवस्था की व अधिकारी का नाम क्या था ?

(श्री राम रघुनाथ)

(5) क्या नागौर जिले में उक्त मेवे के सम्बन्ध में तत्कालीन जिलाधीश नागौर या सहकारी विभाग को कोई शिकायत प्रस्तुत हुई थी ?

(6) क्या यह सही है कि इस सूखे मेवे में हजारों रुपयों का घोटाला हुआ और सूखा मेवा राजस्थान व सहकारी समितियों के पास आने से पहले ही ब्लेक में बेच दिया गया ? अगर हां, तो इस मामले के सम्बन्ध में अब तक क्या जांच व कार्यवाही करके सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? अगर जांच नहीं हुई तो क्यों ?

(7) क्या नागौर जिले के उक्त मेवे के सम्बन्ध में किसी एक सहकारी समिति द्वारा भ्रष्टाचार विभाग को भी शिकायत दर्ज करवाई है ? यदि हां, तो किसने व कब और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी हां। (केवल नागौर जिले की सहकारी समितियों को लाईसेन्स दिये जाने की सूचना है)। सूखा मेवा कितना कितना और कब कब दिया गया, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रस्तुत नहीं की जा सकती ?

(2) सूखे मेवे के वितरण हेतु जिन सहकारी समितियों को लाइसेन्स दिये जाने की सूचना है, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। किस समिति को कब 2 कितना मेवा दिया गया, यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(3) तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर ने स्वयं के विवेक से ही समितियों का चयन किया।

(4) इस मामले में समस्त कार्यवाही श्री शंकरलाल शर्मा तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार, नागौर ने अपने स्तर से की।

(5) जी हां।

(6) उपरोक्त शिकायतों पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

(7) समस्त शिकायतों पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-8-75)

बाड़मेर जिले के ग्राम

459. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में ऐसे कितने गांव हैं जिनका क्षेत्रफल 25 वर्ग मील से अधिक है ? सूची प्रत्येक ग्राम का क्षेत्रफल एवं उसकी सन् 71 की जनसंख्या का विवरण देते हुए सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामों के अधिक क्षेत्रफल होने के कारण यानि बड़े

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

ग्राम होने के कारण उक्त ग्रामों की जनता की सुविधा एवं उनके विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक ग्रामों में विभाजन करना उचित समझती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उनके विभाजन के लिए अभी तक क्या कदम उठाये हैं ?

(3) राज्य सरकार उक्त ग्रामों को अनेक ग्रामों में कब तक विभाजित कर देगी ?

(4) क्या राज्य सरकार अन्तिम तौर से (लिटेस्ट) बाड़मेर जिले में भूमि के दुबारा नये बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट) के समय उक्त ग्रामों के विभाजन का कार्य हाथ में ले लेगी ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में 90 ग्राम ऐसे हैं जिनका कि क्षेत्रफल 25 वर्गमील से अधिक है। विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पांच बड़े ग्रामों का विभाजन कर दिया गया है, शेष का परीक्षण अभी नहीं किया गया है।

(3) ऐसा कोई प्रश्न इस समय राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(4) ऐसा कोई प्रश्न इस समय राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखिये)

राज्य पर कर्जा

414. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य पर इस समय कुल कितना कर्जा है ?

(2) इस कर्ज में से कितनी धनराशि स्थायी निर्माण कार्यों में व्यय की गई व कितनी राशि प्रशासनिक कार्यों पर ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) केपीटल हैड और रेवेन्यू हैड पर कितना खर्चा हुआ ? इस डेब्ट के अगेन्स्ट में राज्य सरकार ने कितने असेट्स(Assets) का निर्माण किया ?

उत्तर

(1) ऋणों की प्राप्ति एवं भुगतान के अनुसार ऋण की स्थिति समय समय पर बदलती रहती है। वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्तमान वर्ष के अन्त में राजस्थान राज्य पर कुल 886.56 करोड़ रुपये के कर्जे का अनुमान है।

(2) राज्य को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि संचित निधि में सम्मिलित की जाती है तथा समस्त व्यय उस निधि में से किया जाता है ऐसी परिस्थिति में कर्जे के रूप में प्राप्त राशि में से कितनी राशि स्थाई निर्माण कार्यों तथा कितनी राशि प्रशासनिक कार्यों पर व्यय की गई बतलाना संभव नहीं है।

(3) जैसा कि (2) में बतलाया है डेट व खर्च का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। रेवेन्यू खर्च व केपीटल खर्च सालाना बज

(वित्त मंत्री)

जो सदन पास करता है उसके अनुसार होता है। जिस पर पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट्स व फाइनेन्स अकाउन्ट पर रिपोर्ट भी पेश होती है।

हाफ-ए-मिलियन जॉब स्कीम के तहत प्राप्त राशि

445. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हाफ-ए-मिलियन जॉब स्कीम के तहत कुल कितना रुपया किन शर्तों पर केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को दिया ? राज्य सरकार ने उक्त राशि में से कितनी कितनी राशि किस किस विभाग को किस किस कार्य हेतु दी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने उक्त राशि उपभोक्ता स्कीम के तहत 18400 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु दी गई थी ? यदि हां, तो कुल कितने लोगों को रोजगार पर लगाया गया ? क्या पूरे लोगों को रोजगार पर नहीं लगाये जाने के कारण बजट लेप्स हो गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्कीम के अन्तर्गत लगाये गये लोगों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन्हें स्थायी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) हाफ-ए-मिलियन जोब्स प्रोग्राम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने 31 विभिन्न स्कीमों के लिये 276·38 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में है जिसमें से 238·32 लाख रुपये अनुदान व 48·06 लाख रुपये ऋण के रूप में प्राप्त होगा। ऋण की धनराशि को 10 वर्षों में $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित भुगतान करना है। इस धनराशि का स्कीमवार विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस योजना के अन्तर्गत 22142 शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। यह अनुमान है कि 19941 शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देना संभव हो सकेगा। इस तरह निर्धारित लक्ष्य में से 90 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार दे दिया जावेगा। यह अनुमान है कि 252·93 लाख रुपये हो जावेंगे जो कि निर्धारित प्रावधान का 91.5 प्रतिशत है। यह प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड-लाईन्स के अनुरूप चलाया जा रहा है जिसके अनुसार विभिन्न स्कीमों में लगाये गये व्यक्तियों को 31 मार्च, 1974 तक स्टाईपेन्ड्रीज के रूप में कार्य करना था तत्पश्चात् ट्रेनिंग स्कीमों में लगाये गये व्यक्तियों को वर्ष 1974-75 में योजना व गैर योजना मद के अन्तर्गत नियमानुसार पूर्ण वेतन पर लगाया जावेगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड-लाइन्स के अनुसार इस प्रोग्राम की ट्रेनिंग स्कीमों के अन्तर्गत लिए गए व्यक्तियों की केवल नियमानुसार विभिन्न पदों पर समानियोजित करने की शर्त थी जो कि वर्ष 1974-75 में पूरी की जाएगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 36

(36)

अकाल ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों को लेवी से मुक्ति

446. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में दिनांक 19-12-73 से प्रभावशील खरीफ फसल के लेवी आर्डर के अन्तर्गत बाजरा, मक्का, ज्वार की लेवी मात्रा निश्चित करने का सारे राजस्थान में समान आधार गिरदावरी में अंकित काश्त रकबा रहा है ? यदि हां, तो इसके आधारभूत न्यायसंगत कारण बताने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि भूमि सैटलमेंट एवं भूमि सीलिंग कानूनों में भूमि की उत्पादन क्षमता, किस्म एवं उपज के आधार निर्धारित है ? यदि हां, तो इस आधार पर किस जिले में किस किस किस्म की जमीन प्रति एकड़ अथवा प्रति हेक्टर पुख्ता बाजरा, मक्का, ज्वार की उपज तोल मात्रा में कितनी कितनी शुमार की जाती हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार रेगिस्तानी प्राय: अकालग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों को लेवी से मुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि सिंचित व दुफसली इलाकों के समान ही बारानी जिलों बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर आदि क्षेत्रों पर लेवी लगाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति पर पुनर्विचार करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यही एक आधार न्यायसंगत माना गया क्योंकि ऐसा कोई मापदण्ड नहीं था जिसको अपना कर इतनी शीघ्रता से लेवी वसूल की जा सकती थी।

(2) जी नहीं।

(3) रेगिस्तान के जिस क्षेत्रों में फसल हुई है तथा उपज दर्ज है उसी पर लेवी ली जाती है। जहां उत्पादन होता ही नहीं है उस क्षेत्र में लेवी लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी लेवी आदेश, 1973 में परिस्थिति अनुसार किसी क्षेत्र की लेवी से मुक्त करने सम्बन्धि अधिकार जिलाधीशों को दिया हुआ है।

(4) जी हां, क्योंकि खरीफ फसल सभी स्थानों पर वर्षा आने से ही होती है। सिंचाई के साधन इस फसल में सामान्यतया प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। राज्य सरकार पुनर्विचार का कोई इरादा नहीं रखती।

जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय

447. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय कहां कहां पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के विशाल क्षेत्र को देखते हुए एवं सिवाना, बालोतरा, धोरीमन्न और सिणधरी पंचायत समितियों में जहां जहां रबी की फसल होती है, के काश्तकारों को

Page No 37

(37)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

फसल अभियान में प्रोत्साहन देकर पैदावार बढाने के लिए एवं जैसलमेर जिला और बाड़मेर जिला के खडीनों में किसानों को पैदावार को बढाने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये बाड़मेर जिले के हैडक्वार्टर बाड़मेर नगर में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय खोलना आवश्यक और वाजिब समझती है ? यदि हां, तो वहां जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय कब तक स्थापित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण (सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखिये)

उचित मूल्य की दुकानों पर अनाज का वितरण

448. श्री केदारनाथ (गंगानगर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में प्रति व्यक्ति कितना अनाज राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों द्वारा दिया जाता है ? जिला और जिन्सवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सम्पूर्ण राज्य में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न की कुल कितनी खपत अनुमानित की गई है ? खपत की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य सरकार को सन् 1970 से चालू वर्ष तक किस किस प्रकार का खाद्यान्न केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) केन्द्रीय सरकार से खाद्यान्न प्राप्त करने के अतिरिक्त राज्य सरकार ने शेष खाद्यान्न की उपलब्धि किस प्रकार की और कितना खाद्यान्न प्राप्त किया ? पूर्ण विस्तार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्तमान में अधिकतया शहरी क्षेत्रों में 3 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति हर माह के आधार पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केवल मोटा अनाज उपलब्धि एवं आवश्यकता के अनुसार वितरण किया जाता है। जिला और जिन्सवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) राज्य की 2 करोड़ 60 लाख आबादी के लिए कम से कम बड़े को 8 किलो तथा छोटे को 4 किलो प्रति व्यक्ति से 1, 71, 500 टन अनाज की मासिक आवश्यकता मानी गई है। इस आवश्यकता की आंशिक पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से 1970 से 1974 तक प्राप्त विभिन्न खाद्यान्नों की वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) 1973 से पूर्व खाद्यान्न की इतनी समस्या नहीं थी। 1973 में केन्द्र सरकार से प्राप्त आवंटन के अलावा आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों द्वारा अन्य राज्यों से मंगवाए गए खाद्यान्न की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 38

(38)

राजकीय कृषि फार्म, खानपुर का ट्यूब वैल

449. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय कृषि फार्म, खानपुर जिला झालावाड़ पर ट्यूब वैल (कुआं) लगाया गया है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब से शुरू हुआ था और अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कुएं से पानी देना शुरू नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों तथा अब पानी देना कब से शुरू कर दिया जावेगा ?

(3) इतने समय में भी पानी देकर सिंचाई न होने से फार्म को कितना घाटा होगा, क्या योजना में कोई खामी रह गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 24-4-71 से ट्यूब वैल बनाने का कार्य प्रारम्भ हुआ था तथा 20-11-72 तक सब मोर्जीबल पम्प फिट हुआ किन्तु उक्त दिनांक तक विद्युत कनेक्शन नहीं मिला था। कुल खर्चा रुपया 36,636-04 पैसे हुआ।

(2) इस कुएं से रबी 73-74 में सिंचाई प्रारम्भ कर दी गई है तथा अनुमानतः 40 एकड़ भूमि में सिंचाई की जा रही है।

(3) वर्ष 72-73 में फार्म पर कोई घाटा नहीं रहा है।

चिलिंग प्लान्ट, मालपुरा

450. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला टोंक, मालपुरा में बन रहे चिलिंग प्लान्ट को कब तक बनवा दिया जावेगा और इसके लिए दूध खरीदने की क्या योजना है ? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

मालपुरा में बन रहे चिलिंग प्लांट की सन् 1974 तक बन जाने की संभावना है मालपुरा क्षेत्र में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का निर्माण कर दुग्ध एकत्रित करने की योजना है जिसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

वन विभाग द्वारा चूरू जिले में ली गई भूमि

451. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में वन विभाग ने अपने कार्य के लिये किस किस गांव में कितनी-कितनी भूमि अपने अधिकार में कब से ले रखी है ? इस भूमि में जोहड़ बीड़ आवंतन, गोचर, ओरण, सांसण या गैर मुमकिन किस किस किस्म की भूमि है ?

(2) इस भूमि में अब तक क्या क्या किया गया है ? और आगे क्या करने की योजनायें हैं ? प्रत्येक के लिये क्या प्रावधान है ?

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(3) इस प्रकार अधिग्रहण की गई भूमि में कहां कहां पहले से लगे हुई बीड़ थे ?

(4) कहां कहां से पहले लगे हुए बीड़ कटाये गये हैं ? उनकी कटाई में कितना व्यय हुआ और कितनी लकड़ी आदि की बिक्री से प्राय हुई है ?

(5) क्या इनमें से कहीं सीवण, धामण आदि घास उगाने की भी योजना है ?

(6) किस किस जगह कौन कौन से पेड़ लगाने की योजना है ? पेड़ों के लिये नरसरी की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) 5600 हैक्टर चरागाह सुधार तथा 550 हैक्टर में टिब्बा स्थिरीकरण कार्य कराये गये हैं। भविष्य में इन विकास कार्यों की देख रेख करके इनमें उत्तम किस्म तथा अधिक मात्रा में घास उत्पन्न करने योग्य बनाने का प्रयत्न किया जावेगा। इसके लिए 1974-75 में 1-88 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

(3) कहीं नहीं।

(4) बीड़ कटाये नहीं गये। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

(5) जी हां।

(6) इन क्षेत्रों में वृक्ष लगाने की योजना नहीं है बल्कि इनमें केवल घास उत्पादन में सुधार तथा उड़ती बालू के टिब्बों के स्थिरिकरण की नीति की योजना है। पेड़ों के लिये चूरू तथा डूंगरगढ़ में नरसरी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखिये)

जयपुर जिले में पास बुकों का वितरण

452. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कुल कितनी पास बुकें वितरण की गई हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसीलवार अब कितनी पास बुकें वितरित होनी बाकी हैं और उनके वितरण न होने का क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में माह फरवरी, 74 के अन्त तक 1,47,186 पास-बुकें वितरण की गई हैं। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

तहसीलवार वितरण से शेष पास बुकों की संख्या उपरोक्त सूचि में अंकित है। पास बुकें पूरी संख्या में वितरण न होने का मुख्य कारण यह है कि इस जिले की 7 तहसीलों में भूमि एकीकरण विभाग की पास-बुक वितरण हो जाने से एवं जयपुर शहर की 12 मील की परिधि के ग्रामों में भू-प्रबन्ध कार्य होने से कृषकगण पासबुकें लेने में कम इच्छुक रहते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखिए

झालावाड़ जिले में म्यूटेशन के विचाराधीन मामले

453. श्री ओंकारलाल चौहान (डग): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में इस समय म्यूटेशन के कितने मामले कब से विचाराधीन है ? पूरी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 40

(40)

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(2) उक्त सभी मामले पटवारियों एवं ग्राम पंचायतों के पास कितने दिन तक क्यों विचाराधीन रहे ?

(3) क्या जिला प्रशासन की ओर से उक्त म्यूटेशन के मामले को निपटाने के लिये कोई अभियान 72-73 व 73-74 में चलाया गया ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में दिनांक 28–2–74 तक म्यूटेशन के विचाराधीन मामलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) छः माह से अधिक अवधि के मामले विवादग्रस्त होने के कारण विचाराधीन रहे हैं जिनकी तह्कीकात शीघ्र पूर्ण कर निर्णित किये जाने हेतु तहसीलदारान को निर्देश दिये जा चुके हैं। जो मामले दो माह से छः माह तक की अवधि के हैं उन्हें सम्बन्धित परगनाअधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर तहसीलदारान द्वारा तस्दीक कर दिये जाने के लिये भी निर्देश दिये जा चुके हैं।

(3) जी हां। चलाये गये अभियान के फलस्वरूप 72-73 में 9488 म्यूटेशन एवं वर्ष 73-74 में दिनांक 28-2-74 तक 1509 म्यूटेशन निपटाये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर

454. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के पास किस किस जिले का कितना कितना कार्य है ?

(2) बीकानेर में इस अधिकारी ने यह कार्यालय स्थापित होने के बाद कितने दिन कार्य किया तथा जयपुर में कितने दिन कार्य किया ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर के मुकद्मों में 6-6 महीने की लम्बी पेशियां पड़ती हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार लोगों को इस अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) इस अदालत के तहत 6 जिलों का कार्य है। जिसकी स्थिति दिनांक 31-3-74 को निम्न प्रकार थी :—

नाम जिला	मुकद्मों की संख्या	कुल मुकद्मे विचाराधीन
1. सीकर	604	3019
2. झुन्झुनू	440	
3. टोंक	330	
4. बीकानेर	139	
5. चूरू	279	
6. गंगानगर	1227	

(2) यह अदालत 12 फरवरी, 1972 को स्थापित हुई थी इसका मुख्यालय जयपुर

Page No 41

(४१)

(उत्तर)

है और राज्य सरकार के आदेशानुसार इस अदालत का कैंप बीकानेर में हर माह में 10 दिन के लिये रहता है और 20 दिन जयपुर हैड क्वार्टर पर किया जाता है। ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(3) नहीं।

(4) समय समय पर मामलों को शीघ्र फैसला करने के लिये निर्देश दिये जाते रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

करौली और सपोटरा वन खण्ड के जंगली पशु

455. श्री बृजेन्द्रपालसिंह (करौली) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि करौली और सपोटरा वन खण्ड (रेंज) में जंगली पशुओं को बागरियों द्वारा नष्ट किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इस विषय में सी. सी. एफ. राजस्थान का कई बार तार द्वारा ध्यानाकर्षण किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि सपोटरा रेंज में एक लोहारा गांव में बागरियों का एक कैम्प आज तीन माह से लगा हुआ है जिन्होंने इस अवधि में 20 चीतल 23 साँभर और 27 सूअर बिना परमिट मारे हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि रेंज आफिसर सपोटरा ने इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की ?

(5) क्या सरकार यदि वन पशुओं की सुरक्षा चाहती है तो तुरन्त इन बागरियों के कैम्प को हटाने का आदेश जारी करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। एक तार राहर ग्राम में बावरियों द्वारा शेर के नाजायज शिकार सम्बन्धी शिकायत का नवम्बर 1972 में प्राप्त हुआ था। जांच करने पर शेर के अवैध शिकार की कथित घटना के प्रमाण नहीं मिल सके।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई कैम्प लोहरा गांव में नहीं लगा और न वहां कोई चीतल, साँभर व सूअर मारे गये।

(4) जी नहीं, ग्राम मई कलां तहसील खण्डार का केवल एक बावरिया सपोटरा रेन्ज के वन क्षेत्र में शिकार हेतु आया था। क्षेत्रीय अधिकारी सपोटरा से इस बावरिया को उसके शिकार करने से पूर्व ही दो भरी बन्दूकों के साथ पकड़ा। बन्दूकें जब्त करके उससे 400 रुपया मुआवजा वसूल किया गया।

(5) बावरियों के वन में कैंप नहीं लगने दिये जाते। बावरियों के वन क्षेत्र में अवैधरूप से प्रवेश की सूचना मिलने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जाती है।

नगर परिषद् बीकानेर की वसूली योग्य बकाया धनराशि

456. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 42

(42)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(1) नगर परिषद्, बीकानेर के भूत-पूर्व एवं वर्तमान कर्मचारियों में वसूल करने योग्य कितनी कितनी धनराशि बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने उपरोक्त धनराशि को वसूल करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कार्यवाही किस स्टेज पर चल रही है ?

उत्तर

(1) नगरपरिषद् के भूतपूर्व एवं वर्तमान कर्मचारियों में वसूल करने योग्य कोई धनराशि बकाया नहीं है।

(2) प्रश्न के भाग 1 में दिये गये उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

जयपुर सहकारी उपभोक्ता भंडार लि० जयपुर

487. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर सहकारी उपभोक्ता भंडार लि. जयपुर का पंजीयन कब हुआ ? इस भंडार की सदस्यता कितनी है ? इसके संचालक मण्डल के सदस्य कौन कौन हैं ? भंडार की हिस्सा राशि कितनी है ? सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त उपभोक्ता भण्डार की स्थापना से आज तक भंडार से राज्य सरकारी/बैंक आदि से कब कब कितना कितना रुपया किस किस कार्य हेतु ऋण व अनुदान के रूप में प्राप्त किया और उसका उपयोग किस किस कार्य में कब कब कितना कितना किया गया ?

(3) उक्त भण्डार की देनदारी व लेनदारी क्या क्या है तथा लाभ हानि कब कब कितनी कितनी रही सम्पूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या भंडार का ऑडिट हुआ है ? यदि हां, तो अब तक हुए ऑडिट की रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि भंडार में हानि हुई है ? यदि हां, तो अब तक हुई हानि के क्या क्या कारण थे ? उनके निरा-करण हेतु सरकार ने कब कब और क्या क्या कदम उठाये ?

उत्तर

(1) जयपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार का पंजीयन दिनांक 3-11-66 को हुआ है। इसकी सदस्यता वर्ष 71-72 के अनुसार 13860 है। इसमें संचालक मंडल कार्यरत नहीं है, अपितु प्रशासक कार्य कर रहे हैं। भंडार की हिस्सा राशि 6,44,890) है।

(उत्तर)

(2) उक्त भंडार के द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त राशि का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	प्रयोजन	स्वीकृति का वर्ष	ऋण	अनुदान	योग (रुपयों में)	विवरण
1.	फर्नीचर फिक्सचर	66-67	1,87,500	62,500	2,50,000	उपयोग किया गया
2.	गोदाम निर्माण	66-67	37,500	12,500	50,000	उपयोग नहीं किया
3.	ट्रक खरीदने हेतु	66-67	37,500	12,500	50,000	उपयोग किया गया
4.	टेम्पो खरीदने हेतु	72-73	11,250	3,750	15,000	उपयोग नहीं किया

बैंकों से प्राप्त ऋण का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	नाम बैंक	प्रयोजन	30 जून को देना बकाया
1	2	3	4
66-67	स्टेट बैंक आफ बीकानेर-जयपुर	केश क्रेडिट	29,918-15
67-68	(I) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर	,,	69,725-47
	(II) जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक	,,	37,055-56
68-69	(I) स्टेट बैंक आफ बीकानेर जयपुर	केश क्रेडिट	23,098-57
	(II) जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०		1,31,381-34
	(III) राजस्थान स्टेट इण्डि० को-आप० बैंक लि०		1,254-17
69-70	(I) स्टेट बैंक आफ बीकानेर-जयपुर	केश क्रेडिट	9,743-27
	(II) जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक		1,41,122-50
	(III) राजस्थान स्टेट इण्डि०को आप० बैंक		4,540-98
	(I) ,, ,, ,,	चालू खाता	244-87
70-71	(I) जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक		1,52,651-61
	(II) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर		14,385-96
71-72	(I) जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०		1,55,888-11
	(II) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर		6,768-10
72-73	जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०		1,93,898-00

(उत्तर)

(3) भण्डार की वर्तमान में अनुमानित देनदारी 15.51 लाख रुपया व लेनदारी 3.26 लाख रुपये हैं तथा कुल हानि का अनुमान 12.25 लाख है। लाभ हानि का विवरण निम्न प्रकार है: —

वर्ष	(—) हानि। (+) लाभ		
1966-67	(—)	78,877-56	
1967-68	(—)	1,52,959-81	
1968-69	(—)	2,78,608-14	
1969-70	(—)	1,54,065-83	
1970-71	(—)	1,92,586-19	अनुमानित
1971-72	(—)	1,16,625-73	अनुमानित

(4) जी हां। वर्ष 1969–70 तक आडिट पूर्ण हो चुका है। आडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पटल पर रखदी गई हैं।

(5) जी हां। हानि के कारण निम्न थे:—

1 प्रारम्भिक संस्थापन अधिक खर्चीला होना।

2. भवन का अधिक किराया होना।

3. मूल्यो का विपरीत उतार चढ़ाव।

4. ओवर हैड खर्च अधिक होना।

5. इनवेन्ट्री कन्ट्रोल का अभाव।

6. स्टाक में छीजत।

7. सुयोग्य व्यवस्था का अभाव।

8. गबन व दुरुपयोग।

9. आशाजनक बिक्री नहीं होना।

हानि के इन कारणों के निराकरण का यथा प्रयास किया जाता रहा है। स्थिति में वांछित सुधार नहीं होने पर जांच भी कराई गई है। किन्तु पूंजी का अत्यधिक ह्रास होने के कारण इस भण्डार को अवसायन में लाये जाने अथवा पुनर्जीवित करने का मामला विचाराधीन है। निरन्तर पूंजी के अत्यधिक ह्रास होने व व्यवस्थापन संबंधी परिस्थिति के कारण अभी इसे बन्द करना समझा गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 45

(45)

नगर न्यास जयपुर के पास सैनिकों को आवास हेतु भूमि देने के विचाराधीन मामले

458. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या नगर न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर न्यास जयपुर के पास कई सैनिकों को आवास के लिये भूमि देने के मामले विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब से और किन किन सैनिकों के ?

(2) क्या यह सही है कि मेजर एच. खान को भी आवास के लिये भूमि प्रदान करने का प्रश्न नगर न्यास, जयपुर के सम्मुख विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर नगर न्यास के पास इस समय लगभग 2332 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन पड़े हुए हैं। इनमें से 1264 प्रार्थना-पत्र जयपुर जिले एवं 1068 प्रार्थना-पत्र अन्य जिलों के सैनिकों से आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु प्राप्त हुए हैं। जयपुर जिले के जिन सैनिकों को भू-खण्ड आवंटित नहीं किये जा सके हैं उनके आवेदनों की तिथियां दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, मेजर एच. खान के नाम से किसी सैनिक अथवा सैनिक अधिकारी का प्रार्थना-पत्र न्यास के विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर नगर परिषद् के हरिजन कर्मचारी

459. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर नगर परिषद् में सफाई का कार्य करने वाले कुल कितने हरिजन कर्मचारी हैं ? उनके नाम व जाति दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर नगर परिषद में हरिजन कर्मचारियों की जगह पर दूसरी जाति के लोगों की भर्ती की गई है जब कि ये लोग सफाई का कार्य नहीं करते हैं और हरिजनों के पद से फर्जी वेतन पा रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे कौन कौन कर्मचारी हैं ? नाम व जाति दर्शाते हुए सूची सदन मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार उपरोक्त तथ्यों की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही है कि नगर परिषद से हरिजन कर्मचारियों को काफी लम्बे अर्से से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने माह का वेतन बकाया है और उसका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) 670 कर्मचारी हैं जिसमें 650 हरिजन व 20 भिश्ती हैं। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(उत्तर)

(2) जी नहीं। सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न के भाग 2 में दिये गये उत्तर के अनुसार जांच कराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) जी नहीं। केवल माह फरवरी के वेतन का भुगतान करना शेष है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रियायती जमीन का पट्टा

460. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में सदियों से आबाद हरिजनों को आज तक कोई रिहायशी जमीन का पट्टा नहीं दिया गया है?

(2) क्या यह सही है कि जैसोलाई बडी, जैसोलाई छोटी, भांभीवाड़ा, माजीसा का वास व अन्य हरिजन मोहल्लों में आबाद हरिजनों को सरकार द्वारा रियायती दर पर पट्टा जारी किया गया है? यदि हां, तो कुल कितने पट्टे किस किस को जारी किये? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

आबू रोड नगरपालिका में भूमि आवंटन हेतु विचाराधीन मामले

461. श्री भूराराम (आबू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आबूरोड नगरपालिका में भूमि के आवंटन के हजारों केसेज पेन्डिग हैं? यदि हां, तो क्या इस नगरपालिका क्षेत्र के मानपुर, लुनियापुरा, धोबीघाट, हरिजन मोहल्ला, भीलवास, गांधीनगर, केशरगंज आदि वार्डों में काफी भूमि उपलब्ध नहीं है? इस नगरपालिका क्षेत्र में कुल कितने बेघरबार व भूमि हीन हैं?

(2) कौन कौन से वार्ड में किन किन प्रार्थियों का कितने कितने समय से भूमि पर पुराना कब्जा है? प्रत्येक की वार्ड वाइज नाम व जाति एवं तिथि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या सरकार इस कार्य में हुई देरी की जांच करवायेगी और क्या नगरपालिका के प्रार्थियों को प्लाटों के पट्टे इस वर्ष में प्राप्त हो सकेंगे?

(स्थगित किया गया)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

462. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या खादी ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना से लेकर अब तक खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास में क्या प्रगति हुई है? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(2) क्या यह सही है कि खादी उत्पादन में आधुनिक टैक्सटाइल के सिद्धातों पर विद्युत यन्त्रों से भी काम लिया जा रहा है? यदि हां, तो उस संबन्ध में जो प्रगति हुई है उसका विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए सघन विकास कार्यक्रम हाथ में लिया गया है उसके बारे में जो प्रगति हुई है उसका विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सूती खादी के अन्तर्गत कताई से पूर्व प्रक्रिया पूर्ण बनाने के लिये कोई आधुनीकरण किया गया है यदि हां, तो उसकी प्रगति के बारे में सदन को जानकारी देने की कृपा करें।

(5) राजस्थान प्रांत के सीमा क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कौन कौन से ग्रामोद्योग एवं ऊनी खादी के केन्द्र किन किन स्थानों पर चलाये जा रहे हैं उनमें कितनी राशि लगाई गई है, उनमें कितने मजदूरों को खपाया जा रहा है और उन्हें क्या मजदूरी दी जा रही है एवं उनमें क्या लाभ की प्राप्ति हो रही है प्रत्येक केन्द्र की अलग से जानकारी देने की कृपा करें !

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11-3-74 एवं 26-3-74)

भगत की कोठी रेल्वे स्टेशन के पास का भवन एवं भूमि का स्वामित्व

65. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदार पुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य द्वारा स्थापित भगत की कोठी रेल्वे स्टेशन के पास सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री का भवन और भूमि जो अभी राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के काम आ रही है विलय के समय राज्य सरकार की थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस समय उपरोक्त सम्पत्ति के स्वामित्व का दावा कोई प्राइवेट पार्टी कर रही है ? यदि हां, तो उसका स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में कैसे चला गया ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11-3-74)

जयपुर जिले के विकास पर व्यय की गई धनराशि

81. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की आबादी, राजस्थान प्रदेश की जनसंख्या के दसवें हिस्से की है ? यदि हां, तो राजस्थान की कुल आबादी कितनी है और जयपुर जिले की कितनी है ?

Page No 48

(४८)

(श्री हनुमान सहाय व्यास)

(2) क्या यह सही है कि सन 1962 से 1972 तक विभिन्न योजनाओं, अकाल राहत कार्यों, अन्य सिंचाई, विद्युत, सड़क आदि विभिन्न निर्माण विकास रोजगार, न्यूनतम नीड प्रोग्राम आदि योजनाओं के माध्यम से अन्य जिलों में अत्यधिक राशि विकास कार्यक्रमों पर व्यय की गई है और जयपुर जिले में जनसंख्या के अनुपात से नहीं व्यय की गई है ? यदि नहीं तो सन 1962 से 1972 तक विभिन्न जिलों में कितनी कितनी राशि व्यय की गई है और किन किन योजनाओं के तहत ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के अनेकों महत्वपूर्ण सिंचाई के बांध, सड़क निर्माण आदि कार्यों के सुझाव राज्य सरकार के पास हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से ?

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं:—

1, श्री मोहम्मद गफ्फार अली और श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा, की ओर से जिला टोंक के ग्राम अलीगर और शोप के कुछ निवासियों के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई मारपीट के विषय में,

2. श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के आयुर्वेद विभाग द्वारा निर्मित औषधियों की क्वालिटी ठीक नहीं होने के विषय में,

3. श्री निरंजननाथ आचार्य, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर तथा राजस्थान के अन्य प्रमुख नगरों में दुग्ध वितरण की समुचित व्यवस्था न होने के विषय में,

4. सर्व श्री निरंजननाथ आचार्य व केदार नाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले के अन्तर्गत कुछ भूतपूर्व जागीर ठिकानों में जागीरदारों द्वारा आदिवासियों के साथ की गई जबरदस्ती के विषय में,

5. श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा की ओर से सरदार शहर जिला चूरू के निवासी श्री मानमल दस्सानी की पुत्री की सैकण्डरी स्कूल की परीक्षा के परिणाम के विषय में.

6 गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा, की ओर से जयपुर नगर में रिक्शा चालकों की आवेदन की तारीख 30 जून तक नहीं बढ़ाये जाने के विषय में,

7. श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम ममतानपुरा जिला, अजमेर में लगी आग के विषय में,

8. सर्वश्री निरंजननाथ आचार्य, केदारनाथ, गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, अजीतसिंह, रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्रनाथ हांडा व मोहमद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 5 अप्रैल को चित्तौड़ में एक पर्यटक महिला के साथ फतेह प्रकाश भवन में हुए बलात्कार के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

9. सर्वश्री मोहम्मद गफ्फार अली, गिरधारीलाल भार्गव, केदारनाथ, निरंजन नाथ आचार्य, गुरुदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से आबकारी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध श्री महादेव प्रसाद बंका भूतपूर्व विधायक द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के विषय में। इसी प्रकार श्री निरंजननाथ आचार्य, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 2-4-74 को आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा खातीपुरा गांव के काश्तकारों के साथ किए गए झगड़े के विषय में,

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

10. श्री हनुमान सहाय, सदस्य विधान सभा की ओर से:

(1) तहसील बैराठ जिला जयपुर में सामोद से अमरसर सड़क का निर्माण कार्य पूरा न होने के विषय में,

(2) जयपुर जिले के शाहपुरा खंड के सहायक अभियन्ता विद्युत मंडल द्वारा कृषकों की सिक्यु-रिटी जमा न होने के विषय में,

ये प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं और किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं हैं।

11. श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा की ओर से बिजलीघर कर्मचारी यूनियन, जोधपुर द्वारा आगामी 19 अप्रेल से हड़ताल प्रारम्भ करने के नोटिस के विषय में। यह प्रश्न भावी घटना की आशंका पर आधारित है।

12. श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारी नेता श्री पी. एन. सुकुल को नौकरी से बरखास्त करने के विषय में। यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

13. श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा को ओर से आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ की जा रही बलात्कार की घटनाओं के विषय में। यह प्रश्न किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है।

अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने मे असमर्थ हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शासन की ओर से जानकारी के लिए स्थगन प्रस्ताव भेजे गए हैं और मेरा खयाल है कि 11 ता० को विधान सभा का सत्रांत होने वाला है। इसलिए आप राज्य सरकार का समय सीमा में बांधें कि कब तक जानकारी आएगी? जो भी स्थगन प्रस्ताव भेजे गये हैं इनका 10 तारीख को कम से कम यहां पर उत्तर आ जाना चाहिए तब तो उनका प्रयोजन सिद्ध होगा।

श्री अध्यक्ष : मैं समय सीमा बांधने की कोशिश करूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र में जितने

Page No 50

(50)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

स्थगन प्रस्ताव हमने रखे हैं उनमें से जिनको आपने अस्वीकार कर दिया वह अपने आपमें एक क्लास है लेकिन एक ऐसा क्लास भी है जिनको अस्वीकार भी किया, उनको भी सदन में रखते हैं जो सत्र की समाप्ति के साथ में स्वतः ही अस्वीकार हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, उन स्थगन प्रस्तावों में कई स्थगन प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि लोगों में यह भावना है कि यह सत्र 4-5 दिन में ही समाप्त होने वाला है और जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं और उन स्थगन प्रस्तावों को आपने जानकारी के लिये भेजा है और वह जानकारी अगर नहीं आ सकी तो माननीय सदस्य उनकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेंगे और यह स्थिति बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण होगी अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनकी जानकारी जल्दी मंगाकर सदन को अवगत करावे। उन स्थगन प्रस्तावों को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को अपनी इच्छा अनुसार ही जवाब नहीं देना चाहिये। अगर ऐसा होता है तो यह एक एब्यूज आफ प्रोसेस है और आपकी उदारता का राज्य सरकार नाजायज फायदा उठायेगी यह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा……

श्री अध्यक्ष : मेरे समझ में आ गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, तीन चार दिन ही रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये मैंने दिन फिक्स किए हैं स्टेटमेंट भी होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सिर्फ जानकारी ही की बात नहीं है। उसके लिये इफेक्टिव स्टेप्स लिये जाने चाहिये और आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार उनके बारे में 9-10 तारीख तक ही रिप्लाई दे दे। आप ऐसी व्यवस्था करावें। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो यह अपने आप ही लेप्स हो जायेंगे। इसके लिये आप इफेक्टिव स्टेप्स लें। इसके अलावा मैं आपका ध्यान मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है कि चित्तौड़गढ़ जो कि हमारे यहां एक ऐतिहासिक दुर्ग रहा है जहां पर रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। अध्यक्ष महोदय, यह चित्तौड़गढ़ अपनी शान के लिये हमेशा से ही मशहूर रहा है। आज उसी दुर्ग में अभी कुछ दिन पहले एक भद्र महिला के साथ वहां पर बलात्कार किया गया है। अध्यक्ष महोदय यह चित्तौड़गढ का ऐसा ऐतिहासिक किला है जहां पर हमारे पूरे हिन्दुस्तान के लोग ही नहीं बल्कि वहां पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं। अध्यक्ष महोदय, उसी चित्तौड़गढ़ के एतिहासिक गढ़ में एक ग्रामीण सम्भ्रान्त महिला के साथ बलात्कार वहां पर पुरातत्व विभाग फतेह प्रकाश भवन में एक ही नहीं बल्कि तीन तीन व्यक्तियों ने एक भद्र महिला के साथ बलात्कार किया। अध्यक्ष महोदय इस भद्र और सम्भ्रान्त महिला का नाम मोहिनी देवी है उसे यह कह कर ले जाया गया कि तुम्हे थाने में बुलाते है। यह लोग अध्यक्ष महोदय पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। अध्यक्ष महोदय वहां पर उस औरत के पति और उसके रिश्तेदार जो थे उन्हें मारपीट करके भगा दिया गया वहां के थानेदार द्वारा। थानेदार ने अध्यक्ष महोदय उल्टे उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के उसके रिश्तेदारों को ही मारपीट की। अध्यक्ष महोदय, हमारे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

राजस्थान के अन्दर एवरी एलटरनेट डे एक रेप केस होता है। एवरी एलटरनेट डे देअर इज ए रेप। इससे ऐसा लगता है कि प्रशासन पुलिस से डरता है क्योंकि आज आये दिन बलात्कार पुलिस वाले करते जा रहे हैं लेकिन उनके लिये कोई एक्शन उनके खिलाफ में नहीं लिया जा रहा है। इसके पहले थोड़े दिन की बात है कि अभी डूंगरपुर बांसवाड़े की तरफ एक महिला के साथ पांच [redacted] व्यक्तियों ने बलात्कार किया। यहां पर सदन में आवाज उठायी गयी लेकिन यहां पर यह नहीं बताया गया कि उन लोगों की जमानत कहां पर हुई और कैसे हुई। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों को सजा देने के बजाय उनका फूलों से स्वागत किया और उन्हें बिदायी दी गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे हो बलात्कार एक भयंकर अपराध है और वह भयंकर अपराध और भी ज्यादा जघन्य अपराध हो जाता है जबकि वह पुलिस के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किया जावे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मोहिनी देवी के साथ जिन लोगों ने फतहप्रकाश भवन को खुलवा कर जो बलात्कार किया उन लोगों के साथ पुलिस ने उन्हें तो गिरफतार नहीं किया लेकिन उस थानेदार ने उस महिला को ही बदचलन और बदमाश बतायां और उसके रिश्तेदारों के साथ मारपीट की। उसके रिश्तेदारों के साथ हाथापाई और मारपीट की। अध्यक्ष महोदय, जब यह थानेदार वहां पर मौके पर पहुंचा तब वह बुरी तरह शराब पीये हुए था। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये आपके माध्यम से यह निवेदन राज्य सरकार को करना चाहूंगा कि वह उस सबइन्सपेक्टर को तुरन्त ही सस्पेन्ड करें और उस स्त्री के साथ जो बलात्कार किया गया है उसके लिये गृह मन्त्री सदन में एक स्टेटमेंट तुरन्त दें। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से बहुत ही दुख है कि अभी तक उस सब-इन्सपेक्टर को सस्पेन्ड नहीं किया गया है उल्टा उसे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि तारीख 5-4-74 को चित्तौड़गढ़ में फतेहप्रकाश भवन में जो एक भद्र महिला के साथ बलात्कार किया गया तीन व्यक्तियों द्वारा वह उस थानेदार को जिसने कि उस महिला के पति और उसके रिश्तेदारों के साथ मारपीट की है उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दिया जाकर उन्हें दण्डित किया जावे। अध्यक्ष महोदय, उस थानेदार ने शराब के नशे में उस औरत के साथ छेड़छाड़ की थी। बलात्कार तो नहीं किया लेकिन उसने उस औरत के साथ छेड़छाड़ करके एक बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध किया। इसलिये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह गृह राज्य मन्त्री को आदेश दें कि वह इस बारे में सदन में एक वक्तव्य शीघ्रातिशीघ्र दे और हाऊस को कॉन्फीडेन्स में ले। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी पुलिस द्वारा जो एक औरत के साथ बलात्कार किया उसके लिये भी सही स्थिति बतावें कि उन पुलिस वालों की जमानत कहां पर हुई कोर्ट में हुई या और कहीं इसके लिये भी व्यवस्था दें।

(श्री लक्ष्मणसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : आप भी बोल रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव तो नहीं है लेकिन मैं भी तारीख 5-4-74 को जो फतेहप्रकाश भवन

(श्री लक्ष्मण सिंह)

में बलात्कार एक महिला के साथ हुआ है उसके बारे में दो तीन शब्द निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय यह फतेहप्रकाश भवन जो चित्तौड़गढ में है वह पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत आता है वहां पर पुलिस के तीन व्यक्तियों ने एक औरत के साथ बलात्कार किया इससे ऐसा लगता है कि हमारे राजस्थान के अन्दर आये दिन बलात्कार पुलिस द्वारा किये जा रहे हैं और राज्य सरकार उस पर मौन है। इससे मैं समझता हूं कि राज्य सरकार पुलिस से दबती है पुलिस से डरती है और अगर पुलिस के कर्मचारी किसी प्रकार का जघन्य अपराध करे तो कोई कुछ नहीं कहने वाला है। अध्यक्ष महोदय, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में अभी पांच पुलिस वालों ने एक महिला के साथ बलात्कार किया वह तो खैर दूर की बात है लेकिन अभी जो चित्तौड़गढ़ में तीन पुलिस के व्यक्तियों के द्वारा जो एक भद्र महिला के साथ बलात्कार किया गया है उसके लिए मैं निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : Are you sure that they were police employees ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस के कर्मचारी नहीं थे वह पुलिस के कर्मचारी बनकर आये थे पुलिस की वर्दी में थे।

श्री अध्यक्ष : शायद आपका तो स्थगन प्रस्ताव नहीं था ?

श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि मेरा स्थगन प्रस्ताव नहीं था लेकिन मैं उसके समर्थन में कुछ निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बलात्कार बहुत ही घृणित कुकर्म है और इसके लिये राज्य सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और दोषी अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिये। यह बलात्कार वैसे ही संगीन जुर्म है लेकिन जब यह पुलिस के अधिकारी उसको अगर करते हैं तो यह दुगुना संगीन जुर्म बन जाता है। इसमें सरकार को लेतलाली से काम नहीं लेकर बहुत ही कठोर कार्यवाही करनी चाहिये। इसमें अगर पुलिस लीपापोती करती है तो यह स्थिति बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण होगी और मैं तो यह कहूंगा कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात राज्य सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मेरे भी दो प्रश्न हैं उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार जवाब दें। पहला तो यह जो बलात्कार चित्तौड़गढ़ के फतेहप्रकाश भवन में हुआ है, उसके बारे में मैं समझता हूं कि गृह राज्य मंत्री बहुत ही सजग है क्योंकि यह उदयपुर से आ रहे थे तो इन्होंने बीच में चित्तौड़गढ़ की जनता में इस बलात्कार कांड से बहुत ही आक्रोश पाया। वहां पर सभी जगह जनता में भारी असन्तोष था। मेरा विश्वास है कि उन्होंने जानकारी तो वहां पर प्राप्त करली होगी और स्थिति का जायजा भी ले लिया होगा कि किस स्थिति में बलात्कार हुआ, कैसे हुआ, किन किन लोगों ने किया। पुलिस का सब इन्सपेक्टर शराब पीकर मौके पर आया और उसने बलात्कार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ में कोई एक्शन न लेकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। अध्यक्ष महोदय। इस प्रश्न पर राज्य सरकार को जानकारी है इसलिए जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो आप यह स्पष्ट आदेश दें कि गृह राज्य मंत्री इसके बारे में एक स्टेटमेंट सदन में दें क्योंकि

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

यह तो सारे राजस्थान में बात फैल गयी है। इसने राजस्थान में सनसनी पैदा कर दी है। इस कान्ड से चित्तौड़ की जनता में भयंकर असन्तोष और आक्रोश है। इसलिये आप राज्य सरकार से आज ही स्टेटमेंट दिलवाने की व्यवस्था करावें। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा छातीपुरे के अन्दर जो आबकारी अधिकारियों ने लोगों के साथ मारपीट की है। वह निर्दोष लोगों के साथ की गई है। हीरालाल नामक जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गयी है। वह दोषी नहीं है। आबकारी विभाग के प्रिवेन्टिव फोर्स द्वारा उसकी बुरी तरह से पिटाई की गयी। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है। इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट राज्य सरकार द्वारा होना चाहिये। ताकि राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है उसका सदन में पता लग सके।

श्री अध्यक्ष : और आप चाहें तो बोल ले जो जानकारी के लिये गये हैं उसके लिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की उन परम्पराओं में विश्वास रखता हूं कि जो जानकारी के लिये गये है उनके लिये नहीं बोला जाए। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उन पर स्टेटमेन्ट होना ही चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय यह जो बलात्कार कान्ड चित्तौड़गढ़ में हुआ उसके लिये मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है। अध्यक्ष महोदय मेरा इस संबंध में यह निवेदन है कि यह घटना पुरातत्व विभाग के भवन फतेह प्रकाश भवन में हुई और जब एक महिला को बुलाकर ये जाकर फतेहप्रकाश भवन को खुलवा कर वहां पर बलात्कार किया गया तो मैं समझता हूं कि वह फतेहप्रकाश भवन सरकार के अधिकार में होगा। उस पर नियन्त्रण सरकार का होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर जो कर्मचारी या अधिकारी थे उनकी नोलेज में यह सारा कान्ड होना चाहिये। इसमें उनकी मिली भगत होना जरूरी है। इसके अलावा उस स्त्री के पति और उसके रिश्तेदारों के साथ मारपीट भी की गयी तथा दूसरी तरफ उस औरत के साथ बलात्कार किया गया फतेहप्रकाश भवन में।

श्री लक्ष्मणसिंह : Fateh Prakash Bhawan has now become a brothel.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय यह घटना बहुत ही गम्भीर है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थान में बलात्कार हो दूसरी बात जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी तो थानेदार ने उस महिला के साथ ही अभद्र व्यवहार किया और जिन लोगों ने बलात्कार किया उनकी मारपीट की गई। थानेदार ने जिस तरीके का उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि इट इज नोट डिरिलिक्शन आफ ड्यूटी लेकिन यह तो ऐसा ओफेन्स है कि जो क्रिमिनल एक्यूज्ड थे उसने उनका साथ दिया पुलिस के थानेदार को तो इमिडियेटली अरेस्ट किया जाना चाहिये और इमिडियेटली उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिये।

Page No 54

(54)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तीसरा अध्यक्ष महोदय, यह जो बलात्कार करने वाले व्यक्ति हैं उसी दुर्ग में रहने वाले लोग बताये जाते हैं जो भी समाचार-पत्रों में समाचार आये हैं उनके अनुसार। इस तरीके से साफ लगता है कि यह घटना अपने आप में अकेली घटना नहीं होगी और इस प्रकार की कार्यवाही करने के ये लोग आदी होंगे और पुलिस में भी जिस तरीके की घटना की रिपोर्ट की गई और जिस तरीके से इसको वहां पर हल्कापन दिया गया और यदि पब्लिक की ओर से मामले को एजिटेट नहीं किया जाता तो यह मामला बिल्कुल दब गया होता। मैं सदन का ध्यान उस ओर दिलाऊं कि दिल्ली गाजियाबाद और अन्य जगहों पर जब पुलिस ने इस प्रकार का व्यवहार किया तो लोगों ने उनको घेरा और एजीटेशन किया और इस कारण लोगों की जानें भी गयी हैं और तब जाकर कहीं कार्यवाही की गयी। होमगार्ड का आदमी जब वहां मारा गया था उस पर जब पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो पब्लिक ने शहादरा पुलिस थाने को घेरा और तब जाकर कार्यवाही हुई। इसलिये गवर्नमेंट को डीपली इसमें जाना चाहिये। खासतौर से चित्तौड़गढ़ में इस तरह की घटना हुई है। कान्सिप्रेसी मौर कान्सप्रेटर्स हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : और पर भी कह लीजिये। एक साथ कम्पलीट कर लीजिये।

श्री केदारनाथ : हाउस सेशन में है और ऐसा मालूम पड़ता है कि पुलिस पर, एस. एच. ओज. पर सरकार का कोई कन्ट्रोल नहीं है इस कारण इस प्रकार की घटनायें घटित हो रही हैं और मिस्चीफ बढ़ती ही जा रही हैं। एस. एच. ओ. इस तरह करता है और पब्लिक एजिटेट करे तब कार्यवाही की जाती है तो ऐसा लगता है कि यदि हाऊस इन सेशन नहीं होता है तो सरकार कोई नोटिस नहीं लेती और कोई सस्पेन्शन की कार्यवाही भी नहीं करता और मिस्चीफ करने वालों को खुली छूट दे दी जाती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राज्य मंत्रीजी यहां मौजूद है। स्टेटमेंट वे पूरी जानकारी करने के बाद दें लेकिन हाऊस में एंग्विश और फीलिंग्स को देखते हुए कलप्रटस को और थानेदार को गिरफ्तार किया जा चुका है या नहीं यह तो सूचना दे दें। यह तो इमिडियेटली ही बता दें।

श्री अध्यक्ष : जल्दी ही जानकारी के लिए कह रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कल के लिये ही कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपकी भावनायें पहुंच चुकी हैं इसीलिए कहा है कि इस मामले में जल्दी करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कल ही रख दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा बेरोजगार इन्जीनियरों के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : वह आया नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भेजा है।

श्री अध्यक्ष : मैंने निर्णय नहीं सुनाया है। मेरे पास 40 स्थगन प्रस्ताव आये हैं।

(श्री अध्यक्ष)

कुछ पर निर्णय ले चुका हूं और कुछ पर नहीं लिया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस एडजोर्नमेंट मोशन देने का कारण यह है कि उन्होंने इमिडियेटली आज यहां प्रदर्शन किया है और उनको मजबूर होकर दूसरे एक्शन पर उतरना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मैं उसको रिफ्यूज कर चुका हूं। 40 के 40 तो मैं आज ही देख नहीं सकता था। वैसे आप जानना चाहते हैं तो मैं उसको रिफ्यूज कर चुका हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : बेकार इन्जीनियरों का आज प्रदर्शन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : यदि आप एक्शन ही चाहते हैं तो I can convert it into a 'Call Attention' notice and ask the Minister to give his reply in a day or two

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप काल अटेन्शन मोशन में कन्वर्ट कर दीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : काल अटेन्शन मोशन आज दे देते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : You may convert it into a 'Call Attention' motion.

श्री लक्ष्मणसिंह : ये बेचारे अभागे इन्जीनियर दरवाजे पर विधान सभा के खड़े रहें। मुझे वह दिन अच्छी तरह से याद है कि माननीय मंत्री महोदया श्रीमती कमला बेनीवाल ने आश्वासन सदन में दिया था कि सब व्यवस्था हो जाएगी, रोजी-रोटी की व्यवस्था हो जावेगी। मन्त्रीजी द्वारा आश्वासन दिया जाता है तो क्या यह निरर्थक आश्वासन है और उनको इस प्रकार निरर्थक आश्वासन देकर उनको बिलकुल जलील किया जा रहा है। इनके लिए सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिये। दो तीन दिन बाद सदन खत्म हो जावेगा उसके बाद उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : इस विषय में पहले अजबर से आने वाले माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव था। मैंने उसको रिफ्यूज किया था मैंने उनसे निवेदन किया था कि यदि आप कार्यवाही इस पर चाहते हैं तो आप काल अटेन्शन मोशन दे दें। आज भी वह ही स्थिति है। स्टेटमेंट चाहते हैं तो मैं गवर्नमेंट से कह सकता हूं और एक दो दिन में ही वह हो सकता है। लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर तो नहीं कर सकता।

श्री लक्ष्मणसिंह : हम एडजोर्नमेंट मोशन को प्रेस नहीं करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, मैंने जोधपुर के बिजलीघर के कर्मचारियों ने नोटिस दिया है उसके सम्बन्ध में एडजोर्नमेंट मोशन दिया है, उसको आपने कृपा पूर्वक जानकारी के लिये भेजा है। मेरा यह निवेदन है कि इसकी जानकारी सत्र समाप्त होने से पहले ही आ जाय और उत्तर देने की कृपा करें। दिक्कत यह है अध्यक्ष महोदय, आर. एस. इ. बी. के अधिशासी अभियन्ता ने प्रमोशन और फिक्सेसन पर निर्णय ले लिया था और उसके मुताबिक कार्यवाही हो रही थी मजदूरों को

Page No 56

(56)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पेमेन्ट हो रहा था। अब इण्टक के आर्गेनाइजेशन के साथ समझौता कर लिया और उन तमाम फैसलों को उलटने जा रहे हैं। मेजोरिटी में आइटक की यूनियन है इसको सरकार भी मानती है लेकिन जोधपुर में इण्टक के के लोगों को फिक्सेशन कमेटी में बिठा कर जो मेजोरिटी यूनियन के साथ मिल कर फैसला कर लिया था उसको उल्टा जाकर दूसरे तरीके से किया जा रहा है। हमारी पार्टी की पोलिसी नहीं है और हम चाहते हैं कि वर्कर्स के इन्ट्रेस्ट को कुचला न जाय। हम चाहते हैं कि पब्लिक एण्टर प्राइज सफल होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि पक्षपातपूर्ण तरीके से इस प्रकार मजदूरों के हकों को कुचलने की कोशिश की है। वैसे भी बार बार मंत्रीजी के नोटिस में लाया गया है इसको। लेकिन मामला सुलझा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपा करके सत्र समाप्त होने से पहले ही रिप्लाई दिला दें।

अध्यक्ष महोदय, ईसके अतिरिक्त एक स्थगन प्रस्ताव पहले से दिया हुआ है। उस पर आपने आज व्यवस्था दी है पी.एन. शुक्ल के सिलसिले में।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान गवर्नमेंट से कन्सर्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस रूप में कन्सर्न्ड है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। आल इण्डिया राज्य कर्मचारी संघ के प्रेसिडेन्ट होने के नाते राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ भी उसका एक अंग है उसने उनका इस प्रकार से बिस्मिसल और इस तरह से किये जाने पर चिन्ता व्यक्त की और रिजोल्युशन पास किया है। और उन्होंने मांग की है कि उनके साथ जो अन्याय किया गया है उसको दूर किया जाना चाहिये वरना न केवल और जगह बल्कि आल इण्डिया लेवल पर राज्य कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में एक्शन लेने की बात कही है। राजस्थान के राज्य कर्मचारियों ने भी इस प्रश्न पर कार्यवाही किये जाने की बात कही है। इसमें हड़ताल तक होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को चाहिये कि भारत सरकार के मार्फत वह उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव डाले कि इस तरह से ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना अनुचित है और उनकी मांगें मानी जाने के लिये भी दबाव डाला जाय। इस रूप में यह राजस्थान से भी सम्बन्धित है। इसका असर हम पर भी हो सकता है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है इसी सदन के एक भूतपूर्व विधायक महादेवप्रसाद बंका जो सदन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं शराब के मसले को लेकर। यह शराब का मसला राजस्थान भर में फैल गया है, जयपुर का ही मसला नहीं रह गया है। सारे राजस्थान में नाजायज शराब बिक रही है और आबकारी विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में बिक रही है। इसके परिणाम स्वरूप 14 आदमी पहले मर चुके हैं जयपुर में और दो उसके बाद मर चुके हैं। जबकि उन विभाग अधिकारियों को पहले से मालूम था उन्होंने इसको रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? मैं जो चाहूंगा कि इन आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध जिनको इसकी पहले से जानकारी थी कार्यवाही करें। उस जिला

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

आबकारी अधिकारी को शीघ्र मोअत्तिल करके कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : और तो काफी बोल ही चुके हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : सख्त एक्शन इस बारे में लिया जाना चाहिये और जल्दी से उस आबकारी अधिकारी को यहां से हटाया जाना चाहिये।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली । अध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव रखे हैं। एक में नाथूरामजी मिर्धा के···

श्री रामानन्द अग्रवाल : नाथूरामजी मिर्धा के फ़ार्म में आग लगाई गई इस संबंध में आपने जानकारी मांगी है और कल वक्तव्य भी देने को कहा है।

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्यों से बातचीत की है, वे आपसे बात कर लेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : दूसरा स्थगन प्रस्ताव मेरा हमारे भूतपूर्व विधायक महादेव प्रसाद बंका की भूख हड़ताल से सम्बन्धित है। यहां जिस वक्त बहस हुई थी स्पष्ट शब्दों में यहां मांग रखी थी कि जो लोग यहां पर अवैध रूप से शराब की बिक्री पर और बनाने पर रोक लगाने में असमर्थ रहे हैं बल्कि जिन्होंने इसे प्रोत्साहन दिया है उनको तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिये। यह मेरी ही आवाज नहीं थी, सारे सदन की थी। इस जिला आबकारी अधिकारी की नाक के नीचे उनके प्रोत्साहन से सैकड़ों दुकानें शराब अवैध रूप से बेचने की खुली हुई हैं और उनको रोके जाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप 16 आदमी मर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में निवेदन करिये। पहले बता चुके हैं ये सारी बातें आप।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : तो उस अधिकारी को और उनके नीचे और जो इस अपराध में शामिल हों उनको सभी को निलम्बित किया जावे और इस मामले में पूरी जांच होकर ऐसे अधिकारियों को सख्त दंड दिया जावे।

साथ ही जो लोग इन लोगों की लापरवाही से और प्रोत्साहन से अवैध और जहरीली शराब पीकर मर गये उन लोगों के यतीम परिवार वालों को, बीबी बच्चों को उचित मुआवजा दिया जाय। इस बारे में आप एक जांच कमेटी मुकर्रर करें ताकि मालूम हो सके कि इस सबकी जिम्मेदारी किसकी है। मेरा सिर्फ यह विश्वास ही नहीं है, पर मैं स्पष्ट और से साबित भी कर सकता हूं कि यह सब जिम्मेदारी इस आबकारी अधिकारी की है। इसके प्रोत्साहन में अवैध शराब बिकती रही है और आज भी बिक रही है। इसे तुरन्त निलम्बित किया जाकर जांच की जानी चाहिये और दोषी पाये जाने पर कड़े से कड़ा दण्ड इसे दिया जाना चाहिये।

बंकाजी भूख हड़ताल पर हैं। लोगों में तीव्र असंतोष है। विस्फोटक स्थिति हो जाने की आशंका है। इसलिये आप उनसे बात करके उनको सन्तोष दिलावें और इस मामले में शीघ्र छानबीन करके दोषी को दण्ड देने की व्यवस्था करें।

Page No 58

(58)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : एक जांच कमेटी बनाएं। जिसमें किसी विधायक को भी रखा जा सकता है शिड्यूल कास्ट के विधायकों में से किसी को लिया जा सकता है। बंकाजी को आश्वासन दिया जाना चाहिये और उनको भूख हड़ताल तुड़वाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

एक स्थगन प्रस्ताव मैंने और रखा है। टोंक जिले के गांव शराफ अलीगढ़ तहसील मे है। उस गांव में चार मुसलमान मजदूर एक कुआ बना रहे थे। उनको रोका गया। उन्होंने कहा कि हम यह कुआ प्राइवेट जमीन में बना रहे हैं। आप हमें मत रोको। हमारी मजदूरी मारी जावेगी। इसके बाद कुछ मुस्तरका लोगों ने थाने में रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट गलत है या सही, इस बिगत में जाना नहीं चाहूंगा। उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन चार आदमियों ने एक मोर मार दिया। उनको पकड लिया गया। अगर मोर मार लेते और पकड़े जाते तो मुझे ऐतराज नहीं था पर वाकया यह था कि कुआ खोदने उनको रोका गया और दूसरे रोज बाजार में उनको निकाला गया। उनके कपड़े उतार दिये गये और उनको एक जांघिये में बाजार में घुमाया गया। उनको कहा गया कि यहां रहने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान बन चुका है, तुम्हारा मुल्क वह है, वहां जाओ। इस तरह के फिकरे कहे गये। वे लोग चाहते हैं कि इससे दो तबकों में उत्तेजना पैदा हो। वह सिलसिला यहीं खतम नहीं हुआ। थाने में भी उनको मारा पीटा गया। आखिर 250 रुपया रिश्वत का लेकर उनको छोड़ा गया।

मैं निवेदन करूं कि हमारा पुलिस विभाग पहले से बदनाम विभाग है। आज इसमें कुछ फिरका परस्त लोगों का दखल भी हो गया है। जिनका नजरिया सेकुलर नहीं है। इससे बड़ा अन्देशा है कि ऐसे लोग देश में गड़बड़ी पैदा करें। आज हिन्दुस्तान में कोने कोने में दंगा फसाद हो रहे हैं। आगजनी हो रही है। डेमोक्रेसी का मूल्य खतम किया जाने का प्रयास हो रहा है। हमारी सर्विसेज में भी ऐसे लोग घुसे हुए हैं। वे खतरनाक हैं देश के लिये इस मुल्क की तरक्की और अमनो-अमान के लिये।

मैं गृहमन्त्रीजी से गुजारिश करूंगा कि वे तुरन्त इस सारे मामले की तहकीकात करें। मुझे यह भी मालुम हुआ है कि थानेदार बहुत शरीफ आदमी है। उसने तो अपनी तरफ से यह कह दिया था कि और कुछ मत करना केवल मुलजिमानों को पकड़ कर ले आना है पर वहां जो ब्रज राजसिंह हैड कान्स्टेबल है। उसने यह सारी गड़बड़ी की है। थानेदार निहायत शरीफ आदमी है। एक थानेदार अच्छा नजरिया पेश करता है और दूसरा जो उसके नीचे कान्स्टेबिल होता है उसका नजरिया बहुत ही खराब रहता है। तो अध्यक्ष महोदय, जो इस प्रकार के लोग सर्विसेज में हों उसमें अगर सिक्यूलर सेक्टर की भावना हो, उसको तरक्की मिलनी चाहिये। ये दो स्थगन प्रस्ताव रखे हैं और भी रखे थे, आये नहीं हैं।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक तो जो स्थगन प्रस्ताव था उस पर गफ्फार साहब ने काफी प्रकाश डाला। उन लोगों को जिन लोगों ने मारा

(श्री केशरीमल)

हैं। उनके प्रमाण-पत्र हैं। इस प्रमाण-पत्र में एक एक आदमी के 8-8, 9-9 चोटें आई हैं। ऐसी जबरदस्त मार पड़ी है। ये प्रमाण-पत्र मेरे पास हैं, टोंक जिले के इसलिये मैं ये शब्द उसमें और जोड़ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक कलर देना खतरनाक है। राज्य सरकार के नौकर हैं, वे इस प्रकार का व्यवहार करें यह बहुत ही बुरी बात है मैं यह चाहूंगा कि सरकार कुछ व्यवस्था करें ताकि ऐसे लोगों को ठीक किया जा सके। किस प्रकार वे अपने विचार को ठीक करें, इसके लिये राज्य सरकार को सोचना चाहिये। दूसरा एक स्थगन प्रस्ताव है, ग्राम भगवानपुरा अजमेर में बिजली के तार आपस में टकरा गये और आग लग गई। पूरे के पूरे खलिहान स्वाहा होगये और पहनने के कपड़ों के अलावा कुछ चीज नहीं रही। अध्यक्ष महोदय, यह गलती कहें तो बहुत बड़ी है, क्योंकि जो बिजली के तार खींचे जाते हैं और ढीले रह जायं तो निश्चित रूप से यह प्रमाण सामने आता है। मैं यह मांग करूंगा जो इस विभाग के मंत्री हैं कम से कम वह ताकीद करें कि तार वगैरह ठीक तरह खींचे और उनकी भी खिचाई ठीक तरह हो जाय।

श्री रामकिशन : आप सदन में खींचेंगे तो ठीक हो जायेंगे नहीं तो यह भी ढीले ही रहेंगे।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय सारे के सारे बरबाद हो गये....

श्री अध्यक्ष : यह तो आ गया।

श्री केसरीमल : उन लोगों को सरकार की तरफ से आवश्यक मदद मिलनी चाहिये ताकि ठीक से समय व्यतीत हो सके। आपने सूचना चाही है, मेरे खयाल से सदन समाप्त होने के बाद ही मिलेगी लेकिन सूचना प्राप्त होने से पहले ही सरकार कुछ करे, इसलिये निवेदन किया है। दूसरा स्थगन प्रस्ताव है माननीय अध्यक्ष महोदय वह है राजस्थान आयुर्वेदिक विभाग में ... .. -

श्री अध्यक्ष : उसमें सूचना चाही है....

आपने खुदने फरमाया इसलिये ध्यान दिलाया है

श्री केसरीमल : वह तो सूचना आयेगी लेकिन मैं आपके ध्यान में दिलाऊं जैसे दौलतराम चतुर्वेदी, निदेशक हैं। इनका काफी बड़ा नाम है और वैसे इनका खूब अखबार में खासा अच्छा नाम है। बड़े आदमी हैं... -

श्री अध्यक्ष : नाम से ...

श्री केसरीमल : नाम लेना पड़े तो बुरा नहीं है इसलिये वे मशहूर हो गये हैं उन लोगों ने हमको भी एक एक पत्र लिख कर बताया था। दवायें बहुत खरीदी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय यह जांच आप करवा लें....

श्री अध्यक्ष : आप तो अपने ऐडजोर्नमेंट मोशन तक ही सीमित रहें।

श्री केसरीमल : ये दवा जो बना रहे है उससे कितने लोगों की जान जायगी वह कस्तूरी बना रहे हैं जो बिलकुल नकली साबित हो चुकी है। जिस दवा में नाममात्र की कस्तूरी पड़े उसमें कस्तूरी मिलाये यह सरासर जुल्म है। दवा में मिश्रण करते हैं तो उनको सजा होनी चाहिये। जो सरकार

(श्री केशरीमल)

का विभाग है और विभाग के निदेशक हैं वे स्वयं खुद विभाग के अन्दर रह कर दवा बनायें तो राज्य सरकार क्या कर रही है। राज्य सरकार के सामने यह मामला आ चुका है। यह आदमी बहुत भ्रष्ट है। यह इस काबिल नहीं है · · ·······

श्री अध्यक्ष : कृपया खत्म करें।

श्री केसरीमल : बहुत से घोटाले हुये हैं और लाखों रुपये के घोटाले हुये हैं सी. बी. आई. के सामने मामला गया है। सारे मामले को सरकार दबाये बैठी है। मैं आज यह नहीं कहना चाहता कि किस प्रकार उन्होंने पैसे बनाये हैं, किस तरह मोटरों में गये हैं घूमे हैं। वैसे मैं केवल दवा के बारे में ही निवेदन करना चाहता हूं · · · ·

श्री अध्यक्ष : बहुत थोड़े में फरमायें।

श्री केसरीमल : इन लोगों ने बहुत गलत काम करवाये हैं। हजारों रुपयों की कस्तूरी के मामले पकड़े गये और गायब मिली। उन्होंने कई तरह से दवाओं में गलत मिश्रण किया है। जिन दवाओं में बंशलोचन मिलना चाहिये था उसमें आटा वगैरह मिलाया। इस तरह जान बूझकर पैसे कमाने के लिये लोगों की जान लेने का प्रयास किया उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। इस आदमी ने बहुत सारे भ्रष्ट काम किये हैं। दफ्तर में जायें तो अपना रजिस्टर नहीं दिखायें। यह सारी बातें हैं। मैं आपके जरिये मांग करूंगा उस आदमी को तुरन्त नौकरी से अलग करें और तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय मेरा स्थगन प्रस्ताव हैं · · ·

श्री अध्यक्ष : थोड़े थोड़े में कहियेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय पांच मिनिट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : दो दो मिनिट।

श्री मूलचन्द सामरिया: अध्यक्ष महोदय आदिवासी, गरीब, हरिजन अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को राजस्थान सरकार ने इन्सानियत की पंक्ति में अन्तिम लाइन में खड़ा कर रखा है। अनुसूचित जाति और आदिम जाति को दो नम्बर की नागरिकता मिलती हो तो वह राज्य सरकार ने दे रखी है। मैं अपने स्थगन प्रस्ताव तक सीमित रहते हुए यह कहूंगा कि क्या आफिसेज, में क्या कारखानों में, क्या पानी के कुओं पर आदिवासी और बनवासी महिलाओं के साथ बलात्कार के काण्ड होते रहे हैं और यह सरकार जब ऐसे मामले आते हैं तो उन अधिकारियों के प्रति नरम रुख अख्तियार करती हैं जो इस अपराध में शामिल होते हैं या ऐसे मामलों में कोई कड़ा रुख नहीं लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका पर्टीक्यूलर केस में रेफरेन्स तो है नहीं। आपके ऐडजोर्नमेंट मोशन में पर्टीक्यूलर नहीं है · · · ·

श्री मूलचन्द सामरिया : आप हुकुम करें, मैं सैकड़ों केस बता दूंगा। इसलिये मैं जनरल ही निवेदन करूंगा। पालियामेंट में आये दिन यह बात आती है कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त हैं जहां एक हरिजन महिला के साथ हर रोज बलात्कार होता

(श्री मूलचंद सामरिया)

है। आदिवासी महिला के साथ हर रोज बलात्कार होता है ...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

और अगर अध्यक्ष महोदय, औसतन देखा जाय तो एक नहीं दो-तीन महिलाओं के साथ रोज। राजस्थान में बलात्कार होता है। ऐसे लोगों के प्रति नरम रुख अख्तियार करना मेरी समझ में उनको प्रोत्साहन देने के समान है। आये दिन घटनायें होती हैं तो सरकार ऐसे लोगों के प्रति नरम रुख रख कर नंगे भूखे लोगों के साथ ...

श्री अध्यक्ष : डिबेट पर स्पीच दे रहे हैं क्या ?

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं सरकार उन लोगों के साथ अन्याय कर रही है ...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

दो मिनट के लिये ..

श्री अध्यक्ष : मैं पांच मिनट दे चुका हूं आपको।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा बलात्कार के मामले में नरम रुख का होना और खासतौर से हरिजन महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ ...

श्री अध्यक्ष : अब कहां से कहां आ गये।

श्री मूलचन्द सामरिया : ऐसे लोगों के साथ सख्ती करें। अगर सरकार ने सख्ती का कदम नहीं उठाया तो इन अपमानजनक बातों से महिलायें कुओं में छलांग लगायेंगी, जहर खाकर मर जायेंगी और आज भी आये दिन इस प्रकार की घटनायें घटती जा रही हैं। सैकड़ों आदिवासियों की औरतें इस प्रकार से मर गई हैं इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा अगर आप इसको कलंक मानते हैं तो गृह मन्त्री जी को अपने सिर पर काला टीका लगाकर ......

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह मामला अध्यक्ष महोदय ऐसा है जो मुझे उद्वेलित कर देता है। जो राजस्थान सरकार का रवैया है उस पर ग्लानि पैदा होती है ...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

किस तरह अपमानित किया जाता उनके लिये ....

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : इस तरह भेद भाव करना पददलित करके चलना सरकार को शोभा नहीं देता है और सरकार को इसके प्रति सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिये। ऐसे लोगों के साथ शक्ति से पेश आना चाहिए जिससे इस तरह की ज्यादतियां नहीं हो सके।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो विशेष कुछ भी नहीं कहना है। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था और आपने लिया नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो शीतलहर वाला है वह विधान सभा का सत्र समाप्त होने वाला है ..

श्री अध्यक्ष : वह क्यों बोलें। बैड प्रिसिडेन्स होगा। औरों को अलाऊ नहीं किया है फिर आप क्यों बोलें।

श्री रामकिशन : बोल नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : एक ही बात है।

श्री रामकिशन : मुझे कहना कुछ भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मुझे बता दें।

श्री रामकिशन : तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, एक आपने जानकारी के लिए भेजा है विजय कुमारी के सम्बन्ध में। मुझे विशेषतौर से उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है लेकिन जब हम विधान सभा के अन्दर आते हैं तो उनके पिताजी कहते हैं कि विधान सभा के अन्दर 184 कसाई बैठे हुए हैं। यह सवाल महीने सवा महीने से हम सुन रहे हैं......

श्री श्रीराम गोटेवाला : 181 हैं।

श्री रामकिशन : 184 में से 3 घट गये लेकिन उनके लिए तो वही 184 हैं। जब सब को 184 को कसाई बताया जा रहा है तो उनका इस तरह से कहना बड़ा अजीब ढंग से है। मैं इतना ही चाहता हूं कि उनसे जो रिट की थी और बोर्ड ने जो जवाब दिया था कि इनके पिता के सामने कापियां देखी गयीं और रेकर्ड को जला दिया गया है। इस पर कोई स्पष्टीकरण दिलाया जाये तो मुझे सन्तोष हो जायेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे तो इसमें सिर्फ इतना कहना है कि आखिर हम लोग आते हैं, यह रात दिन का इरीटेशन और हर विधायक को देख कर वह इशारा करते हैं और कहते हैं कि कसाई हैं। आज उन्होंने संशोधन किया है कि प्रोफेसर केदार आ रहे थे तो इनको सम्बोधित करके कहा कि यह हिन्दू हैं और सब कसाई हैं। यह विधान सभा की प्रासीडिंग्स में है और आप कुछ उपचार करें या माननीय मन्त्री महोदय कुछ उपचार करें।

श्री भीमसेन : माननीय सदस्य किस श्रेणी में आते हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष जी, मेरी इस प्रकार की मान्यता है कि विधान सभा व्यक्तियों से ऊंची है। निवेदन करना यह है कि विधान सभा में जब किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो, सदन में गम्भीर रूप से इतनी बातें रखी जायें तो उस गम्भीरता को बताने के लिए, सदन की गरिमा को रखने के लिए आज से महादेव प्रसाद जी भूतपूर्व कांग्रेस के विधायक राजस्थान विधान सभा के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब वह क्यों बैठे हैं, कोई भी चाहे व्यक्ति विशेष हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो विधान सभा से ऊपर नहीं है। यह राजस्थान की राजधानी है...

श्री अध्यक्ष : कृपया थोड़े में कहें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि आज व्यक्ति कितने मरे, 13 व्यक्ति मरे या 20 व्यक्ति मरे इसका प्रश्न नहीं है। आखिरकार राजस्थान की राजधानी में विषैली शराब पीने से लोगों की निर्मम आत्मायें गयी हैं। प्रश्न यह है कि आत्मायें किस कारण से गयीं? किस व्यक्ति के पिलाने से गयीं? यह सीधा साधा सा प्रश्न है और वह हत्यारा कौन है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हत्यारा प्रभावशाली व्यक्ति भी है और उस व्यक्ति के लिए यह जांच कराने तक के लिए तैयार नहीं हैं। आबकारी मन्त्री श्री चन्दनमल जी बैद के त्याग पत्र देने की बात तो अलग रही वह जांच कराने तक के लिए तयार नहीं हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब वह ही सदन की बात नहीं मान रहे हैं तो फिर ऐसी कौनसी जमात होगी जहां लोग जायेंगे और अपने दर्द को स्वच्छन्दतापूर्ण रखेंगे। आज यह स्पष्ट हो गया है कि अब आबकारी विभाग छापे मार रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम छापे मार रहे हैं। आबकारी विभाग कह रहे हैं कि हम छापे मार रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आबकारी विभाग का इससे कोई लेना-देना नहीं है, यह कार्यवाही सब हम कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब नाजायज छापे मारे जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जयपुर शहर में नाजायज रूप से शराब बनती थी और इसकी जिम्मेदारी किस पर थी। एक ओर तो हत्यायें हुई और दूसरे और लोग शराब बनाते रहे और वह आबकारी अधिकारी बने रहे तो उससे यह बात सिद्ध हो गयी है। आज सारी बात यह है कि सारे व्यक्तियों को यहां से नहीं हटाया जाता तो उनके विभाग के द्वारा अन्य जो व्यक्ति निष्पक्ष रूप से गवाही देना चाहते हैं वह गवाही नहीं दे सकते। वह उन अधिकारियों के खिलाफ गवाही तब देंगे जबकि तुरन्त ही सदन उनको निलम्बित कर दे और उनको अपने पदों से हटा दे। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर उनकी सम्पत्ति के बारे में कहा गया कि उसकी जांच होनी चाहिए।....

श्री अध्यक्ष : किस की कितनी सम्पत्ति है, क्या है उसका एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप आज्ञा नहीं देते मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं मना नहीं करता लेकिन अपने दायरे में सीमित रहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : किस के कारण से हुआ है और कौन हत्यारा है ? मैं यही निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्षजी कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा हो निश्चितरूप से उस व्यक्ति की जांच हो और वह निलम्बित हो। गरीब आदमी जिनका हास्पीटल में उपचार नहीं हो रहा है, उनके परिवारों को जो दुख झेलना पड़ रहा है हमारे आबकारी मंत्री महोदय की गलती के कारण से उनको मुआवजा तो कम से कम मिलना चाहिए। यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है और विधान सभा का सेशन 11 तारीख को समाप्त हो जायेगा और उसके बाद किस प्रकार की परिस्थिति होगी, किस प्रकार से नाजायज शराब बेचने वालों के साथ सरकार पेश आयेगी और मैं समझता हूं आगे भी कई लोगों की जानें जायेंगी इसलिए बड़ी अहमियत का प्रश्न है। इस लिए मंत्री महोदय के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय आप कल या आज जैसी भी व्यवस्था करें उनके वक्तव्य दिला दें। ताकि मालूम हो सके कि आखिरकार उन्होंने क्या प्रयास किये हैं, क्या राहत देंगे, उस अधिकारी को हटायेंगे या नहीं, जांच होगी या नहीं इस बारे में बयान होना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि जयपुर में ही नहीं बल्कि राजस्थान भर की समस्या है। पिछले अधिवेशन में स्वर्गीय मुख्य मन्त्री

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

श्री बरकतुल्ला साहब ने कहा कि रिक्शा उसका जो चलाये उसका। मानवीय दृष्टिकोण से उसका ही होना चाहिए जो उसको चलाये। लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 28 फरवरी, 1973 को राज्य सरकार ने केवल 15 दिन का समय देकर पहले तो फार्म नहीं छपे थे। राज्य सरकार ने कह दिया कि जो रिक्शाचालक अपना रिक्शा लेना चाहते हैं वह नगर परिषद में अपना आवेदनपत्र दे दे और उसकी अन्तिम तिथि 28 फरवरी रखी। बेचारे रिक्शा चालकों को क्या मालूम कि फरवरी 28 दिन का महीना होता है और 1400 रिक्शाचालकों ने आवेदनपत्र दिये...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : थोड़े में ही कह रहा हूं। मैंने राज्य सरकार से प्रार्थना की कि 28 फरवरी आपने रखी है आप थोड़ा समय और बढ़ायें...

श्री श्रीराम गोटेवाला : पाइन्ट आफ इनफर्मेशन सर। राज्य सरकार ने इसकी तो डेट आलरेडी 31 अगस्त, 1974 तक के लिए बढ़ा दी है और इसके लिए नोटीफिकेशन भी निकल चुका है। फिजूल वाहवाही लूटने के लिए कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष । सूचना क्यों दे रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राज्य सरकार ने डेट नहीं बढ़ाई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे पास नोटीफिकेशन पड़ा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे पास नहीं है। राज्य सरकार ने कोई घोषणा नहीं की और आप उन गरीबों को बहका कर लाये...

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम बहकाकर क्यों लाये। वह हमारे साथ हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि राज्य सरकार ने डेट नहीं बढ़ाई। नये मंत्री जी से हम मिले...

श्री अध्यक्ष : कृपया आप अपनी बात कह दें आप उनसे प्रभावित न हों।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं भी यही निवेदन कर रहा हूं कि आप उनसे प्रभावित न हों। मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से मिला। 31 जन, 1974 तक की डेट बढ़ चुकी है। यह नोटीफिकेशन पड़ा है।

श्री अध्यक्ष । डेट बढ़ गयी है फिर क्या बात है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : आपको बोलने की प्रेरणा कहां से मिली यह बता दें।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो बात हो चुकी उसके लिए अनावश्यक कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि बोलना ही चाहते हैं। डेट बढ़ गई उससे मतलब नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुख्यमन्त्री जी ने घोषणा की थी उसी प्रकार से यदि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

स्वायत्त शासन मंत्री जी घोषणा कर दें कि 31 जून, 1974 तक जिन रिक्शा चालकों ने अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है वे अपने लाइसेंस के लिए रिक्शा चालक अप्लाई कर सकेंगे तो मैं समझ सकता हूं कि यह बात समझ में आती है। मैं श्रीरामजी के कहने से नहीं मानने वाला हूं ..

एक माननीय सदस्य : 31 जून कब होता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कभी कभी तो मेरा कहना भी मान लिया करो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्री महोदय सदन में स्पष्ट घोषणा करें कि जिन रिक्शा चालकों ने अप्लाइ नहीं किया है वे 31 जून, 1974 तक अप्लाई कर सकेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जून तो 30 का ही होता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया मेहरबानी करके अब यहीं पर समाप्त करें।

श्री केशरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानसिंह वाला मामला था।

श्री अध्यक्ष : अभी कोई मामला नहीं है. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री केशरीमल : परसों यह मामला आया था ..

श्री अध्यक्ष : अभी कोई मामला नहीं है।

श्री रामकिशन : अभी बयाने के लिए तो तय हो जाना चाहिए। यह जरूर तय होना चाहिए। इतना बड़ा गम्भीर मामला है। बीस हजार आदमियों को भोज दिया गया है और एक पूंजीपति द्वारा जाति-विशेष को बुला कर जिमाया गया है .

श्री श्रीराम गोटेवाला : ब्राह्मणों को जिमाया है।

श्री रामकिशन : जोशी जी जैसे ब्राह्मणों को जिमाया होगा, मेरे जैसे ब्राह्मणों को नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप कौन से ब्राह्मण हैं यह भी स्पष्ट हो जाए।

श्री रामकिशन : अगर एक बड़ा पूंजीपति पाप करता है और उसको सजा नहीं मिलती है तो इसका दूसरे लोगों पर भी बुरा असर पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी बात-चीत पहले हुई है उस वक्त। माननीय मंत्रीजी।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि (ग्रुप-3) विभाग की अधिसूचना संख्या पं० 6 (142) कृषि 4/66 जी.एस.आर 137, दिनांक 8 अगस्त, 1973 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (ग्रुप-8) विभाग की अधिसूचना संख्या जी एस. आर. 225 दिनांक 19 फरवरी, 1974 जिसके द्वारा राजस्थान तेंदू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 जारी किये गए हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं एक जानकारी चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट रखे गये हैं उनके लिए हम अमेंडमेंट कब तक रख सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह तो याचिकाओं का उपस्थापन है, आप कहां से बोल रहे हैं। यह तो पिटीशन्स हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं परसरामजी मदेरणा ने तेंदू पत्ते के संशोधन रखे हैं ... .

श्री अध्यक्ष : आज जो संशोधन रखे हैं उनके बारे में आप अलग से उठा सकते हैं..

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्षजी, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि आज एक बजे तक अमेंडमेंट ले रहे हैं..

श्री अध्यक्ष : अभी जब पिटीशन्स रख रहे हैं उस समय बोल रहे हैं। इस बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैं समय दे दूंगा लेकिन इस बीच में जो बोल रहे हैं ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक अमेंडमेंट दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप आफिस से पूछ सकते हैं। श्री लूणाराम।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम बिग्गा, जिला चूरू की अधूरी जल प्रदाय योजना को पूरा कराने से सम्बन्धित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री भूराराम।

श्री भूराराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आबू रोड तहसील की मावल पंचायत में भमारीग ग्राम के बांध का निर्माण कराने से सम्बन्धित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर तहसील के पश्चिमी, उत्तरी एवं पूर्वी हिस्से के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था कराने सम्बन्धी याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) अध्यक्ष महोदय, मैं लूणकरणसर तहसील के खारे एवं बिराइजने पानी वाले करीब 136 गांव की जल समस्या के स्थायी समाधान हेतु राजस्थान मुख्य नहर एवं लिफ्ट केनाल से क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें बना कर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराने सम्बन्धी याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अतिरेक मांगों का उपस्थापन।

1969-70 के वर्ष के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं 1969-70 के वर्ष के लिए अतिरेक मांगों के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समितियां।

• वित्तीय समितियां

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जन लेखा समिति, 1974—75 प्राक्कलन समिति, 1974-75 तथा राजकीय उपक्रम समिति 1974-75 के चुनावों हेतु निम्नलिखित उम्मीदवारों के नामजदगी के पर्चे जांच के बाद सही पाये गये हैं —

जन लेखा समिति

1. श्री प्रद्युम्नसिंह (वि. सं. 69)
2. श्री प्रतापसिंह (वि. सं. 68)
3. श्री भानुकुमार शास्त्री (वि.सं. 87)
4. श्री विश्वम्भरदयाल बोहरा (वि.सं.154)
5. श्री रामकिशन (वि. सं. 80)
6. श्री रामानन्द अग्रवाल (वि. सं. 139)
7. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (वि. सं. 115)
8. श्री जगमोहनसिंह (वि. सं. 38)
9. श्री झाबरमल सुण्डा (वि.सं. 50)
10. श्रीमती प्रभा मिश्रा (वि. सं. 70)
11. श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (वि.सं.174)
12. श्री जयनारायण (वि. सं. 41)
13. श्री ओंकारलाल चौहान (वि.सं. 7)
14. श्री महेन्द्रकुमार (वि. सं. 101)
15. श्रीमती मदनकौर (वि. सं. 7)
16. श्री सहदेव शर्मा (वि. सं. 169)
17. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (वि. सं. 39)
18. श्रीमती कान्ता कथूरिया (वि.स.10)
19. श्री भीमसेन (वि. सं. 90)
20. श्रीमती उषा प्रकाश (वि. सं. 7)
21. श्री गोपाल सिंह (वि. सं. 27)

प्राक्कलन समिति

1. श्री रामजीलाल (वि. सं. 129)
2. श्री लक्ष्मीनारायण (वि. सं. 145)
3. श्री अजीतसिंह (वि. सं. 1)
4. श्री जीवराज (वि. सं. 44)
5. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (वि. सं. 115)
6. श्री रामलाल (बाड़ी) (वि.सं. 133)
7. श्री केशरदेव (वि. सं. 15)
8. श्री भावरमल सुंडा (वि. सं. 50)
9. श्री गोपाल सिंह (वि. सं. 27)
10. श्री पूनमचन्द विश्नोई (वि. सं 67)
11. श्री गौरीशंकर मुनीम (वि. सं. 31)
12. श्री सज्जनसिंह (वि. सं. 166)
13. श्री नाथूराम (वि. सं. 58)
14. श्री लूणाराम (वि. सं 148)
15. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (वि. सं. 158)
16. सांवरमल मोर (वि. सं. 170)
17. श्री नन्दलाल बैरवा (वि. सं. 57)
18. श्रीमती निर्मला कुमारी (वि. सं. 62)
19. श्रीमती नगेन्द्रबाला (वि. सं. 55)
20. श्रीमती गौरी पूनिया (वि. सं. 30)
21. श्री मोहनराज (वि. सं. 109)
22. श्री विजयसिंह राठौड़ (वि. सं. 149)
23. भंवरलाल भदादा (वि. सं. 82)
24. श्री रामप्रसाद बोहरा (वि. सं. 131)
25. श्री रामचरण (वि. सं. 128)

राजकीय उपक्रम समिति

1. श्री मनोहरलाल (वि. सं. 100)

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री विट्ठल (वि. सं. 150)
3. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (वि. सं. 23)
4. श्री कशरीमल (वि. सं. 16)
5. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (वि. सं. 113)
6. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (वि. सं. 115)
7. श्री गिरधारीलाल भार्गव (वि. सं. 20)
8. श्री राजेन्द्रसिंह (वि. सं. 120)
9. श्री झाबरमल मूंडा (वि. सं. 50)
10. श्री केशरदेव (वि. सं. 15)
11. श्री शंकरलाल (पाली) (वि. सं. 156)
12. श्री श्रीनिवास शारदा (वि. सं. 164)
13. श्री रामसिंह विश्नोई (वि. सं. 137)
14. श्रीमती सुमित्रासिंह (वि. सं. 173)
15. श्री दलपतसिंह (वि. सं. 51)
16. श्री गोपाल जोशी (वि. सं. 26)
17. श्री विद्यासागर (वि. सं. 152)
18. श्री गोकुलचन्द (वि. सं. 25)
19. श्री घासीराम यादव (वि. सं. 32)
20. श्री रघुनाथ विश्नोई (वि. सं. 116)
21. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (वि. सं. 91)
22. श्री अमृतलाल गहलोत (वि. सं. 3)

इन समितियों के सदस्यों के चुनाव का कार्यक्रम विधान सभा सचिवालय के बुलेटिन सं. 23 दिनांक 28 मार्च, 1974 में प्रकाशित किया जा चुका है जिसके अनुसार नामजदगी के पर्चों को आज सायं 5 बजे तक वापस लेना है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में मुझ से विचार विमर्श किया है और यह इच्छा प्रकट की है कि पर्चों को वापस लेने की तिथि कल दिनांक 9 अप्रेल, 1974 को दिन के 3.00 बजे तक बढ़ा दी जाय। सदन की अनुमति से नामजदगी के पर्चों को वापस लिए जाने का समय 9 अप्रेल, 1974 को दिन के 3.00 बजे तक बढ़ा दिया जाएगा यदि आपकी स्वीकृति हो।

क्या सदन की सम्मति है कि विड्रो करने का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

चुनाव, यदि आवश्यक हुआ तो 10 अप्रेल, 1974 को प्रातः 11.00 बजे से 3.00 बजे तक होगा और उसी दिन 3.00 बजे से मतों की गणना प्रारम्भ होगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

भुवनेश्वर (जिला डूंगरपुर) के मेले में दूकानों की लूट

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले के भुवनेश्वर मेले में कुछ व्यक्तियों द्वारा मेले की दुकानें लूट लिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है :—

दिनांक 12-3-74 को डूंगरपुर बिछीवाड़ा सड़क पर स्थित भुवनेश्वर मंदिर पर आदिवासियों का मेला लगा था जिसमें

(श्री गुलाबसिंह)

करीब दो हजार आदिवासी इकट्ठे हुए थे। इस मेले में करीब 30/40 दुकानें फेरीवालों व ठेले वालों ने लगाई थीं। दिन के 2-30 बजे तक मेला शान्तिपूर्वक चलता रहा। अचानक आदिवासियों के एक गिरोह ने, जिसका नेतृत्व सर्व श्री जीवण, डालचन्द, मेहलाल, मोहनलाल कर रहे थे, इन्होंने मेले में उपद्रव मचाना शुरू किया। दुकानों में लूटपाट शुरू की। जिन दुकानदारों ने इनका विरोध किया उन पर लाठियों से आक्रमण किया। 28 दुकानदारों के चोटें आईं। मेले में इन्तजाम के लिये तैनात चन्द पुलिस कर्मचारियों द्वारा नियन्त्रण न कर पाने पर जिला मुख्यालय से सम्पर्क किया गया जहां से पुलिस अधीक्षक व जिलाधीश मय पुलिस फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे। जख्मी आदमियों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया तथा उपद्रवियों में से 40 व्यक्तियों को पूछताछ हेतु उसी समय पुलिस द्वारा रोका गया। इस घटना के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 14, धारा 395, 397 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र बनवा कर पंजीबद्ध किया गया। रोके गये व्यक्तियों से पूछताछ करने के बाद 27 आदमियों को गिरफ्तार किया जिनसे हथियार व लूटा हुआ माल बरामद किया गया। बाकी 13 व्यक्तियों को निर्दोष पाये जाने पर छोड़ दिया गया। अब तक कुल 32 मुलजिमान गिरफ्तार किये गये हैं जिनमें से 30 जुडिशियल कस्टडी में हैं और तफतीश जारी है। स्थिति पूर्ण नियन्त्रण में है।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो भुवनेश्वर का इशारा है यह गुजरात की सीमा से कोई दस मील की दूरी पर है। मैं समझता हूं कि यह जो दुर्घटना भुवनेश्वर में हुई है यह गुजरात की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की एक कड़ी है। बहुत सारे छोटे मोटे गांव डूंगरपुर जिले की सीमा से लगे हुए हैं। इस मेले में गुजरात के कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए और दुकानें जला दी गईं। मारा मारी भी हुई। बहुत से गरीब आदमियों के चोटें भी आईं और सम्पत्ति का नुकसान हुआ। मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर सजगता और ऐहतियात बरती जाये। मैंने सुना है, निश्चितरूप से तो नहीं कह सकता हूं, अभी मैं डूंगरपुर गया था और मैंने जानकारी प्राप्त की, उसके पश्चात् मैं एक हद तक इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा भोले-भाले विद्यार्थियों को बहका दिया जाता है और जब कभी भी दंगे की वारदातें होती हैं असामाजिक तत्व उभरते हैं और अनुचित लाभ लेते हैं। भुवनेश्वर के अन्दर एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर पुलिस की जमीयत अपर्याप्त है। ऐसे धार्मिक मेले आदि जहां पर हों, वहां पर पुलिस की जमीयत में और खास करके गुजरात की सीमा के निकटतम जो गांव हैं, वहां पर सरकार को सजगता बरतनी चाहिये और पुलिस की जमीयत पूरी तौर पर वहां पर रखना चाहिये। संक्षेप में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, वे गरीब लोग हैं और उनमें अधिकांश हलवाई हैं और चना, मूंगफली बेचने वाले लोग हैं। उनका सामान लूट लिया गया। उनके साथ मारपीट की गयी। सरकार ने जल्दी ही और पुलिस को वहां भेजा और आगे के लिये सजगता बरती और स्थिति को काबू में कर लिया,

Page No 70

(७०)

(श्री लक्ष्मणसिंह)

इसका तो मैं स्वागत करता हूं परन्तु कम से कम वे लोग, जिनकी क्षति हुई है, गरीब हलवाई लोग हैं। उन लोगों को अगर सरकार मुआवजा देने की व्यवस्था करेगी तो न्यायोचित बात होगी। मैं सरकार को इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को सजगता बरतनी चाहिये। गुजरात में जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है, वह यहां पर न हो। ऐसा नहीं हो। राजस्थान में अभी ऐसा नहीं लगता है लेकिन कभी भी हो सकता है। इसलिये सरकार को सजग रहना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक स्पष्टीकरण चाहता हूं सरकार से। दुकानदारों की दुकानें लूटी गई। यह कुल कितनी दुकानें लूटी गई? और कितना नुकसान हुआ। प्रत्येक दुकानदार का क्या क्या नुकसान हुआ और क्या राज्य सरकार की अकर्मण्यता से, पुलिस की अकर्मण्यता से स्थिति बिगड़ी और स्थिति नियन्त्रण में न आने से लोगों ने दुकानदारों को लूट लिया? तो राज्य सरकार का इस पर चिन्तन क्या है? क्या उसने इस पर विचार किया है कि दुकानदारों की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाये या किस रूप में उसकी क्षति-पूर्ति करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : आप कहना चाहते हैं?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से। वहां पर चंद पुलिस के सिपाही थे, यह मंत्री महोदय ने कहा है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे यहां पर पुलिस का इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट होता है, और खासतौर से जब कोई मेला या बड़ा उत्सव होता है वहां पर पुलिस का प्रबन्ध किया जाता है। यदि कोई एक्सपेक्टेड ट्रबल हो या असामाजिक तत्व गड़बड़ करना चाहते हों तो बहुत अधिक प्रबन्ध भी किया जाता है। इस अवसर पर, जहां पर कि इस प्रकार का मेला था जो कि गुजरात की सीमा पर स्थित है, और जब कि गुजरात सुलग रहा था, राज्य सरकार ने वहां पर पुलिस की उचित व्यवस्था क्यों नहीं की? चंद पुलिस का इन्तजाम रहने के कारण, पुलिस फोर्स की कमी के कारण यह दुर्घटना वहां पर घटी। माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा लगता है तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है जिसने कि एडिक्वेट एरेंजमेंट नहीं किया और जिनकी अकर्मण्यता के कारण 28 दुकानें लूटी गई और अनेक व्यक्तियों को चोटें आई। इसकी जिम्मेदारी किस पर है और उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं? राज्य सरकार इसके बारे में स्पष्टीकरण करे।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, महारावल साहब ने जो बात कही है, वह काफी हद तक ठीक है। डूंगरपुर जिले में भुवनेश्वर का मेला कोई बहुत बड़ा मेला हो, ऐसी बात नहीं है। यह हमारे सामान्य मेलों में से एक है। भुवनेश्वर, नलगान का मेला यह जो मेले हैं, ये साधारण मेलों में से हैं और इसमें सामान्य व्यवस्था होती है। आमतौर पर बहुत छोटे दुकानदारों, जिसमें हलवाई, सेव, भुजिये, पतासे इस प्रकार की छोटी मोटी चीजें बेचने वाले बोहरे वगैरह लकड़ियों का सामान लेकर जाते हैं इस मेले के अन्दर।

(श्री हरिदेव जोशी)

दरअसल में एक प्रकार की वेव, हिंसा की अथवा उच्छृंखलता की कह दीजिए, आई है और हिंसा उच्छृंखलता के अन्दर असामाजिक तत्व हमेशा बढ़ोतरी पाते हैं। गुजरात के इन्सीडेन्स के बाद में राजस्थान में इस प्रकार की कार्यवाही करने की काफी कोशिश की गई है। नहीं की गयी है, ऐसी बात नहीं। स्वयं डूंगरपुर इसके अन्दर प्रभावित रहा है। स्थिति एक बार तो ऐसी ही लगती थी, डूंगरपुर के अन्दर शायद कुछ न कुछ दुर्घटनाएं चेन रिएक्शन होगा किन्तु ईश्वर के अनुग्रह से ये चीजें टल गईं। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी वहां से आये थे। डूंगरपुर के कालेज के अन्दर जाकर उन्होंने मीटिंग भी की मगर समय के ऊपर कार्यवाही करने से ये चीजें टल गईं। दूसरी बार एक जत्था आया और उसने डूंगरपुर शहर का चक्कर काटा। वहां से उनको निकाल दिया गया। फिर वे रिषभदेव की तरफ गये। वहां से भी उनको पकड़कर राजस्थान की सीमा से बाहर निकाल दिया। जयपुर में आये थे और काफी इधर-उधर घूमे-घामे, मिले, बैठे और कार्यवाही और एक्शन, जिन्हें वे एक्शन कहते हैं, की कोशिश की। इस प्रकार की कोशिशें गुजरात के लोगों की ओर से सिरोही, जालोर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जयपुर के अन्दर की गईं। मगर मैं ऐसा समझता हूं कि सिवाय छुटपुट चीजों के बाकी कहीं कोई खास उसका इम्पेक्ट नहीं रहा। पुलिस ने अपनी ओर से तो कोशिश की, मगर मैं ऐसा समझता हूं कि पुलिस की अपेक्षा राजस्थान की जनता ने उन लोगों को रेस्पान्ड नहीं किया। यह मुझे स्वीकार करना चाहिए कि कुल मिलाकर राजस्थान की जनता इस प्रकार के एक्शन्स के अन्दर विश्वास नहीं करती है, और मूलरूप में हम लोग शान्तिप्रिय हैं। हम लोग हिंसा में, झगड़े में, गड़बड़ी में विश्वास नहीं करते हैं। यह एक इनहेरेन्ट चीज हमारे अन्दर है।

डूंगरपुर की बात मैं निवेदन करूंगा कि मेवाड़ के अन्दर जब वह होने की बात थी। मेरे पास में खबर आई। पुलिस का जाब्ता वहां पर पहुंचा और ऐसी कोई चीज नहीं हुई। हमारी यह निरन्तर कोशिश है कि इस प्रकार की चीजों का लाभ असामाजिक तत्व नहीं उठा सके। इसके लिए निरन्तर हम जागरूक हैं।

जहां तक भुवनेश्वर का सवाल है भुवनेश्वर में जो भी हुआ है उसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही की और जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका चालान पेश करके कानून के सुपुर्द कर देंगे और लॉ अपना मौका लेगा और उनके ऊपर सख्त कार्यवाही करेगा।

जहां तक मुआवजे का सवाल है राज्य सरकार ने अभी इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है और यह एक ऐसी स्थिति है कि जिसके बारे में मैं यहां पर नहीं कहूंगा आज कि कोई मुआवजा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि इसके कई रिएक्शन्स हो सकते हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक शान्ति और व्यवस्था कायम करने का सवाल है राज्य सरकार सतर्क है, और जहां किसी प्रकार की छोटी अथवा बड़ी घटना होती है हम उसे गम्भीरतापूर्वक लेकर उसको वहीं पर दबाने की कोशिश करते हैं। यही मुझे निवेदन करना है।

विधायी कार्य
राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974
परिनियत संकल्प

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने ····

(1.20 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पंचायतों के चुनाव बढ़ाने के लिए अध्यादेश निकाल दिया है उस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए मैंने एक प्रस्ताव दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस विषय पर ज्यादा बहस की आवश्यकता रह नहीं जाती, क्योंकि सहकारिता और पंचायत संस्थाओं पर जब बहस हुई थी उस समय भी यह मुद्दा सदन के माननीय सदस्यों के दिमाग में था। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया उस वक्त यह कहा था कि हम पंचायतों के चुनाव इस साल में जरूर करा देंगे। उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई और तारीख बताने को तैयार भी नहीं हैं, और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार भी चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। यह साल तो समाप्त हो जायगा। उस समय राज्य सरकार कोई दूसरा बहाना निकाल देगी, और कह देगी कि इसमें और संशोधन आने चाहिए, इसके लिए एक साल का टाइम और मिलना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जोशीजी ने, जब नई सरकार बनी थी, उस समय, केवल दो घोषणाएं की थीं। मैं एक मामले में उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने समाजवाद और लोकतन्त्र या इधर-उधर का जिक्र नहीं किया और सीधी-सादी घोषणा कर दी। न उन्होंने समाजवाद की घोषणायें करीं और न उन्होंने गरीबों के लिए दुःख प्रकट किया जो कि आम तौर से मुख्य मन्त्री किया करते हैं। उन्होंने दो घोषणाएं की थीं। एक तो यह थी कि पंचायतों के चुनाव निश्चितरूप से करा देंगे और दूसरी यह कि हरिजनों का कल्याण हम पूरी तरह से करेंगे। हरिजनों के मामले का आज के मामले से संबंध नहीं है, लेकिन मुख्य मंत्री बनते वक्त एक प्रकार की घोषणा करें बगैर किसी कारण के और बगैर किसी दूसरे कारणों के आज उन चुनावों को टाल दें तो इस मामले को मुख्य मंत्री और राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी बात का जनता पर कितना असर होगा ? उपाध्यक्षजी, अभी मुख्य मंत्रीजी बयान दे रहे थे डूंगरपुर के बारे में और यह कह रहे थे कि इस देश में एक प्रकार की हिंसा की लहर चल रही है। आखिर यह लहर क्यों चल रही है ? यह कौनसी प्रवृत्ति है जो मानव को प्रेरित कर रही है कि हिंसा की तरफ आकर्षित हों। मैं समझता हूं कि इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार की और केन्द्रीय सरकार की है। इनकी वाणी का, इनके वक्तव्यों का इनके इरादों का जनता पर लेशमात्र भी असर नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, और असर क्यों नहीं है कि मंत्री का कोई भी वायदा पूरा हो जाय, राज्य सरकार की कोई भी घोषणा पूरी हो जाय, मैं समझता हूं कि इन 5-7 वर्षों में तो हमारी

(श्री रामकिशन)

हालत और भी खराब हो गई है। पहले राजाओं के मुंह से एक बात निकल जाती थी तो वह कानून का काम करती थी। यह बयान तो सरकार का है इसलिये काम तो होगा ही होगा! आज, उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत है कि राज्य सरकार दिन में कई ऐसी बात कहती है लेकिन जनता को उस पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार निरंतर अपने वायदे तोड़ने की आदी बन गई है। तो मैं माननाय मंत्री महोदय से एक शब्द यह चाहूंगा कि एक साल का समय ले रहे हैं। आपका बहुमत है। यह समय तो आपको मिलेगा ही। इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन क्या आप तारीख के बारे में यह वायदा कर सकते हैं कि इस साल के आखिर में चुनाव हो जायेंगे? मैं समझता हूं कि मंत्रीजी इस स्थिति में नहीं हैं और इस स्थिति में क्यों नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान को एक वरदान मिल गया है। यहां पर अकाल जरूर पड़ेगा। इस वक्त वायदा करेंगे और अकाल हुआ तो फैसला नहीं किया जायेगा कि राजस्थान में दो-तीन जिलों में अकाल पड़ गया। अकाल नहीं भी पड़ता तो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो अकाल जरूर पटकेंगे और उस बहाने पर कुछ न कुछ काम करायेंगे। लोकसभा के चुनाव जीतने के लिये काम का बहाना लेकर .....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप ग्यारहवें साल में प्रवेश कर जायेंगे, क्या बुरी बात है?

श्री रामकिशन : नाहर साहब यह नहीं होना चाहिये। इस प्रकार की संस्थाएं बनाई आखिर क्यों? जब आपको इन पर आस्था नहीं हैं, जब आप इनकी जरूरत नहीं समझते हैं तो फिर इस खर्चे को समाप्त कर दें, इस विभाग को बन्द कर दें और पंचायत राज की संस्थाओं को तोड़ दें। और अगर आपको कोई आस्था है, अगर इसकी कोई उपयोगिता है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो तीन साल के लिए चुनाव नहीं हुए। तीन साल के बाद चुनाव नहीं हुए, 5 साल हो गये, 7 साल हो गये और अब 10 साल पूरे होने वाले हैं। यह इसलिये जरूरी है कि पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख अपने क्षेत्र में चाहें कितने ही लोकप्रिय हों लेकिन 10 वर्ष तक किसी एक जगह पर बैठे रहते हैं तो अलोकप्रिय हो जाते हैं। वह होना स्वाभाविक है। अलोकप्रिय हो रहे हैं तो जनता की नाराजगी बढ़ती है और दूसरी तरफ सरकार की काहिलता बढ़ रही है। यह सब नाराजगी उस हैरानगी आकारण बन जाती है। मैं समझता हूं माननीय मंत्रीजी कि आप चुनाव का ऐलान फिर करेंगे। आपकी मजबूरी है। मैं समझता हूं कि पिछली दफा भी कहा है और आपको मजबूर होकर कहना पड़ेगा अकाल के बारे में तो उसके साथ में एक ठोस तारीख का ऐलान करें और इस वायदे के साथ ऐलान करें कि मैं मंत्री-मंडल को छोड़ दूंगा लेकिन यह तारीख नहीं बदलेगी। मंत्री-मण्डल में आपको लम्बे समय के बाद लिया गया है और उसको छोड़ने को आप तैयार नहीं होंगे, लेकिन आप छोड़ भी जायें और इस तरह का वायदा कर दें तो आपको मंत्रीमण्डल छोड़ना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार से चुनाव के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा और इसके सारे मेरिट्स पर बहुत ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि जब बहस हुई थी तब सारे मुद्दे सरकार के सामने रखे थे। उस वक्त एक विशेष बात

(श्री रामकिशन)

सामने आई थी कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य, जिनमें सरकारी पक्ष के भी सदस्य हैं, निरंतर चुनावों की मांग करते जा रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके चुनाव की कोई तारीख निश्चित कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? आखिर इसके पीछे एक दृष्टिकोण है और वह दृष्टिकोण यह है कि अधिकतर सरपंच, अधिकांश प्रधान और अधिकांश प्रमुख गलत काम करते चले जा रहे है इन 10 वर्षों के अन्दर और गलत काम कर रहे हैं तो उनकी इन्क्वायरी नहीं होती है और अगर इन्क्वायरी होती है और गलती पाई जाती है तो उनका फैसला नहीं होता है, जो गलती करते हैं उनको सजा नहीं देते हैं। सजा नहीं देने और फैसला नहीं करने का कारण यह है कि वे दबे रहें और जब कोई चुनाव आये तो पंच, सरपंच, प्रधान और प्रमुख कांग्रेस का समर्थन करें। इस बात का लोगों को पता लग गया है कि कांग्रेस की कोई आर्थिक नीति नहीं है, कांग्रेस सरकार के बारेमें लोगों की नाराजगी है, अब इसका सामना कौन करें?

श्री दीपंकर : कांग्रेस में इतने सदस्य हैं

श्री रामकिशन : वोटर्स लिस्ट घर बैठे बनाते हैं, आस्था से कोई नहीं बनता है। उनका पैसा भी आप जमा करा देते हैं ... ..

श्री दीपंकर : इस तरह से आप ही करते होगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : बोगस मेम्बर बनाते है आप।

श्री दीपंकर : आपके यहां सच्चे बनाते हैं स्वतन्त्र पार्टी में?

श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी संस्था ही सब बोगस है।

श्री रामकिशन : यह जो सरपंच, प्रधान वगैरह गलत काम करते हैं, आप जांच करा लीजिये विभाग से आपने पंचायत मंत्रीजी, यह मंत्रालय अभी सम्भाला है, आप जांच कर लीजिये, ज्यादातर लोगों की शिकायतें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कि आठ आठ, नौ नौ साल से फैसले नहीं हुए हैं, उनके मामलों का निराकरण नहीं हुआ है, उनको उन गलत कामों के लिये सजा नहीं मिली है, उनके मामले आपके यहां अटके रहे है, तो निश्चित रूप से यह लगता है कि आपके यहां और आपकी सरकार के वह चक्कर लगाते रहें। इस कारण से चुनाव नहीं करायें, तो यह कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यह कारण समझ में आ सकता है कि सरकार को गांवों में अपने समर्थक मिल जायं, जब कि भ्रष्टाचार के कारण देश का जन जीवन त्रस्त है, हमारे देश में अशांति है, वहां भ्रष्टाचारी तत्व इस सरकार का समर्थन करते रहें और इस सरकार को बल प्रदान करते रहें, इसलिये चुनाव नहीं कराना चाहते—यह समझ में आता है।

दूसरा कारण यह है कि पंचायत राज संस्थायें आज इतनी निर्जीव हो चुकी हैं, कि उनमें आज कोई रस नहीं रहा है। मैंने इसी सदन में पहले भी निवेदन किया था, पंचायत समिति का आज कोरम पूरा नहीं होता है, जिला परिषद की मीटिंग नहीं बुलायी जाती है। इस सदन के अन्दर कई माननीय

(श्री रामकिशन)

सदस्य हैं जो जिला प्रमुख हैं, वह जानते हैं कि जिला परिषद की मीटिंग नहीं बुलाई जाती है। अगर मीटिंग बुला भी लें, तो क्या करें ? है क्या करने को ? जिला परिषद में क्या है करने को, पंचायत समिति में क्या है करने को ? इसी का यह नतीजा है कि कोरम पूरा नहीं होता है; पंचायत समिति का कोरम पूरा नहीं होता है, जिला परिषद का कोरम पूरा नहीं होता है। पहले तो मीटिंग बुलाई ही नहीं जाती है और बुला भी ली जाती है तो बुलाने पर उनके सदस्य हाजिर नहीं होते हैं। इस कारण से पंचायत राज संस्थाओं में एक तरह से निष्क्रियता फैल गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, लोकतंत्र एक तरह की जीवन प्रणाली है, यह एक विश्वास वाली प्रणाली है, इस पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है तो तानाशाही का जन्म होता है। इस तानाशाही से बचने का एक ही विकल्प है, इसके अलावा और विकल्प है नहीं। माननीय मंत्री जी, लोकतंत्र में जो छोटी इकाई है, पंचायत समिति, जिला परिषद् और पंचायत, इनके प्रति लोगों में अविश्वास पैदा कर दिया है, क्योंकि आपने चुनाव नहीं कराये हैं। और यह अविश्वास निरंतर बढ़ता जायगा, मेरी धारणा है।

इसके साथ साथ, अब चुनाव में देरी कर रहे हैं, आपने फैसला कर लिया है कि चुनाव नहीं कराने हैं, तो मेरा निवेदन है कि व्यास कमेटी ने जो कुछ रिकमन्डेशन की हैं, पंचायत समिति को सुधारने के लिए, पंचायत समिति को काम देने के लिए, तो क्या आप यह आश्वासन देंगे कि पंचायत समिति और पंचायतों के चुनाव कराने से पहले आप इस व्यास कमेटी की सिफारिशों के ऊपर अमल करेंगे ? यह आपको दूसरी घोषणा करनी चाहिए।

तीसरी घोषणा यह करनी चाहिए, पंचायत समिति और जिला परिषद् का मौजूदा स्वरूप है, इनके जिस समय चुनाव हुए थे उस समय 1961 की आबादी के आधार पर चुनाव हुए थे। आज 1971 में कितनी जन संख्या बढ़ गई है। क्या राज्य सरकार यह फैसला करेगी कि इसके चुनाव कराते वक्त नई जन संख्या के आधार पर पंचायत और पंचायत समिति की सीटों का बंटवारा होगा ? ऐसा होता है तो नये लोग भी, जो संस्थाओं से अलग बैठे हुए हैं, जो शामिल नहीं थे, अब वे एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गये हैं। पहले जब चुनाव हुए थे उस समय वह 10-11 साल के थे, आज 21 साल, 22 साल के बालिग हो चुके हैं। हिन्दुस्तान के लोकतन्त्र के बारे में उनकी मान्यता बन चुकी है। अब क्या आप उनको इनमें हिस्सा लेने का मौका देंगे ? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इन तीन मुद्दों पर अपना दिमाग बनाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिकायतों की बात है, मैं जिला प्रमुख हूं, मैं जानता हूं कि क्या सरपंच गड़बड़ी करते हैं, प्रधान क्या गड़बड़ी करते हैं, प्रमुख क्या गड़बड़ी करते हैं। लेकिन मैंने सुना नहीं है कि मंत्री जी किसी से भी नाराज हुए हों। दस साल में हो सकता है कि पांच सात सरपंचों से नाराज हो गये हों और उनको सजा मिल गई हो। लेकिन मेरी मान्यता है कि पंचायत राज संस्थाओं ने ऐसे काम किये हैं, जितने राज्य सरकार भी गलत काम नहीं करती है। लेकिन एक भी सरपंच को

(श्री रामकिशन)

किसी प्रकार की सजा नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है सजा ? आज जो पंचायत संगठन है, उसमें कोई किसी मामले में कार्यवाही करना भी चाहे तो इतना ज्यादा हस्तक्षेप है, इतना ज्यादा दबाव है कि सजा होकर गलत काम का निराकरण नहीं हो पाता है। चूंकि इसी सदन में इस विषय पर मैरिट पर बहस हो चुकी है, इसलिए ज्यादा लम्बी बात न कह कर मेरा निवेदन है कि जो मंत्री जी, सरकार अध्यादेश लायी है, उसको अस्वीकार करने का मेरा प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया जाय।

एक बात पर मुझे बड़ी हंसी आती है। हमारी राज्य सरकार हिन्दी की समर्थक है। हिन्दी में काम करने के आदेश दिये गये हैं। अन्त में ऐसे आदेश दिये गये हैं कि और काम हिन्दी में न कर सकें तो दस्तखत तो हिन्दी में करा करें। लेकिन राज्यपाल महोदय अंग्रेजी में दस्तखत करते हैं। मैं मानता हूं कि राज्यपाल महोदय की मजबूरी है कि वह हिन्दी में नहीं कर सकते है। लेकिन गुरुमुखी में तो कर सकते हैं। गुरुमुखी और हिन्दी छोटी बड़ी बहिन हैं, उनमें आपस में अलगाव नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में राज्यपाल महोदय दस्तखत करेंगे तो विभागाध्यक्ष भी अंग्रेजी में दस्तखत करेंगे और नोट भी अंग्रेजी में लिखेंगे ......

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप भी नोट बोल रहे हैं।

श्री रामकिशन : नोट शब्द तो हिन्दी हो गया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हिन्दी का नहीं है।

श्री रामकिशन : अब बहुत से शब्द हिन्दी के हो गये हैं। आप हैं नाहर साहब, आप पिछड़े इलाके से आये हैं ......

श्री निरंजननाथ आचार्य : नोटम् शब्द संस्कृत का है जिससे नोट बना है।

श्री रामकिशन : यह नई व्याख्या सुन लीजिये। मेरी इस संबंध में जानकारी नहीं है।

मेरा निवेदन है, राज्यपाल महोदय ने अंग्रेजी में दस्तखत कर रखे हैं, क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर गया था ? अगर इस ओर ध्यान दिया जाता और गुरुमुखी में दस्तखत करते तो दस्तखत गुरुमुखी में करना कड़वी बात नहीं होती। इस परंम्परा का विशेष महत्व नहीं है। मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं कि इससे अंग्रेजी का प्रचलन होगा, और अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ता है तो कुलीन, सम्भ्रान्त जातियों के लोग हैं, उन कुलीन और सम्भ्रान्त जातियों के लोगों का वर्चस्व बढ़ता जाता है और जो दबे हुए है, जो शोषित हैं, जो पिछड़े हुए हैं वह अपने आपको हीन समझते हैं। मैं अंग्रेजी का विरोध करता हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि अंग्रेजी बिलकुल नहीं हो। अंग्रेजी सहायक भाषा है और अंग्रेजी का बड़ा महत्व है। अंग्रेजी का विरोध करता हूं तो लोक भाषाओं की स्थापना करने और छोटे छोटे आदमियों को राजनीति में प्रभावशाली हिस्सा लेने की बात करता हूं। आज इस पर ज्यादा न कह कर मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय, मेरा निवेदन है कि सदन इसे स्वीकार करे।

दूसरे जहां तक कान्स्टीट्यूशनल, संवैधानिक व्यवस्थायें हैं, उनका बहुत एक तरह

(श्री रामकिशन)

से राज्य सरकार दुरुपयोग करती है। जब कोई अध्यादेश लाना होता है, राज्य सरकार एक मिनिट में कह देती है कि विधान सभा सैशन में नहीं है, विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो रहा है, राज्य सरकार को यह एहसास हो रहा है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। पता नहीं, कब राज्य सरकार को अलहाम हो जाता है, कब अहसास हो जाता है। कौनसी परिस्थितियां थी, यह साफ तौर पर आप कहें। अध्यादेश की जो शक्तियां कान्स्टीट्यूशन ने दी हैं, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार उनका दुरुपयोग करती हैं और आर्डिनेन्स के मार्फत पहले कानून बनाकर फिर बिल के रूप में स्वीकार कराने की राज्य सरकार की परम्परा सी बन गई है। यह लोकतंत्र का जो सिस्टम है, जीवन प्रणाली है उसके खिलाफ है, यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कौनसी परिस्थितियां थीं, जब आपने समय बढ़ाया? समय बढ़ाने की तारीख खत्म हो रही थी तो क्या यह उस समय आपकी नजर में नहीं था....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : देववाणी हुई, जो आपके कान नहीं सुनते हैं।

श्री रामकिशन : मंत्री बन जाते हैं, तो ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं, ऐसा मालूम होता है। मंत्री बन जाने से संसार का सारा का सारा दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति का सम्पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अब आपने कहा कि देववाणी सुनाई देने लगी है। तो मुझे लगता है कि ब्रह्मऋषि होकर न चले जायं, कहीं सदन खाली न हो जाय यदि सारे के सारे मंत्री ब्रह्मऋषि होकर सदन से चले गये। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

यह सब छोड़कर मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और विशेष तौर पर सदन से निवेदन करूंगा कि जो अध्यादेश राज्य सरकार की ओर से रखा गया है, सदन उसे अस्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री केदार नाथ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, 17 जनवरी, 1973 को इसी सदन में इसी प्रकार का एक अध्यादेश आया था, वह भी एक वर्ष बढ़ाने के लिए था। मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, उस समय पंचायत मंत्री थे अपने श्रीमान वर्तमान मुख्य मंत्री, श्रीमान जोशी जी, उन्होंने कहा था, मैं इसका समय अब नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने पूछा था, कब तक के लिए समय बढ़ायेंगे, चुनाव कब हो जायेंगे?

"श्री हरिदेव जोशी : एक साल के अन्दर हो जायेंगे।"

उन्होंने यह भी कहा था, अब मैं इस सदन में कभी भी समय बढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा ...

श्री गुमानमल लोढा : सामने नहीं आ रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सामने नहीं आ रहे है, चले गये हैं। उन्होंने वायदा किया था, इस सदन में वायदा किया था कि

Page No 78

(78)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सदन में मुंह नहीं दिखाउंगा। यह लम्बी चौड़ी बात की। अब पंचायत मंत्री मुख्य मंत्री बन गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री ने यह वचन कहा था इस सदन में कहा था, उसका पालन नहीं हो रहा है...

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुख्य मंत्री ने नहीं कहा।

श्री दीपंकर : उन्होंने पूरा कर दिया, वह सामने नहीं आये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह कहा था कि मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुख्य मंत्री के नाते वह मुंह दिखा रहे हैं। मैं निवेदन करने जा रहा था कि विधान सभा चल रही है और राज्य सरकार ने अध्यादेश निकाल दिया। इससे पहले गिरधारी लाल व्यास की एक कमेटी बनी थी, उसकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई, 29-10-72 को चुनाव के कम्पोजिशन, थ्री टायर सिस्टम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, एक्सेप्शनल अर्जेंसी बताते हुए, मानते हुए उन्होंने एक इन्टरीम रिपोर्ट दी थी, उसमें सबसे ऊपर वाले पन्ने पर कहा है।

"As also indicated in the body of the Report, I would earnestly request you that the Government decisions on the various recommendations may be taken expeditiously so that the Panchayat Raj in Rajasthan gets the much needed and positive boost."

इसका मतलब है, उन्होंने विचार किया है, मैं रिपोर्ट दूंगा, इसमें देरी हो जायगी। चुनाव में देरी नहीं हो और राजस्थान में पंचायतों के चुनाव सरकार श्री गिरधारी लाल व्यास कमेटी की आड़ लेकर बराबर टाल रही है, यह कह रही है कि वह कमेटी विचार कर रही है, वह रिपोर्ट आ जाय, फिर चुनाव करेंगे, यह आधार न रह जाय इसलिए इस कमेटी ने इन्टरीम रिपोर्ट दी। लेकिन सरकार को जो 20-10-72 को रिपोर्ट मिली उस पर भी राज्य सरकार ने विचार नहीं किया। अब कोई समझता हो कि ग्राम पंचायतों को उन्होंने नया रूप दिया तो ऐसा नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था अंग्रेजों के दिनों में थी लेकिन वह मृत-प्रायः हो गई। फिर सरकार ने विचार किया कि ग्राम पंचायतें गरीबी नहीं मिटा सकती, अन्धविश्वास को दूर नहीं कर सकती और सामाजिक और आर्थिक उत्थान जो लोगों में आना चाहिए, वह नहीं ला सकती। इसका मतलब अंग्रेजों के समय ही ये सारी ग्राम पंचायतें मृत-प्रायः हो गईं। इसलिए सरकार ने कम्यूनिटी डवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। उसके अन्तर्गत ग्रो मोर फूड इन्क्वायरी कमेटी हैडेड बाई श्री वी. टी. कृष्णमाचारी बनी उसका कहना था कि यदि अधिक अन्न उपजाना है....

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव पर बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं उसी पर आ रहा हूं कि सरकार को हमें समय बढाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए तो उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार के जितने साधन हैं, इन पंचायतों को सारे साधन मुहैया कराने चाहिए, ताकि अधिक अनाज

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

की उपज हो सके। आज जो यह संकट हो गया, राष्ट्रीयकरण की नीति असफल गई, तीन किलो जनता को अनाज नहीं दे सके, विदेशों पर अनाज के लिए निर्भर हैं, इसका कारण है पंचायतों के चुनाव समय पर न कराना। यह कोई नई बात नहीं है। बल्कि भारत के संविधान में कहा गया है सरकार का कर्त्तव्य है कि····

"···the basic concept of Panchayat Raj in the Directive principles of State Policy and in Article 40 thereof laid down that 'The State shall take steps to organise village Panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government."

ये जो डाईरेक्टिव प्रिन्सीपल्स हैं उनमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करना, यह राज्य सरकार का परम् कर्त्तव्य है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार इन ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ नहीं कर सकी, इनके चुनाव समय पर नहीं करा सकी। आज 10 वर्ष हो गए, इसलिए मैं चाहूंगा कि एक वर्ष का जो आपने समय लिया है वह कम लिया है। 10 वर्ष पूरे हो गए, यदि 10 वर्ष और बढ़ा दें तो मैं आपके संशोधन का स्वागत करूंगा। 20 साल पंचायतों के चुनाव न हों तो अच्छा होगा। इसी प्रकार उपाध्यक्षजी, 1957 में बलवंतराय मेहता कमेटी ने रिपोर्ट दी कि थ्री टायर सिस्टम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, 1959 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया और सबसे पहले भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हो जाए इस नाते 2-10-59 का स्वर्गीय श्रीजवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का दीप नागौर में जगाया था, लेकिन वह दीप अब बुझ गया। राजस्थान उस समय अग्रणी था इसलिए सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों में भयंकर उत्साह था लेकिन सरकारी कर्मचारी समझते हैं कि राज्य सरकार को उत्साह नहीं है चुनाव कराने के बारे में और उनको सुदृढ़ करने के बारे में, तो अधिकारियों का सहयोग पंचायतों को नहीं मिल रहा है। उस समय राजस्थान से प्रेरणा लेकर देश में जो अन्य प्रांत है उन्होंने कानून बनाया और पंचायती राज की स्थापना हुई। सादिक अली कमेटी ने 1964 में विस्तृत रिपोर्ट दी, भंडारी कमेटी ने 1969 में रिपोर्ट दी, आज हम एक भयंकर किनारे पर खड़े हैं, या तो कहदें कि पंचायती राज राजस्थान में समाप्त हो गया या घोषणा कर दें कि अमुक तारीख को पंचायतों के चुनाव करायेंगे। 1964 में पंचायतों के चुनाव हुए ये जिस समय इनका कार्य-काल तीन वर्ष का था। समय समय पर कानून में संशोधन करके कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया और जिस प्रकार आज राज्य सरकार एक साल का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है, सरकार ने एक एक साल करके तीन साल तक यह शक्ति पहले ले ली, एक साल का समय अब और बढ़ाना चाहती है। इन संस्थाओं के चुनाव 1967-68 में हो जाने चाहिए थे। ग्राम पंचायतें 20-1-74 का समाप्त हुई, जिला परिषदें 25-2-74 को समाप्त हुई लेकिन आज हालत यह है कि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सरकार अभी भी अनिश्चित वातावरण में है कि चुनाव कब करायगी। सरकार कहती है कि राष्ट्रीय संकट है। यह मखौल हो गया। बंगला देश के समय जब भारत-पाक युद्ध हुआ था, उसका लाभ उठाने के लिए, एब-सोल्यूट मेजोरिटी लाने के लिए विधान सभाओं व लोक सभा के चुनाव करा लिए लेकिन पंचायती चुनावों के लिए राष्ट्रीय संकट कहकर टाला जाए तो मैं इसको मजाक व मखौल मानता हूं। इस कारण लोगों का विश्वास पंचायतों के प्रति उठ गया है। उस समय के पंचायत मंत्री व वर्तमान मुख्य मंत्री ने सदन में एक साल के अन्दर चुनाव कराने की घोषणा की थी। इसलिए राज्य सरकार का जो एक साल का प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्षजी, मुझे इसमें कोई लंबी चीज नहीं कहनी। अध्यादेश को जारी करने के जो प्रावधान संविधान में हैं वे कब इन्वोक होने चाहिए, राज्य सरकारों को इस बारे में लाजमी ध्यान देना चाहिए। क्या हालात पैदा हो गए थे नवम्बर–दिसम्बर के बीच में? इलेक्टोरल रोल्स तैयार किए गए, मशीनरी एक्टिव की गई चुनाव के लिए। यह ठीक था कि जनवरी में भरतपुर व आसींद के चुनाव थे, फरवरी में यू. पी. के आम चुनाव थे, मगर सरकार के मन में एक भय था कि लेवी के लगाने के बाद आम किसान में अप्सर्ज पैदा हो गई, स्टरिंग पैदा हो गई तो सरकार ने सोचा कि यदि इस समय चुनाव कराए गए तो राज्य सरकार को धक्का पहुंचेगा। मौजूदा पंचायत मंत्री कमेटी के एक एक्टिव सदस्य थे और इनकी प्रेरणा से अंतरिम रिपोर्ट लिखी गई और इनके इनीशिएटिव पर चुनाव का पैटर्न बदला गया। या तो आश्वासन दिया जाए कि 6 महीने का समय लेना चाहते हैं, इस बीच नए पैटर्न से चुनाव करा लेंगे और पंचायतों को नई पावर्स दी जाएं। होना तो यह चाहिए था कि पांचवी योजना के शुरू होने से पहले चुनाव होते। नए लोग, नए इनीशिएटिव के साथ, नई ताजगी के साथ, जो नया रोल उनको असाइन किया उसको लेकर काम करते, चाहे वह मिनीमम नीड्स के तहत हों, चाहे एरिया डेवलपमेंट के तहत, बहुत से काम अपने पंचायतों को असाइन किए हैं। जो संस्थायें 9 साल से काम कर रही हैं उनमें लोगों का विश्वास खतम हो गया। तारीख तो आज घोषित की जाए और बीच में फैसला करें कि जो हमने व्यास रिपोर्ट के अनुसार पैटर्न बदला है, उसमें डाइरेक्ट एलीमेंट को ज्यादा इन्ट्रोड्यूस किया है। माइनर चेंजेज उन सिफारिशों में कर सकते हैं लेकिन फाइनेन्शल पावर्स का जो एलोकेशन किया है, जिला स्तर पर जो सारे पावर्स सेंटर में कन्सन्ट्रेटेड हैं, उनका विकेन्द्रीकरण करते हैं तो बहुत बढ़िया चीज है। जब तक लोकल बोडीज को मजबूत नहीं करते, आपका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पनप नहीं सकता। आज आम लोगों से आप पूछें, तो पंचायतों में विश्वास नहीं, पंचायती चुनावों में विश्वास नहीं, नगर पालिका में विश्वास नहीं, यहां तक कि विधान सभा व संसद की वर्किंग में विश्वास नहीं। वे समझते हैं कि फालतू खर्चा है, लोग अपना भत्ता पकाते हैं। यह धारणा यूथ और आम मासेस में बढ़ रही है। मेरे ख्याल से एक साल के बाद ऐसा हो जाएगा कि गेट पर लोग खड़े रहेंगे और हमारा अंदर आना

(श्री केदारनाथ)

बंद कर देंगे। इसलिए हम इस कारण से कहते हैं कि यह आर्डिनेन्स नामंजूर हो क्योंकि जो आब्जेक्ट्स व रीजन्स दिए गए हैं, उनका औचित्य नहीं, पावर्स का औचित्य नहीं। मशीनरी आपकी तैयार थी, चुनाव के सारे हालात पैदा हो गए थे लेकिन रूलिंग पार्टी को भय था कि हम हार जायेंगे। अब कहते हैं कि अगस्त में होंगे हमें तीन बाई-इलेक्शन्स मई में कराने हैं। बाई-इलेक्शन्स में क्या देरी लगती है? राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता का सवाल नहीं उसमें केवल विधायकों के वोट पड़ेंगे। इसलिये मान्यवर मैं अभी भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि दो तीन माह का समय पड़ा है आप डिस्क्रीशन पर चाहें तो दो तीन माहों में इलेक्शन करा सकते हैं। अब हमारे जो बाई-इलेक्शन हो रहे हैं उसके साथ साथ आप पंचायतों के भी इलेक्शन करा सकते हैं। वैसे प्रेसीडेन्ट के चुनाव तो अगस्त में होने वाले हैं सो गवर्नमेंट के पास काफी टाइम है। इसलिये मैं सदन से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो संकल्प हमने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जो माननीय सदस्य श्री रामकिशन, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री प्रोफेसर केदार ने संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूं इस संकल्प के माध्यम से इन माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे अपने भाषण के दौरान उठाये हैं और इस संकल्प को पारित करने के लिये अनुरोध किया है उसके लिये मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि उसे अस्वीकार किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में पंचायती राज की व्याख्या करते हुए लोकतन्त्र में पंचायती राज का क्या महत्व है उस पर प्रकाश डाला तथा पंचायती राज लोकतन्त्र में एक विशेष महत्व रखता है। इसके बारे में भी निवेदन किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि पंचायती राज का लोकतन्त्र में काफी महत्व है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी मानता हूं कि देश में अगर हम लोकतन्त्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पंचायती राज होना बहुत ही आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र की आवाज देश के घर घर में और गांव गांव में तथा गांवों की ढाणी ढाणी तक पहुंचे तथा देश के हर नागरिक को यह मालूम हो कि देश की शासन प्रणाली में उसका भी हाथ है। वह व्यक्ति भी देश की शासन व्यवस्था में भागीदार है इसके लिये पंचायत राज देश में होना बहुत ही आवश्यक है और इसी उद्देश्य से हमारे यहां पर देश में पंचायती राज का श्रीगणेश हुआ और खासतौर से हमारे राजस्थान में देश में सबसे पहली बार पंचायती राज का शुरूआत किया गया था। यह बात भी सही है उपाध्यक्ष महोदय कि पंचायती राज के अन्तर्गत जो चुनाव होने चाहिये थे वह समय पर नहीं हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि किन किन परिस्थितियों के कारण यह चुनाव नहीं कराये जा सके। जैसा कि सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव पांच साल में एक बार होने

(श्रीराम नारायण चौधरी)

चाहिए। ऐसा कानून में प्रावधान है तथा इसके साथ यह भी प्रावधान है कि अगर कोई विशेष परिस्थितियां पैदा हों तो उन चुनावों को एक साल आगे बढ़ाये जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम होगा कि इन पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल सन् 1970 में समाप्त हो गया था। सन् 1970 में इनके पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो रही थी तो राज्य सरकार ने इसकी अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी। उसके बाद में सन् 1971 में इन पंचायतों के ग्राम पंचायतों के तथा जिला परिषदों के चुनाव नहीं होने का कारण यह था कि हमारे यहां देश में मिड टर्म पोल हो गये संसद के इसलिए पंचायती राज की संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये जा सके। कारण इन ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कार्यकाल को एक साल के लिए और बढ़ाया गया। उसके बाद में सन् 1972 में विधान सभा के चुनाव होने के कारण हमें एक साल और इन ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव आगे बढ़ाने पड़े। इसलिए इनके चुनाव नहीं हो सके। इसके बाद में सन् 1973 में जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रदेश में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था जिसकी वजह से पंचायतों तथा जिला परिषदों के चुनाव कराना असम्भव था इसलिए हमें उन चुनावों को एक साल के लिये और आगे स्थगित करने पड़े। इसके बाद में हमने जनवरी-फरवरी 74 में एक टेन्टेटिव प्रोग्राम बनाया चुनाव कराने के लिए। वैसे मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में काफी जागरूक है और उस वक्त वो दृढ़संकल्प थी कि इनके चुनाव करा दिये जायें, लेकिन हमारे यहां पर दो जगह के बाई-इलेक्शन आ गये थे इसलिए यह चुनाव नहीं कराये जा सके। तो सरकार ने सोचा कि यह चुनाव मई-जून में करा दिये जायें। लेकिन जैसा कि मैंने सामुदायिक विकास की मांगों के दिन में कहा था कि चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव अगस्त में होने वाले हैं और हमारी राज्य विधान सभा की सीटें खाली हैं अतः उनके चुनाव कराने की भी आवश्यकता है। चूंकि वह चुनाव मई-जून में कराने का राज्य सरकार का विचार है अतः यह पंचायतों के चुनाव उस वक्त कराना असम्भव हो गया। इसलिए राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह इनके लिये आर्डिनेन्स जारी करे। इस आर्डिनेन्स के जरिये इन पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों की अवधि एक साल के लिए और बढ़ायी गई। तो मैंने इन सभी परिस्थितियों को सदन में बताया कि किन परिस्थितियों के कारण यह पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव नहीं हो सके। अब चूंकि उस समय विधान सभा का सत्र भी नजदीक नहीं था इसलिये यह आर्डिनेन्स जारी किया गया जो कि बहुत जरूरी था और अब जब यह विधान सभा का सत्र आया तो इस आर्डिनेन्स को सदन में प्रस्तुत कर दिया गया। जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों ने सदन में कहा कि राज्य सरकार की पंचायतों के चुनाव कराने की इच्छा नहीं है इसके लिये मैं यह कह सकता हूं कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। राज्य सरकार की कभी भी इच्छा नहीं थी कि पंचायतों के चुनाव नहीं हों। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की आस्था इसमें है कि हमारे लोकतन्त्र को मजबूत

(श्री रामनारायण चौधरी)

रखना है तो देश में पंचायतों, पंचायत समितियों, और जिला परिषदों के चुनाव कराये जायं। सरकार की मन्शा है कि पंचायतों के चुनाव होने चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी माननीय सदस्यों को स्पष्ट कह दूं, राज्य सरकार की पंचायती राज में बहुत ही आस्था है। राज्य सरकार का यह दृढ़संकल्प है कि लोकतन्त्र की मजबूती के लिए पंचायती राज की संस्थाओं के चुनाव होने चाहिये इन संस्थाओं के चुनाव होने से पंचायती राज की संस्थाओं का एक नयी गति मिलती रहती है। इसके अलावा माननीय सदस्य केदारनाथ जी ने यह अपने भाषण में कहा कि पंचायतों, पंचायत समितियों, तथा जिला परिषदों को अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये तथा जो व्यास कमेटी ने रिकमन्डेशन्स की हैं उनको लागू किया जाय। इसी प्रकार भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि श्री गिरधारीलाल जी की अध्यक्षता में जो कमेटी मुकर्रर हुई और उसने जो रिकमन्डेशन्स दी थी उन पर निर्णय लेकर जनवरी-फरवरी में जो चुनाव पंचायती राज की संस्थाओं के करावें उनमें उन्हें लागू किया जाना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि समयाभाव के कारण श्री गिरधारीलाल व्यास कमेटी ने जो रिकमन्डेशन्स की हैं उन पर अभी तक अच्छी तरह से विचार नहीं किया जा सका है। अब चूंकि थोड़ा समय मिला है इसलिये मैं उनकी कमेटी द्वारा जो रिकमन्डेशन्स की गई हैं उसको मन्त्री-मण्डल के समक्ष रखूंगा और उनके द्वारा की गयी सिफारिशों को किस प्रकार से लागू किया जाय उस पर मन्त्री-मण्डल में विचार करके उनको लागू करने की चेष्टा करने की कोशिश करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि इस प्रश्न पर सदन में जिस दिन सामुदायिक विकास की मांगों पर बहस हुई थी तब काफी सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे और राज्य सरकार की तरफ से उन सभी मुद्दों का जवाब दे दिया गया था। इसलिये मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों का ज्यादा समय नहीं लेऊंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो शंका व्यक्त की है पंचायतों के चुनाव बाबद सरकार कराना नहीं चाहती है और सरकार इसकी अवधि और बढ़ाना चाहती है उसके लिए यह स्पष्ट निवेदन कर दूं कि पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के चुनावों की तिथि शीघ्र ही घोषित की जायेगी। अब रहा सवाल कि गिरधारीलाल जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जो रिकमन्डेशन्स की हैं उनमें से किन किन को माना जाय और उनका क्रियान्वयन कैसे हो-इस की मैं अभी सदन में बिना मन्त्री-मण्डल में तय किये घोषणा नहीं कर सकता। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इन सभी बातों को मैं केबीनेट में रख कर तय करा लूंगा और उसके बाद में निश्चित तिथि इसी साल के अन्दर पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों तथा जिला परिषदों के चुनाव कराने की घोषणा करने की चेष्टा करूंगा ताकि यह अनिश्चितता का वातावरण जो बना हुआ है वह समाप्त हो जाये। बस इतना ही कह कर मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, सदन से यह अनुरोध करूंगा कि जो संकल्प माननीय-सदस्य श्री रामकिशन व श्री केदारनाथ जी वगैरह ने रखा है उस संकल्प को अस्वीकार किया जाय।

Page No 84

(84)

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य आप अपने प्रस्ताव को वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री रामकिशन : सभी वापिस ले ही नहीं सकते। तारीख तो बतायी ही नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वोट करा लीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बार बार टालना चाहते हैं।

श्री केदारनाथ : इलेक्शन डेट तय कर देते हैं तो संकल्प वापिस ले सकते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : उधर बैठे हुए सम्माननीय सदस्यों के मन में भी यही भावना है कि यह जो कुछ हो रहा है वह लोकतन्त्र की हत्या हो रही है लेकिन व्हिप का प्रभाव ही ऐसा है कि उससे हर एक माननीय सदस्य के मुंह पर ताला लग गया है इसलिये वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव गिरा दिया जाय लेकिन इस पर वोट तो जरूर होना चाहिये ताकि उधर विराजे हुए सम्माननीय सदस्यों को अपनी भावना को व्यक्त करने का मौका तो मिलेगा कि जनतंत्र पर कितनी बड़ी चोट हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है कि "यह सदन श्रीमान् राज्य पाल महोदय द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 1974 को परिचालित राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश 1974 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1974) को अस्वीकार करता है।

(ध्वनि मतदान के पश्चात)

(अस्वीकृत)

श्री रामकिशन : उनको मालूम ही नहीं है कि किस पर 'हां' कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं डिविजन मांगता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिविजन चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जी हां।

श्री केदारनाथ : इसको हम इस समय प्रेस नहीं करेंगे। बिल आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प अस्वीकार किया गया।

माननीय मंत्रीजी।

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार एवं पारण

श्री रामनारायण चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने विचारार्थ आया है और जिन कारणों को माननीय मंत्री महोदय ने हमारे सामने रखा है कि इन कारणों से पंचायतों के चुनाव नहीं करवा सके वे सही हैं इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

(श्री दीपंकर)

इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने बहुत ही प्रभावशाली कदम पंचायत राज के सिलसिले में राजस्थान में ही नहीं किन्तु देश में उठाया था और राजस्थान ही पहला अग्रणी प्रान्त था ······

श्री रामकिशन : देश में नहीं दुनिया में ।

श्री लक्ष्मणसिंह : दीपंकर साहब मिथ्या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ?

श्री दीपंकर : सबसे पहले राजस्थान में स्वर्गीय पं. जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में इसका श्रीगणेश करके दीप जलाया था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह है यह । नागौर में दीप जला था, आपके नाम का नहीं जला था ।

श्री लक्ष्मणसिंह : अब आप जला रहे हैं दीप दीपंकर साहब ।

श्री दीपंकर : सही माने में राजस्थान ने विकेन्द्रीकरण की योजना को लागू करके देश की अगुआई की और देश के अन्य हिस्सों में पंचायत राज लागू हुआ ।

कई कारणों से इसमें सुस्ती रही है, कुछ संशोधन की आवश्यकता रही है इसलिये सरकार ने गिरधारीलाल व्यास कमेटी बिठायी । वह कमेटी मुख्तलिफ प्रान्तों में गयी और उसने अपनी राय सरकार के सामने प्रस्तुत की । सरकार ने थोड़े समय में उस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया है । गिरधारीलाल व्यास कमेटी रिपोर्ट इतना अच्छा दस्तावेज है कि उस पर मनन करके लागू किया जाना चाहिये । विधान सभा और लोक सभा के सदस्य यह एतराज कर बैठे कि उनको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला है परन्तु इसमें कोई शक नहीं है कि पंचायती राज के अन्दर इस कमेटी की रिकमन्डेशन्स को स्वीकार करने से नये नेतृत्व का उदय होगा और वहां की समस्याओं का निराकरण होगा । आशा है सरकार गिरधारीलाल व्यास कमेटी की सिफारिशों को सही माने में लागू करेगी जिससे न केवल एक नये सिरे से राजस्थान में पंचायती राज का उदय होगा परन्तु जो परिचालित पद्धति है उसमें भी सुधार हो जावेगा ।

आज किसी भी चुनाव में बहुत खर्च होता है चाहे वह किसी पार्टी का हो या व्यक्ति का हो । ठहरने की व्यवस्था, खिलाने पिलाने की व्यवस्था इतनी खर्चीली व्यवस्था है कि उससे हम किसी प्रकार से बच सकें तो बड़ा अच्छा होगा । उसमें अलग अलग मत प्रणाली निर्धारित की है । पंच, सरपंच, प्रधान और जिला परिषद् का एरिया होगा उसमें एक ही व्यक्ति मत दे सकेगा । सरकार और भी चाहे तो कम से कम प्रधान का डाइरेक्ट चुनाव करा दे । उसके साथ जो इतनी बारात इकट्ठा होती है वह नहीं होगी । मतदाता को जानकारी है क्योंकि सोसाइटीज का चुनाव होता है, मंडी कमेटीज का चुनाव होता है । एक व्यक्ति अनेक को वोट देता है । उसकी सजगता के प्रति कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है । आशा है उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जावेगा तो अच्छा रहेगा ।

वार्डों को ठीक किया जाय । माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं

(श्री दीपंकर)

कि जो पंचायत बनी हैं, पंचायत समितियों की सीमायें निर्धारित हैं वे पुरानी हैं। उन सीमाओं में पंचायतों को भी ले लेते हैं। ऐसी पंचायतें हैं कि जिनमें दूर दूर तक के गांवों को सम्मिलित किया गया है। इसलिये लोगों को वोट देने आने में और जाने में और फैसला करने में दिक्कतें होती है। समय काफी है इसलिये पहले ही सीमाओं का विभाजन होना चाहिये और गलती से दूर की पंचायतों में जो गांव लगे हुए हैं उनको नजदीक की पंचायतों में लाना चाहिये और सही करना चाहिये।

पंचायत समितियों के लिये भी ऐसी शिकायतें हैं। एक एक पंचायत समिति दो दो तहसीलों में विभाजित है। काश्तकारों को लोन मिले, जिस जिस पंचायत समिति की बकाया है तो उसको दो पंचायत समितियों से संपर्क कायम करना पड़ता है। इसमें दिक्कत होती है। हर पंचायत समिति का दायरा एक तहसील किया जाना चाहिये। एक ही रेवेन्यू एजेन्सी हो और एक ही पंचायत समिति हो। जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी बड़ी भारी दिक्कतें आती हैं। एक पंचायत समिति का एरिया किसी विधान सभा क्षेत्र में चला गया और किसी का किसी दूसरी में। इसलिये एक विधान सभा का क्षेत्र एक पंचायत समिति में हो-इस तरह का विभाजन हुआ तो लोगों में विश्वास जगेगा कि एक ही एम. एल. ए. के पास जावेंगे, एक ही तहसील में जावेंगे और एक ही पंचायत समिति में बैठेंगे तो उनको सुख सुविधा मिलेगी। इसलिये पंचायत समितियों का दुबारा विभाजन होना चाहिये।

कई यह कहते हैं कि मिटिंग नहीं होती हैं। कम होती हैं। फिर भी इनकी मिटिंग्स होती है। लोग यह जानकारी जरूर चाहते हैं कि पहले कुछ साधन अधिक उपलब्ध थे, बहुत कुछ थे लेकिन अब दूर चले गये हैं इसका क्या कारण है? इसलिये एक ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद् तक इनमें एकता हो।

पहले बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। अब अमल कम करते हैं इतना अन्तर जरूर आया हैं। पर मीटिंग नहीं होती, ऐसा नहीं है। आमदनी के अभाव में माननीय सदस्यों का भत्ता जरूर बन्द कर दिया गया था। पंचायत राज के प्रति जो उपेक्षा वृत्ति है वह अब दूर होगी। नये सिरे से आने वाला कार्यक्रम उत्साह लेकर आवेगा और पंचायतों को अधिकार देगा। पंचायती राज में न्याय पंचायतें अलग थी। उसका थ्री टायर सिस्टम प्रारम्भ करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मन्त्रीजी की तरफ से जवाब आप दे रहे हैं।

श्री दीपंकर : मैं तो प्रशंसा कर रहा हूं कि यह सिस्टम होना चाहिये। पंचायतों में सबसे बड़ी कठिनाई सैक्रेटरी की है। एक एक पंचायत में नहीं, बल्कि दस दस और पन्द्रह-पन्द्रह पंचायतों में एक ही आदमी सेक्रेटरी का काम करता है। ये अलग अलग हों और उनके लिये अलग से कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था हो चाहे पटवारियों को यह ट्रेनिंग दे दें या किसी को, पर निर्धारित रूप से अलग से इसकी हमें व्यवस्था कर देनी चाहिये।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, एक म्यूनिसिपैलिटी से सम्बन्धित है इसके साथ ही कह दूं उस बारे में भी कि बाद में कहूं?

श्री उपाध्यक्ष : बाद मे बिल आवेगा।

श्री दीपंकर: तो मुझे इतना ही कहना है कि व्यास कमेटी की सिफारिशों को आप लागू करेंगे। ऐसी आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई इस पर संशोधन प्रस्ताव तो नहीं है, फिर भी अगर आपकी आज्ञा हो तो पांच ही मिनिट के लिये मैं इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा, विशेष सदन का समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, विकेन्द्रीकरण का जनतन्त्र में बहुत बड़ा महत्व है। यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इसके चुनाव नहीं करा सके हैं। मैं समझता हूं कि इस बारे में सरकार चिन्तित अवश्य है। अगर सरकार चिन्तित नहीं है तो मेरे ख्याल में यह सरकार अपने उत्तरदायित्व को वहन करने वाली नहीं है। अगर आप चुनाव नहीं कराना चाहते थे तो आपको सदन के सामने आकर आश्वासन नहीं देना चाहिये था। अगर आश्वासन दिया तो फिर चुनाव कराने चाहिये थे। आश्वासन देकर बार बार मुकर जाना मेरे ख्याल से, सरकार के लिये एक महान लज्जाजनक स्थिति है। वर्तमान परिस्थिति में जो पंचायतें है, मैं समझता हूं कि यह एक शासनारूढ़ दल के चुनाव जीतने के अड्डे बन गये हैं। अधिकांश सरपंच हैं, वे भी भ्रष्ट हैं। नौ नौ सालो से सरपंच और प्रधान बने हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में, मैं चाहूंगा कि कम से कम लोक सभा के आम-चुनावों से सारे भारत मे और राजस्थान में उसके पहले पंचायतों के चुनाव अवश्य हो जाने चाहिये और मन्त्री महोदय को इस बारे में भी स्पष्टीकरण करके घोषणा कर देनी चाहिये। राजनैतिक दृष्टिकोण से ये पंचायतें निरर्थक साबित हो चुकी हैं इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।

माननीय सदस्य, अभी जो मेरे पूर्व बोल रहे थे, उनकी भावना का एक सीमा तक मैं समर्थन करूंगा मैं समझता हू कि पंचायतों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये, चुनावों को सस्ता बनाना चाहिये और पंचायतों के चुनावो का जो मुझे अनुभव है वह महान् लज्जाजनक है। भेड बकरियों की तरह पकड़कर एक बड़े हाल में कमरे में बन्द कर दिया जाता है, बाड़े में बन्द कर दिया जाता है और भेड बकरियों की ही माफिक फिर उनको लड्डू पूड़ी और जलेबी खिला पिला कर उनसे वोट ले लिये जाते हैं। विरोधी पक्ष के पास तो यह व्यवस्था नहीं है। लेकिन लाखों और करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है। और एक गरीब टैक्स पेयर अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई में से काटकर जो टैक्स के द्वारा एक प्रकार की धरोहर सरकारी खजाने में जमा कराता है उसका इस तरह से दुरुपयोग होता है।

तो राजनैतिक दृष्टिकोण से मेरे ख्याल में यह पंचायती राज का विकेन्द्रीकरण जो है विनाशकरण की स्थिति में पहुंच गया है।

आर्थिक दृष्टिकोण से निवेदन करूंगा, आप तीन वर्ष में 55 करोड़ रुपया व्यय कर चुके हैं इन पंचायतों पर जो एक तरह से आपके चुनावी अड्डे बन गये हैं। इस तरह से एक साल में 18 करोड़ रुपया आप इन पर खर्च करते आ रहे हैं। राजस्थान की आर्थिक स्थिति दिवालियापन की सीमा तक पहुंच चुकी है। इस पर यह 18

Page No 88

(88)

(श्री लक्ष्मण सिंह)

करोड़ की फिजूलखर्ची। आप पंचायतों के द्वारा जो नौ करोड़ की आय की बात कहते हैं वह भी नहीं मिलती, उल्टे 18 करोड़ रुपया प्रति वर्ष उन पर खर्च अलग से करते हैं सरकारी कोष से। पैनी वाइज पाउण्ड फुलिश का इससे बढ़कर और उदाहरण कहां मिलेगा। यह अवास्तविक स्थिति है इस पर गम्भीरतापूर्वक आपको विचार करना चाहिये।

अभी आपके पास समय है, व्यास कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक कन्सोलिडेटेड बिल बनाकर लाइये सदन में। इस पर फिर यहां खुलकर चर्चा हो और फिर पंचायती राज बिल पास करायें। नया एक्ट जब भी आवे, मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि उसमें डिलिमिटेशन के सम्बन्ध में भी, चुनावों को सस्ता बनाने के सम्बन्ध में भी विचार करें। दस वर्ष पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि विधायकों का निर्वाचन क्षेत्र और पंचायत समिति का क्षेत्र समानान्तर होना चाहिये ताकि विकेन्द्रीकरण को सार्थक बनाया जा सके, सुन्दर प्रशासनिक ढंग से ढाला जा सके। अगर सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करेगी, तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि न्याय पंचायतों को अगर आप ग्राम पंचायतों के साथ मिला देंगे तो विरोधी पक्ष के प्रभाव में ये अनियमितताओं की पराकाष्ठा तक पहुंच जावेंगी और हर तरह से शासनारूढ़ दल को तो बल मिलेगा, इस में शक नहीं, पर न्याय पंचायतों को ग्राम पंचायतों में और विकास पंचायतों में मिलाने से इतना होच पोच हो जायेगा कि कोई न्याय नहीं होगा। अन्याय होगा और जैसा मैंने कहा था कि यह विकेन्द्रीयकरण न होकर विनाशकरण हो जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तीन टायर सिस्टम भी महंगा होगा इस पर भी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दें। व्यास कमेटी की सिफारिशों के सम्बन्ध में विधायकों से भी राय लें। इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि अगर यह दो टायर सिस्टम कायम किया जावे तो काम ठीक होगा। कम खर्चा होगा और दो टायर सिस्टम में जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा प्रधान का डाइरेक्ट चुनाव भी हो सकता है। तो यह भेड़ बकरियों की तरह की व्यवस्था, उनकी तरह से इकट्ठा करना, बन्द करना एक बाड़े में और वहां खिलाना-पिलाना इस कोटा-परमिट लाइसेन्स के दिनों में आज जब लोगों को खाने को दाना नहीं मिलता, गेहूं नहीं मिलता, आप किस तरह से करना चाहेंगे। आप यह सब करना चाहें तो कानून आप पर लागू नहीं होता, आप जो चाहें कर सकते हैं। चाहे जितना गेहूं दिला दें, शक्कर दिला दें, घी दिला दें और उनको खूब खिला-पिला कर राजी करके वोट ले सकते हैं। मेरे ख्याल में महान घृणास्पद पद्धति है, जनतन्त्र का मखौल है, उसकी अवहेलना है।

इतना ही मुझे निवेदन करना है। मैं आशा करता हूं कि कन्सोलिडेटेड बिल जब यहां लाया जावे उस समय इन सब बातों पर विचार किया जावे और मन्त्री महोदय अभी से यह घोषणा करें कि कम से कम जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा को कायम करने के लिये लोकसभा के आम चुनावों से पहले पहले कम कीमत पर पंचायतों के चुनाव होंगे

(श्री लक्ष्मणसिंह)

और चुनावों से पूर्व एक कन्सोलिडेटेड बिल यहां आवेगा व्यास कमेटी की सिफारिशों को शामिल करके। अगर उप चुनाव विधान सभा के आपके सामने हों तो इस बिल को पारित करने के लिये विधान सभा का स्पेशल अधिवेशन इन उप चुनावों के बाद बुला कर इसे पारित करिये। इतना ही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, लोकतंत्र विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में कई सुझाव सदन के माननीय सदस्यों ने भी दिये और मेरे ही नामराशि श्री गिरधारीलाल जी व्यास ने जो एक कमेटी की रिपोर्ट दी है उसमें महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं समझता हूं सबसे प्रथम जो गिरधारीलाल व्यासकमेटी ने सुझाव दिये हैं, उस सम्बन्ध में सदस्यों को विश्वास में लिया जाय। सदन में खुले रूप से विचार हो तो मैं समझता हूं पंचायत राज का जिस प्रकार का ढांचा होना चाहिये, उस पर यहां विचार होना परम आवश्यक है। जो अभी माननीय मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, पहले वाले आर्डिनेन्स के बारे में वैसे ही दिया जो भूतपूर्व मंत्री जी श्री जोशी जी ने कहा था मैं अपने आपको सक्षम नहीं मानता कि कुछ कह सकूं और यह मामला केबिनेट में रखूंगा क्योंकि बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। यह बात उन्होंने कही थी और वही बात आपने कह दी। आपने बता दिया मैं तो गरीब मिनिस्टर हूं। मैं समझता हूं इस प्रकार अपने आपको कमजोर नहीं मानना चाहिये। आप यह घोषणा करते कि अब के चुनाव नहीं होंगे तो अगली बार सदन में नहीं आऊंगा। आप भी इसी प्रकार की कोई जोरदार घोषणा करें इसलिये मैं कहना चाहता हूं अपने आपको कमजोर नहीं मानें।

सबसे पहले जो गिरधारी लाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट दी है उस पर विचार होना चाहिये। आपने कहा टू टायर सिस्टम, थ्री टायर सिस्टम हो। मैं निवेदन करूं आज पंचायतों के मार्फत कोई विकास नहीं हो रहा है। पंचायतों को सबसे ज्यादा सक्षम बनाना चाहिये था और ये सब बातें मेहता कमेटी की रिपोर्ट में भी हैं, व्यास कमेटी की रिपोर्ट में भी हैं, अन्य रिपोर्टों में भी हैं। मेरा निवेदन है यदि देश में लोकतन्त्र को मजबूत करना है तो पंचायतों को शक्तिशाली बनायें लेकिन आज पंचायतों को शक्तिशाली नहीं बनाया जा रहा है। पंचायतों को नोटिसेज आपके दफ्तर से निकलते हैं चाहे विकास के बारे में हों, चाहे खाद-बीज वितरण के बारे में हों। और पंचायतों का जो पहला काम था, मैं समझता हूं वह भी आज नहीं रहा। पंचायत जो हैं न किसी अध्यापक को रख सकती हैं, न किसी अध्यापक की छुट्टी मंजूर कर सकती हैं, न ट्रान्सफर करवा सकती हैं। अगर किसी अध्यापक को नौकरी रखना है, अगर किसी अध्यापक की छुट्टी मंजूर करनी है या ट्रान्सफर करना है तो वह करेगा विकास अधिकारी फिर मैं समझता हूं पंचायत राज जिसको आप कहने जा रहे हो, पंचायतें सक्षम नहीं हैं। पंचायत राज सरकार से पैसा आयेगा तो वोट देगा और सरकार से पैसा नहीं आया तो बैठा रहेगा। इस बात को स्वयं मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है-पंचायतें पार्ट टाइम नौकर रख लें

Page No 90

(90)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

तो उसका वेतन नहीं चुका सकती हैं। उनको नौकर भली प्रकार नहीं मिल रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा और आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा, पंचायत समिति के पास, पहले लोग कहते थे बहुत काम है, पर अब काम नहीं रहा पहले पंचायत समितियां स्टेंडिंग कमेटीज बनाकर कर्ज दिया करती थीं। लोग आकर पंचायतों में कहा करते थे, मुझे कर्जा दे दो, मुझे बीज लाना है, मुझे खाद लाना है, मुझे डोली बनवानी है लेकिन वह भी अब नहीं रहा। अब अगर किसी को कर्जा लेना है तो वह भूमि बन्धक बैंकों के पास जाता है। भूमि विकास बैंक उसको कर्जा देता है। पंचायत समितियों के लोग दफ्तरों में बैठे रहते हैं। बीज और खाद देने का काम था वह भी सहकारी समितियों के मार्फत हो जाता है। औजार, ट्रैक्टर देने का काम भी आज नहीं रहा, वह काम भी कृषि उद्योग निगम कर रहा है। पंचायत समितियां कोरे कागज उलट पलट करने की संस्था रह गई हैं।

वह लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का दीप निश्चितरूप से जो नागौर में जलाया गया था वह आज बुझ गया। आज सरपंच और पंच जो कांग्रेस की सरकार के हैं वह खुल्लम-खुल्ला कहते हैं सरकार हमको हटा नहीं सकती और चुनाव नहीं करा सकती है। और यह प्रत्यक्ष भी है, क्योंकि आपमें कमजोरी है और आप इसलिए नहीं कराते हैं कि वे लोग आपको वोट देते हैं, वे लोग आपको चुनाव में जिताकर लाते हैं। अगर आप चुनाव करा देते हैं तो निश्चितरूप से आगामी चुनावों में वे आपको खाट खड़ी कर देंगे, आप किसी प्रकार भी जीत कर नहीं आ सकते हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं वर्तमान में कांग्रेस का जो प्रशासन है, जिनके हाथ में नौका है, आज करा लें, कल करा लें—एक साल बढ़ा दें, दो साल बढ़ा दें, 77 भी आ जायेगा क्योंकि इनकी पाकेट भरने वाले, इनकी दलाली करने वाले, इनको रैसों से मोहित करने वाले, अध्यापकों से काम करवाने वाले, इनके बच्चों को खिलाने वाले पंच और सर पंच बैठे हैं। वे कभी भी चुनाव नहीं होने देंगे।

पंचायत समितियों में आज जीप का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। मैंने पिछली बार कहा था इन पंचायत समितियों को भंग कर के जो जीपें इनके पास हैं, जिनमें पेट्रोल का भारी दुरुपयोग होता है जिन जीपों में सीमेंट ढ़ोई जाती है, जिन जीपों में आलू लाये जाते हैं, अन्य सामान जिनमें लाया जाता है, उनको तत्काल वापिस ले लें। आज बहुत सारे बेरोजगार इंजीनियर्स हैं जो विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं।

(माननीय सदस्य दीपंकर के व्यवधान करने पर अश्रव्य) इंजीनियर्स का उपयोग होता नहीं

श्री दीपंकर : तहसीलदारों के पास जीप .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उससे भयंकर रूप से नुकसान होगा। इसलिए मैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

निवेदन करूंगा पंचायत, पंचायत समितियों की जो आज हालत है वह बराबर गिरती जा रही है। अब प्रश्न रहा कई स्थानों पर पंच और सरपंच नहीं हैं, उनके स्थान खाली पड़े हैं। अब आपके पास प्रावधान है कि 6 महीने के लिए मिनिस्टर बना सकते हैं। माननीय नाहर साहब को बना सकते हैं, वाहर जो चुनाव हार गये उनको आप बना सकते हैं तो उसी तरह 6 महीनों के लिये पंच और सरपंच मुकर्रर कर दिया लेकिन कई महीने हो गये उनका चुनाव होना चाहिये, वह नहीं हुआ। 6 महीने के लिए नोमीनेट किया था लेकिन आज उनको 10-10 साल हो गये। इसलिये अब मेरा निवेदन है 10 साल और चुनाव नहीं करवायें तो आपको एक चुनाव और जिता लायेंगे। आप उनकी बदौलत एक चुनाव और जीत जायेंगे इसलिए एक सेन्चुरी तक चुनाव और नहीं करवायें तो अच्छा रहेगा, आपके हक में रहेगा। इसमें आपका भला है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सेन्चुरी तो 100 वर्ष की होती है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप 10 वर्ष की और मना लें तब तक एक चुनाव और जीत कर आ जायेंगे, आपको चुनाव में आसानी रहेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, श्री गिरधारीलाल व्यास ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है, थ्री टायर सिस्टम हो— एक पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्। पंचायत समितियां किसी प्रकार काम नहीं कर रही हैं, न कर्ज का काम है, न बीज और खाद का काम है इसलिये भंग कर दें और गिरधारी लाल व्यास ने जो थ्री टायर की घोषणा की है, मैं अपनी ओर से टू टायर सिस्टम सबसे शक्तिशाली मानता हूं जिसमें आपको जनसहयोग भी मिलेगा; आफिसर्स का भी सहयोग मिलेगा। ग्रामों में न्याय कर सकें तभी वास्तविक रूप से लोकतन्त्र का दीप उस गांव की झोंपड़ी तक जलेगा।

पंचायत समितियों को भंग कर दें, जिला परिषद् रखें, पंचायत समिति मिटा दें इस प्रकार मेरा निवेदन है और मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा, आप वर्तमान में चुनाव करवायेंगे न ? जब म्यूनिसिपैलिटी का टर्म भंग होता है तो आप एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देते हैं। पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् की टर्म न बढ़ायें नहीं तो आप पाताल में पहुंचने वाले हैं। फिर आप उसे फेंकना चाहेंगे तो भी नहीं फिकेगी। टर्म नहीं बढ़ाकर उनको भंग करके यदि एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दें तो उनका सदुपयोग होगा। जीपें उनसे वापिस ले लें। जीपों को किसी अच्छे काम में लगायेंगे तो अच्छा होगा लेकिन आपकी कथनी और करनी में फर्क है। जिस प्रकार मिनिस्टर अपनी कारों का दुरुपयोग करते हैं उसी प्रकार पंचायतों में जीपों का दुरुपयोग होता है। पेट्रोल की आज देश में बहुत कमी है, उससे पेट्रोल का दुरुपयोग भी रुकेगा। आज लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत नहीं हो रही हैं, मैं समझता हूं, लोकतन्त्र की पाताल लोक में पहुंचकर हत्या हो रही है। इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों का साइज कितना बढ़े इसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा क्योंकि जनसंख्या बढ़ गयी है। एक तहसील में एक ही पंचायत समिति का अधिकार हो, दो पंचायतें नहीं टकरा जायें इस सम्बन्ध में भी

Page No 92

(92)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

विचार करना पड़ेगा और फिर इसके बाद कम्पोजीशन श्राफ पंचायत क्या हो। श्रापने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति और महिला के लिए दो, दो और एक इस तरह से 5 ले लिये। 2 अनुसूचित जाति के, 2 अनुसूचित जन जाति के और 1 महिला को ले लिया। उनका पूरा सहयोग नहीं मिलता। क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वह जो चाहेगी वह करेगी। जिस प्रकार राज्य विधान सभा में, लोक सभा में आपने सीटें अलग से इनके लिए बनाई हैं उसी प्रकार से सीटें वहां पर उसी आधार पर मुकर्रर करवा दें और जहां तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व का सवाल है उनको यदि को-आप्शन में लेते हैं तो उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। आप उनको लें। इसके बाद में जो एसोसियेट मेम्बर्स हैं जो बैंक के अधिकारी हैं, और दूसरे अधिकारी हैं आप इनको पंचायत और पंचायत समितियों में लें और उनको केवल वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से पंच, सरपंच होंगे वह एक्स-ओफिशियो मेम्बर्स हो जायें। पंचायत समिति की यह भी गलत बात है। वह प्रधान भी बन जायेगा। आखिरकार दो स्थानों पर भलो प्रकार से काम नहीं चला सकता इसलिए आप एक कान्स्टीटुएन्सी बढ़ा दें। यह मेरा कम्पोजीशन आफ पंचायत समिति के बारे में कहना है।

इसी प्रकार से जिला परिषद के बारे में भी जिन एम.एल.ए. को अधिकार दिया, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और महिलाओं के लिए को-आप्शन देकर लोगों को यसमैनशिप के आधार पर रखना चाहते हैं वह नहीं होना चाहिए।

अन्त में, मैं यही कहना चाहूंगा कि पंच, सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान, प्रमुख और उप-प्रमुख की प्रणाली के बारे में व्यास कमेटी ने कहा है कि सब के सीधे चुनाव हों। तो यह जो जटिल प्रणाली व्यास कमेटी ने सजेस्ट की है इसका अर्थ यह होगा कि सारी ही बातें सीधे चुनाव से होने लग गयीं तो यह प्रणाली जटिल प्रणाली हो जायेगी और जो गरीब गांव का व्यक्ति है वह चुनाव में भाग नहीं लेगा, यदि समिति की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों मान लिया तो। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि यह खर्चीली प्रणाली नहीं हो जाये कि गरीब चुनाव नहीं लड़ सकें। इसलिए इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है कि व्यास कमेटी ने रिपोर्ट दी है उस पर सदन में विस्तृतरूप से विचार किया जाना चाहिए और जो जनमत जानने का प्रस्ताव रखा है कि एक महीने के लिए आप जनमत जागरण करने के लिए गांवों में इसको घुमायें कि पंचायतों के चुनाव किस प्रकार से कराने चाहिए, आप इस विधेयक को प्रसारित करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। वरना एक साल का समय और बढ़वाया है यह लोकतन्त्र की हत्या कर रहे हैं और पंचायतों के जो लिए जो बेईमान लोग कहते फिरते हैं कि यह कांग्रेस की सरकार चुनाव नहीं करा सकती, हमारी दादागिरी है और हम लोग राज्य करेंगे आप उनको प्रोत्साहन देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था और

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

उसका तमाम राजनैतिक दलों ने स्वागत किया। इससे जनता में एक जागृति पैदा हुई, चुनाव हुए और चुनावों के बाद अब जो यह हर साल चुनावों को टाला जा रहा है और वह लोग जो कि अब तमाम पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेशन में दखीर हैं उनका निजी स्वार्थ ऐसी नौबत पर पहुंच गया है कि वह जिस तरह से चाहते हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपने इस बात के वायदे किये कि हम जल्द से जल्द चुनाव करा देंगे और यह सिलसिला एक बार नहीं अनेक बार इस सदन में उठा और आपके उन वायदों के बावजूद जो पंचायतें पहले थीं वह अभी भी वैसी की वैसी ही काम कर रही है जिसके फलस्वरूप आज जितनी जनता है वह बहुत व्याकुल है, उसे बहुत परेशानी है। इसलिए कि एक अरसे के बाद वह हावी हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और रिश्वतखोरी और इस किस्म की बुराइयां उनमें आ जाती हैं। तो उनका जितना खमियाजा भुगतना पड़ता है वह जनता को भुगतना पड़ता है जो कि विकेन्द्रीकरण को चाहती थी। आपने ऐसे हालात पैदा कर दिये कि आज लोग यह कहने लग गए कि यह चुनाव नहीं हुए तो हमको पंच और सरपंच बरबाद कर देंगे। बहुत सी मिसालें ऐसी हैं कि राज्य की सम्पत्ति पंचायतों द्वारा समाप्त की जा रही है और आप उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकते इसलिए कि जो सरपंच और इसी तरह के लोग हैं वह राज्य की जमीनें बेच रहे हैं, रिश्वत खाते हैं और बड़ी से बड़ी जितनी भी खराबियां हो सकती हैं वह आज पैदा हो चुकी हैं। इसलिए आपने जो एक साल की मियाद बढ़ाने की बात की है हम इसका घोर विरोध

(2.37 म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति पदासीन)

करते हैं। हमारा अर्ज करना यह है कि आपका यह कहना कि पंचायतों के चुनाव 1970 के बाद इसलिए नहीं हो सके कि असेम्बली के चुनाव आ गए, कभी कहते हैं कि साया आपके सिर पर मंडरा रही थी और कभी बारिश की ज़्यादती आपको परेशान कर रही थी। अब इतना बड़ा राजस्थान का सूबा है इसमें कोई न कोई कठिनाइयां आती ही रहेंगी और आप उसको ही चुनाव टालने का आधार बनाते हैं तो एक बार निर्णय कर लें कि चुनाव बिलकुल नहीं किये जायेंगे इसलिए कि आप जो नुमाइशी विधेयक लाते हैं और उसको हरसाल पास कराते हैं वह सिलसिला तो खत्म हो जाये और सदन का जो समय जाया होता है वह भी खतम हो जाये। मेरा सुझाव है कि आप इस मसले पर यह बतायें कि किस वक्त तक चुनाव करायेंगे?

इसके अतिरिक्त चुनाव प्रणाली में गड़बड़ियां हैं। और आपने जो व्यास कमेटी मुकर्रर की थी उसकी सिफारिशों का अध्ययन किया गया। हमने उसके बारे में कहा कि उसको तफसील के साथ सदन में रखा जाये और उस पर बहस की जाये और जो उसमें सही सही मुद्दे हैं उनको लागू करने के लिए जल्द से जल्द कोशिश की जाये। लेकिन आज तक वह व्यास कमेटी की रिपोर्ट भी एक कोने में पड़ी हुई है और उसमें जो मूलभूत आधार और जो परिवर्तन सजेस्ट किये हैं उनके बारे में भी आज तक राज्य सरकार ने कोई राय नहीं बनाई। मसलन उन्होंने यह सजेस्ट किया है कि जो प्रणाली में ज्यादा खर्चा होता है उसको कम किया जाये,

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

चुनाव की प्रथा में कुछ तब्दीलियां लाई जायें, डाइरेक्ट चुनाव कराये जायें। इस तरह के बहुत से सुझाव व्यास कमेटी की रिपोर्ट में हैं। तो हमारा यह कहना है कि आप इस मियाद के बढ़ाने के सिलसिले को खत्म करें और इसकी घोषणा करें कि चुनाव आप कब तक करा देंगे।

उसके पहले आपको यह करना चाहिए कि जो व्यास कमेटी की सिफारिशात हैं उन सिफारिशात में ऐसी सिफारिशात है कि हम चुनाव निष्पक्ष बना सकते हैं, इम्पारशल बना सकते हैं उनको हमको तुरन्त अपनाना चाहिए। हमको ऐसे आधार बनाने चाहिएं कि लोगों में पंचायतों के लिए विश्वास पैदा हो, ऐतबार पैदा हो और ऐसी प्रथायें और ऐसे सिस्टम, जिनकी वजह से लोगों पर पैसे का भार पड़ता है और छोटे आदमी बड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते को भी खत्म करना चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं वे अगर चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं और लेते हैं एवचुअली तो उनको सब से बड़ी जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह उनकी माली मुश्किलात है, फाइनेंशियल बर्डन होता है, माली बोझ होता है जिसकी वजह से वे चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको इन लोगों के इन्टरेस्ट को पेशे नजर रखते हुए यह कोशिश करनी चाहिए कि जो व्यास कमेटी की सिफारिशात हैं, उनका अध्ययन करके कोई बिल इस दरमियान आप लावें और उस बिल पर खासतौर से तीन, चार, पांच, छः सात रोज तक डिबेट करके उसके बाद उसको पारित करें और इस साल में आप कोशिश करें कि आगे से इसकी मियाद बढ़ाने की बात नहीं कहेंगे बल्कि इस बात की कोशिश करें इन सिफारिशात के आधार पर कि जो लोगों की तकलीफात है उनसे लोगों को राहत मिले, जिनसे पंचायतों की स्थिति सुदृढ़ हो और जिनसे ब्यूरोक्रेसी की ताकत में कमी हो। हालत यह है कि आज पंचायतों में राज्य सरकार के अधिकारी इतना प्रभावशाली रोल अदा करते हैं कि विकेन्द्रीकरण का जो मकसद था वह भी खत्म हो जाता है। चाहे तहसीलदार हो और चाहे कोई अधिकारी हो उनकी गड़बड़ इतनी काफी है कि विकेन्द्रीकरण का जो उद्देश्य है वह समाप्त हो जाता है। एक तरफ तो पंचायत के लोग रिश्वतखोरी करें और इसके साथ साथ उनको प्रोत्साहन मिले इन रिश्वतखोर आफिशियल्स से, यह जो तालमेल है इस तालमेल ने ग्राम की जिन्दगी को बड़े खतरे में डाल दिया है। उनकी आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी हैं। इसलिए हम यह चाहेंगे कि आप अगर आज यह घोषणा करते हैं कि कब तक आप चुनाव करा देते हैं तो हम आपको धन्यवाद देंगे। पहले भी मिनिस्टर साहब ने इस प्रकार की घोषणा की थी, पर हमको महसूस होता है कि किसी न किसी प्रकार के बहाने से इन चुनावों को टाला जाता है। अब इसकी सीमाएं खत्म होनी चाहिए, कुछ हद होनी चाहिए हर चीज की, आप इन चुनावों को कब तक टालते रहेंगे ? इसलिए मेरा सुझाव है, सभापति महोदय, कि आप मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी व्यास कमेटी की सिफारिशात का अध्ययन कर एक कंसोलिडेटेड, एक अच्छा सा बिल पेश करें और उसको पारित करा कर उसके आधार पर नए चुनाव जल्द से जल्द करवायें, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, यह जो पंचायत चुनावों के सम्बन्ध में ··

श्री नत्थासिंह : सभापतिजी, हम को भी टाइम मिलेगा ?

श्री केशरीमल : चर्चा चल रही है। मेरा निवेदन करना है यह पंचायतों की व्यवस्था करने के पीछे जो विचार था, वे चाहते थे कि गांवों में इस तरह से कुछ आपस में बैठ कर, मिल बैठ कर कुछ बात चीत करें और गांवों में इस तरह से योजना वगैरा बने वह आपस में चर्चा करके बनायें और इस तरह की व्यवस्था हो जिससे उनको शहरों में और बड़ी बड़ी जगहों पर भागना न पड़े और स्थानीय मसले स्थानीय जगहों पर ही निपटा लें। यह इसके पीछे बड़ा अच्छा उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को लेकर यह ग्राम पंचायतें बनाईं लेकिन इन ग्राम पंचायतों के बनने के बाद इसका उद्देश्य नष्ट कर दिया गया। लोगों को यह अधिकार दिए गए कि अपने अपने आदमी चुन लें ताकि कुछ लोगों को अवसर मिले लेकिन उनको चुनने के बाद उनको तब्दील कर सकें इस प्रकार की कोई व्यवस्था हमारे विधान में नहीं है कि कोई पंच, सरपंच अथवा कोई भी सदस्य इस तरह का गलत काम करे तो उसको वापिस बुला लें, यह हमारे विधान में नहीं हैं और इसलिए सब कुछ चल रहा है। आठ दस साल से चुनाव नहीं होने से आदमी गड़बड़ियां कर रहे हैं और वे गड़बड़ियां चल रही हैं। इन चुनावों को किसी न किसी बहाने से टाले जा रहे हैं। लगता ऐसा है कि जो घटनाएं हमारे देश में घटती हैं उनसे राज्य सरकार भी डर जाती है। कभी इस तरह का अंदेशा भी देखने को मिलता है कि हमारे चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, ऐसा भी विचार होता है। गत वर्ष घोषणा की गई थी कि अब समय बढ़ाने का मौका नहीं आएगा लेकिन हम देख रहे हैं कि वह मौका आगया है और चुनाव नहीं कराए गए। चुनाव क्यों नहीं कराए, इसमें भी कई कारण हैं। जो हालात हमारे प्रान्त और देश के अन्दर बन रहे हैं, भाव लगातार बढ़े हैं इनका असर हमारे चुनावों पर पड़ेगा इसका अंदेशा रहता है। सरकार जानती है कि अगर चुनाव हुए तो चुनावों में निश्चिततौर से जनता कुछ और जवाब देगी, कुछ और फैसले करेगी और इसलिए यह चुनाव टाले जा रहे हैं। बहाने हमारी राज्य सरकार कुछ भी बनाए, वह कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। कभी कहते हैं कि चुनाव आ गए। चुनाव तो हमेशा आयेंगे, चाहे राज्य सभा के हों, चाहे लोक सभा और विधान सभा के हों। कभी कहते हैं कि अकाल पड़ गया तो हमारा प्रांत ही ऐसा है जिसमें कभी न कभी कहीं अकाल और कहीं अतिवृष्टि तो होंगे ही। तो यह अच्छा, बहुत अच्छा बहाना है और इस बहाने से लगातार कब तक आप टाले जायेंगे। इस बहाने से आप चुनाव टाल सकते हैं। निश्चिततौर से इस साल अतिवृष्टि हो गई और गत वर्ष अकाल हो गया। आए दिन शायद कहीं पानी वानी कम हो गया तो मेरे कहने का मतलब है कि राज्य सरकार ने ऐसी स्थिति का निर्माण कर दिया है, लोगों के दिमागों में यह बात बैठा दी है कि जो पंच, सरपंच बैठ गए हैं, जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जो जम कर बैठे हैं, उनको हटाने वाला कोई नहीं है। सरकार भी उनको हटाना नहीं चाहती है क्योंकि हटा देते हैं तो हो

(96)

(श्री केशरीमल)

सकता है कि ऐसे मामले सामने आयें, नए चुनावों के बाद कई पंचायतों में ऐसे मामले उभर कर सामने आयेंगे कि जो शायद लोगों को समझ में आवें कि कैसे दबाव पड़ा है। निश्चिततौर से चुनाव हुए तो यह दबे हुए मामले उभर कर सामने आयेंगे, इसलिए चुनाव नहीं कराते। चुनाव नहीं कराने से लोगों के दिमागों में, उनके दिलों में यह भावना भर गई है कि सरकार प्रजातन्त्र के विरुद्ध कार्य कर रही है। प्रजातन्त्र की केवल बात तो करती है लेकिन प्रजातन्त्र के विरुद्ध कार्य कर रही है। अगर सरकार प्रजातन्त्र चाहती तो निश्चितरूप से चुनाव कराती। लेकिन क्यों चुनाव नहीं कराये, क्यों बारबार टाले जाते है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, कहने के लिये कहते तो जरूर हैं कि चुनाव करायेंगे लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया कई दफा डर के मारे चुनाव नहीं कराते। इस दफा भी ऐसी स्थिति थी। लेवी का मसला था जिसका लोगों ने विरोध किया। हमारी तो राय है कि छोटे किसानों को छोड़ कर बाकी लोगों से लेवी ली जाय, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे चुनाव नहीं कराते।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा इन पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं हैं, उनके पास आमदनी का जरिया नहीं है, सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी कि वे कुछ काम कर सकें। वे सीमित दायरे में ही कार्य कर सकती है। ज्यादातर अध्यापकों की तनख्वाह बांट देने या मामूली कार्य करने के अलावा सरकार ने उनके पास कोई काम नहीं दे रखा है। अगर कोई छोटा मोटा काम करना भी होगा तो इन पंचायतों के पास नए कामों को करने के लिए, ग्राम के विकास के लिए कोई साधन नहीं है और अगर सरकार ने कभी माना है कि इन पंचायतों को अपने साधन जुटाने की व्यवस्था की जाय तो मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं कि जो पंचायतों के तालाब है, इन तालाबों से होने वाली आय, इन तालाबों से मिलने वाला राजस्व इन पंचायतों को मिलना चाहिये और सरकार ने भी माना है, सरकार का निर्णय है। माननीय सभापति महोदय, यह निर्णय हो जाने के बाद वर्ष हो गए लेकिन यह पैसा इन पंचायतों को नहीं दिया गया है। अगर यह पैसा इनको दिया जाय तो यह निश्चितरूप से थोड़ा बहुत काम कर सकती है। इसलिए चुनाव तो जरूर होने ही चाहियें लेकिन पंचायतों के कामों की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि वे कुछ काम कर सकें। कहा यह जाता है कि ये पंचायतें कुछ ऐसे काम करेंगी जिनसे पंचायतों का उपयोग हो, उनका काम चले लेकिन अनुभव में ऐसा आता है कि या तो इस तरह से लोग वहां पर रखेंगे कि जिनसे आपसी टंटे होंगे, या जितने भी अधिकारी बैठे हैं वे भी पैसे पर धुंआ लगाने के सिवाय, जीप का धुंआ उड़ाने के सिवाय कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि पंचायतों को निश्चितरूप से कुछ अधिकार मिलें, उनकी आमदनी का रास्ता बढ़े जिससे कुछ काम कर सकें। इन पंचायतों को इतना मजबूत बनाया जाय कि जितनी हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे स्थानीय मसलें हैं वे पंचायतों के जरिये निपटें। व्यास कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों पर मनन कर अमल किया जाय जिससे उनको यह महसूस हो कि सरकार हमारे लिए कुछ करने जा रही है और जो

(श्री केशरीमल)

कमेटी ने सिफारिशें की हैं उन पर अमल करने जा रही है। नहीं तो कई दफा यह चुनावों में देखा गया है कि पंच सरपंच मारे-मारे फिरते हैं। कई मेम्बरों के और मिनिस्टरों के पीछे मारे-मारे फिरते हैं कि कोई आजाय तो उसके गले में माला डालें और हमारा काम हो जाय। मैंने कई दफा देखा है। मैंने उनसे कहा भी कि इस तरह से हाथ जोड़ने से और माला पहनाने से काम नहीं होने वाला है। मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, कि यह जो राज्य सरकार का काम है एक पंच जिसकी कुछ हैसियत होती है, उस इलाके के लिए कुछ काम के लिए कहता है परन्तु राज्य सरकार उसको नहीं मानती है। वह काम नहीं होता है। उसका होता है जो उस इलाके की गुटबन्दी, दलबन्दी से जुड़ा हुआ है। सांठ-गांठ होती है या अधिकारियों को खाने पीने का कोई रास्ता मिला होता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये पंचायतें इस तरह की हों, इनका ढांचा इस तरह का हो कि उनको कुछ अधिकार हों जिसके जरिये वे खुद काम करवा सकें। जो बात वे कहें उसमें वजन हो। इस तरह की कोई योजना सरकार को सोचनी चाहिये। आज हमारी सरकार और उसके अधिकारीगण यहां पर बैठकर योजनाएं बनाते हैं। वे गलत होती हैं। गांव के लोगों की अपनी खुद की कुछ समस्याएं हैं। उनकी बातों पर विचार नहीं होता है। उनको कोई नहीं सुनता है और अपनी तरफ से ही योजना बना कर भेज देते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आज फायदा नहीं हो रहा है। माननीय सभापति जी, मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार को कि इस तरह से यह पंचायतों के अन्दर जो बिलकुल अव्यवस्था फैली हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। यह अविश्वास-सा बन गया है, पैदा हो गया है, चुनाव नहीं होंगे। चुनाव नहीं होने के हालात का निर्माण हो रहा है। बारबार चुनाव कराने के लिये यहां पर कहा जाता है। यह सरकार की खुद की कमजोरी है। उसको चाहिये था कि निश्चित समय पर चुनाव कराती। अब क्या भरोसा है कि आप चुनाव करा देंगे। यह वायदा तो रोज ही करते हैं। हम नहीं समझते हैं कि यह वायदा आप पूरा करेंगे। आप वायदा नहीं निभाते हैं। एक साल बाद क्या आप चुनाव करा देंगे? उसके बाद आप यह कह सकते हैं कि पार्लियामेन्ट के चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद विधान सभा के चुनाव होंगे। तो मेरा निवेदन है कि इसको भी किसी चुनाव के साथ जोड़ दें तो अच्छा होगा। पंचायतों के चुनाव असेम्बली के चुनाव के साथ या पार्लियामेंट के चुनावों के साथ जोड़ दीजिये तो आपको भी फायदा होगा। आपको नीचे के वोट लेने के लिये सुविधा होगी। चाहे ये चुनाव पांच साल के लिये हों, विधान सभा के चुनावों के साथ रख लीजिये। इसका पूरा फायदा आपको मिल जायेगा। गांव वालों को अपना काम खुद करने और अपनी बात कहने का हमने अधिकार दिया है तो उस अधिकार को आप उनसे छीनिये मत। उनको भ्रष्ट मत करिये और यह कीजिये कि आप चुनाव तुरन्त करवा दीजिये। परन्तु बार बार यह होता है कि अवधि बढ़ा देते हैं। इसका सख्त विरोध भी हुआ है। इसलिये यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को अब और लम्बा न टाला जाये।

श्री सभापति : श्री गुमानमल लोढ़ा.

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान पंचायत विधियां संशोधन विधेयक ...... ।

श्री नत्थासिंह : सभापति महोदय, आप उधर के पक्ष वालों को ही बोलने का अवसर दे रहे हैं। हमें भी अवसर मिलना चाहिये।

श्री सभापति : जिनके संशोधन हैं वे ही बोलेंगे। अभी कोई जनरल डिबेट नहीं है। थर्ड रीडिंग में बोल लेना।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 के द्वारा आज हमें यह कहा जा रहा है कि पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदें, इनका कार्यकाल फिर से बढ़ाने के लिये एक वर्ष का प्रावधान इस कानून में कर दिया जाये। सभापति महोदय, इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण और लज्जास्पद बात और क्या हो सकती है। इस सदन के प्रांगण में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यहां पर यह कहा था और उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में यह कहा था, उतनी ही गैरजिम्मेदारी के साथ में आज उस कथन को ठुकराना चाहते हैं। उन्होंने यह कहा कि पंचायतों की अवधि के बारे में बार बार समय बढ़ाने के लिये सदन में निवेदन किया गया है लेकिन इस बार मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले सत्र के पहले पहले चुनाव करा दिये जायेंगे और मैं इस सदन में आकर के चुनाव कराने के लिये फिर से अवधि बढ़ाई जाये, इस बात की मांग नहीं करूंगा। वे यहां नहीं हैं--लेकिन कलेक्टिव रेस्पान्सिबिलिटी है और जिम्मेदारी उनकी है। हमारे जो मंत्री रामनारायणजी हैं, उनको सामने कर के उनकी दुर्गति इस सदन के अन्दर करवाना उनके लिये शोभनीय नहीं है, मुख्य मंत्री के लिये शोभनीय नहीं है। साहस हो तो उनको आना चाहिये और आकर के उनको कहना चाहिये था कि जिस पवित्र सदन के अन्दर अनईक्वीवोकल कमिटमेन्ट उन्होंने दिया था, उस कमिटमेन्ट के बेसिस के ऊपर, इस कमिटमेन्ट को ब्रीच करने पर, वाइलेट करने पर प्रिविलेज का इश्यु उठाया जा सकता है। मुख्य मंत्री को चाहिये था कि वे यहां आकर सदन को आश्वस्त करते कि वे विशेष कारण क्या हो गये जिन कारणों से वे अपने कमिटमेन्ट से हटने का प्रयास कर रहे हैं। सभापति महोदय, स्थिति यह है वास्तव में कि आज लगातार जितने भी बहाने बनाये गये वे सब के सब झूठे हैं, लेम एक्स्कूज हैं। एक तो यह कहा गया भारत पाक संघर्ष हो गया। फिर यह कहा गया कि बंगला देश के साथ संघर्ष हो गया। फिर यह कहा गया कि राजस्थान में अकाल और बाढ़ है और फिर विधान सभा के चुनाव आ गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जो मन्त्री महोदय आज यहां पर बिराजमान हैं, वे इस कमेटी के सदस्य थे, जो गिरधारी लाल व्यास कमेटी के नाम से पुकारी जाती है, जिसकी रिपोर्ट को पैदा होने के साथ ही दफना दिया गया। उसमें जो लिखा है उसकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हो सकता है कि शायद उनको सेकेंड थाट देने के लिये, वाइजर सेन्स प्रिवेल हो जाये। उन्होंने यह लिखा है चेप्टर तीन में, 3.1 पर...

"While various reasons have been advanced for postponing

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

in the past the elections to the various Panchayati Raj bodies, these reasons have failed to carry conviction with the common man who points out that soon after the National emergency involving the Bangla Desh & Indo Pak War, the general elections were held almost throughout the country. The overwhelming majority of persons, whom the Committee met and interviewed was, of the opinion that the postponement of elections to Panchayati Raj bodies has resulted in widespread criticism in the public and has also shaken the faith of common man in Panchayati Raj."

यह रामनारायणजी चौधरी ने जो रिकमन्डेशन की, मैं उनका ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं

"After giving its most careful consideration, the Committee has come to the conclusion that amongst other reasons, the postponement of election has by far been the most important factor in alienating the faith of the people from Panchayati Raj".

और फिर उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट के साथ में इन्टरिम रिपोर्ट जो पंचायत के बारे में थी, वह उसके पहले भेजी 29-10-72 को। यह कह कर भेजी श्रीमान् कि गिरधारीलाल व्यास कमेटी को अपनी रिपोर्ट में समय लगेगा, लेकिन चुनाव न होने के कारण से जनता का विश्वास पंचायती राज से हटता जा रहा है, इसलिये अविलम्ब चुनाव कराये जायें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आज क्या माननीय चौधरी साहब भूल गये कि उन्होंने रिपोर्ट में लिखा था? आज क्या यह भूल गये कि 29-10-72 को अन्तरिम रिपोर्ट क्यों भेजी थी? आज क्या वह यह भूल गये कि माननीय श्री हरिदेवजी जोशी ने इस सदन में क्या कहा था? आज क्या वह यह भूल गये कि राजस्थान की आमजनता किस प्रकार से इस सारे प्रकरण को देखती है? लेकिन इससे भी बढ़कर भयंकर बात जो सामने आई है, सभापति महोदय, वह यह है कि उन्होंने अपने एमेंडमेंट में यह लिखा है, जो एमेंडमेंट उसमें वह करना चाहते हैं वह इस प्रकार से है—

" परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार द्वारा प्रथम परन्तुक के अनुसार पंचायत की अवधि बढ़ा दिये जाने के पश्चात यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि पंचायत के आम निर्वाचन हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के लिए कुछ समय और अपेक्षित है तो वह पंचायतों की अवधि को एक वर्ष की कालावधि के लिए या आम निर्वाचन होने की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, बढ़ा सकेगी।"

अब मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सेक्शन में क्या लिखा है और अध्यादेश के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जवाब में उन्होंने क्या उत्तर दिया। यदि इन दोनों के ऊपर तुलनात्मक विवेचन किया जाय तो मैं समझता हूं कि ऐसी लज्जाजनक स्थिति बनती है कि मानीय मंत्री महोदय को यह पता नहीं है कि एमेंडमेंट इसलिए कर रहे हैं और इसमें यह लिखा है कि "पंचायत ग्राम निर्वाचन हेतु आवश्यक-कार्यवाही पूर्ण करने के लिए कुछ समय और अपेक्षित है।" समय की आवश्यकता थी, और सभापति महोदय, यह बात आप और हम सब को पता है और माननीय सदस्यों को पता है कि गत मास के अन्दर सारी यह कार्यवाही पूरी की जा चुकी थी और केवल पोलिंग डेट पर पोलिंग होगा इसकी व्यवस्था करनी थी। जब इस सत्र का प्रारम्भ हुआ तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमें बुलाया और यह कहा कि मार्च के अन्दर चुनाव करवा सकते हैं या अप्रेल में करवा सकते हैं, परन्तु जहां तक कार्यवाही का प्रश्न है पूरी हो चुकी है, परन्तु हमें यह मालूम करना है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधान सभा के बाइ-इलेक्शन करवाना आवश्यक है या नहीं है। यदि बाइ-इलेक्शन आवश्यक हो गया तो हम सब लोगों को इसमें लगना होगा और इस कारण से चुनाव नहीं करवा सकेंगे। परन्तु सभापति महोदय, सदन के अन्दर अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव अगस्त में हो रहे हैं और राष्ट्रपति के चुनाव के पहले कहीं तीन वोटों की कमी बेशी के कारण राष्ट्रपति इधर का बन जाय या उधर का बन जाय तो गम्भीर स्थिति पैदा हो सकती है देश के अन्दर, इसलिए राजस्थान के तीन उपचुनाव होना जरूरी है....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कांग्रेस के 166 एम. एल. ए. हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति दूसरा कौन हो जायगा और कैसे हो जायगा? आप सपना ले रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय नाहर साहब, आत्मा की आवाज न मालूम कब जग जाय और कांग्रेसी एम. एल. एज. बदल जायं और नये गिरि साहब पैदा हो जायं। यह भविष्य ही बतलायेगा।

एक माननीय सदस्य : इसकी डेट तो फिक्स्ड है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह डेट अगस्त में फिक्स्ड है। राष्ट्रपति के चुनाव की डेट आप और हम फिक्स नहीं कर सकते हैं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, कि राष्ट्रपति के चुनाव के कारण पंचायतों के चुनाव टाले जायं यह बिल्कुल न्यायसंगत बात नहीं है, तर्कसंगत बात नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, और वह बात यह है कि पंचायती राज के अन्दर सारे राजस्थान की जनता, क्योंकि 80 प्रतिशत जनता हमारी पंचायतों में रहती है, गांवों में रहती है, वह डिस्गान्टेड रहती है और सत्तारूढ़ दल का जनाधार नहीं बने और जनता के सामने वे खुल कर न आयें इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण यह है जिसके कारण से चुनाव टाले जाते हैं। और, सभापति महोदय, यदि मैं यह कहूं कि इस प्रकार से चुनाव टालने के कारण जो इस सेक्शन में दिये गये हैं या बताये जा रहे हैं वह बिल्कुल भ्रान्त हैं, वास्तविक नहीं हैं। वास्तविकरूप में चुनाव इसलिए टाले जाते हैं, सभापति महोदय, कि जनता के अन्दर जाकर पंचायतों

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

के अन्दर पंच और सरपंच और पंचायत समितियों के प्रधान, जिला प्रमुख जिनमें अधिकतर सत्तारूढ़ दल के हैं, कुछ विरोधी पक्ष के भी हैं ...

श्री रामकिशन : एक ही हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय रामकिशन जिला प्रमुख के रूप में यहां पर विद्यमान हैं उनको भी कई बार प्रयास किया हटाने का लेकिन उनको हटा नहीं सके। उनके भ्रष्टाचार के काले कारनामे हैं ...

श्री रामकिशन : कौन के भ्रष्टाचार के ?

श्री रामनारायण चौधरी : पण्डितजी आप पर चार्ज है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था और माननीय रामकिशनजी समझ गये कि उनके बारे में काले कारनामे हैं, वह सत्तारूढ़ दल के अधिकतर लोगों के हैं सबके नहीं हैं, वह जनता के सामने आयेंगे, और इस कारण से वहां पर उनको बहुमत मिलेगा नहीं, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख बनेंगे नहीं और जिला प्रधान नहीं बने और जो मनीट्रेड राज्य सरकार का, कामन मैन का, पब्लिक एक्सचेंकर का समितियों के माध्यम से, जिला परिषद् के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, अपने जो दलाल हैं, एजेन्ट हैं, उनमें मनीट्रेड होता है वह बन्द हो जायगा, और यदि वह बन्द हो गया तो आने वाले भविष्य के अन्दर उनका भविष्य अन्धकारमय हो जायगा। यह कारण मुख्य रूप से है।

दूसरा कारण अधिक गम्भीर है और वह कारण यह है कि पंचायतों के चुनाव पोस्टपोन करवाकर उनको इस प्रकार से 3 साल की जगह पर 5 साल और 10 साल हो गये और उससे भी अधिक की भूमिका बनाई जा रही है इस प्रदेश के अन्दर, और वह भूमिका यह बनाई जा रही है कि कोई ऐसी स्थिति बने तो विधानसभा के चुनावों को पोस्टपोन कराने के लिए और विधान सभा का समय समाप्त होने के बाद उसके चुनावों को टालने के लिए कान्स्टीट्यूशनल चेन्जेज हम इस देश में ला सकें यह कहकर एक बार बहुमत आ गया है वह 5 साल, 10 साल या 12 साल रह गया तो यह बहुत गम्भीर खतरा है। यह चेतावनी है। यह खतरा है। एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बन रहा है। यदि पंचायतों के चुनाव पोस्टपोन्ड हों, नगरपालिकाओं के चुनाव पोस्टपोन्ड हों और 10 साल और 12 साल के लिए लगातार होते चले जायं जिसके कारण जनतन्त्र की हत्या, संवैधानिक परम्पराओं की हत्या होती है वहां पर विधान सभा और लोक सभा में बहुमत से आने वाली सरकार कभी एक रात को यह कह दे कान्स्टीट्यूशनल एमेंडमेंट करके कि इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है देश में, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं, देश में महंगाई है, अभाव है, अकाल है इस कारण चुनाव नहीं कराये जा सकते और उनके समय का एक्सटेन्शन कर दिया जाय तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। यह गम्भीर खतरा है, डेमोक्रेटिक रूट्स के लिए खतरा है, वह

(102)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

स्वतन्त्र जनतन्त्र के लिए खतरा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, यह जो बिल लेकर आये हैं, जिस एक्ट को लेकर आये हैं वह निश्चितरूप से अजनतन्त्रीय है, जनतन्त्र की रक्षा के रूप में जनतन्त्र को समाप्त करने के रूप में एक कदम है, और इसका विरोध किया जाना चाहिए।

यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा एक शब्द कि वर्तमान मुख्य मन्त्री महोदय ने जिस समय मुख्य मन्त्री पद की शपथ ली और चार्ज लिया उसके बाद में उन्होंने विरोधी दल के नेताओं की एक बैठक बुलाई, और उसमें उन्होंने कहा कि गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट आज हमारे सामने आई है इसके बारे में और विचार यह किया गया, सभापति महोदय, कि इस रिपोर्ट में जितनी भी रिकमण्डेशन दी गई हैं उन पर विचार करके उनको इम्प्लीमेंट किया जाय तो यह सम्भव नहीं है, इसलिए हमें पंचायतों के चुनाव कराने हैं कमिटमेंट के अनुसार तो इसके फलस्वरूप इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया, वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया। सभापति महोदय, यही कारण है कि आज सदन के माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल यहां पर पहुंचे नहीं हैं। वह जानते हैं कि उनकी दुर्गति किस प्रकार से की जा रही है। वह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने चिन्तन करके सारे सदस्यों के साथ यह रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट का कूड़ाकर दिया गया है, इस रिपोर्ट को वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया गया है, इस रिपोर्ट को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है। सारा समय जो लगा उसमें उसका उपयोग नहीं किया गया। आज की स्थिति में, सभापति महोदय, यह रिपोर्ट आने के पश्चात् भी माननीय सदस्यों को इस पर विचार करके इस बारे में निर्णय लेने का अवसर नहीं दिया जा रहा है और न पहले दिया गया है। इस रिपोर्ट के बारे में जहां पर उन्होंने पंचायतों के टेन्योर की बात कही है या पंचायत समितियों के टेन्योर की बात कही है तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अधिक से अधिक 5 वर्ष और उससे अधिक नहीं होना चाहिए, और उनके कारण दिये हैं उन्होंने स्पष्टरूप से इसके अन्दर

" Before making any recommendation regarding the tenure of the three tiers of Panchayati Raj, we want to point out emphatically that elections should now be held without further delay and the tenure of these bodies should in no case be extended again. The importance of this recommendation would be further reflected by the fact that the committee has sent an interim report to the Government about this and other collateral issues. As already pointed out in the opening remarks, the persistent postponement of elections from one year to another has not only brought disrepute and ridicule to the Pancnayati Raj

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

institutions, but it has also thrown these bodies into a state of slumber, interia and indifference. The people's representatives themselves have complained that their esteem in the eyes of the people has reached a low ebb simply because they have not faced the electorate from such a long time. Timely elections, by ensuring an inflow of fresh blood and elimination of the dead wood at regular intervals serve as a deterrent to the decline of Panchyati Raj. We would, therfore, also recommend that the calendar of elections should be unalterable and should not be subject to the discretion or whims of the Executive. It should be made mandatory for the Government to honour scrupulously the tenure of these bodies and timely elections should always be held."

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सिडनी के जस्टिस हैरिस ने कहा है: "Democracy is the only system that persists in asking the Powers That Be whether they are the Powers That Ought To Be.

श्री चेतराम : किताब सबने पढ़ी हुई है, आप वैसे ही कोठ कर दीजिये, पेज नम्बर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पढ़ी होती, समझ ली होती तो आप भी पक्ष में बोलते कि चुनाव पोस्टपोन नहीं किये जायं।

श्री चेतराम : हम बोलेंगे। जरूर बोलेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पर मैं निवेदन कर देना चाहता हूं: "This applies with much greater force in case of the decentralised democracy and therefore the common mans right of intermittently testing the usefulness of his representatives through ballot should not be denied" तो मैं निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, आज जिस रूप के अन्दर यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है, यह हमारे लिये घातक है········

(3. 12. म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

जनतंत्र की पद्धति के लिए घातक है, पंचायती राज के लिए घातक है। मुझे लगता है, हमारे श्री गिरधारीलाल व्यास, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, जब से इस सदन में प्रवेश किया है, तब से उन्होंने मौन धारण कर लिया है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस ओर संकेत किया था और कहा था कि उनका मौन तुड़वाया जाय। मुझे लगता है कि क्योंकि दुर्गति की जा रही है

Page No 104

(104)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

उनकी रिपोर्ट की, इसलिए उनके हृदय के अन्दर आक्रोश है कि उनकी सारी की सारी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह जो अमेंडमेंट बिल है, इस अमेंडमेंट बिल को माननीय मंत्री जी स्वयं व्यास कमेटी की रिकमन्डेशन के कम्पेरीजन में देख कर निरस्त कर दें, नहीं तो यह सदन इसे निरस्त कर दे।

श्री सभापति : श्री भानुकुमार शास्त्री

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : सभापति महोदय, आज यह पंचायत विधियां (संशोधन) बिल उपस्थित हुआ है, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि प्रारम्भ में जब पंचायती राज संस्थायें बनीं और उनकी वाहवाही लूटी गई, और राजस्थान ने पहल करके सारे भारतवर्ष में एक अगुवानी की, और उनकी यशोगाथायें इतनी गायी गईं, मैं समझता हूं कि विकेन्द्रीकरण की ओर पंचायती राज का एक सर्वश्रेष्ठ कदम था। यह हो सकता है, हमारा प्रजातंत्र नया है, और प्रजातंत्र के अन्दर यदि हमारे पंचायत राज की प्रणाली असफल हो जाती है, तो भी उसे फिर ठीक करने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन विकेन्द्रीकरण की दिशा में उठाये गये इस कदम को मजबूत अवश्य करना चाहिए, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, वह चलते चलते ठोकर खा जाता है, तो उसको वापिस उठा कर चलाने का प्रयास करना चाहिए, न कि बच्चे को मारने का प्रयास करना चाहिए। इसलिये मैं चाहूंगा, यह पंचायती राज है, यह विकेन्द्रीकरण की ओर उठाया हुआ एक कदम है, उस कदम को आगे बढ़ाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिये कदम उठाने चाहिए। लेकिन मुझे खेद है कि सरकार उसको मजबूत बनाने के बजाय लोगों के अन्दर लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण में आस्था बढ़ाने के बजाय, आस्था को घटा रही है। लोगों के अन्दर एक विश्वास लोकतंत्र के प्रति निर्माण किया जाना चाहिए, उसके लिए पहल करने के बजाय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था को घटा कर विश्वासघाती की संज्ञा में स्वयं आने का कार्य कर रही है, लोकतंत्र के प्रति विश्वासघात कर रही है। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं होता है, यह कांग्रेसी हैं बड़े साहसी, हिम्मत वाले तो हैं, इस सदन के अन्दर आश्वासन देकर, बाहर यदि चौपड़ पर देते तो भी हम मान लेते ......

श्री रामकिशन : साहसी नहीं, दुस्साहसी !

श्री भानुकुमार शास्त्री : दुस्साहसी। दुस्साहसी कहना चाहिए लेकिन......

श्री गुमानमल लोढ़ा : नकटे।

श्री रामनारायण चौधरी : दिल की असलियत है वह निकल गई।

श्री भानुकुमार शास्त्री : साहस के साथ......

श्री दीपंकर : शास्त्री की भावना स्पष्ट है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस सदन में कहा कि हम चुनाव करायेंगे, मुझे याद है, हरिदेव जोशी, जो आज मुख्य मंत्री

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

हैं, उस समय मंत्री थे, मैंने उनसे निवेदन किया था कि आज समय बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है, अब ही नहीं, आयन्दा भी आप चुनाव नहीं करायेंगे । मुझे आपके वचन में अविश्वास है । आप और समय बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने यह कहा कि यह तो नहीं है, मैं एक समय मांगना चाहता हूं, मैं फिर मांगने के लिए नहीं आऊंगा । वह तो नहीं आये लेकिन चौधरी साहब को भेज दिया, दूसरे मंत्री महोदय को आलोचनाओं का भाजन बना दिया कि वह यहां बैठे बैठे सुनें, और स्वयं जाकर बैठ गये कमरे में । वह हिम्मत के साथ यहां आते और सुनते । मुझे यह कहना है कि जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया जा रहा है । यह बहाना बना कर टालमटोल की जा रही है कि आज अकाल है, आज बंगला देश के शरणार्थी आ गये, आज हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में संघर्ष है । 1966 में अकाल पड़ा और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का संघर्ष चला फिर भी विधान सभाओं के चुनाव हुए । जब विधान सभा के चुनाव हो सकते हैं तो पंचायतों के चुनाव में क्या आपत्ति है । फिर पंचायतों के चुनाव की अवधि क्यों बढ़ाई जाती है । पंचायतों के चुनाव की अवधि बढ़ाते बढ़ाते आज पंचायतों के सारे स्वरूप को इतना मृतप्राय: बना दिया है कि उनमें जीवन नहीं रहा है, मुर्दापन आ गया है । तीन साल की अवधि थी, वह बढ़ाकर पांच साल कर दी । पांच साल तक तो समझ में आ जाय, लेकिन फिर बढ़ाते बढ़ाते दस साल तक ले आये । मुझे आज भी यह लगता है कि माननीय मंत्रीजी इस सदन में यह आश्वासन देने को तैयार नहीं है, यह अमुक तिथि होगी, उस तिथि को क्रोस नहीं किया जायगा और पंचायतों के चुनाव होंगे । इससे जनता के अन्दर जनतंत्र के प्रति विश्वास प्रकट होगा । मैं कहना चाहता हूं, बहानेबाजियों से, टालमटोल से पंचायती राज का नाम लेकर पंचायत राज के स्थान पर हम एक मुर्दा, सड़े हुए मुर्दे को रेशम के कपड़े पहनाकर, जनतंत्र का जामा पहनाकर गोद में उठाये फिरते रहेंगे । आप सड़ी हुई लाश को रेशमी कपड़े में लपेट कर ले जा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि विकेन्द्रीकरण में आस्था रखने वाले हैं, विकेन्द्रीकरण में पहल करने वाले हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । मैं समझता हूं कि गति वैसी ही होगी जैसी सड़ी हुई लाश की होती है इसलिए इसकी जल्दी से जल्दी अन्तयेष्टि की जाय, तो अच्छा होगा और जनता का लाभ उसमें होगा । मुझे यह लगता है कि इस प्रकार धीरे धीरे पंचायती राज के चुनाव की अवधि को बढ़ते 2 देख कर, सरपंचों, पंचों और जिला प्रमुखों, जो पांच साल तीन साल की अवधि में समाप्त होजाने चाहिये, तीन साल से पांच साल की अवधि बढ़ गई, फिर बढ़ते 2 दस साल हो गये, इसलिए उनका जीवन शून्य हो गया है, वह कोई कार्य करने में अक्षम हो गये हैं । आज लोग इस प्रकार कहने लग गये हैं कि धीरे धीरे हमारा राज्य लोकतंत्र की ओर नहीं डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ता जा रहा है । मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी, क्या ऐसी अर्जेन्सी है, क्या ऐसी आवश्यकता है, ऐसी क्या बात है जबकि यहां सारे बैठे हुए कांग्रेसी सत्ताधारी लोग अपने हृदय में यह अनुभव करते हैं, आज इस व्यास कमेटी के बारे में दल के माननीय नेता कुछ भी कहें, लेकिन उनका मन चाहता है कि चुनाव होने चाहिए, यह मांग उनका मन भी कर रहा है, लेकिन

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

मन ही मन चाहते हुए भी मुंह से सही बात को रखने में अक्षम रहते हैं। यह अच्छा नहीं है। यह अच्छा होता कि इतना खर्च करके, इतने परिश्रम के साथ जो कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है, तो इस बिल को लाने के बजाय उस कमेटी की रिपोर्ट को डिस्कस कराना चाहिए था, उस पर वादविवाद करके निर्णय ले लेना चाहिये था। मैं समझता हूं, जो पद्धति हमें स्वीकार करनी है, जो अधिकार पंचायत समिति को देने हैं, जिस माध्यम से जनतंत्र को चलाना चाहते हैं, उस पर विचार होता हर एक कार्यक्रम को स्वीकार करके आगे बढ़ते। आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, मैंने एक पंचायत समिति का चुनाव देखा था, मैं एक चुनाव में गया था, वास्तव में आज प्रधान का चुनाव जिस ढंग से पहले हुआ था, जिसमें पंचों को, और सरपंचों को एक कमरे में लगभग आठ दिन बन्द रखा गया था, और उनके दर्शन किसी को भी नहीं हो सके थे जब तक कि उन्होंने वोट न दे दिया। तब तक उनको एक प्रकार से कन्फाईनमेंट में, एक घर में बन्द रखा। उसके बाद जब निकलकर उन्होंने वोट दे दिये तो फिर छुट्टी हो गई। यह कौनसी डेमोक्रेसी है, कौनसा विकेन्द्रीकरण है. कौनसा जनतंत्र है। मुझे इसलिए कहना है, यदि हम चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण में लोगों की आस्था बढ़े, यदि हम चाहते हैं कि जनतंत्र स्थाई रूप से चले, यदि हम चाहते हैं कि लोगों की आस्था जनतंत्र में पनपे तो हमें एक कदम आगे बढ़कर चलना होगा, यह विचार न करते हुए कि आने वाले चुनाव में हमारा सत्ताधारी दल रह जायगा, चला जायगा–इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए मैं समझता हूं कि आज आपका सबसे बड़ा भय यही है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, जहां जहां चुनाव होते हैं, वहां विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। येन-केन प्रकारेण पचास साठ करोड़ खर्च करके उत्तर प्रदेश में विजय प्राप्त करली, मार्जिनल विजय प्राप्त करली लेकिन उनको कितना बलिदान करना पड़ा, वह शायद राजस्थान में करने को तैयार नहीं होंगे। वे समझते हैं कि आने वाले चुनाव में प्रधान या सरपंच जो स्थान स्थान पर बैठे हुए हैं वे शायद भविष्य में नहीं आ सकेंगे इसलिए जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब चुनाव करायेंगे। संविधान में इस प्रकार का प्रावधान लाते जैसे विधान सभाओं और लोक सभा के चुनाव यथा समय हो जाते हैं, 5 वर्ष के अन्दर करने ही पड़ते हैं, ऐसी गारंटी सरकार क्यों नहीं देती ? क्यों मखौल बना रखा है। आज नगरपालिकाओं पर प्रशासक नियुक्त कर दिए। ऐसा कोई संकेत आ जाए कि आप दो तीन महीने बाद चुनाव करा देंगे। सब काम हो रहे हैं, मगर पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, इससे बढ़कर और लज्जाजनक स्थिति देश के लिए और कोई नहीं हो सकती। मैं विश्वास करता हूं कि पंचायती राज जिसको हम स्वायत्त शासन कहते हैं, उसको स्वायत्त के रूप में बना लिया जाए। लेकिन आज पंचायतें जितनी शक्तिहीन हैं, पंगु हैं उतनी पहले कभी नहीं रहीं। उनके पास बजट नहीं, ओवरसियर्स नहीं, इंजीनियर्स नहीं, पैसा नहीं, तो फिर किसलिए यह ढांचा बना रखा है ? म्यूजियम में रखने के लिए या किताबों में रखने के लिए ? आप इनको शक्तिशाली बनाइये। ऐसा प्रस्ताव रखते तो हम स्वागत करते, मगर केवल पुराना ढांचा चलाना है और एक वर्ष के लिए बढ़ाना है तो जो जनतंत्र में आस्था रखता है, वह व्यक्ति इस

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

प्रकार सरकार के कदम का विरोध किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हम भी इसका विरोध करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि अपना बिल वापिस लें और व्यास कमेटी की रिपोर्ट को डिसकस करके उसके अनुसार चुनाव करायें। कहते कहते अब व्यासजी जिन्होंने यह रिपोर्ट दी है खुद सदन में आ गए हैं उनको पता होगा कि उनकी रिपोर्ट कितनी कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई है, वह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बड़े परिश्रम के साथ......

श्री रामकिशन : हटा दिया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष पद से हटा दिया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : इन्होंने हटा दिया।

श्री भानु कुमार शास्त्री : उन्होंने जो मेहनत करके कमेटी की रिपोर्ट दी है वह भी अपने दल में निर्णय करके सरकार को निर्देश देते कि आप इस पर विचार करें और जो उस रिपोर्ट के अनुसार पद्धति तय करनी है वह करते तो हम स्वागत करते लेकिन उस रिपोर्ट को कोल्ड स्टोरेज में डालकर, रद्दी की टोकरी में डालकर आज संशोधन लाए हैं कि हम एक्सटेन्शन कर रहे हैं, हम इसका विरोध करेंगे और हर व्यक्ति जो जनतंत्र में आस्था रखने वाला है, वह असंतोष प्रकट किए बिना नहीं रह सकता। तो मैं भी इस विधेयक का विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री यशवंत सिंह नाहर।

श्री यशवंत सिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापतिजी, मुझे आज विवाद को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ...

श्री गुमान मल लोढा : आपको हमेशा आश्चर्य होता है।

श्री यशवंत सिंह नाहर : जनसंघ के माननीय सदस्य शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि पंचायत राज को स्क्रैप करना चाहिए और आज वे ही बहुत जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। आप आखिर क्या चाहते हैं ? चुनाव करो तो कहते हैं कि पंचायत राज स्क्रैप करो और नहीं करें तो कहेंगे कि चुनाव करा दो। दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती। 1959 में हमने सबसे पहले नागौर में पंचायती राज विकेन्द्रीकरण की ज्योति जलाई। 1963 में चुनाव कराए और इस पंचायत राज को सफल बनाने के लिए हमारे पास सादिक अली रिपोर्ट है। उसके बाद बहुत शक्तिशाली हाई पावर कमेटी बैठी जिसके अध्यक्ष श्री गिरधारी लाल व्यास थे। उन्होंने उतनी ही जल्दी मचाई कि आज चुनाव करायेंगे। सदन में उन कमेटियों की रिपोर्ट्स पर डिस्कोशन होना चाहिए। कैसे चुनाव करा दें ? डिस्कस करके पहले की गलतियों से लाभ लिया जाए ताकि फिर गलती न करें। पंचायत राज जैसी संस्था में लोगों का ख्याल है कि गांवों में दो दल पैदा हो जायेंगे। पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों को क्या अधिकार दें, यह बड़ा विवादास्पद विषय है।

दूसरी बात जो आप भूल गए वह है कि वर्तमान जिला परिषद, पंचायत समितियों और पंचायतों के जो सदस्य हैं वे

(श्री यशवंत सिंह नाहर)

कोई आर्डिनरी सदस्य नहीं हैं वे मेहनती, त्यागी, तपस्वी हैं, जनता के हित में अपने को खपाने वाले माननीय सदस्य हैं। आप समझते हैं कि नए चुनाव होंगे तो ये माननीय सदस्य आने वाले हैं ? नहीं आयेंगे । वहां अकेला रामकिशनजी बैठा है, 11 आदमी हमारे साथ हैं तपस्वी लोग फिर नहीं आने वाले हैं, विचार व मनन करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे आदमी फिर नहीं मिलेंगे तो फिर पंचायत राज कैसे चलेगा ? इसलिए सदस्य बैठकर निर्णय करेंगे और पंचायत समितियों के क्या अधिकार हों आप तय करें, आपकी रिपोर्ट है, जिला परिषदों को मजबूत करने की सादिक अली की रिपोर्ट हैं, पंचायत समितियों को मजबूत बनाने की रिपोर्ट है और भंडारी कमेटी····

श्री भानु कुमार शास्त्री : सब रिपोर्ट्स दफना दी हैं।

श्री यशवंत सिंह नाहर : किसने कहा ? जीवित डाक्यूमेंट्स हैं, उस पर हम विचार करें, सुन्दर से सुन्दर पंचायती राज का निर्माण कैसे करें····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 1978 में करेंगे।

श्री यशवंत सिंह नाहर : सबसे बड़ी रिपोर्ट हाई पावर कमेटी की है, साधारण कमेटी की रिपोर्ट नहीं है ···

श्री केदार नाथ : आप कितना ही बोलेंगे, व्यासजी इम्प्रेस होने वाले नहीं हैं।

श्री गुमान मल लोढा : व्यासजी को हिंदी क्यों कर रहे हैं ?

श्री यशवंत सिंह नाहर : हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखें तो और कहां रखें । क्या ग्राम में रखें, कोल्ड स्टोरेज में ठंडी रहेगी, उसके अक्षर ठंडे रहेंगे । 26 वर्ष पहले ब्रिटिश राज था, सामंती शासन से हम निकल कर आए और उसके बाद हमने अपने संविधान को अपनाया, उस संविधान में क्या दिया ? पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी । उस में हम सफल हुए ? वह के वह सामंत बैठे हैं चाहे मैं विधायक हो गया, मंत्री हो गया, भूला तो वही सामंती है ।

वही सामन्ती युग चला आ रहा है । एक एक चीज में वही सामन्ती बू आ रही है । हम उसी सामन्ती जीवन में जिये जा रहे हैं। सभापति महोदय आज हमने बार बार यही कहा कि हमने लोकसभा के चुनाव कराये, राज्य सभा के चुनाव कराये, विधान सभा के चुनाव कराये । हमारी इस विधान सभा में जहां 183 सीटें हैं जिसमें से तीन सीटें खाली हैं और हमारे यहां पर 166 सीटें कांग्रेस की हैं । अगर कांग्रेस का लोकतन्त्र में विश्वास नहीं होता तो इतनी कांग्रेस की सीटें कैसे आतीं । हमने लोकतन्त्र पद्धति का हमारे यहां पर निर्माण किया । जहां हमने लोकतन्त्र को मजबूत किया वहां पर इन पंचायती राज की संस्थाओं को भी मजबूत किया है। हमने इसमें काफी सुधार किया है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि जिन लोगों के हाथ में आज पंचायती राज है वह कितने सुदृढ़ लोगों के हाथ में है क्या इनसे भी सुदृढ लोग हमें पंचायती राज में मिल सकते हैं ? मैं समझता हूं कि अभी जिन लोगों के हाथ में पंचायती राज है वह जितना सुदृढ है । अभी लोग सदन

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

में कह रहे थे कि 11 साल हो गये वह बात नहीं है अभी तो दशाब्धि हुई है। सदन में दशाब्धि की बात भी चल रही है। अभी तो कोई ज्यादा समय ता हुआ नहीं है इसके अलावा अभी हमारी हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आयी है उसको भी देखना पड़ेगा उस रिपोर्ट को डिसकस करेंगे फिर देखेंगे कि कौन कौन सी सिफारिशें लागू की जांय और सुदृढ पंचायती राज चलाने के लिये क्या क्या आवश्यक है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप देश में पंचायती राज को सफलतापूर्वक चलाना चाहते हैं तो इसको राजस्थान में जनमत जानने के लिये प्रसारित कर दिया जावे। सभापति महोदय, यह बहुत ही विवादास्पद विषय है इसलिये इसको जन-मत जानने के लिये एक माह के लिये प्रसा-रित करना अनिवार्य है। सभापति महोदय, यहां पर सदन में पिछले बीस वर्षों से यह कहा जा रहा है कि पंचायती राज को समाप्त किया जाय। श्री भैरोंसिंह जी भी कहते थे रामकिशनजी भी कहते थे कि इस तरह के पंचायती राज को समाप्त किया जाना चाहिये। लेकिन आज आप यह उल्टे कैसे बोल रहे हैं। आप इन द्वन्द्वात्मक सिद्धान्तों के प्रश्न पर कैसे आ रहे हैं। अभी तो हमें पहले उन सभी चीजों को डिसकस करना है और आज तक जो कमियां इसमें रह गयी हैं उसको भी देखना है और उन खामियों को किस तरह से हटाया जाय यह देखना है। फिर जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आयी है उसको डिसकस करिये जितने में एक साल बीत जायेगा और पंचायती राज में जो विवादास्पद गुत्थियां हैं उन्हें भी सुलझा ली जायेगी। फिर उसके लिये चुनाव कराये जायें।

श्री रामकिशन : इसके लिये एक कमेटी और बैठायी जाय जो कि पहले कौन कमेटियां बनी हैं उसको स्टडी करे तथा बाद में अपनी रिपोर्ट उस पर सदन में दे।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इसे जनमत जानने के लिये एक माह के लिए प्रसारित किया जावे।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई (अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन (अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (अनुपस्थित)

श्री माननीय मंत्रीजी।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, थोड़ा हमें बोलने की इजाजत दी जाय हम काफी पिछड़े हुए लोग हैं....

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय मन्त्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी (पंचायत मन्त्री) : सभापति महोदय, अभी सदन में राजस्थान पंचायत विधियां संशोधन विधेयक 1974 के ऊपर विचार व्यक्त करते हुए करीब 8 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। इसके पहले एक संकल्प के माध्यम से भी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मैंने, सभापति महोदय, उन सभी माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे उन्हें गौर से सुना और जो सुझाव दिये हैं उन्हें लिपिबद्ध भी किया है।

110

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने मंत्री जी गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ी है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह बात शायद माननीय सदस्यों को पता नहीं होगा कि मन्त्री महोदय खुद उस कमेटी के सदस्य थे।

(कई माननीय सदस्यों के बीच में बोलने पर अवरोध)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के सामने पंचायतों के चुनाव नहीं कराने के बारे में जो पृष्ठभूमि रखी और क्या क्या परिस्थितियां रहीं जिसके कारण कि राज्य सरकार पंचायतों के चुनाव नहीं करा सकी उन सभी बातों से सदन को परिचित कराया। सभापति महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये थे उन्हें भी इन परिस्थितियों का पता था फिर भी उन्होंने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की मंशा पंचायतों के चुनाव कराने की है। राजस्थान सरकार की आस्था पंचायती राज में है। राजस्थान सरकार की नीति है कि देश में पंचायती राज होना चाहिये। राजस्थान सरकार की यह दृढ़ आस्था है कि यदि देश में लोकतन्त्र को, प्रजातन्त्र को पनपाना है, उसको मजबूत करना है, लोकतन्त्र की जड़ें गहरी करना है, अगर प्रजातन्त्र को देश के गांवों में और घर घर में पहुंचाना है तो हमें पंचायती राज की संस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा। इससे यह होगा कि भारत के हर नागरिक को यह विश्वास होगा कि उसका प्रशासन में योगदान है वह भी प्रशासन में भागीदार है। आज सभापति महोदय हमारे देश की 56 करोड़ की आबादी है। इसके लिए सिर्फ दिल्ली बैठकर या राजधानी में बैठकर देश का राज्य नहीं चलाया जा सकता। आज देश के प्रत्येक नागरिक को देश के प्रशासन में भागीदार होना पड़ेगा। इसलिये राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था की। सभापति महोदय, हमारी राज्य सरकार ने पंचायती राज की निष्ठापूर्वक शुरूआत सन् 1959 में की। यह पंचायती राज की शुरूआत हमारे देश के स्वर्गवासी प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर जिले में की गयी। स्वर्गीय नेहरूजी के हाथ से पंचायती राज की ज्योति प्रज्जवलित की गयी। इसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी यह आन्दोलन फैला। इसके बाद मान्यवर उसके ठीक 15–16 महीने बाद में ही हमने सन् 1961 में पंचायती राज की संस्थाओं के चुनाव हमारे प्रदेश में कराये। सम्पूर्ण राजस्थान में पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराये गये। उसके बाद में सन् 65 में चुनाव कराये गये। इस प्रकार देश में हमारे विधान सभा के चुनाव भी इस दरमियान में हुए। सभापति महोदय पहले पंचायती राज कानून में यह प्रावधान था कि इन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हर तीसरे साल होना चाहिये। वह प्रावधान तीन साल के बदले पांच साल का सन् 65 में कर दिया गया। इसलिए यह चुनाव सन् 1970 में होने चाहिए थे। सन् 1970 के

(111)

(श्री रामनारायण चौधरी)

बाद जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि हमारे प्रदेश में परिस्थितियां अकाल के कारण व दूसरी परिस्थितियों के कारण चुनाव इन पंचायती राज संस्थाओं के नहीं कराये जा सके। इसलिये इसकी अवधि बढ़ायी गयी।

श्री रामकिशन : अब तो 11 वर्ष होने को है।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय मैंने जब माननीय सदस्यों ने संकल्प रखा था उसका जवाब दिया था तब भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर नहीं बिराज रहे थे। इसके अलावा अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य जोकि जनसंघ के हैं उन्होंने सदन में राजस्थान पंचायत विधियां संशोधन विधेयक के आबजेक्ट्स और रीजन्स को पढ़कर सुनाया था और उन्होंने कुछ अपने विचार रखे, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। क्योंकि जिस वक्त यह आर्डीनेन्स इश्यू हुआ था तब राज्य सरकार की यही मंशा थी। सरकार चाहती थी कि चुनाव एक साल में या जल्दी से जल्दी जब भी मौका लगे कराये जांय। इसके बाद की स्थिति आप सभी को मालूम ही है कि भरतपुर और आसीन्द के चुनाव आ गये। इसके अलावा जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि सदन भी बजट सेशन के लिये सिर्फ तीन चार महीने का बजट पास कर लेंगे और एक छोटा यानि शॉर्ट सेशन आने को था पर बाद में यह बड़ा सेशन आ गया। बजट सेशन काफी लम्बा चल रहा है और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह रही है कि विधान सभा के चुनाव उन वेकेन्ट सीट्स के भी मई जून में होने वाले हैं तो उसके साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की व्यवस्था करना राज्य सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि चुनाव कराने जा रहे थे। विधान सभा के चुनाव तो हमारी अथवा पर नहीं हैं। यह तो भारत सरकार के इलेक्शन विभाग के द्वारा ही कराये जा सकते हैं, लेकिन तीनों उप चुनाव मई जून में शिड्यूल हो जाने के कारण यह निर्णय लेना पड़ा जबकि हम सोच रहे थे चुनाव कराना और यह इस कारण से संभव नहीं हो सका।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उनमें भी तो पंचायतों के चुनाव पड़ सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके हाथ में होता तो एक सन्त्रीय शासन की बात करते।

श्री रामनारायण चौधरी : कहा यह गया कि पंचायती राज में निष्ठा नहीं है, आस्था नहीं है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें राजस्थान सरकार की आस्था और निष्ठा है कि पंचायती राज संस्थायें मजबूत बनें, प्रदेश के लोगों को स्वशासन मिले, स्वायत्त शासन उनको प्राप्त हो। माननीय सदस्यों ने कहा कि कब तक चुनाव करवा दिये जावेंगे। मैंने पूर्व में ही कहा था कि एक वर्ष का समय हम मांग रहे हैं जिसके लिये आप स्वीकृति प्रदान करने वाले हैं इस अवधि में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवा दिये जावेंगे।

इसके साथ साथ माननीय सदस्यों ने और भी विचार व्यक्त किये उनमें मैं जाना

(श्री रामनारायण चौधरी)

नहीं चाहता। माननीय सदस्य जब बोलने के लिये खड़े होते हैं तो भावनाओं के वशीभूत और कुछ आधार होते हैं उनके अनुसार यहां पर फरमा देते हैं। 8 माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया । उनका एक ही बात पर जोर था और वह यह था कि चुनाव कब तक करवा देंगे और चुनाव कराने में निष्ठा नहीं है आदि बातें कही। मैंने साफ तौर से, स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से निवेदन कर दिया।

अन्त में, मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि यह जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिये रखा है एवं प्रवर समिति के लिये रखा है, हालांकि वह मूव नहीं हुआ है, इनको अस्वीकार किया जाय और विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री रामकिशन : वह कब आया?

श्री रामनारायण चौधरी : मूव नहीं हुआ था।

श्री सभापति : वापस ले रहे हैं।

श्री दीपंकर : मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री दीपंकर : मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 को जनमत जानने हेतु परिचालन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालन सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रवर समिति को मूव करने के लिये रखा है "

एक माननीय सदस्य : यह मूव नहीं हुआ है।

श्री सभापति : यह मूव ही नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी . मैंने मूव कर दिया था कि इसको विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय।

कोई संशोधन नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तृतीय वाचन है। मैं निवेदन करूं माननीय मंत्रीजी ने जो भी दलीलें दी हैं वे लंगड़ी हैं। उनमें कोई दम नहीं है।

श्री दीपंकर : आप भी नई बात कहने नहीं जा रहे हैं।

श्री सभापति : आप संक्षेप में बोलिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा राइट है।

श्री सभापति : राइट है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : संक्षेप में ही बोलूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : आपके मन की बात को बोलूंगा। कांग्रेस के माननीय सदस्य भी यह महसूस करते हैं कि पंचायतों के चुनाव की तारीख की घोषणा यहां सदन में होनी चाहिये। पिछली बार जब इस प्रकार का प्रसंग विधान सभा में आया था माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो उस समय पंचायत मंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी, तृतीय वाचन पर कहा था कि निश्चित रूप से एक साल में चुनाव करवा देंगे। माननीय व्यासजी की कमेटी की रिपोर्ट पर विचार हो जावेगा। विचार विमर्श के बाद ही यह कहा था कि निश्चित रूप से एकसाल में करा देंगे उस समय चुनाव टाल दिये। अकाल का बहाना बना लिया। अब तीन विधान सभा उप-चुनावों का बहाना लिया जा रहा है। पहले उसके हिन्दुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का बहाना लिया जब कि लोक सभा और विधान सभा के चुनाव भी हुए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि व्यासजी की कमेटी बनी हुई थी जिसको व्यास कमेटी कहते हैं और माननीय मंत्रीजी उसकी सूची में आपका नाम है। आप उस कमेटी के सदस्य हैं पांचवें नम्बर पर। आप स्वयं उस कमेटी के सदस्य थे और आपने यह बात स्वीकार की और यह भी कहा कि कई संस्थाओं के सामने यह कमेटी गयी हैं और जांच की है और जांच करने के बाद उसने यह पाया है कि लोगों का इन संस्थाओं पर से विश्वास उठ रहा है। "The overwhelming majority of persons whom the committee met and interviewed was of the opinion that the postponement of elections to Panchayati Raj bodies has resulted in widespread criticism आप शायद नहीं होते उस कमेटी में तो बात अलग थी in the public and has also shaken the faith of common man in Panchayati Raj. After giving its most careful consideration, the Committee has come to the conclusion that amongst other reasons, the postponement श्रीमान् रामनारायणजी स्वयं मौजूद थे। of elections has by far been the most important factor in alienating the faith of the people from Panchyat Raj." यह स्वयं आपने माना है। कई लोगों के सामने कमेटी गई है और विचार किया है।

श्री रामकिशन : अंग्रेजी में थी रिपोर्ट और गिरधारीलालजी समझते नहीं हैं अंग्रेजी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दस्तखत किये हैं, हिन्दी में किये हैं। अंग्रेजी वे नहीं समझते हैं यह मैं नहीं कह रहा हूं। हिन्दी में दस्तखत किये हैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

यह एक गम्भीर प्रश्न है। श्री रामनारायणजी उस कमेटी के सम्मानित माननीय सदस्य थे। प्रथम पृष्ठ पर यह कहा कि इन्टरिम रिपोर्ट भेज रहे हैं। कौनसी इसकी भी आवश्यकता थी ? उसके बाद यह सारी बात होनी चाहिए थी। इन्टरिम सजेशन दिये। माननीय गिरधारीलालजी व्यास उस समय कांग्रेस के प्रधान थे, एम. एल. ए. नहीं थे, हो सकता है पार्टी वालों ने नहीं मानी हो बात। हो सकता है सरकार ने नहीं मानी हो।

(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब पिछले मुख्य मंत्रीजी ने बात कह दी और आपने बात कह दी उसमें कोई अन्तर नहीं है। रावण के जितने सिर थे उतने ही वर्ष आपने निकाल दिये। आगामी वर्ष तक भी आप चुनाव करायेंगे नहीं। आप सदन को जो कहने जा रहे हैं वह आप अपनी आत्मा से नहीं बोल रहे हैं। आप यह महसूस करते हैं इसलिये चौधरी साहब आपको यहां पर इसके लिए घोषणा करनी चाहिये। कांग्रेस के लोगों के मुंह पर जो ताला लगा दिया गया है। मैं उनके मन की भावना को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। ग्रामीण जनता की भावना को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। आप घोषणा कीजिये। उसके बाद छः महीने बीतने पर सैशन बुलावेंगे। क्योंकि यह मोहनलालजी सुखाडिया, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर साहब की विरासत मिली हुई है आपको। ××× घबराते हैं, डरते हैं। या तो आप यह कह दें कि छः महीने के भीतर भीतर सैशन बुला लेंगे व्यास कमेटी, सादकअली और मेहता की रिपोर्टों पर विचार करने के लिये। लाखों रुपया पंचायत राज कायम करने में आपने व्यय किये। जो दीप नागौर में आपने जलाया था वह आज बुझ गया। दूसरे राज्यों ने हमारी नकल की थी आज वे भी हमारे × × × तो प्रजातन्त्र को बचाने के लिए.....

श्री जयकिशन लाल : आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि × × × इन शब्दों को कार्यवाही में से निकाल दिया जावे।

श्री सभापति : अगर ऐसे शब्द हों तो देखकर एक्सपन्ज कर दिया जावे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसे शब्द मैंने प्रयोग में लिए हों तो मैं स्वयं उस शब्द को वापिस ले लेता हूं।

श्री सभापति : अगर भूल से आ गया है तो एक्सपन्ज कर दिया जावे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज इस पर विचार करते करते दो साल हमें हो गये। तीन साल और बाकी हैं। फिर भी पता नहीं पंचायतों के चुनाव कब होंगे। इसलिये निवेदन करूंगा आप तारीख की घोषणा कर सकते हैं। अगर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में सलाह मशविरा करना है तो

××× माननीय अध्यक्ष के आदेश से शब्द हटाये गये।

Page No 115

(115)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रिपोर्ट देने वाले व्यासजी आपके पास बैठे हैं ! सौभाग्य से वे भी यहीं मौजूद हैं। वे सदन के सम्माननीय मेम्बर हैं। आप उनकी सलाह मानकर उनका उत्साह भी बढ़ावें। उनकी शक्ति को जागृत करें। कब और इसके लिए सैशन बुलायेंगे दो महीने तीन महीने बाद सही, उपचुनावों के बाद सही, पर उसकी घोषणा भी अभी आप यहां कर दें फिर यह भी बता दें कि यहां एक्ट पास होते ही चुनाव करा दिये जावेंगे। इस ओर मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू।

श्री सभापति : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने चुनावों के बारे में आश्वासन दिया। ऐसा ही मुख्य मंत्री जी जो भूत पूर्व मन्त्री थे उन्होंने भी दिया और यह भी कहा था कि चुनाव नहीं हुए तब तक तो अगली बार अवधि बढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। चुनाव तो नहीं करवाये। पर अवधि बढ़ाने के लिए भी वे नहीं आये। दूसरे माननीय मन्त्री को भेज दिया। आप यदि यह विश्वास करते हैं कि इस तरह का आश्वासन देते जाओ और हर बार मिनिस्टर बदल दो। दूसरा मिनिस्टर आकर मांग रखे कि एक साल और बढ़ा दिया जाय। अगर यही आपने निश्चय कर लिया है कि चुनाव तो कराना नहीं है, इसी तरह से आश्वासन देकर मुगालता दिये जाओ और कहते भी जाओ कि दुबारा अवधि बढ़ाने के लिए मैं नहीं आऊंगा दूसरा ही आता जावेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सदन के साथ विश्वासघात है। इस विश्वासघात की पुनरावृत्ति न हो इसकी भी और निश्चित घोषणा यहां करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत : सभापति महोदय, पंचायत राज कानून को जनमत जानने के लिये ...

श्री रामकिशन : अब कहां जनमत ?

श्री शंकरसिंह रावत : मन्त्री महोदय ने यहां उत्तर दिया कि किन्हीं खास कारणों से इस बार चुनाव नहीं कराये जा सके हैं।

चुनाव आप कराएं। इसमें आपको डरने की क्या आवश्यकता है। पंचायत राज में जनता को विश्वास है जिस तरह कांग्रेस में उसे विश्वास है। इसलिए आपको आश्वासन देना चाहिये। अब वह जरूर परिस्थितियों को ध्यान में रख कर आप दें। यह मैं चाहता हूं।

सदन में उल्लेख आया कि चुनाव होने चाहिये। अब मन्त्री महोदय ने भी कहा कि विधान सभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। होने चाहिये विधान सभा के चुनावों के बाद आप रख सकते हैं।

पंचायत राज वाले जानते हैं कि आप के इस तरह के कथन पर, जो विकास के काम गांवों में ग्राम पंचायत स्तर पर होने जा रहे हैं वे रुकते हैं। अगर निश्चित हो तो वे जारी रहेंगे। पहले चुनाव की बात थी तो लोगों ने सोचा चुनाव होने जा रहे हैं, कौन झगड़े में पड़े। कामों में दिलचस्पी

(श्री शंकर सिंह रावत)

नहीं ली। उन विकास के कामों की रफ्तार रुक गई। तो इस तरह विकास के काम रुकते हैं अनिश्चित वातावरण होने से। आप निश्चित तिथि बता दीजिये। हमें डर क्या है चुनाव कराने में। चुनाव कराने से कोई आफत नहीं आने वाली है। निश्चित घोषणा कर देनी चाहिये। नाहर साहब ने भी यही कहा। आपके प्रधान भी काफी हैं जिनको 10/12 साल का अनुभव हो गया है। विधान सभा में वे कई सदस्य भी हैं। वास्तव में चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन आपको इसके लिए इन उप चुनावों के बाद तारीख निश्चित कर देनी चाहिये।

व्यास रिपोर्ट को हमें मान कर फिर चुनाव करा देने चाहिये। इसके आधार पर आपके नेतृत्व में ये चुनाव हो जावें तो बहुत अच्छी बात है।

श्री सभापति : श्री केशरी मल।

श्री केशरीमल : सभापति महोदय, मंत्रीजी का जवाब सुना। उससे लगा कि वे अभी भी निश्चित नहीं हैं। वे साल की बात कह रहे हैं। 74 का साल या 75 का साल। 74 का अप्रेल माह और 75 का अप्रेल माह। अब कौन से साल का अप्रेल माह। यह स्पष्ट कहें।

श्री रामकिशन : स्पष्ट कह दें तो पता लग जावे ? फिर व्याख्या क्या हो ?

श्री केशरी मल : फिर मिनिस्टर की बात का मतलब इतना आसानी से निकाल लें तो मंत्री ही क्या हुए। निश्चित तौर से कुछ तिथि की घोषणा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। विश्वास भी जमे। नहीं तो लोग गालियां देते हैं जनसंघ के भाई गाली दे रहे थे। उनका धन्धा है गाली देने का।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने कोई गाली नहीं दी आपको। मैंने तो बछड़ा कहा है केवल।

श्री केशरीमल : मुझे कहने दीजिये। बीच में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं। आप जब कह रहे थे तो मैंने कुछ व्यवधान नहीं डाला। चुपचाप सुना। अब आपकी बारी है। आप भी चुपचाप सुनें।

श्री दीपंकर : आपने उनको बछड़ा क्यों बताया ?

श्री केशरीमल : बछड़े की बात नहीं। मैं तो कहता हूं यह ×××

(माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल भार्गव के बीच में व्यवधान करने पर अश्रव्य)

.........इसलिये मैं इस तरह की बात कहूंगा। इनके पास तर्क नहीं है, इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है सिवाय इसके कि गाली दें..

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हमने अच्छा किया, अपने दल के नाते अच्छा किया..

श्री केशरीमल : बहुत अच्छा किया। आप जाइये पैसे वालों के पास।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(अश्रव्य, व्यवधान)

(घंटी)

संक्षेप में, और दूसरे विषयों पर न जायें।

(××× माननीय अध्यक्ष के आदेश से ये शब्द कार्यवाही से निकाले गए)

श्री जयकिशन लाल : ये XXX लड़ती रहेंगी तो XXX का क्या होगा ?

श्री केशरी, मल : सभापति महोदय ऐसी पार्टियों के पास जो तर्क से आलोचना नहीं कर सकते, जिनके पास कोई तर्क नहीं है वह गाली ही देंगे सिवाय इसके और क्या करेंगे ?

श्री दीपंकर : मिनख से XXX बना दिया ...

श्री केशरीमल : कम से कम सभापति महोदय मंत्री महोदय यह बताये कि यह साल कौनसा होगा, 74 का साल होगा, 75 का साल होगा...

श्री रामकिशन: सभापति महोदय, यह तय कर दीजिये माननीय कांग्रेस के सदस्य ने XXX कहा है तो इसका इलाज क्या है ? यह जरूर तय कर दीजिये, अपने आप को साण्ड मानते हैं क्या ?

श्री सभापति : श्री उम्मेदी लाल ।

श्री उम्मेदी लाल : सभापति महोदय, इसके विषय में मैंने पिछले साल भी कहा था लेकिन पिछले साल जो अभी प्रजेन्ट में मुख्य मन्त्री हैं, उन्होंने हाउस के सामने यह कहा था मैं दुबारा घोषणा करने के लिये और मियाद बढ़ाने के लिये नहीं आऊंगा। यह सही है कि मुख्य मन्त्री तो नहीं आये लेकिन दूसरे साथी को भेज दिया। हो सकता है कितने दिन की मियाद आप बढ़ाने की सोच रहे हों। मैं आग्रह करूंगा यह बात ठीक है लेकिन आप बता दें कौनसी निश्चित तारीख बता रहे है ताकि एक वातावरण बन जाय। चुनाव की घोषणा होती है और फिर केन्सिल हो जाती है। जो सरपंच इस समय मठाधीश बन कर बैठे हैं वे कहते हैं चुनाव हो ही नहीं सकते हैं। जो चारागाह की जमीनें हैं उन पर 40 परसेंट कब्जा किये हुये हैं। यहां आते हैं और डाइरेक्ट आदेश ले जाते हैं कि फलां कस्बे की जमीन आबादी की दी गई है...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : अभी आप इस सम्बन्ध में जो यहां विधेयक विचारार्थ है उस पर जो कुछ कहना है, संक्षेप में कहिये ।

श्री उम्मेदीलाल : सभापति महोदय मैं वही बात कह रहा हूं...

श्री सभापति : आप सरपंचों वाली बात डिमान्ड के समय बोल सकते थे और आप उस समय बोले भी हैं ।

श्री दीपंकर : माननीय सदस्य सारे सरपंचों को बेईमान बताते है, यह ठीक नहीं हैं ।

एक माननीय सदस्य : कौनसा ईमानदार है, आप बता दें ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य । माननीय सदस्य ।

(दोनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान ।

श्री उम्मेदीलाल : ...5-6 दफा चुनाव केन्सिल करा दिये। यह क्या है, आप घोषणा करते हैं और जनता को बहकाते रहते हैं ...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

(XXX माननीय अध्यक्ष के आदेश से ये शब्द कार्यवाही से निकाले गए)

(श्री उम्मेदी लाल)

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहूंगा निश्चित तारीख बतायें और एक निश्चित तारीख की सदन में घोषणा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

एक माननीय सदस्य : वही सरपंच आयेंगे।

श्री उम्मेदीलाल : नहीं आयेंगे।

श्री सभापति : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : सभापति महोदय मुझे केवल 2-3 मामलों में ही निवेदन करना है। पंचायत चुनावों के बारे में तो काफी साल से कहते आये हैं लेकिन कुछ समय पूर्व सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट की बामनवास तहसील में सारे हिन्दुस्तान में एक अनोखा उदाहरण है एक ही गांव में दो पंचायतें कर दी। एक गांव हैं और अगर बड़ा कस्बा हो जाता है तो नगरपालिका किया करते हैं लेकिन हमारी सरकार ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है-एक गांव में दो पंचायतें कर दीं। मुझे उससे भी कोई ऐतराज नहीं है लेकिन दो पंचायतों की तो घोषणा कर दी और दोनों पंचायतों में एक ही सरपंच है। अगर दो पंचायतें हैं तो उसका बंटवारा करके, इन्कम का बंटवारा करके, जो स्थायी फन्ड है उसका सही तरीके से बंटवारा करके जो मेम्बर सरपंच हैं, वे किसी विशेष में इन्टरेस्टेड रहेंगे इसलिये फन्ड का बंटवारा किया जावे। बंटवारे के मामले में प्रशासन के उच्च अधिकारियों से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा प्रशासक बैठा रखे हैं तो कुछ भी बिठायें लेकिन आगे के लिये उनकी क्या रूपरेखा हो, यह तो हल करें।

दूसरे मामले में जिन सरपंचों के खिलाफ 17/4 की कार्यवाही चल रही है। दो-तीन साल से उन पर 17/4 के केसेज चल रहे हैं लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। 17/4 की कार्यवाही समाप्त करके जो भी निर्णय दें, उस पर कार्यवाही करें।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी : (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय ...

श्री रामलाल : सभापति महोदय दो मिनिट ..

श्री सभापति : काफी टाइम हो गया है। आप बाद में बोल लेना।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति जी माननीय सदस्यों ने गिरधारीलाल व्यास कमेटी बनी, उस पंचायत राज कमेटी का विशेषतौर से जिक्र किया है और माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि मैं भी सीरियल नं. 5 पर उसका मेम्बर था, जैसा उन्होंने बताया, मेम्बर था। इसमें कोई सन्देह नहीं है। सभापति महोदय मुझे राज्य सरकार की तरफ से सदस्य मनोनीत किया गया था और मैंने मेरी योग्यता और दिलचस्पी के हिसाब से उस कमेटी को कन्ट्रीब्यूट करने की चेष्टा की थी और वह कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार को दी गई। उसके बाद मैं मंत्रिमन्डल में आया। यह बात निश्चित है, जिसका मैं सदस्य था, उस पर विचार हो और सरकार उस पर निर्णय

(श्री रामनारायण चौधरी)

करे। मैने राज्य सरकार के सामने उस कमेटी की रिपोर्ट को रख दिया और कुछ निर्णय भी मान्यवर राज्य सरकार ने लिये हैं और चूंकि चुनाव हो नहीं सके नहीं तो कुछ निर्णय क्रियान्वित होते और उसकी रिकमन्डेशन के आधार पर कुछ कार्य होता। अब चूंकि राज्य सरकार ने इस विवेयक के द्वारा एक साल की अवधि मांगी है। उस समय अल्प समय था और विशद् रूप से विचार-विमर्श मंत्रिमंडल में हो नहीं सका है अब समय काफी मिलने की सम्भावना इसमें प्रतीत हो रही है। तो मैं मान्यवर आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिकमन्डेशन्स के ऊपर राज्य सरकार के मंत्रिमन्डल में विचार किया जायेगा और जिस प्रकार कमेटी की रिपोर्ट ड्राफ्ट हुई थी उसी प्रकार से रिकमण्डेशन्स के मनवाने में दिलचस्पी मैं मेरी ओर से लूंगा।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने सरपंचों के खिलाफ 17 (4) की कार्यवाही सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से आने वाले माननीय सदस्य ने रखी और बामनवास में एक ही गांव में दो पंचायतें गठित करने का भी जिक्र उन्होंने किया। क्योंकि यह बात माननीय सदस्य ने अभी ही बिल के थर्ड रीडिंग के समय उठाई है इसलिए मैं इस बारे में जानकारी नहीं कर सका लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक ही पंचायत के कई ऐसे गांव हैं जिनमें एक एक गांव में दो ग्राम पंचायतें हैं। क्योंकि कई गांवों की आबादी इतनी बढ़ जाती है कि वहां नगरपालिका नहीं बना सकते। आबादी गांव के अन्दर और ढाणी के अन्दर स्केटर्ड होने के कारण रेवेन्यू विलेज एक रहता है तो रेवेन्यू विलेज उसी नाम से है उसमें आबादी एक है और ढाणी के अन्दर अलग है। झुंझुनूं में मेरे स्वयं के जिले में गुढा गांव है उसमें एक पंचायत गुढा गांव में और एक पंचायत गुढा ढाणी में दूसरी पंचायत है। इस प्रकार के उदाहरण मिल जाते हैं। इस गांव की क्या स्थिति है जिसके लिए माननीय सदस्य ने कहा, इस समय मैं निवेदन नहीं कर सकता।

सरपंच के खिलाफ 17 (4) की कार्यवाही हो मैं आपके माध्यम से मान्यवर निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंचों के खिलाफ 17 (4) की कार्यवाही चल रही है उनके जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश हो रही है और की जायेगी। कई कानूनी चीजें ऐसी होती हैं कि एक छोटी सी बात के लिए कितना समय लग जाता है यह माननीय सदस्य जानते हैं। तो उन सब को सुन कर मिनिट्स के आधार पर निर्णय लेना होता है इसलिए समय लगना स्वाभाविक है। लेकिन राज्य सरकार का यह प्रयत्न रहेगा कि सरपंचों के खिलाफ चलने वाली 17(4) की कार्यवाही जल्दी से जल्दी समाप्त हो।

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने चुनावों के संबंध में पुनः बात उठाई। मैने बहुत स्पष्ट कहा था कि चुनाव जो वर्तमान पंचायती संस्थाओं की अवधि 20-1-74, 1-2-74 और 25-2-74 जो श्री टायर सिस्टम चल रहा है उनकी अवधि समाप्त हो रही है। इसके बाद एक साल की अवधि के के लिए आपसे निवेदन किया जा रहा है। तो चार महीने तो पहले ही निकल चुके हैं, और बाकी के 8 महीने रहते हैं। मैंने कहा था कि यह बढ़ा हुआ समय मांगा जा रहा

Page No 120

(120)

(श्री रामनारायण चौधरी)

है। इनके चुनाव इस बढ़ी हुई अवधि में करा दिये जायेंगे और मान्यवर मैं पुनः इसको दोहराता हूं कि जहां तक तारीख तय करने की बात है तो तारीख तो इलेक्शन डिपार्टमेंट डील करता है और कब चुनाव कराये जायेंगे वह मंत्रिमण्डल के निश्चय करने का प्रश्न है। राज्य सरकार के सामने मैं यह प्रश्न रखूंगा और मंत्रिमण्डल इसको तय करेगा।

श्री रामकिशन : और राज्य सरकार कौनसी है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : महीना तो आप बता ही दें कि कौन से महीने में चुनाव करा देंगे। निश्चित महीना बताइये।

श्री रामनारायण चौधरी : निश्चित रूप से इसकी तारीख का ताल्लुक इलेक्शन डिपार्टमेंट से है।

श्री मोठालाल : मैंने निवेदन किया था कि आपने वहां पर दो पंचायतें बना दीं उसके लिए मुझे एतराज नहीं है लेकिन नयी पंचायत बनी है उसमें प्रशासक बैठाइये। उसमें काम कौन करेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने यह बात अभी उठाई है। आपने सुझाव दिया है उसको देखेंगे और उसमें क्या होना चाहिए वह करने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री केशरीमल : चुनाव क्या तारीख से पहले हो जायेंगे ? मन्त्रीजी का जवाब स्पष्ट नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। जैसा आप ठीक समझें। जैसा भी मन्त्रीजी ने कहा वह उत्तर आपके सामने है।

श्री केशरीमल : मन्त्री महोदय के जवाब से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं इसलिए मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हम आपसे तारीख नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आप महीना तो बता दें कि कौन से महीने में चुनाव करा देंगे। मैं समझता हूं कि महीने के बारे में भी आप नहीं बता सकते तो आप काहे के मन्त्री हैं। आप स्वयं सरकार हैं। आप स्वयं कमेटी में रहे। आप महीने की घोषणा तो कर दें....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप महीने की घोषणा करें और आपके कथन के अनुसार उस महीने में चुनाव आपको कराने पड़ेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य (श्री उम्मेदीलाल के बोलते रहने पर) कृपया स्थान ग्रहण करें। आप बोल चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यदि मन्त्री महोदय यह भी आश्वस्त नहीं कर सकते कि कौन से महीने में चुनाव करा देंगे और बार बार टालमटोल कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस सदन में बैठने की आवश्यकता नहीं है और हम एज ए प्रोटेस्ट वाक आउट करते हैं।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मुझे पहले ही आशंका थी कि चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार तैयार नहीं होगी क्योंकि राज्य सरकार का लोकतन्त्र में भरोसा नहीं है और जब लोकतन्त्र में भरोसा ही

(श्री रामकिशन)

नहीं है तो एक तरह से संवैधानिक संकट राज्य में पैदा हो गया है। इसलिए मैं सभापति महोदय सदन से बहिर्गमन करता हूं और सरकार की इस बात के लिए निन्दा करता हूं कि दस सालों में भी इन पंचायती संस्थाओं के चुनाव वह नहीं करा सकी।

श्री मोठालाल : सभापति महोदय, मैं भी मेरे दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं। (सदन से कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी व स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों द्वारा एक एक करके बहिर्गमन)

श्री सभापति : चूंकि खण्डों में संशोधन नहीं है इसलिए मैं विधेयक को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 को मूल रूप में पारित किया जाये ?

स्वीकृत

(विधेयक मूल रूप में पारित किया गया)

अगला राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1974.

श्री सभापति : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1974) को अस्वीकार किया जाये।

सभापति महोदय, राज्य सरकार की क्या प्रवृत्तियां हैं और राज्य सरकार लोकतन्त्र के प्रति कितनी आस्थावान है यह तो हमें राज्य सरकार के पिछले दस सालों के आचरण से जानकारी मिली। लेकिन राज्य सरकार छोटे छोटे मामलों को अध्यादेश के मार्फत जब लाती है तब हमें बहुत अफसोस होता है। आखिर में जिस पर अभी पहले सदन विचार कर रहा था उसमें राज्य सरकार के सामने कोई कठिनाइयां हो सकती थीं, कोई समस्या हो सकती थी लेकिन दूसरा अध्यादेश इस सदन में प्रस्तुत है और जिसके ऊपर विचार किया जा रहा है इसमें आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि राज्य सरकार को इस विधान सभा में आने से पहले सरकार को यह आर्डीनेन्स निकालना पड़ा ? सभापति महोदय, म्युनिसिपल एक्ट की दो धारायें 11 और 23 में संशोधन करने की कोशिश की जा रही है। उसके पीछे राज्य सरकार ने कुछ अपनी मजबूरियां बतलाई हैं। वह यह चाहते हैं कि एक बार किसी बोर्ड की टर्म को बढ़ा दिया तो दुबारा कम करने के अधिकार नहीं हैं और चुनाव कराना चाहें तो नहीं करा सकते। तो एक तरह से राज्य सरकार का कहना है वह अपने आप में सही हो सकता है लेकिन सभापति महोदय यह स्थिति क्यों आती है। राजस्थान में नगरपालिकाओं का समय समाप्त हो गया और राज्य सरकार इसमें भी समय बढ़ाने के लिए जा रही है क्योंकि वह चुनाव नहीं कराना चाहती है इसलिए वह समय लेना चाहती है। आखिर जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं वह स्थिति म्युनिसिपेलिटीज की नहीं है। म्युनिसिपेलिटीज की तादाद बहुत कम है। न तो वहां किसी विधान सभा के चुनावों का असर पड़ने वाला है, न अकाल का सवाल है फिर आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोक संस्थाओं के प्रति राज्य सरकार का दकियानूसी दृष्टिकोण बन गया है याने जब समय

(श्री रामकिशन)

पर चुनाव हो जाने चाहिए आज जरूरत इस बात की है सभापति महोदय कि देश में चारों तरफ असन्तोष है, गैर बराबरी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई और आर्थिक संकट है उसकी वजह से जो असंतोष है उस असंतोष को सरकार खुद अपने ऊपर लेना चाहती है। अभी सदन में मुख्य मन्त्रीजी कह रहे थे कि राजस्थान की जनता बड़ी शांत है, धीर है, यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप उस स्थिति के लिए खुद कारण बनने जा रहे हैं। जहां लोगों का अविश्वास ज्यादा बढ़ जाएगा, आर्थिक हालात खराब हैं, उस सूरत में इस राज्य को भी यह दिन देखना पड़ सकता है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन अधिकारों का उपयोग क्या करेंगे। अगर यह समझते हैं कि हमें कुछ समय चाहिए, इन नगरपालिकाओं के एक्ट में संशोधन करेंगे तो फिर आप इस मामूली संशोधन को आर्डीनरी वे में विधान सभा में ला सकते थे और इस आर्डीनेंस को लाने की आवश्यकता क्या थी इस तरह का संशोधन जो करना चाहते हैं उसको राज्य सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। जब कभी टाइम बढ़ाना चाहें या घटाना चाहें तो उसके लिए कानूनी तौर पर कानून के मार्फत संशोधन ला सकते हैं, आर्डीनेंस की क्या जरूरत थी। मैं यह मानता हूं कि राज्य सरकार का यह संशोधन का कदम सही है, मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं मानता। लेकिन यहां पर हमारी सरकार की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके उपयोग और दुरुपयोग के सवाल पर आपत्ति है। सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन करना और है कि जो नगरपालिकाओं की स्थिति है, ग्राम पंचायतों की स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। इन नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों में सरकार थोड़ा बहुत अपने जो आर्थिक साधन हैं उनको ग्रामीण विकास के लिए लगाती है, हालांकि आर्थिक साधन बहुत कम हैं और ग्राम विकास के लिए बहुत कम आर्थिक साधन उपलब्ध करा पाती है लेकिन आज जो नगरपालिकाओं की हालत है वह बड़ी दयनीय हालत है। आबादी बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही शहरीकरण भी बढ़ता जा रहा है। लोग गांवों से शहरों में आ रहे हैं लेकिन जो नगरपालिकाओं की समस्यायें हैं उनके समाधान के लिए जो साधन होना चाहिए वह साधन नहीं है। एक बात मेरी समझ में नहीं आयी सभापति महोदय, हमने नगर न्यास, नगर सुधार न्यास बनाएं और नगरपालिकाएं भी बना रखी हैं। अब यह व्यवस्था किसलिए की? हमारी इन व्यवस्थाओं से क्या लाभ है, यह अपने आप में एक विरोधाभास है। कई जगह दोनों हैं, नगर न्यास भी है और नगरपालिकाएं भी हैं और जो इनका कार्य कलाप है वह इतना सम्मिलित है, इतना मिला जुला है कि उसके लिए दूसरी किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। दोनों जो संगठन खड़े किए हैं उनकी वजह से आज हालत यह है कि कुछ शहरों का विकास तो इस विरोधाभास के कारण रुक जाता है। यह काम नगरपालिका का है या नगरन्यास का है और दोनों में कोई समीकरण नहीं है। इसलिए शहरों का विकास रुक रहा है और नयी नयी समस्यायें पैदा होती हैं। और जो मौजूदा एक्ट है वह किसी प्रकार से पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। यहां पर किसी भ्रष्टाचार की बात करना तो निरर्थक है क्योंकि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार की बात करना बेकार है क्योंकि भ्रष्टाचार और कांग्रेस यह दोनों साथ साथ जन्मे

(श्री रामकिशन)

हैं और साथ साथ ही मरेंगे। अगर कांग्रेस मर गई तो भ्रष्टाचार भी मर जाएगा और जब तक कांग्रेस जिन्दा है तब तक भ्रष्टाचार रहेगा, यह दोनों सहोदर हैं।....

श्री दीपंकर: आपके जमाने में भी भ्रष्टाचार रहा है " (व्यवधान-अश्रव्य)

श्री रामकिशन: दोनों जुड़वा भाई हैं। आप क्या बोलते रहते हैं, बीच 2 में।

श्री दीपंकर: आप जब भ्रष्टाचार की बात बोलते है तो हम यह बोलते हैं कि आपका दल भी भ्रष्टाचार नहीं मिटा सका था। क्या उसने भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया था।

श्री रामकिशन: कहां पर रहे थे?

श्री दीपंकर: शासन में।

श्री रामकिशन: कौन से शासन में? माननीय सदस्य कौन से शासन की बात कर रहे है?

तो सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि आखिर इस देश की जो स्थिति है उसमें इस सरकार की क्या सुधार के लिए तैयारी है। हम बड़े स्तर पर नहीं जायें, छोटे स्तर पर जो गड़बड़ियां होती हैं उनका निराकरण भी शासन के द्वारा नहीं हो पाता, सरकार इस मामले में कुछ नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में जनता में अविश्वास पैदा होता है, अव्यवस्था पैदा होती है और अशांति पैदा होती है। कोई भी बड़ी अव्यवस्था पैदा हो ऐसा मैं नहीं चाहता हूं लेकिन जब अव्यवस्था और अशांति बगैर किसी उद्देश्य के पैदा होती है तो या तो उसके परिणामस्वरूप ऐसा शासन आएगा जो या तो तानाशाह होगा या ऐसे दल का शासन आएगा जो तानाशाही का समर्थक होगा। सभापति महोदय, आज हमारे देश की जो स्थिति है, जो हमारे राज्य की स्थिति है, उसमें सरकार जाने अन-जाने में उसी दिशा में जा रही है। मैं एक बात मिसाल के

(समय 4-25 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पीठासीन)

तौर पर नगरपालिकाओं के बारे में जो छोटी 2 चीजें हैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे भरतपुर में म्यूनिसिपलिटी थी। म्यूनिसिपलिटी के कुछ सदस्यों ने गलत काम किया। यहां के वाईस चेयरमैन हैं उन्होंने राज्य सरकार को बहुत बड़ी शिकायतें भेजीं, मैम्बर्स ने जो गड़बड़ियां की, जमीन बेचने के बारे में प्लान्ट्स के मामले में और कई तरह के मामलों में जो नगरपालिका को आर्थिक क्षति हुई और इन मेम्बरों ने नाजायज फायदा उठाया। आज तक उस मामले की, सभापति महोदय, जांच नहीं की जाती है। जब जांच का सवाल आता है तो राज्य सरकार पर संकट पैदा हो जाता है और यह तो मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच नहीं, सरकार के बड़े अधिकारियों की जांच नहीं, उसमें आपको परेशानियां हो सकती हैं लेकिन जब ऐसे मामूली मामले हों, जिसमें राजस्व का घाटा होता हो, सदस्य लोग गड़बड़ करते हों, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हों, उनकी आप जांच भी नहीं करायें, सजा नहीं दें यह बहस नहीं है, लेकिन जांच भी आरम्भ न

(श्री रामकिशन)

करें और फिर शिकायत भी कोई ऐसे वैसे की नहीं, नगरपालिका का वाईस चेयरमेन शिकायत करता है, दूसरे मेम्बरों की शिकायत करता है और मामले भी बहुत गम्भीर नहीं लेकिन फिर भी कोई जांच नहीं की जाती है तो फिर ऐसी सूरत में नगरपालिकाओं को और पंचायतों को आप हटा भी सकेंगे इसमें विश्वास नहीं होता। इसमें सभापति महोदय, कोई बड़ी समस्या नहीं है, इन नगरपालिकाओं के लिए जो माननीय मंत्रीजी अध्यादेश लाये हैं उसके साथ साथ हमारे कुछ दूसरे सवाल हैं।

इस मौजूदा एक्ट में नगरपालिकाओं का कार्यकाल तीन वर्ष का है। अब यह तीन वर्ष का कार्यकाल बहुत पुरानी बात थी। उस समय ग्रामपंचायतों का कार्यकाल तीन वर्ष का था, जिला परिषदों का कार्यकाल तीन वर्ष का था और नगरपालिकाओं का कार्यकाल भी तीन वर्ष का रखा गया था। मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि जब हम इस बिल पर विचार कर रहे हैं तो हमें इसका कार्यकाल भी पांच वर्ष का कर देना चाहिए क्योंकि आजादी के टाईम से जैसे 2 चेंजेज हुए हैं, जो स्थितियां हैं उनमें बोर्डों का तीन साल का कार्यकाल, निकायों का तीन साल का समय कम है, उनको आपको काम करने का पूरा मौका देना चाहिए। मेरा सुझाव इस संबंध में यह है, मेरा संशोधन है और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी जो मियाद तीन साल की रखी गई है उसको पांच साल रखा जाय।

इसके साथ साथ एक व्यवस्था और करनी चाहिए कि जो नगरपालिकाएं हैं, स्वायत्त शासी संस्थायें हैं उनमें यह अविश्वास प्रस्ताव बहुत आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लोकतन्त्र में आना मैं स्वस्थ परम्परा मानता हूं, लेकिन कभी-2 हमारे जो देश की प्रणाली में उसमें दो दलीय व्यवस्था तो विकसित हुई नहीं है, बहु दलीय प्रणाली है। असमानता के आधार पर सरकारी एक्ट के अधीन स्थानीय निकायों और पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में भी एक समस्या कभी 2 ऐसी खड़ी हो जाती है कि जैसे ही कोई म्यूनिसिपैलिटी में काम शुरू हुआ और अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव आवें, मैं इसका समर्थक हूं लेकिन इतनी बात जरूर चाहूंगा कि अगर म्यूनिसिपैलिटीज के लिए इनका कार्यकाल पांच साल का कर दिया जावे तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का समय, आज के समय के अनुसार, बहुत कम है। कई 2 बार देखने में आता है कि कोई भी नगरपालिका जब काम करना शुरू करती है तो छः छः महीने में अविश्वास प्रस्ताव आता रहता है और जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसमें भ्रष्टाचार चलता है। कभी तो सदस्य इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे देते हैं कि वे चेयरमैन से नाराज हैं। अगर चेयरमैन उनकी पूजा कर दे, उनके लिए जमीन का बन्दोबस्त कर दे, उनको पैसा दे दे तो उसी के लिए अविश्वास प्रस्ताव की धमकी देते रहते हैं। इसलिए यह अवश्य करना चाहिए कि करप्शन के मामलात की तत्काल जांच हो लेकिन साथ ही साथ जब नगरपालिका का कार्यकाल पांच साल का हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का समय भी कम से कम ढाई साल होना चाहिए। नगरपालिका का कार्यकाल ढाई साल का होने के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव

(श्री रामकिशन)

लाने दिया जाय ताकि उनको किसी न किसी तरह काम करने का मौका मिल सके।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इन संस्थाओं की आमदनी बढ़ाने की भी कोशिश करे। अभी यहां राज्य सरकार ने ग्राण्ट देने की बात कही है। अनुदान देने के लिए आठ आने से एक रुपया कर दिया गया है, लेकिन आज जो शहरों की समस्या है, सफाई की समस्या है, रोशनी की समस्या है, कर्मचारियों की समस्या है और तरह 2 की समस्यायें हैं, उनके लिए किसी नगरपालिका विशेष को छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकांश में आमदनी के श्रोत बहुत कम हैं, वह अपना काम बढ़िया ढंग से नहीं चला पाती। मैं चाहूंगा कि उनके पास आमदनी के जरिये हों। जिस तरह की आज की हालत है, केवल चुंगी के मारफत आमदनी करे या जमीनों को बेचकर आमदनी करें लेकिन जमीनें बेचने की भी सीमा है, वह सीमा करीब 2 समाप्त होने वाली है, नगरपालिकाओं के पास अब जमीनें नहीं हैं बेचने के लिए, या तो ट्रस्ट बन गए हैं. ट्रस्ट नहीं हैं तो नगरपालिकाओं के पास जमीनें भी नहीं हैं और शहरीकरण होता जा रहा है, आबादी बढ़ रही है तो इन नगरपालिकाओं के लिए आमदनी के श्रोत तलाश करना चाहिए जिससे नगरपालिकाएं अपना काम पूरा कर सकें, खास तौर से सफाई का जो कार्य है उसको कर सकें। जब हम हिन्दुस्तान के कस्बों और शहरों को देखते हैं तो शास्त्रों में जो नरक का वर्णन आता है वह तो भले ही कहीं पर होगा लेकिन नरक का प्रतीक आपको कहीं पर भी इस गन्दगी के रूप में मिल जाएगा। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। एक दिन मैं, आचार्यजी, केदारजी और कुछ लोग रेगरों की बस्ती देखने चले गए शराब के सम्बन्ध में, शराब की दुकान के सम्बन्ध में। सभापति जी भी साथ थे। उस दिन हमने देखा सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हम जयपुर के बाहरी रूप को देख लेते हैं, इसके गुलाबीपन को देख लेते हैं, चौड़ा रास्ते को देखते हैं, लेकिन इन गरीब कंगाल लोगों की जिन्दगी इस गन्दगी में किस तरह से बीतती है, उनका जीवन क्या है, मैं समझता हूं कि उस मोहल्ले में गर्मी, सर्दी, बरसात, तीनों ऋतुओं का प्रभाव नहीं पड़ता होगा। सर्दी में धूप नहीं दिखेगी, गर्मी में हवा नहीं मिलती होगी और बरसात में नाले बहते होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इन सारी समस्याओं को मौजूदा आमदनी पर, मौजूदा आय के स्रोतों पर संभाला नहीं जा सकता। सभापति महोदय, मैं भरतपुर के बारे में जिक्र करना नहीं चाहता। मैं कभी भी अपने शहर अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के बारे में यहां पर बोलता नहीं हूं परन्तु आज भरतपुर शहर के बारे में अवश्य ही कहना चाहता हूं। आज हालत वहां पर यह है कि सफाई की पूरी व्यवस्था नहीं है। पुराने टाइम में जब भरतपुर 8 हजार आबादी का कस्बा था, उस वक्त की सड़कें और नालियां बनी हुई हैं। 8 हजार की आबादी के बजाय आज भरतपुर शहर एक लाख आबादी का हो गया है। लेकिन अभी भी वही रास्ते हैं, वे ही नालियां हैं जो कि पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। वहां पर पानी निकलने का भी रास्ता नहीं है। मंत्री महोदय ने भरतपुर में विश्राम किया है। परन्तु आप शहर से दूर रहते थे। सिंचाई विभाग के डाक बंगले में रहते थे इसलिये शहर की गन्दगी का आपको पूरा

(श्री रामकिशन)

अहसास नहीं है। मुख्य मंत्रीजी गलियों में जरूर गये थे लोगों से मिलने जुलने निवेदन करने....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उस विश्राम को आपने बेकार कर दिया।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज भरतपुर की यह हालत है। वहां पर गन्दगी है। गटर का कोई सिस्टम नहीं है। उस शहर से गंदगी निकालने का कोई इलाज नहीं है। नगरपालिका के पास अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के अलावा किसी सड़क या लट्ठा लगाने के लिये पैसा नहीं है। माननीय मुंशीलाल जी ने भी वहां पर निवास किया था। वे रात को तो डाक बंगले में रहते थे और दिन को मोहल्ले में घूमते थे। उन्होंने खुद ने इन मोहल्लों को देखा है। क्या ऐसी गन्दगी में वहां पर आदमी जिन्दा रह सकता है? क्या ऐसी जगह इन्सान के रहने के लिये है? इस देश में पानी नहीं है, अनाज नहीं है, कपड़ा नहीं है और रहने के लिये साफ जमीन भी नहीं है। 25 साल के आयोजन के बाद हम रहने के लिये साफ जमीन भी मुहय्या नहीं कर सके हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग मंत्री पद कैसे स्वीकार कर लेते हैं। संकोच क्यों नहीं होता है मंत्री पद स्वीकार करते हुए। सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के मौजूदा राजनीतिक ढांचे में मंत्री पद स्वीकार करना एक शर्म का काम है। यह मंत्री पद आपने कोई प्रतिभा या योग्यता से प्राप्त नहीं किया गया है। समाज में जिनको नीचा दिखाना है, समाज में जिनको बेइज्जती करना है, समाज में जिनको अप्रतिष्ठित कराना है, उनको मंत्री पद दे दें इससे बढ़कर उसको और कोई सजा आज नहीं है। हो सकता है मंत्री पद स्वीकार करने से आर्थिक लाभ हो और कुछ काम भी हो किन्तु जनता की नजर में मन्त्री आज की तारीख में जितने अप्रतिष्ठित हैं, और कोई नहीं है। यह अप्रतिष्ठा और किसी कारण से नहीं, इन्हीं समस्याओं के कारण से है। आज तक आप इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाये हैं। क्या सरकार इस बात के लिये आर्डिनेंस नहीं ला सकती थी। आज शहरों में लोग एक तरफ गन्दी बस्तियों में रहते हैं, तंग मोहल्लों में रहते हैं और दूसरी तरफ राजभवन है, मुख्य मन्त्री का बंगला है जहां कम से कम 150 परिवार रह सकते हैं। लोकतांत्रिक मुल्क में इससे बढ़कर विषमता और क्या हो सकती है। जिस मुल्क में शांति हो, जो मुल्क समाजवाद लाना चाहता है वहां पर इन चीजों को योजनाओं के जरिये दूर किया जाता है। जो बड़े बड़े मकान हैं, फिर चाहे वे सेठों के हों, चाहे राजभवन हों, चाहे मन्त्रियों के बंगले हों, जब जमीन की कमी है, दूसरे लोगों को बसाने का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं, तो यह मांग लेकर मंत्री महोदय यहां पर आते कि जमीन नहीं है इसलिए जिनके पास अधिक जमीन है उनको लिया जाता है, इस बात के लिए वे आर्डिनेन्स लेकर आते तो मैं मन्त्री महोदय का समर्थन करता कि आपने बढ़िया काम के लिए यह कदम उठाया है। आज हालात यह है कि भरतपुर में पीने का पानी नहीं है। वहां पर एक नहर है। भरतपुर में पीने के पानी का एकमात्र साधन यह नहर थी। भरतपुर में पानी का साधन केवल यह नहर है। रियासत के जमाने में यह आतंक

(श्री रामकिशन)

था लोगों पर कि कोई भी इस नहर पर साबुन से कपड़े नहीं धो सकता था। इससे लोगों को शुद्ध पानी मिलता था। आज हालत यह है कि वाटर वर्क्स भी पानी नहीं पाता है। नहर की सफाई के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है। इसकी सफाई नहीं हो रही है और दूसरी ओर पीने का पानी नहीं है। गटर का गंदा पानी, अस्पताल की गन्दगी और फ्लश की लेट्रीन का पानी भी इस नहर में डाला जा रहा है। आमतौर पर यह देखने में आ रहा है इस शहर में गन्दगी का ढेर है। इसी तरह से जो डेयरी का गन्दा दूध है वह भी इसी नहर में डाल दिया जाता है। कहीं पर भी सफाई का सवाल नहीं है। गरीब आदमी इसका पानी पीते हैं। उनके पास नल नहीं है और किन्हीं के पास नल है तो नल से पानी नहीं मिलता है। ले देकर इसी नहर का पानी पीते हैं। आज यह स्थिति है। बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं परन्तु नागरिकों को जो साधारण अधिकार हैं जिन्दगी बसर करने का, वह भी यह सरकार उपलब्ध नहीं करा सकी है। फिर मैं यह समझ नहीं पाता कि राज्य सरकार को राज्य करने का नैतिक अधिकार कहां रह जाता है। आप वोट ले चुके हैं। वोट आपको मिल चुके हैं। सम्भव है आगे भी मिल जायें। जब तक इस देश में हरिजन, मुसलमान और ब्राह्मण हैं, ये तीनों जातियां हैं कांग्रेस को वोट मिलते रहेंगे।

एक माननीय सदस्य : ब्राह्मण भी वोट देंगे ?

श्री रामकिशन : ब्राह्मण भी हैं क्योंकि इन्दिरा गांधी ब्राह्मण हैं और इसलिए हर ब्राह्मण यह समझता है हमारा राज्य है। आप इन्दिरा गांधी को नहीं जानते हैं। जरूरत पड़ने पर वे ब्राह्मण हो जाती हैं, जरूरत पड़ने पर वे पारसी हो जाती हैं। उनकी कला का आपको ज्ञान नहीं है। यह हम अधिक जानते हैं। मेरा यह निवेदन है कि आप किसी एक शहर को आदर्श शहर बनाइये। कोई व्यक्ति विदेश से आता है तो हम उसको शहर दिखाते हैं कि यह हमारे यहां आदर्श शहर है या आदर्श गांव है। जब हम सोवियत यूनियन जाते हैं तो वहां पर आदर्श नगर दिखाया जाता है, किसी आदर्श फैक्ट्री को दिखाया जाता है कि यह आदर्श चीजें हैं। इस प्रकार लोकतांत्रिक देश अपने यहां की दस पांच चीजें जो आदर्श होती हैं, उनको दिखाता है। परन्तु हमारा हिन्दुस्तान ऐसी एक भी चीज नहीं दिखा सकता है। यहां पर कोई आदर्श चीज नहीं है। कोई आदर्श फैक्ट्री नहीं है। आवास की पहले से ही समस्या है। किसी एक समस्या का हमने समाधान नहीं किया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार यह संशोधन लाई है आर्डिनेन्स की मार्फत।

एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। नगरपालिका के चुनावों में आपको क्या दिक्कत है ? इनके चुनाव किसी से जुड़े हुए नहीं है। विधान सभा के चुनावों के साथ इसके चुनाव जुड़े हुए नहीं है। यह तो थोड़ी सी नगरपालिकायें हैं, 100/125 नगरपालिकाएं हैं। आप चुनाव करा दें। मैं समझता हूं आपका वजन हल्का होगा वरना तरह तरह की शिकायतें आयेंगी। एक बात और कहूंगा मन्त्री महोदय आपको मौका मिला है। नमक की झील में पड़ कर आप भी नमक मत बन जाइये। आप शीघ्र ही

(28)

(श्री रामकिशन)

इनके चुनाव करायें और जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनकी जांच कर सजा दें। इस मामले में किसी भी प्रकार की सिफारिश को न मानें। यह कुछ किया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश का जो नागरिक शासन है उसमें लोगों की आस्था बढ़ेगी वरना आज जनता यह सोचने लगी है कि यह विधान सभा, संसद, पचायतें, म्युनिसिपेलिटीज ये सब के सब विवाद के केन्द्र हैं और होता कुछ भी नहीं है। लोगों की अनास्था इनकी ओर बढ़ रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिये जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हम ला सकते हैं वह निर्मूल होता जा रहा है और इसके

(4.38 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष पदासीन)

लिये हम जिम्मेवार होंगे। मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। आज नगर पार्षद टैक्सों की चोरी करते हैं। गबन करते हैं। इस प्रकार के आरोप आपके विभाग के पास हैं। हमारे भरतपुर में एक एक सदस्य ने सारे शहर की जमीन खरीद ली है। हर दरवाजे पर उनके मकान की जमीन होगी। एक सदस्य तो ऐसे हैं जितने भी दरवाजे हैं, उनके पास उनकी जमीन होगी। कहीं अपने नाम से ली है। कहीं अपने परिवार के नाम से ली है। राज्य सरकार के पास उनकी शिकायतें हैं और उन शिकायतों का आप निराकरण नहीं करेंगे तो दूसरे सदस्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और यह प्रवृत्ति बढ़ती जायेगी। मैं राज्य सरकार से यह चाहूंगा कि यह जो संशोधन है, एक्सटेन्शन करने का उसका मैं विरोध नहीं करता हूं, स्वागत करता हूं परन्तु इसका आप सही उपयोग करेंगे या नहीं यह शंका का विषय है। अगर आप चुनाव करा देते हैं तब तो ठीक है अन्यथा यह सब निरर्थक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो अध्यादेश लागू किया है, प्रसारित किया है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस दल के सदस्यों को भी कम से कम अपने विवेक से काम लेना चाहिये। यह ठीक बात है उनके ऊपर दल की मर्यादा है, उनके ऊपर दल का अनुशासन है। अनुशासन का मतलब है वाणी की स्वतन्त्रता और कर्म का बन्धन। यह उल्टी बात हो रही है। अनुशासन के नाम पर कर्म को भी बांधा जा रहा है और वाणी को भी बांधा जा रहा है। अनुशासन का यह थोथा अर्थ लगा कर आपको दबाया जा रहा है। आप भी यह महसूस करते हैं और भीतर भीतर दबते हैं, डरते हैं, यह तो ऐसा सवाल है जिस पर आपको स्वतन्त्रता होनी चाहिये। अनुशासन का डंडा आपके मन के ऊपर नहीं होना चाहिये।

श्री दीपंकर। हमारे दल को आपकी नेक सलाह की जरूरत नहीं है।....

श्री रामकिशन : आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। आप तो ज्ञानवान हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गये। मैं कृतार्थ हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने प्रस्ताव सदन के सामने रखे हैं मैं समझता हूं कांग्रेस दल, प्रतिपक्षी दल के सदस्य इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और माननीय मंत्रीजी जो अध्यादेश लाये हैं उसको यह सदन अस्वीकार करे यह मुझे आशा है।

श्री उपाध्यक्ष (श्री गिरधारीलाल भार्गव): आप एक मिनिट तशरीफ रखिये। एक प्रस्ताव पेश हो रहा है।

श्री जयनारायण रोत : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के 16 वें प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1969–70 के लिए अतिरेक मांगों तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर दिनांक 11 अप्रेल, 1974 को विचार किया जाना है। अतिरेक की मांगें आज वित्त मंत्री द्वारा सदन में उपस्थापित की जा चुकी हैं। प्रक्रिया के नियम 143 के अनुसार अनुदानों की मांगें ऐसे क्रम में रखी जायेंगी जो सदन के नेता जनलेखा समिति की सलाह पर विचार करने के पश्चात निश्चित करें। चूंकि जनलेखा समिति का अभी तक सदन द्वारा निर्वाचन नहीं हुआ है और मांगों का क्रम निश्चित किया जाना आवश्यक है ताकि माननीय सदस्य कटौती प्रस्तावों की सूचना समय पर दे सकें। अत: मैं नियम 306 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि मांगों के विन्यास के सम्बन्ध में नियम 143 का लागू होना निलम्बित कर दिया जाय।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदानों की मांगों का क्रम माननीय अध्यक्ष द्वारा ही निश्चित किया जाय।

श्री केदारनाथ : इसमें मेरा आब्जेक्शन यह है कि नयी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के नये इलेक्शन न हो जायं तब तक यह कमेटी ही कार्य करती रहे।

श्री रामकिशन : कमेटी भंग कैसे हुई जब तक दूसरे चुनाव नहीं होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कमेटी एक वर्ष के लिये थी और एक वर्ष का समय समाप्त हो चुका है इसलिए यह है।

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि नियमों का रिलेक्सेशन किया जाकर माननीय अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार दिये जायें कि वे मांगों का क्रम निश्चित कर सकें। क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की जाती है और प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन 11 में राज्य सरकार यह शक्ति लेना चाहती है कि यदि म्युनिसिपैलिटी का समय दो वर्ष के लिए भी बढ़ा दें और बीच में उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो गई और चुनाव कराना चाहें तो वह अधिकार अपने हाथ में ले सकती है। यह बड़ी सद्बुद्धि वाला प्रश्न है। राज्य सरकार चुनाव ही कराना चाहती है तो मैं समझता कि उसको रोक कौन सकता है?

दूसरी बात यह सेक्शन 23 में कहा गया है कि इलेक्शन पोस्टपोन्ड करने के बाद में चुनाव यदि पोस्टपोन्ड करना हो तो सरकार को शक्ति चाहिए तो वह शक्ति भी सरकार के पास मौजूद है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जयपुर म्युनिसिपैलिटी का उदाहरण देकर कि जयपुर नगर परिषद् तो केवल एक समय ऐसा निकला है कि 3 वर्ष तक म्युनिसिपैलिटी ने काम किया है वर्ना जयपुर म्युनिसिपैलिटी में तो शुरू से लेकर आज तक

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

प्रशासक ही रहा है। 1945 में जयपुर नगर परिषद् के चुनाव हुए थे उसमें सबसे पहले श्रीमान देवीशंकरजी तिवाड़ी चेयरमैन हुए थे। इन 29 वर्षों में केवल 9 वर्ष तक ही चुनी हुई नगरपालिका ने काम किया बाकी 20 बर्ष तक, 45 से 74 तक 20 वर्षों तक यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर ही रहें हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ही राज्य किया है। 46 से 50 तक गुलाबचन्दजी कासलीवाल, 50 से 52 तक रामकिशोरजी व्यास, 53 से 55 तक रूपनारायणजी। आर. डी. थापर 4-9-53 तक रहे और 1-7-55 तक आर. के. चतुर्वेदी रहे। फिर 2-7-55 से 7-8-56 तक एस. एन० मिश्रा रहे। फिर 8-8-56 से जुलाई 59 तक श्याम बिहारीलाल। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर आये श्री टी. एन. कौल। वह 17-7-60 तक रहे और 18-7-60 से 10-4-61 तक हिम्मतसिंहजी प्रशासक रहे और फिर शिवजीराम 10-11-61 तक प्रशासक रहे। इसके बाद दो महीने चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी रही। उसके बाद श्यामबिहारीलाल जी आये और फिर शान्तिस्वरूप सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक 7-4-62 तक रहे। उसके बाद 8-4-62 से 27-4-63 तक डी. एस. मेहता डाइरेक्टर के पद पर रहते हुए भी प्रशासक के पद पर रहें। वह डाइरेक्टर भी रहे और एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। 28-4-63 से 24-1-64 तक सूर्य स्वरूप माथुर प्रशासक। फिर 24-1-64 से 23-1-67 तक डा. मथुरालाल शर्मा अध्यक्ष रहे। इसके बाद गोकुलप्रसादजी शर्मा एडमिनिस्ट्रेटर रहे 24-1-67 को। उसके बाद श्रीकृष्ण शर्मा कमिश्नर भी रहे 24-7-70 से। उसके बाद के. पी. शंकरन कलेक्टर के पद पर रहे और म्युनिसिपलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। उसके बाद सदासुखी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डाइरेक्टर भी रहे और प्रशासक भी रहे। उसके बाद चुनाव हुए म्युनिसिपलिटी के और अब 11-12-73 से जो यहां के कमिश्नर थे श्री भारद्वाज साहब वह यहां के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। तो मेरा मतलब यह है कि 29 वर्षों में 9 बर्ष चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी रही वर्ना बराबर प्रशासक बना रहा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जयपुर की योग्यता के अनुसार ही हुआ। कोई खराब हुआ क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यहां का विकास नहीं हुआ, यहां की सड़कें नहीं बनीं यहां पर रोशनी का प्रबन्ध नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिरकार जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और जयपुर राजस्थान की राजधानी है इसलिए यहां की जनसंख्या 9 लाख की है तो यहां पर नगर निगम का चुनाव होना चाहिए। 66 के इन्टर स्टेट रूल्स के आधार पर जहां पर 5 लाख की आबादी है वहां पर नगर निगम का चुनाव हो जाना चाहिए। यहां जयपुर में नगर परिषद हैं, चौमूं में नगर पालिका है, आमेर में नगरपालिका है तो जयपुर की नगर परिषद और आमेर की नगरपालिका में कोई अन्तर नहीं है, नाम का अन्तर है। बाकी काम में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। यहां पर नगर निगम बने नहीं। नगर विकास न्यास की आवश्यकता नहीं हैं वहां पर नगर विकास न्यास में म्युनिसिपैलिटी से दो मैम्बर चुनकर भेजते हैं तो नगर-विकास न्यास में म्युनिसिपैलिटी से जो चुनकर गये हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पावर नहीं। आज हालत विकास की यह है कि यू. आइ. टी लोगों को मकान देने में असमर्थ रही, यू. आइ. टी० विकास करने में असमर्थ रही। म्युनिसिपैलिटी और ट्रस्ट के रूल्स में यह प्रावधान है कि नगर विकास न्यास किसी एक बस्ती का समुचित विकास करके नगर परिषद को सौंपेगा, लेकिन जयपुर विकास न्यास ने जयपुर क्षेत्र में आज तक किसी भी बस्ती का पूर्णरूप से विकास करके नगर परिषद को नहीं सौंपा। इसका मतलब यह है कि जहां पर चले जायं इधर म्युनिसिपैलिटी का राज्य है तो उधर यू. आई. टी. का राज्य है। ऐसी सड़कें हैं जिसकी न तो म्युनिसिपैलिटी, न विकास न्यास या पी. डब्लू. डी. ही जिम्मेदारी लेता है। जयपुर में सड़कों का विकास नहीं, जयपुर की सड़कों की मरम्मत नहीं और एक विभाग, दूसरे विभाग पर टालता हुआ चला जाय। जयपुर में लगातार एडमिनिस्ट्रेटर काम करे तो सत्यानाश होगा। सरकार को चुनाव कराने की किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं। आज चिन्ता व्यक्त की जा रही है चुनाव करा दिये जायेंगे। सरकार को किस ने रोका? विरोधी पक्ष ने रोका नहीं है। जब म्युनिसिपैलिटी कार्य कर रही थी कुछ म्युनिसिपैलिटीज को छोड़कर यह कहा जाता था कि ज्योंही म्युनिसिपैलिटी की टर्म खत्म होगी नगर परिषद के चुनाव हो जायेंगे और पुरानी परिषद नई परिषद के मेम्बर्स को अपना कार्यभार सौंपकर जायेगी। तो 10 तारीख को एक आर्डर निकाल दिया कि कमिश्नर जो है वह एडमिनिस्ट्रेटर बन जायगा। आइ. ए. एस. आफिसर नहीं है। कई कमिश्नर्स को प्रशासक बना दिया गया। इस प्रकार से लोग हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन हुई और वहां सरकार को यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि कुछ समय बाद नगरपालिकाओं के चुनाव करा देंगे। क्यों लोग कोर्ट में जायें? ज्योंही कार्यकाल समाप्ति हो चुनाव करा देना चाहिए ताकि नई परिषद को पुरानी परिषद कार्यभार सौंपे और एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में प्रशासन न जाय। यह सरकार माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करती है इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर नगर निगम बनाया जाय ताकि इधर उधर की व्यवस्था जयपुर में न चले और यहां कि सड़कों का विकास हो, जयपुर का पूर्णरूप से विकास हो। इससे नगर विकास न्यास आटोमेटिकली भंग हो जायगा।

इसके साथ-साथ कुछ प्रशासनिक मुद्दे भी हैं। इन दोनों के अधिकारों में अन्तर हैं। चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी है उसकी स्टैंडिंग कमेटी जो होगी उसको केवल 15 हजार का विकास कार्य करने का अधिकार होगा और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको पूरे अधिकार होते हैं। मैं समझता हूं कि चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी को कम से 40 हजार का निर्माण कार्य करने का प्रावधान रखना चाहिए। केवल 15 हजार का निर्माण कार्य करने का अधिकार दिया गया है, और हालत यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जांय तो माननीय रामकिशनजी कह रहे थे कि वहां भरतपुर में कांग्रेसी पार्षदों ने भूमि पर कब्जा कर लिया तो उसी तरह से यहां पर नई आमेर रोड़ और पुरानी आमेर रोड़ के बीच में एक पटरी थी और सरकार की जमीन थी तो लोगों ने फुटपाथ पर 16 दुकानों का अनधिकृतरूप से निर्माण कार्य

Page No 132

(132)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कर लिया और म्युनिसिपैलिटी उनको तोड़ नहीं सकी। चीफ सेक्रेटरी से वार्ता की गई, कलेक्टर से वार्ता की गई। प्रशासक ने कहा कि मेरी सड़क नहीं है, वह पी. डब्ल्यू. डी. की है, वही करेंगे। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपैलिटी करेगी, हम नहीं करेंगे, यह म्युनिसिपैलिटी का काम है। इस प्रकार के अनाथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन होते हैं। बाहर के टूरिस्ट आते हैं, उनको भी इससे असुविधा होती है। ऐसे एक मेम्बर नहीं, अनेक मेम्बर हैं जिन्होंने पक्की दुकान बना ली हैं और अनधिकृत निर्माण कार्य करा लिया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगर परिषद को पांच सौ रुपये की जमीन बेचने का अधिकार है, यह अधिकार है आक्शन से बेचने का। बोर्ड को दो सौ रुपये की जमीन बेचने का अधिकार है। नगर परिषद आक्शन से बेचेगी पांच सौ रुपये तक की जमीन और दो सौ रुपये तक की जमीन बेचेगा बोर्ड आक्शन से। नगर परिषद को एक रुपये की जमीन बेचने का, स्ट्रिप आफ लैंड जो पड़ा हुआ है, उसको बेचना चाहे तो बेचने का अधिकार नहीं है, बेच नहीं सकती है और उसको बेचना है तो उसके लिए पूर्व स्वीकृति कलेक्टर की आवश्यक है। यह कहां का मजाक है। नगर परिषद एक रुपये की जमीन भी नहीं बेच सकता, बेचना चाहें तो उसके लिए कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है और पांच सौ रुपये की जमीन नीलामी से बेच सकेगा, उसके लिए भी कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नगर में कोई जमीन है, स्ट्रिप आफ लैंड है, इसको कौन तय करेगा कि कौनसी हैं, कौनसी नहीं। म्युनिसिपैलिटी की जमीन पड़ी है, उसको नगर परिषद बेचना चाहता है, तो यह स्ट्रिप आफ लैंड है या नहीं, इसको चीफ टाउन प्लानर और नगर परिषद के अधिकारी बैठ कर तय करेंगे। स्ट्रिप आफ लैंड है या नहीं, उसे बेच सकता है या नहीं इसको मुख्य नियोजक अधिकारी के साथ बैठ कर तय करेंगे। और जो जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसको स्ट्रिप आफ लैंड मान लिया है और नगर परिषद उसको बेचेगा, और पांच सौ रुपये के ऊपर की है तो उसको नीलामी से बेचेगा और कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति उसके लिए लेनी होगी। एक रुपये की जमीन भी है तो उसको बेचने के लिए कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रकार नगरपरिषद और बोर्ड के काम करने के अन्दर सरकार ने अपना पंजा जमा रखा है। मैं समझता हूं कि स्वच्छन्द रूप से नगर परिषद और बोर्ड को काम नहीं करने देना चाहती है। इस ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसी प्रकार जयपुर शहर के भीतर 37 कच्ची बस्तियां हैं, उनके नक्शे की एप्रूवल चीफ टाउन प्लानर से होना आवश्यक है। जयपुर शहर का मास्टर प्लान 10 दिसम्बर, 1972 को प्रकाशित किया गया था और आब्जेक्शन लिये गये थे, लेकिन वह सुने नहीं गये हैं, वह फाइनल हुए नहीं। फिर कह दिया कि कच्ची बस्तियों के नक्शे पास कराये जायं मुख्य नगर नियोजक से। मुख्य नगर नियोजक ने वह नक्शे पास कर दिये। भारत सरकार ने पैसा दिया, कच्ची विकास के नाते, कच्ची बस्ती के विकास के नाते, वह नक्शे नगर नियोजक ने पास कर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दिये। लेकिन उसका महत्व नहीं है। म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं कि हमारी स्कीम चलेगी और यू. आइ. टी. वाले कहते हैं कि हमारी स्कीम चलेगी। अब जो सड़क है, उसके बीच में मकान आगये। नगर विकास न्यास वाले कहेंगे कि तोड़ेंगे। नगर परिषद कहता है कि इसके विकास का नक्शा मुख्य नगर नियोजक से पास होकर आया है और विकास के नाते मकान नहीं तोड़ने चाहियें। कलेक्टर का कहना है कि हमारा नक्शा पास है, सड़क के बीच में मकान आते हैं, तो वह मकान बनेंगे। यह दोहरा शासन चल रहा है। इसी प्रकार से शहर के बाद विकास करने की जिम्मेदारी है उसमें कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि सफाई का कार्य कराये, बिजली लगाये, नल लगाये। लेकिन जो जमीन का पैसा आयेगा, उसको लेने का अधिकार नगर विकास न्यास का है। वह सारा पैसा ले लेंगें और विकास करेंगे नहीं। शहर की सफाई करे म्युनिसिपैलिटी, नल लगाए, बिजली लगाये म्युनिसिपैलिटी, मेरी मांग है कि आप नगर निगम बनाना चाहते हैं तो इस ट्रस्ट को भंग कर दें। और जब तक ट्रस्ट भंग नहीं होता है, जयपुर नगर निगम की स्थापना नहीं होती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन की जो आय है, उसका 25 प्रतिशत नगर विकास न्यास को म्युनिसिपैलिटी को देना चाहिए, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी सफाई का काम कराती है और बिजली और नल के के बिल देती है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना के तहत जो कुछ पैसा रखा जाता है, इस पंचवर्षीय योजना के पैसे में से निश्चितरूप से बहुत बड़ा अनुदान, बहुत बड़ी सहायता नगर पालिकाओं को मिलनी चाहिए जिससे शहर की जनता की बहबूदी के लिए काम कर सके।

इसी प्रकार अन्य स्थानों पर यात्री कर लगा हुआ है, अजमेर में जाय तो वहां यात्री कर लगा हुआ है। उदयपुर में जायं तो वहां पर पर्यटक कर लगा हुआ है, अन्य धार्मिक स्थानों पर यात्री कर लगा हुआ है। जयपुर नगर में बाहर से आदमी आते हैं, यहां पर मल मूत्र से गन्दगी फैलाते हैं। इसलिए रेल्वे टिकट के साथ कुछ पर्सेन्ट यात्री कर के रूप में वसूल करें तो नगर परिषद की आर्थिक हालत अच्छी हो सकती है।

इसके साथ ही नगर परिषद का अध्यक्ष एक रुपया भी किसी को देना चाहता है तो वह नहीं दे सकता है। इसके लिए प्री आडिट सिस्टम हर स्थान पर लागू कर रखा है। अगर नगर परिषद के अध्यक्ष को एक रुपया भी किसी को देना है तो उसका बिल पास कराना होगा और प्री आडिट कराना होगा। एक दामोदर लाल सीढ़ियों से गिर कर मर गये। उस वक्त कौंसिल की मीटिंग चल रही थी। उस समय अध्यक्ष मथुरालाल जी थे, उन्होंने आदेश दिया कि सौ रुपये नगर परिषद के कोष से दे दें। सीढ़ियों से गिर कर मरे हुए दामोदरलाल की लाश पड़ी रही लेकिन सौ रुपये नहीं दिये गये, क्योंकि प्री आडिट में कह दिया गया कि हम पैसा नहीं देंगे। मेरा निवेदन है कि नगर के विकास में इस प्री आडिट सिस्टम से बाधा पहुंचती है।

आज चुंगी तोल पर ली जाती है, चुंगी पैकिटों के आधार पर ली जाती है

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

और चुंगी अदद के आधार पर ली जाती है। मेरा निवेदन है कि एक ही प्रणाली चुंगी के बारे में अपनानी चाहिए।

मनोरंजन कर के हिस्से के बारे में पहले से दुगुनी राशि देने की घोषणा हो गई। मैंने उस समय निवेदन किया था कि जयपुर में 85 लाख रुपये की आय 9 सिनेमाओं से होती है, फिर भी तीन लाख रुपये के स्थान पर छः लाख रुपये राज्य सरकार नगर परिषद को देना चाहती है। यह अपर्याप्त है। इसलिए राज्य सरकार जो यह टेक्सेज वसूल करती है उसमें से चार पर्सेन्ट वसूली के काटने के बाद में सारा का सारा मनोरंजन कर शहर के विकास के नाते म्युनिसिपैलिटी को दे देना चाहिए। यह एक बहुत बडी आय का स्त्रोत है। राज्य सरकार ने अनधिकृतरूप से इस पर कब्जा किया हुआ है। इस मनोरंजन कर की सम्पूर्ण आय को नगर परिषद को देने के बारे में नगर परिषद अध्यक्ष सम्मेलन में अप्रेल में प्रस्ताव पास हो चुका है। इस प्रस्ताव के अनुसार उन्हें यह आय देनी चाहिए...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक आज का कार्य है, वह समाप्त नहीं हो तब तक के लिए सदन का समय बढाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जब तक आज का बिजनैस समाप्त न हो जाय तब तक के लिए सदन का समय बढाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढाया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दिल्ली में, उपाध्यक्ष महोदय, लाटरी सिस्टम चलता है। वह वहां की म्युनिसिपैलिटी भी लाटरी निकालती है। फिर क्यों नहीं राजस्थान सरकार को नगर परिषदों को नगर के विकास को करने के लिए लाटरी निकालने की अनुमति देनी चाहिए।

इसी प्रकार से सरकारी भवन, जो जयपुर में हैं, में 13-14 लाख रुपये से अधिक हाउस टैक्स का होता है, राजस्थान में चालीस लाख रुपया सरकारी भवनों में हाउस टैक्स का होता है। यह बहुत बड़ी आय का साधन है। सरकारी भवनों पर म्युनिसिपेलिटी का हाउस टैक्स नहीं लगता है, यह लगना बहुत जरूरी है।

अनुदान के सम्बन्ध में, मैं निवेदन करूंगा कि चहेती म्युनिसिपैलिटी को ज्यादा अनुदान और नहीं चहेती म्युनिसिपैलिटी को कम अनुदान, और कोई विरोधी दल म्युनिसिपैलिटी में अधिक संख्या में जीत कर आजायं तो उसको सस्पेन्ड किया जाय। लेम चार्जेज लगा दिये जायेंगे, जयपुर शहर की सफाई कराने में अयोग्य रही है। वहां आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्हें लगा देंगे जो चहेते कमिश्नर हैं। कांग्रेस का जयपुर शहर की नगर परिषद पर राज्य रहा, बीस साल तक खण्ड राज्य रहा, उस समय जयपुर में गंदगी रही, गलियां सड़ती रहीं, जयपुर में पूरी गटर की व्यवस्था नहीं हुई, गन्दगी फैलती रही और बेनी पार्क, राजा पार्क जैसी जगह में लोग नारकीय जीवन बिताते रहे लेकिन उस समय किसी को चार्ज शीट नहीं दी गई, जब विरोधी दल की नगर परिषद आई तो उसको शो-काज नोटिस दे दिया गया, लेम एक्सक्यूज लेकर उसको सस्पेन्ड कर दिया गया।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उनको वेतन 175 रुपया माहवार दिया जाता है। यह उनकी मर्यादा और इज्जत के आधार पर ठीक नहीं है। आज यहां जयपुर के हम चार विधायक हैं, जब कि नगर परिषद् के जो चेअरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वह पहले नागरिक जयपुर के गिने जाते हैं, उनको 175 रुपये माहवार वेतन मिले। मेरा निवेदन है कि इस वेतनमान पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए।

इसी प्रकार रोड टैक्स का मामला है। जो सड़क म्युनिसिपेलिटी बनाती है, उन सड़कों पर मोटर चलती हैं, स्कूटर चलते हैं, अन्य गाड़ियां चलती हैं। मेरा निवेदन है कि नगर परिषद व्हीकल टैक्स वसूल कर सके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर नहीं कर सके तो आखिरकार म्युनिसिपेलिटी की सड़क हैं उन पर गाड़ियां चलती है, इससे म्युनिसिपेलिटी द्वारा बनाई हुई सड़क खराब होती है। मेरा निवेदन है कि रोड टैक्स में से नगर परिषद को हिस्सा मिलना चाहिए......

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

नगर, विकास न्यास का क्षेत्र है उसको एक्ट के अनुसार नगर विकास न्यास का क्षेत्र घोषित किया है जहां यू. आइ. टी. की योजना बनी हुई है, उसका विकास करने का काम, प्लाट बेचने का काम यू. आइ. टी. का काम है। बाकी सारी की सारी भूमि चार दीवारी के भीतर है, जितनी भूमि है, इसको बेचना हो तो यू. आइ. टी. का यह कहना कि हमारी योजना में है, वह यू. आइ टी. की योजना वाला स्थान नहीं है। मेरा निवेदन है कि बाकी की भूमि की मालिक नगर परिषद् है।

इसी प्रकार से लोक सभा के चुनाव होते हैं, राज्य विधान सभा के चुनाव होते हैं, उनमें केन्डीडेट के खर्च निर्धारित हैं, उसका हिसाब देना होता है। क्या आप ऐसा प्रावधान नहीं कर सकते कि नगर परिषद् के लिए चुनाव इतने रुपये में लड़ना होगा, इतना रुपया खर्चा किया जायगा और इसका हिसाब निर्धारित तिथि में पेश करना होगा। इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं तो नगरपालिका के चुनाव में जो लोग लाखों रुपया खर्च करके बेईमानी के आधार पर आ जाते हैं, मैं समझता हूं कि वह नहीं आयेंगे। इसी प्रकार बार बार चुनाव टालने की प्रथा भी सही नहीं है। जैसे विधान सभा व लोक सभा का 5 वर्ष का टर्म होता है उसी प्रकार से पंचायतों का टर्म भी 5 वर्ष कर दिया जाए और नगरपालिकाओं का समय भी तीन वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया जाए। जिस प्रकार से विधान सभा व लोक सभा के चुनाव नहीं टाल सकते उसी प्रकार से नगरपालिका के चुनाव में एक निश्चित तिथि को हो जायेंगे तो सदस्यों को भी स्थिरता मिलेगी। गृह कर के बारे में भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया......

श्री यशवंतसिंह नाहर : पता नहीं आप कितनी चीजों को ले रहे हैं। आप आर्डिनेन्स को, म्युनिसिपल लाज को, गृह-

Page No 136

(136)

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

कर को, म्युनिसिपैलिटी की जमीन को पता नहीं कितना चीजों को ले रहे हैं, क्या उनका यहां रेलेवेन्स है, विषयों की कोई सीमा तो होनी चाहिए, बढ़ते जा रहे हैं····

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपकी अवधि भी तो बढ़ती जा रही है।

श्री यशंवतसिंह नाहर : दुनिया भर के विषय ले रहे हैं। कल कोई आपके घर के बाहर टट्टी करके जाएगा उस पर भी बोलेंगे ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं सीमा में बोल रहा हूं। आखिरकार यह बिल है। नगरपालिकाओं संबंधी जो कठिनाइयां हैं वे रख रहा हूं। आज नगरपालिकाओं की हालत खराब है। जो कुछ नगर-पालिकायें सड़कें बनाती हैं उसमें विद्युत मंडल का असहयोग, टेलीफोन वालों का असहयोग, जन स्वास्थ्य विभाग का असहयोग, वे सड़कों को तोड़ कर छोड़ देते हैं। सिरे ड्योढ़ी बाजार में पटरी टूटी पड़ी है। कम से कम विभागों का आपस में कोआर्डीनेशन तो हो। यदि कोई विभाग सड़क खोदता है तो फिर उसकी जिम्मेवारी है कि उस सड़क को वह ठीक कराए।

दूसरी बात किसानों को बिजली महंगी दी जाती है। डी० सी० एम० को तीन पैसे युनिट और किसानों को 13 पैसा युनिट। जयपुर में कहीं पर नगरपालिका प्रकाशन की व्यवस्था करना चाहे तो साधारण उपभोक्ता और बड़े उपभोक्ता में फर्क नहीं होगा। बड़ा उपभोक्ता लम्पसम में बिजली खरीदता है उसको सस्ती मिलनी चाहिए। जयपुर के बाजारों में ट्यूब लाइट्स को देखिए। चांदपोल से श्रीजी की मोरी तक तार लगाकर ट्यूब लाइट्स लगा दीं। अण्डर ग्राऊंड केबल डालने के लिए लाखों रुपए विद्युत मंडल नगरपालिकाओं से मांगता है, लेकिन नगरपालिकाओं के पास पैसा नहीं। सिरे ड्योढ़ी बाजार की ट्यूब लाइट्स अन्धकार में हैं। त्रिपोलिया बाजार में 55 ट्यूब लाइट्स लगाई गई तो कुछ नहीं। किसी गली या मोहल्ले में जायं तो वोल्टेज भली प्रकार से मिलती नहीं। घर में ट्यूब लाइट्स जलती नहीं, बाजारों में ट्यूब लाइट्स जलती नहीं, मर्करी पेपर लैम्प्स जलती नहीं। तो आप नगरपालिकाओं को बिजली सस्ती दर पर दें। जयपुर शहर में वाटर स्टैंड पोस्ट्स हैं उनको भी उसी रेट पर पानी दिया जाएगा जैसे साधारण उपभोक्ताओं को। वाटर वर्क्स विभाग को इस संबंध में विचार करना चाहिए।

अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर की आबादी लगभग 9 लाख है। 5 लाख पर नगर निगम बनाई जानी चाहिए, यु० आइ० टी० का संकट मिट जाएगा, आदर्श नगर और बनी पार्क की सड़कों का संकट मिट जाएगा। राजस्थान में कहीं तो पहल करें। कानपुर, आगरा इत्यादि शहरों में नगर निगम हैं लेकिन राजस्थान की राजधानी, जहां 9 लाख लोग रहते हों, वहां नगर निगम बनाने की स्वायत्त शासन मंत्री घोषणा करें। सरकार ने जो सेक्शन 11 व दो साल के समय की बात कही है, वह बच्चों को बहलाने वाली बात है। यदि आप चुनाव

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कराना चाहें तो सेक्शन 11 के तहत आप करा सकते हैं। यदि आप चुनाव स्थगित करना चाहते हैं तो हम इसके विरोधी हैं। तो जो आपने अध्यादेश निकाला है उसका विरोध करते हुए मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदार नाथ।

श्री केदार नाथ : उपाध्यक्षजी, आर्डीनेन्स के मार्फत म्यूनिसिपल एक्ट में तब्दीली लाना, वह भी पीसमील तरीके से, यह गलत प्रेक्टिस को एस्टेब्लिश करना है। होना तो यह चाहिए कि काम्प्रीहेन्सिव अमेंडमेंट्स लाई जाएं, कमेटी एपाइंट हो जाए, बदली हुई हालात के अनुसार क्या नई पावर्स देनी है, अध्यक्ष का चुनाव कैसे करना है, उनके टेक्नीकल व फाइनेन्शल पावर्स क्या होनी चाहिए, डबल मेम्बर कान्सटीट्यूएंसी रहे या सिंगल। फिर हाऊसिंग बोर्ड है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है। एक नामीनेटेड बाडी है, एक आफिशियल बाडी है एक इलेक्टेड बाडी है। तीनों एजेन्सीज शहर के सुधार के लिए काम करती हैं, इनकी एक ही यूनीफाइड अथोरिटी होनी चाहिए। इलेक्टेड लोग जिनके हाथों में नगरपालिका है, उनको पूरी पावर्स दें। राज्य सरकार एक फाइनेन्स कमीशन बनाए। राज्य सरकार की करों की आमदनी में इन संस्थाओं का कितना शेयर हो, यह पैटर्न तय हो जाना चाहिए, यह बात आपने नहीं मानी। दूसरी बात हम कहते रहे हैं कि चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट सिस्टम से होना चाहिए, उसमें पैसा समाप्त होगा, हार्स ट्रेडिंग समाप्त होगी, मगर राज्य सरकार इस सिद्धान्त को भी नहीं मानती। इन्डाइरेक्ट तरीके से जितने चेयरमेन बनें वहां इन्स्टेबिलटी आई है। 6 महीने, साल भर बाद अविश्वास प्रस्ताव आ गया। तो हमारा मत है कि अगर आप चाहते हैं कि स्टेबिलटी आए तो पहले साल में अविश्वास प्रस्ताव तब आए जब 2/3 मैजोरिटी वह पेश करे। अगर चेयरमैन सीधे तरीके से होगा तो आज क्या होता है कि जिसने 5-10 आदमी खरीद रखे हैं या पोलिटिकल या और कोई उसका प्रेशर है तो वह इलेक्टेड हो जाता है और अगर अध्यक्ष सीधे तरीके से होगा तो जो वर्कर हैं, जो मासेज में पापुलर हैं, जो काम करता है वही जीत जायेगा।

दूसरी बात चुनाव राजनैतिक आधार पर होने चाहिए। आप चाहते हैं कि शहरों और देहातों में पोलिटिकल कान्शसनेस आए तो सिम्बल एलाट करें जैसे विधान सभा और लोक सभा चुनाव में। उसका फायदा यह होगा कि जो एन्टी डिफेक्शन ला कायम करने जा रहे हैं वह वहां पर भी लागू होगा, साथ ही हार्स ट्रेडिंग बन्द हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो नगरपालिकाओं की हालत सुधरेगी। आपने यू० आई० टी० में भी दो साल पहले हारे हुए लोगों को या जिनको टिकट नहीं मिला उनका चेयरमेन बना दिया। अब आफिशियल्स वहां कायम किए यू० आई० टी० का चेयरमेन कलेक्टर हो, मैं नहीं मानता। मगर सरकार जब चेयरमेन बनाये वहां पर सोच लें कि कौन से आदमी को बनाना है। जिस की पब्लिक स्टेंडिंग हो, जिसका इन्टरेस्ट भी हो, अगर ऐसे आदमी को सरकार चुने पार्टी से ऊपर उठकर तो आफिशियल्स जो पार्ट प्ले कर रहे हैं उससे नान आफीशियल्स अच्छा पार्ट

(श्री केदारनाथ)

पोज करेंगे। आपने नान आफिशियल्स नियुक्त कर दिया, कमेटी नहीं बनाई विधायक शामिल नहीं करते, शिड्यूल्ड कास्ट्स शामिल नहीं करते। अभी भी एकुईजीशन प्रोसीडिंग्स इनकम्पलीट हैं।

आपने एक साल पहले अरबन इम्प्रूवमेंट के ट्रस्ट कायम किये और बाद में उनमें चेयरमैन बनाये। पहले कलेक्टर्स को चेयरमेन बनाये तब तो पावर्स थे उनको लेकिन बाद में जब पब्लिकमैन को चेअरमैन बनाये तो उनको आपने पहले के चेअरमैन के मुकाबले पावर्स नहीं दिये। लोगों ने यू. आई. टी. की लैण्ड पर इन्डस्ट्रीज लगा ली हैं और बाद में इसका अभी तक कनवर्जन आफ लैण्ड नहीं हुआ है। वहां पर अभी तक झगड़े पड़े हुए हैं। इसी प्रकार मान्यवर आपने यह घोषणा कर रखी है कि जयपुर में जिन लोगों ने सन् 1971 तक कच्ची बस्तियों में अपने मकान बना रखे हैं या झुग्गी झोंपड़ी वाले जो लोग हैं उनको इजेक्ट उस लैण्ड से नहीं किया जायेगा। आपने इसके लिये जयपुर के लिये तो मेनडेट दे दिया लेकिन राजस्थान में जयपुर के अलावा बड़े बड़े सिटीज में जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं उनके लिए आपने यह पोलिसी डिक्लेअर क्यों नहीं की ? मान्यवर मैं चाहता हूं कि होल आफ राजस्थान की जनता के लिये एक युनिफोर्म पोलिसी होनी चाहिये। इसके लिये आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिये। इसमें जैसा कि आपने जयपुर के लिये डिक्लेयर किया है जिन लोगों के पास सन् 71 के पहले से उन जमीनों पर कब्जा है उन कच्ची बस्तियों के लोगों को या तो वही जमीन आप अलोट कर देंगे या और दूसरी जगह उन्हें बसाया जायेगा। आप यही बात राजस्थान के दूसरे शहर जैसे गंगानगर है जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी ग्रेनरी है उसमें यह लागू क्यों नहीं करते हैं वहां पर आज भी मेजर सड़कें टूटी हुई हैं, ब्रिजिज का कन्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है। विकास के कोई प्रकार के कार्यक्रम वहां अभी तक शुरू नहीं हुए हैं वहां पर झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों तथा वहां पर जो स्लम्स हैं उनको हटाया नहीं जा रहा है। इसलिए मान्यवर मेरा निवेदन है कि इनके लिए एक कोम्प्रीहेन्सिव एमेन्डमेंट एक्ट लाया जाना चाहिए जो कि अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्युनिसिपेलिटीज के और हाउसिंग बोर्ड के लिए हों। नहीं तो आज शहरों में डूयल अथोरिटी काम कर रही है उसे समाप्त किया जाना चाहिये आज म्युनिसिपेलिटीज में चेयरमैन भी पांच साल के लिए चुने जाने चाहिए और मैं तो कहूंगा कि इन चेयरमैनों का डाईरेक्ट इलेक्शन होना चाहिये जनता द्वारा। इसके अलावा मान्यवर तीन साल के लिए म्युनिसिपेलिटीज अपने चेयरमैन चुनती है और उसका टर्म समाप्त होने पर आप इमीडिएटली एडमीनिस्ट्रेटर एपोईन्ट कर देते हैं वह दो साल तक चलते रहते हैं आप म्युनिसिपेलिटीज के चुनाव नहीं कराते हैं और इस दरमियान में यह एडमिनिस्ट्रेटर्स जो इलेक्टेड लोग काम करवाना चाहते हैं उन्हें डिसक्वालीफाई कर देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मान्यवर इलेक्टेड लोगों को पावर्स दिये जायें ताकि वह उन अधिकारियों के खिलाफ में एक्शन ले सकें जो कि उनके काम को अनडू कर देते हैं या उन्हें सुपरसीड कर देते हैं। इसलिए मान्यवर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन राज्य सरकार

(श्री केदारनाथ)

के एडमिनिस्ट्रेटर्स को पावर्स हाथ में नहीं दें और इन इलेक्टेड लोगों को पावर्स दें अगर आप डेमोक्रेसी को ट्रू सेन्स में लाना चाहते हैं तो। इसके अलावा अन्त में, मैं यही कहूंगा कि राज्यपाल महोदय द्वारा जो राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 1974 आया है उसे अस्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 1974 को अस्वीकार करने के लिए जो संकल्प आया है उस पर तीन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और सदन को अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प को अस्वीकार किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय इस संकल्प को लाने का कोई कारण नजर नहीं आता जो संशोधन किये गये हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में वह बिलकुल माईनर हैं और इनोसेन्ट संशोधन किए गए हैं। मुझे ऐसा कोई कारण इसमें नजर नहीं आता जिससे कि सदन के माननीय सदस्यों को नाराजगी हो। इसलिये मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि इस संकल्प को अस्वीकार कर दिया जाय। अपने भाषण के दौरान माननीय सदस्यों ने यह तकरीर करनी चाही कि नगरपालिका के इलेक्टेड सदस्यों के टाइम पीरियड को बढ़ाया जाय तथा जो कच्ची बस्तियों वाले लोग हैं उन्हें उसी जमीन पर कब्जा दे दिया जाय या उन्हें दूसरी जगह जमीनें दी जायें। इसके अलावा कुछ मुद्दे और भी उठाये गये हैं। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया कि भरतपुर के नगरपालिका के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ में काफी गम्भीर आरोप हैं लेकिन उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार के पास उनके खिलाफ में शिकायतें आयी है लेकिन उसके लिये भी नियम बनाये हुए हैं। मैं सदन को इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इलेक्टेड पर्सन्स के खिलाफ में कार्यवाही करने के लिये विशेष नियम बने हुए हैं उसके लिये जांच पूरी करने के बाद ही एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा श्री गिरधारीलाल भार्गव जो कि जयपुर के हवामहल क्षेत्र से आते हैं उन्होंने यह कहा कि म्युनिसिपलिटीज के जो प्रेसीडेन्टस हैं उनको बहुत ही कम यानि की सिर्फ 175 रुपये ही ओनेरेरियम दिया जाता है उन्हें इस बात की ही नाराजगी है इसके लिये उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन नगरपालिकाओं के चेयरमैन्स के आनेरेरियम के लिए राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्दी ही उसके लिये उपयुक्त निर्णय ले लेगी। इसके अलावा जो दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही है वह है नगर मास्टर प्लान के बारे में। कच्ची बस्तियों और झुग्गी झोंपड़ियों व ले आउट के बारे में तथा स्लम्स क्लीयरेन्स के कार्य के बारे में तथा एन्वायरमेन्ट्स प्रोग्राम के कार्य नहीं होने के बारे में यह बात गंगानगर तथा जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कही। इसके अलावा यह भी कहा गया कि कच्ची बस्तियों में तथा स्लम्स का कार्य जितना

Page No 140

(140)

(श्री रामनारायण चौधरी)

होना चाहिये था उतना नहीं हो रहा है। पिछले दो साल से बहुत ही कम काम वहां हो पा रहा है। दूसरे शहरों में यह काम क्यों नहीं हो रहा है। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्लम्स क्लीयरेन्स का काम तथा एन्वायरमेन्ट्स के इम्प्रूवमेंट्स के लिये स्कीम का काम भारत सरकार द्वारा एक फेज्ड प्रोग्राम के तहत हो रह है। उसमें यह है कि देश में जितने भी प्रान्तों की कैपीटल्स हैं वहां पर यह प्रोग्राम्स शुरू किये गये थे। इसके बाद में इसको भारत सरकार ने पर्याप्त नहीं पाया तो बाद में उसमें यह और आइटम बढ़ाया गया कि 6 लाख की पोपूलेशन से ज्यादा वाले शहरों में भी यह स्लम्स क्लीयरेन्स तथा एन्वायरमेन्ट के इम्प्रूवमेन्ट के कार्य किये जायं। यह दूसरा स्टेज या अब तीसरे स्टेज पर यह कार्य वहां पर भी किया जायेगा जहां पर कि शहरों की पोपूलेशन तीन लाख से ज्यादा है। तो यह तो भारत सरकार की स्कीम्स हैं इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अब रहा सवाल यह जो संशोधन लाया गया है यह बहुत ही माईनर है और साथ में उपाध्यक्ष महोदय बहुत ही इनोसेन्ट है। इसलिये मैं ज्यादा नहीं कह कर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो राज्यपाल महोदय के अध्यादेश पर संकल्प सदन में लाया गया है उसे अस्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 1974 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1974) पर जो संकल्प आया है उसे अस्वीकार करता है। जो पक्ष में हो हां कहे जो विपक्ष में हो वह ना कहे।

ना पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

माननीय मन्त्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार। श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधियां संशोधन विधेयक, 1974....

श्री उपाध्यक्ष : यह आप कहां बोल रहे हैं। मैं तो नगरपालिका संशोधन विधेयक, 1974 के लिये अर्ज कर रहा हूं।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1974 को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय इस राजस्थान नगरपालिका विधेयक पर बार बार राज्य सरकार संशोधन लाती जा रही है और राज्य सरकार बार बार यह चेष्टा कर रही है कि सभी नगरपालिकाओं के चुनाव एक साथ किये जायं। लेकिन राज्य सरकार की तो यह चेष्टा है परन्तु उनके नीचे जो डाईरेक्टर लोकल बाडीज का विभाग है वह उन्हें सहयोग नहीं

(श्री दीपंकर)

दे रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में ऐसी कई नगरपालिकायें हैं जिनके चुनाव हुए तीन चार साल हो गये हैं लेकिन वहां पर सदस्य कुछ ही काम नहीं कर पा रहे हैं तथा वहां पर म्युनिसिपल चेयरमैन भी नहीं है वहां पर म्युनिसिपल चेयरमैन के लिये हाईकोर्ट में केसेज चल रहे हैं और स्टे आई हुई है। वहां पर जो नगरपालिका के सदस्य हैं वह हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। आपने वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर रखे हैं चुनिन्दा लोगों के पास कोई काम नहीं है वहां पर चुनिन्दा लोगों द्वारा कोई विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इन नगरपालिकाओं के बारे में न्यायालयों में केसेज चल रहे हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इन केसेज को जल्दी ही निपटा कर वहां पर चुनिन्दा लोगों को काम करने की अनुमति दिलायी जानी चाहिये ताकि वहां का विकास का कार्य ठीक ढंग से हो सके। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो नगरपालिकाओं का कार्यकाल सिर्फ तीन साल का रखा है वह बहुत ही कम है उसको बढा कर पांच साल का किया जाना चाहिये। क्योंकि इनमें कई बार झगड़े पड़ जाने से केसेज चलते रहते हैं जैसे कि नावां नगरपालिका के चुनाव हुए आज तीन साल हो गये लेकिन हाईकोर्ट की स्टे आने से वहां पर चुनिन्दा लोग कुछ भी कार्यवाही विकास के नहीं कर सके हैं। इसलिये वहां पर ऐसी व्यवस्था की जावे कि चुनिन्दा लोगों को वहां का विकास कार्य करने का मौका मिले। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार नगरपालिकाओं के तीन साल समाप्त होते ही वहां पर प्रशासक नियुक्त कर देती है लेकिन पंचायत के इलेक्शन हुए इतने साल हो गये हैं फिर भी आप उनका कार्यकाल लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन आप शहरों की नगरपालिकाओं का कार्यकाल नहीं बढा रहे हैं यह कहां तक उचित है? इससे शहरों के लोगों के मन में गांवों से हीन भावना महसूस होती है। आप शहरों में तो प्रशासनिक अधिकारी नगरपालिकाओं में नियुक्त कर देते हैं लेकिन पंचायतों, पंचायत समितियों पर कोई अधिकारी नियुक्त नहीं करते हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय अगर नगरपालिकाओं के कार्यकाल को आप पांच साल कर देते हैं तो काफी काम वहां पर हो सकता है आज आपने पंचायतों का कार्य काल पांच साल का किया तो नगरपालिका का कार्यकाल पांच साल क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर पांच साल कर दें तो काफी विकास हो सकता है इसके अलावा नगरपालिका अधिनियम में आपने यह दे दिया कि अमुक अमुक टेक्स नगरपलिका लगा सकती है यही बताया है पर साधन नहीं बताये कि कैसे टेक्स लगाये जायं?

टैक्सों के लिये कुछ अनिवार्यतः समान दरों के आधार पर लागू करने का निर्देशन हो तो अच्छा है। अलग अलग नगरपालिकाओं में अलग अलग चुंगीकर होने से अलग तरीके से वहां पर विचार होता है इससे वस्तुओं के भावों में भी फर्क पड़ता है।

जिस प्रकार प्राथमिक शिक्षा को पंचायत समिति को दिया गया है उसी प्रकार नगरपालिकाओं को भी प्राथमिक शिक्षा दे देनी चाहिये। कई पुरानी स्टेट में यह प्रचलन था। जैसे बीकानेर स्टेट में यह था। शहरों में भी प्राथमिक शिक्षा को

Page No 142

(142)

(श्री दीपंकर)

शिक्षा विभाग ही चला रहा है। इसको नगरपालिकाओं को दे देना चाहिये जिससे वे जान सकती हैं कि किस मोहल्ले में कितने बच्चे हैं और किस प्रकार उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिये नगरपालिकाओं को देने की ओर ध्यान देना चाहिये।

हाउस टैक्स का काफी बड़ा भाग नगरपालिकाओं को लगाना पड़ता है। सरकार ने बिल्डिंग्स पर टैक्स लगाया है। जिस प्रकार सरकार इसको उगा रही है उसी प्रकार से नगरपालिका के लिये भी इसको उगा कर उसको दे दिया जाय तो अच्छा होगा। नगरपालिका के लिये सरकार की ओर से यह एड हो जावेगी।

नगरपालिका में चुनिन्दा लोग होते हैं। मुझे भी नगरपालिका में बैठने का मौका मिला है। वहां पर विचार यह आता है कि वे ही नागरिक हैं जो कि विधान सभा के सदस्यों को चुनते हैं और वे ही सामान्य नागरिक हैं जो कि नगरपालिका के मेम्बरों को चुनते हैं। लेकिन नगरपालिका को अपना बजट पास करने का अधिकार नहीं है। यदि उनको बजट पास करने का अधिकार दे दिया जाय तो अच्छा होगा। उनको अधिकार नहीं होने से उनमें निराशा होती है। इसलिये इसमें उनको कुछ स्वतन्त्रता होनी चाहिये जिससे जो अड़चनें उनको आती हैं वह नहीं आवेंगी।

बहुत सी म्युनिसिपेलिटीज के पास में विकास योजनायें हैं परन्तु वे उनको पूरा कैसे करें? प्रथम तो पी. डब्ल्यू. डी. को सरकार का निर्देश नहीं है कि नगरपालिका योजना बनाये उसको एस्टीमेट बना कर दे दे। किसी प्रकार अनुनय विनय करके करा लाते हैं, किसी मोहल्ले में नाली बनानी है, सड़क बनानी है तो अपनी ओर से प्राथमिकता देकर बनाते हैं। लेकिन यह जो भूर बांटते हैं साल भर में दो चार हजार दे देते हैं उससे एक स्कीम भी पूरी नहीं होती है। नगरपालिका के विकास के कार्य इस प्रकार पूरे नहीं होते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

राज्य सरकार की ओर से नगरपालिकाओं के बजट में विकास के लिये कुछ प्रावधान होना चाहिये जैसे 60/40 का रेश्यो बना रखा है उसके आधार पर उनको पूरा पैसा मिले तो कुछ विकास का कार्य कर सकते हैं।

मनोरंजन का जहां तक सवाल है राजस्थान भर की म्युनिसिपैलिटीज के रहने वाले लोगों का विचार है कि यह जो सरकार ने उनसे मनोरंजन कर ले लिया है, जो कि उनकी आमदनी का बड़ा साधन है, उनको वह सम्पूर्ण रूप से लौटा दिया जाना चाहिये और केवल थोड़ा ही भाग दिया जावेगा उससे काम चलने वाला नहीं है।

एक्जीक्युटिव ओफिसरों के ग्रेड वगैरा तय नहीं हो पाये हैं। एक्जीक्युटिव आफिसर एक बाबू के बराबर तनख्वाह पाये और काम भी ज्यादा हो यह उचित नहीं है। जिस प्रकार विभाजन नगरपालिकाओं का किया गया है उसको रिवाइज करके उनकी ग्रेड्स वगैरा को तय कर दिया जाय।

अनाप शनाप कूड़ा पड़ा रहता है। यह कहा गया कि नगरपालिकायें गड्ढे खोदे और खाद बनायें। लेकिन नगरपालिकाओं के पास साधन नहीं हैं। इनको कृषि विभाग

(श्री दीपंकर)

के साथ जोड़ा जाय ताकि उनको निर्देशन दे दे सकें, खाद बना सकें और उससे नगरपालिकाओं की आमदनी में बढ़ोतरी हो। शहरों में रहने वालों के लिये विकास के साधनों को जुटा सकें।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

आपकी आज्ञा का पालन करते हुए जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं एक दो बातें और निवेदन करते हुए।

जिला स्तर पर कमेटी बनी हुई है। चैयरमैन कलेक्टर होता है और म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन उसका मेम्बर होता है और बिकने वाली जमीनों के भावों को वे तय करते हैं। जब कमेटी तय कर दे कि अमुक गली में अमुक जमीन की कीमत यह है, उसका भाव यह है, नगरपालिका एक बोडी है उसने पास कर दिया कि अमुक काम के लिये यह जमीन दे दी गयी है फिर वही मामला अनुमोदन के लिये जिलाधीश के पास जाय और वर्षों पड़ा रहे यह नागवार गुजरने वाली बात है। जब एक दफा कमेटी तय कर दे तो फिर नगरपालिका को पूर्ण अधिकार दे देने चाहिये। राज्य सरकार इस पर विचार करेगी।

चुने हुए सदस्यों की शिकायतों के सवाल को लेकर उनकी मखौल उड़ाते हैं। एक चुने हुए चैयरमैन के खिलाफ छोटी-मोटी शिकायतें डायरेक्टर लोकल बोडीज के पास पहुंचती हैं एक बाबू टाइप आदमी पहुंच जाता है, खातिर तवज्जह होती है और चैयरमैन को हटाने की कार्यवाही कर ली जाती है। इनको रुकवाने की आवश्यकता है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि एक कमेटी हो जो चुने हुए नुमाइन्दों के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच करे और देखे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कुछ मजबूरियों की वजह से यह बिल लाया गया है। म्युनिसिपल अफेयर्स के बारे में पहली गुजारिश करना चाहूंगा वह यह है कि आज मेरी मान्यता यह है कि आज म्युनिसिपल कौंसिल और डाइरेक्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के बीच में जितना कोओर्डिनेशन होना चाहिये वह नहीं है और उसकी शिकायत पहले भी की थी। बहुत से ऐसे मसले आते है। शहर की खूबसूरती को देखें और उसके बाद उन रास्तों से गुजरें जो अच्छे 2 रास्ते हैं उनमें ऐसी खराबियां नजर आवेंगी जिनको देख कर आप खुद अफसोस करेंगे। मसलन सांगानेरी दरवाजे से बाहर जाइये। दोनों तरफ पत्थर जमा दिये गये हैं। लम्बी कतारें लोगों को मिलेंगी पेशाब करने वालों की जिससे रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है कई बार कहा गया है लेकिन फण्ड्स की कमी के कारण यह नहीं हो सका। तो हमने तजवीज की थी कि यू. आई. टी. की मार्फत या लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट की मार्फत ये खुद अपने खर्चे से युरिनल्स बनाये सफाखाने की जो रोड जाती है वहां रास्ते पर कहीं पर भी युरिनल्स नहीं है। रास्ते पर चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं सकते। कोओर्डिनेशन का अभाव है इसलिए उसको टेक अप कीजिये। इसमें आप हमको ऐसा कर दीजिये कि अरजेन्ट जो काम हैं उनको पहले लिया जा सके और शहरों की शक्ल को सुधारा जा सके।

Page No 144

(144)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

पोइन्ट्स ही अर्ज करना चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत सीमित है। दूसरी गुजारिश करना चाहूंगा वह यह है कि जो म्युनिसिपल कानून हमारे हाथ में है उसका हम सही उपयोग नहीं करते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि व्युटिफिकेशन की बात आयी तो 91 फाइल ऐसी सामने आयीं जो अनआथोराइज्ड केसेज की थीं, राज्य की बेशकीमती जमीनों को नोमिनल कीमतों में बेच दिया गया। 91 फाइलों पर निर्णय हुए थे उनकी इनक्वायरी करके उन जमीनों को वापिस लिया जावेगा। आपको हैरत होगी शहर में दाखिल होते हैं दिल्ली से आमेर से आने वाली सड़क है जमीन खाली पड़ी है, जहां पर गाड़ियां खड़ी है जिसको डेवलप नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य से बीच की जमीन खरीद ली गयी और उस पर स्ट्रक्चर बना लिया। मैंने इसके लिये दरवाजे खटखटाये लेकिन आप इसको एक्वायर नहीं कर सके। आप चन्द झोंपड़ियों को एक्वायर कर सकते हैं लेकिन इनको नहीं। इन पार्षदों के भ्रष्टाचार और करेक्टर की वजह से वे जमीनें बिक गयीं, सड़कें बिक गयीं, उन लोगों ने बेच दी। आपको सतर्क होना चाहिये और इस तरह की अनियमितताओं को खत्म करना चाहिये। मैंने पी. डब्लू डी. के एडमिनिस्ट्रेटर से कहा। पुलिस सेक्रेटरी स्वायत्त शासन विभाग के सेक्रेटरी से शिकवा किया कि इतनी जमीन राज की इतने सस्ते नाम मात्र के पैसे में बेच दी गई। पर कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि जिन्होंने बेची है और जिन्होंने ली है वे एक दूसरे के एसोसियेटस हैं। उनके खिलाफ कोई कुछ कार्यवाही करना नहीं चाहता। न करिये कार्यवाही। आप उनको एग्जम्पट कर दीजिये। पर इस सब कार्यवाही को लीगेलाइज तो कर दीजिये। डिक्लेअर करके कर दीजिये। फिर जिन्होंने गड़बड़ियां की है उन गड़बड़ियों को तो खतम करिये। म्यूनिसिपैलिटी की वह जमीन जो पांच सौ सात सौ रुपये गज के भाव से बिक सकती है, मैं इतने में नीलाम करवा कर बिकवा सकता हूं, वह जमीन पांच सौ रुपये में लेकर कब्जा कर लिया है लोगों ने। आप कहते हैं हमने सिविल सूट फायर कर दिया। सिविल सूट तो चलता रहेगा। आप अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो आपके सामने कई रास्ते हैं। लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। दस परसेन्ट उनको मुआवजा देकर वापिस ले सकते हैं। जिस नगरपालिका को वह जमीन बेचने का अधिकार भी नहीं था उसे उन लोगों ने मिलीभगत से पचीस पचीस पचास पचास और सौ सौ दो सौ रुपयों में ले ली। आप उनको शो काज नोटिस तक देने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि यह फैक्ट है कि कोई उनमें आपके रिश्तेदार हैं, कोई मिनिस्टर साहब के रिश्तेदार हैं तो आखिर यह करप्शन यह भ्रष्टाचार कब तक चलता रहेगा और कब तक आप इस तरफ से आंखें मूंदे बैठे रहेंगे ?

आप इन अनियमितताओं को ठीक करिये। वे फाइलें मंगाकर आप देखिये जिनमें अधिकृत रूप से और अनधिकृत रूप से इरेंगुलर तरीके से लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। लूट मचाई है। लोगों ने पच्चीस पच्चीस पचास पचास और सौ सौ रुपयों में जमीनें दबा ली हैं। उनको वापिस लेने

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

की कोशिश करें। आप ऐसे अधिकारियों को शो काज नोटिस देकर उनका मुंह तो जनता में काला कर दीजिये और इस तरह से चुने गये पार्षदों को जनता के सामने नंगा तो कर दीजिये कि आगे के चुनावों में खड़े होने लायक न रहें। ताकि नैतिकता कुछ बचे। अच्छी तस्वीर काम करने वाले लोगों की बने। वे आपके सगे-सम्बन्धी दोस्त रिश्तेदार एक एक दो दो लाख चार चार लाख बनाकर चले गये। आज उनके कारनामे हमारे लिये परेशानी के बायस बने हुए हैं। सही रूप से डेमोक्रेसी चलाना चाहते हैं तो उसमें ऐसे लोग सबसे बड़ी बाधा है। आज तक आपने ऐसे किसी भी पार्षद को शो काज नोटिस तक नहीं दिया। पंचायतों में किसी एकाध कमजोर आदमी को दे दिया होगा। छोटे मोटे पंच सरपंच को। आप इन शहरी मगरमच्छों को दरिन्दों को शो काज नोटिस देना नहीं चाहते। आप भी डरते हैं इनसे। क्योंकि उनमें कुछ रिश्तेदार इधर के हैं तो कुछ रिश्तेदार उधर के हैं। राज सरकार को इन रिश्तेदारियों के खयाल को छोड़कर सार्वजनिक जीवन की इमेज को इम्प्रूव करना चाहिये। डेमोक्रेसी को सही रास्ते पर डालने के लिये इन मगरमच्छों से जन जीवन की गन्दगी को धोइये। इनको नोटिस देकर इनको जनता के सामने नंगा तो कर दीजिये। एक पार्षद को आपने पकड़ लिया, ट्रैक्टर उसने अपने काम में लिया था। अच्छा किया आपने। पर ऐसे एक नहीं दसों मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह से इसका यूज किया है। पर उन पर आज तक कार्यवाही आपने नहीं की। मैं चाहता हूं आप इस तरह तब्दीलें दें।

हमने एक प्रतिक्रियावादी शक्तियों के खिलाफ मोर्चा बनाया था। उसमें मेनीफेस्टो दिया था। पर खेद है कि किसी भी पार्षद ने उस पर अमल नहीं किया। आज उस सुझाव को फिर मन्त्री महोदय के सामने दोहराना चाहता हूं कि आप उस पर सोचें और अब भी अमल करें तो लाभ हो सकता है।

आप आक्ट्राय लेते हैं वजन के आधार पर। कास्मेटिक्स हैं घड़ियां हैं इन पर तोल पर चुंगी लेते हैं। एक मन घड़ी के ऊपर भी वही आक्ट्राय जो एक मन गुड़ पर है। यह क्या मजाक आपने बना रखा है। खाद्यान्नों को आप एग्जम्प्ट करिये। आप सारे इस सिस्टम को फिर से राशनेलाइज करिये। घड़ियों जैसी चीजों पर कास्मेटिक्स जैसी चीजों पर कीमत के हिसाब से आक्ट्राय लगाइये। इससे आमदनी भी बढ़ेगी और राहत भी लोगों को मिलेगी।

हाउस टैक्स का मामला है। पच्चीस तीस रुपया महीना जिसका किराया है उसको आप एग्जम्प्ट कर दीजिये। बाकी पर स्लैब सिस्टम से लगाइये। 6 से 12 परसेन्ट तक लगा दीजिये। पर आपने स्लैब सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया।

शहर के इम्प्रूवमेंट के बारे में सुझाव रखे थे। अनधिकृत मकानात सैकड़ों हजारों की तादाद में बने हैं आप उनको तोड़ नहीं सकते। आपका अधिकारी एक छोटा सा ओवरसीयर दस पांच लाख रुपया तोपखाना हजूरी वार्ड से कमा कर निकल जाता है। वहां लखपति तो छः महीने साल भर में होना उसका लाजिमी है। अब जरूर सेचुरेशन पोइन्ट पर आ गया है मामला। सारी

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जमीन करीब करीब बिक चुकी है। इसमें इन ओवरसीयरों ने लाखों रुपया बनाया है। अब इसमें से कितना हिस्सा ऊपर तक जाता है या वह अकेला ही खाता है यह तो मैं नहीं जानता। पर यह निश्चित है कि वह अकेला तो सारा खाने वाला नहीं है। हमारे कई पार्षदों के खिलाफ हमारे चैयरमैन के खिलाफ कई चार्ज थे। आज तक आपका महकमा सोता रहा। मेरा अर्ज करना यह है कि जो मकान बन चुके हैं और जो रास्ते में नहीं आते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

दो चार मिनट और फरमा दें, मैं अभी अर्ज करके समाप्त कर दूंगा। तो मेरा मतलब है आपस में बैठकर कुछ हल निकालने की कोशिश करें। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी निवेदन किया था। जो पक्के मकान बन गये, उसको आप तुड़वाते तो हैं नहीं फिर उनके लिये 10)रु०, 20)रु० 30)रु० की कीमत कायम करें और उनसे कीमत लेकर उसको रेगूलराईज कर दीजिये और उनको पट्टे दे दीजिये ताकि आपका सिरदर्द खतम हो जाय और लाखों रुपया आपको मिल जाय।

मेरे क्षेत्र में सैकड़ों मकान अनधिकृत हैं। वे 10-10, 20-20 रुपये देने को तैयार हैं लेकिन आप उनके लिए कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। ये अन-ओथोराइज्ड मकान बनते रहे लेकिन आप यह नहीं कहते कि रेगूलराइज कर दें या फिर उसको डिमोलिश कर दें।

तीसरी चीज जितनी राजस्थान की बड़ी बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जयपुर, जोधपुर वगैरह, इनका हाल यह है कि इनकी माली हालत कभी नहीं सुधरती। हमने अपने जमाने में, एक जमाने में मैं भी म्युनिसिपैलिटी में चुन कर आया था 20-30 वर्ष बाद उस समय हमने कहा था जो सोर्सेज हैं नई मुन्तकिल होने चाहिये। अभी भी यह कहा था कि एन्टरटेनटमेंट टैक्स का टैन परसेन्ट डिडक्ट करके म्युनिसिपैलिटीज को दे दीजिये। नको पावर हाउस दे दीजिये, वाटर वर्क्स दे दाजिये ताकि वे आसानी म रन हो सकें। हो सकता है, इसकी शुरुआत जो लोग इसमें बैठते हैं उनमें ऐडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटि नहीं हो तो आप उस पर अंकुश रखिये, उनकी आमदनी बढ़ाइये।

मैं यह भी अर्ज करूंगा म्युनिसिपैलिटी में जो लो पेड स्टाफ है भंगी, भिश्ती वगैरह इनकी हालत बहुत खराब है, उन पर भी आप तवज्जह फरमायें। ये बेचारे ओवर बर्डन हैं। 13 लाख की आबादी है, (माननीय गिरधारी लाल जी की सीट की ओर मुखापेक्ष करके) गिरधारी लाल जी 9 लाख बता रहे थे, पता नहीं उनका क्या आधार है। इतनी बड़ी बस्ती में 86 भिश्ती रख रखे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता है 86 भिश्ती कैसे सारे शहर में सफाई रख सकते हैं। हालांकि यह जरूर है कि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर के जमाने में कुछ सफाई नजर आती है लेकिन आपने आज तक सिवर लाइन को इम्प्रूव नहीं किया। आज पूरे शहर में जो गन्दगी होती है वह यह है कि आप सिवर लाइन पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। अब आपने फिफ्थ प्लान में तीन करोड़ की रकम निश्चित की है लेकिन मेरा कहने का मतलब

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

यह है कि यह इतना बड़ा काम है, उसको हाथ में लेने को नहीं सोचते हैं। आज आपने इतनी बढ़िया बढ़िया कालोनी जनता कालोनी, सेठी कालोनी बनाई है लेकिन आज वहां न कोई ओपन ड्रेनेज की व्यवस्था है, न कोई सिवर लाईन की व्यवस्था है। इतनी बढ़िया कालोनीज ड्रेनेज के अभाव में गन्दी हालत में पड़ी है। आज उन कालोनीज में आना जाना मुश्किल सा लगता है इसलिये मेरी अर्ज है कोई बड़ी राशि आपको इस सिलसिले में निकालना चाहिये। पूरे शहर को ओवर आल करें

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा एक सुझाव और है कुछ शहर का हिस्सा है उसको भी सुधारें-सांगानेरी गेट से घाट दरवाजे तक और अजमेरी गेट से पांच बत्ती तक एक नाला चलता है, उसकी इतनी खराब हालत है कि आप एक मिनट के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं। एक बार चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने ले जाकर खड़ा कर दिया, एक दो मिनट तो खड़े रहे लेकिन उन्होंने कहा आप जल्दी ही यहां से मुझे निकालिये। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसी जगह पर भी लोग रहते हैं, आप उनका अन्दाज लगाइये किस जिन्दगी में गुजर बसर करते हैं। मैं चाहता हूं जो यहां रहते हैं, उनकी तकलीफ का भी आपको अहसास हो इसलिये कुछ मिनट और खड़े रहें तो अच्छा हो। लेकिन आज तक न वह नाला बना और न उस पर कुछ कार्यवाही हुई। जो जयपुर में टूरिस्ट आते हैं सबसे पहले वे उसे ही देखते हैं।

इसके अलावा आपको आक्ट्राय टैक्स में भी सुधार करना चाहिये, आपको हाऊस टैक्स में सुधार करना चाहिये और ऐसे लोग जो चुने हुए नुमाइन्दे हैं वे ही अगर रिश्वत लेने लग जायं तो उससे बढ़कर और क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है। हम उन लोगों के सामने क्या कहें कि आपने चुना था और हमने आप लोगों से ही रिश्वत मांगना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस निकालिये और फिर साबित न कर सके तो खतम कर दीजिये। सैंकड़ों जमीनों को बेचा है और लाखों रुपये रिश्वत के खाये हैं। आपके हजारों रुपये आक्ट्राय के वसूल नहीं हुये और कर्मचारी और अधिकारीगण मिलकर खा गये। तो आज हालत सब जगह इस प्रकार की है। मेरी गुजारिश है और मेरा सुझाव है इन पर गौर किया जाय और जरूरी परिवर्तन जल्दी से जल्दी किया जाय, ऐसा मैं चाहूंगा।

श्री सभापति : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष जी राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1974 में अमेन्डमेंट करना चाहते है और चुनाव का भी चल रहा है। मैं यह चाहता हूं और मेरी मांग है आपके जरिये नगर परिषद् के चुनाव टाले जाना उचित नहीं है। इसके पीछे बहुत से घोटाले हो जाते हैं। चुनाव समय पर होने चाहियें और जो ये चुनाव की अवधि है तीन साल की, यह अवधि पांच साल की हो तो ज्यादा अच्छा है और फिर इस तरह के चुनावों के तरीके में भी फेर बदल होना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष जी मेरा ख्याल है असेम्बली और संसद के दूसरे चुनावों में शिड्यूल्ड कास्ट्स की डबल कान्स्टीट्यूएन्सी होती थी, वह व्यवस्था मिट गई लेकिन आज भी नगर

(श्री केशरीमल)

परिषद् के चुनाव जो होते हैं उसमें भी डबल कान्स्टीट्यूएन्सी वार्ड है। यह भेद-भाव क्यों, क्या यह ठीक नहीं किया जा सकता है ? मैं सूक्ष्म में ही बात कहूंगा यह अव्यवस्था मिट जानी चाहिये नहीं तो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग जीतकर नहीं आ सकते हैं, अन्यथा अच्छे आदमी तो रह जायेंगे और खराब लोग चुनाव जीतकर आ जावेंगे और पैसे कमायेंगे। शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो वार्ड हैं, उनको अलग कर दीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब चुनाव आते हैं तो पहले पहले।

श्री रामकिशन : जीतते हैं उसमें (विराम) जीतते हैं दोनों हैं।

श्री केशरीमल : वे लोग नहीं जीतते हैं और पैसे वाले आ जाते हैं ...

श्री गोकुलचन्द जाटव : गठबन्धन करना पड़ता है ...

श्री केशरीमल : ये जमीनें बेचने के जो धन्धे किये जाते हैं, चुनाव के पहले, जब चुनाव के करीब दिन आ जाते हैं, क्योंकि मैं भी 25 साल से म्यूनिसिपैलिटी का मेम्बर हूं। जब चुनाव का अवसर आता है तो बराबर मेम्बर लोग, अधिकारी लोग...

एक माननीय सदस्य : सिल्वर जुबली मना रहे हैं।

श्री केशरीमल : वार्ड में जा जा कर जो वहां की कमियां हैं उनको पूरा करेंगे। कोई मकबरा चाहेंगे तो मकबरा बना देंगे, किसी की कब्र ठीक कर देंगे, यह जो व्यवस्था है यह आनी चाहिये चुनाव के पहले लेकिन ठीक चुनावों के दिनों में यह व्यवस्था की जाती है। चुनाव के दिनों में जो इस तरह की व्यवस्था की जाती है, जो जमीनें बेची जाती हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये बल्कि उसको उस समय तो यह कहना चाहिये कि अब हम इस काबिल नहीं रहे हैं। वे लोग बराबर तीन साल तक ऐसे मामलों को रोके रखते हैं और जब चुनाव के दिन आते हैं तो कहते हैं 2-4 दिन में ही तुम्हारा काम करते हैं। आज करते हैं, कल करते हैं इस तरह चुनाव के दिनों में तीन साल के रुके हुये काम किये जाते हैं।

चुनाव जीतने के बाद मैं निवेदन करूंगा म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन का चुनाव भी डाइरेक्ट होना चाहिये। शहर में एक साथ ही उसको वोट पड़ जाने चाहिये। मेम्बर्स से उसका चुनाव नहीं होना चाहिये उससे क्या होगा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं जैसे ही मेम्बर लोग चुने गये, मेरा एक दोस्त था रात को 11-00 बजे चल रहे थे उसको उसी वक्त स्कूटर से ले गये ...

एक माननीय सदस्य : जनसंघ वाले ले गये होंगे।

श्री केशरी मल : जनसंघ वाले नहीं, मेरे ही भाई बन्धु थे। उनको स्कूटर पर बिठाकर ससुराल में ले गये और उसकी वहां पर जंवाई की तरह खातिरदारी हुई। उसको हलुवा और माल मलीदा खिलाया गया। जिस प्रकार उसकी वहां आवभगत हुई वैसे ही उसकी भी आवभगत हो गई और वोट पड़ने के दो घण्टे पहले ले आये। मैंने पूछा क्यों भाई क्या बात है। उसने

(केशरीमल)

कहां मैं बादमें बताऊंगा। ये अपने सुसराल में जवांई थे, हम भी जवांई थे। हमने उनका माल खाया इसलिये उनको जरूर वोट देंगे। ऐसे कई लोगों को पकड़ पकड़ कर किसी को हरिद्वार स्नान कराने ले जाते हैं तो किसी को गंगा जी ले जाते हैं। पता हो नहीं यह चुनावों में बड़ी भ्रष्टता है और इसकी वजह से ऐसी हालत बन गयी है कि अच्छे लोग चुनावों में आ ही नहीं सकते और ऐसे भ्रष्ट तरीके अपना कर ही आ सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी भी यह हालत है 25 साल के बाद भी कि गरीबों के मोहल्लों में और मजदूरों के मोहल्ले में चाहे सफाई की जरूरत हो, चाहे नल की जरूरत हो, चाहे शौचालय की जरूरत हो. चाहे बिजली के लट्टू की जरूरत हो आज भी यह देखा जाता है कि यह मोहल्ला किसका है और यह मोहल्ला किसका है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सबसे पुरानी म्युनिसिपेलिटीज अजमेर और ब्यावर की हैं जिनको कि सौ सौ साल पूरे हो गये हैं। हमारी ब्यावर की म्युनिसिपेलिटी में कुछ मोहल्ले ऐसे हैं कि जिनमें ऊंची जाति के लोग हैं। उनके मोहल्लों में रोशनी और पानी की व्यवस्था है। जो ऊंची जाति के मोहल्ले हैं उनके लिये डबल लाइन पानी की डली हुई है लेकिन जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के रहने के मोहल्ले हैं, जो मजदूरों के मोहल्ले हैं, जो गरीबों के मोहल्ले हैं वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर सड़क नहीं, नल नहीं, पानी नहीं। नगर परिषद में हमने बहुत कुछ किया। तो इस तरह से भेदभाव की नीति अभी तक नगर परिषदों में चल रही है। जब हम यहां से पैसे देते हैं, नल लगाने के लिये पैसा देते हैं, रोशनी के लिए पैसा देते हैं और यह पैसा राज्य सरकार की तरफ से जाता है. तो पता नहीं राज्य सरकार इसमें देखती है या नहीं कि यह पैसा उसमें वास्तव में खर्च किया गया है या नहीं और जब शिकायत के रूप में सरकार के सामने यह चीज आ जाती है तब भी राज्य सरकार जागती है या नहीं। यह शिकायतें आपके पास आई हैं लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ब्यावर में पीने के पानी की ऐसी स्थिति है कि वहां कुछ मोहल्ले हैं जहां नल की ही व्यवस्था नहीं है और कुछ मोहल्लों में जो ऊंची जाति के हैं वहां पर डबल लाइनें हैं। वहां तो तीन तीन मंजिल पानी पहुंचता है और जो गरीबों के मोहल्ले हैं वहां पब्लिक टेप में पानी नहीं है और जब पानी की मांग करें तो पानी की व्यवस्था नहीं होगी और हम यही कह रहे हैं कि लोग दुखी हैं पानी की कमी की वजह से और जैसा मैंने सुना है कल परसों अखबार में भी आया है उससे पता लगता है कि हमने जो कुछ कहा है उस पर पानी फिर गया है। पानी की व्यवस्था तो नहीं हुई लेकिन हमारे कहे सुने पर पानी जरूर फिर गया है। हमें अन्दाज लगता है कि हम कितना भी कहें लेकिन राज्य सरकार ब्यावर के लोगों को पानी देने के लिये तैयार नहीं है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार को सोचना चाहिये कि जिस शहर में पानी की इतनी तकलीफ है और शहर खाली होने की जैसी स्थिति है उसके लिए व्यवस्था नहीं करें तो यह अच्छी बात नहीं होगी।

(श्री केशरीमल)

माननीय उपाध्यक्षजी, आज नालियों की व्यवस्था नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था नहीं है और जयपुर जैसे शहर में मैं आपको क्या बताऊं ऐसा गन्दा लगता है कि सड़कों पर से आप निकल नहीं सकते और हमको शर्म आती है कि पता नहीं कैसे यहां मातायें बहनें और दूसरे लोग कैसे पास पास लगातार बैठ जाते हैं। जब हम आये तो देखकर ताज्जुब हुआ कि वह कैसे बैठे जाते हैं लेकिन वह क्या करें इतने बड़े शहर में जहां शौचालय नहीं हैं, जहां

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

यूरीनल्स नहीं है वह कहां जायेंगे ? यह ऐसी प्राकृतिक क्रिया है कि इसको करना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। तो क्या सरकार इस पर ध्यान देगी ? क्या सरकार में इतनी सी भी सभ्यता नहीं आई कि कम से कम टट्टी पेशाब करने के लिये ओट लगाने वाली बात वह करे। 25 साल की आजादी के बाद खाना और रोजगार देने की बात तो छोड़िये शौचालय तक पेशाब करने के लिए नहीं हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है। इसकी तो व्यवस्था कर दीजिये।

मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि नगरपरिषदें ऐसी व्यवस्था करें कि सफाई के साथ साथ ज्ञान का भी प्रसार वह करे। प्रडल्ट शिक्षा के लिए भी वह कुछ करें, वाचनालय खोलें। लेकिन इस तरफ ध्यान ही नहीं है। जो नगरपरिषदें सफाई के लिये व्यवस्था नहीं कर सकतीं वह और चीजों के लिए क्या काम करेंगी ? पैसों की कमी की वजह से भी यह बातें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गरीबों को बसाने का सवाल है नगर परिषदों द्वारा ऐसे गरीबों को और मजदूरों को जमीनें नहीं दी जाती हैं। यह निश्चित बात है कि गरीब यदि जमीन मांगेगा तो उसको जमीन नहीं दी जायेगी और यदि यह मालुम भी पड़ जायेगा कि यह जमीन बेची जा सकती है तो वह जमीन पैसे वालों को दी जायेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि गरीब लोगों को बसाने के लिये नगर परिषदों के जरिये से व्यवस्था होनी चाहिए नगरपरिषदों के लिये प्री आडिट का झगड़ा भी बहुत बड़ा है। वह नगर परिषदों के कामों में बहुत रोड़े अटकाता है। जहां तक जमीन देने का सवाल है उसमें बड़ी तकलीफ है। राज्य सरकार ने ऐसी बन्दिशें लगा रखी हैं कि बहुत से काम नगर परिषद् यदि करना चाहे तो नहीं कर सकतीं। कहा यह जाता है यह स्वायत्त संस्थायें हैं मैं कहता हूं कि स्वायत्तता कुछ भी नहीं है। नगर परिषद के सारे कामों को प्री-प्राडिट में बांध रखा है और डी.एल.बी. का कोई मामला प्रागया तो उसका तो निकलना ही मुश्किल है। कोई चैयरमैन ऐसा हो कि जो कि दोस्ती रखता हो तो जल्दी से निकाल कर ले जा सकता है वरना नहीं।

कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके लिए नगर परिषदों के कायदे कानून हैं वहां उनमें अमेन्डमेन्ट्स करना बहुत आवश्यक हो गया है। चुंगी लेते हैं उसमें अलग अलग कायदे कानून अलग अलग नगरपरिषदों के हैं। एक शहर में तौल के हिसाब से तो एक शहर में गिनती के हिसाब से तो किसी जगह कीमत के हिसाब से ली जाती है। इससे क्या होता है कि एक जगह का व्यापार दूसरी जगह

(श्री केशरीमल)

चला जाता है। ब्यावर का व्यापार पाली चला जायेगा और पाली ने मन के ऊपर लगा दिया तो वहां का व्यापार वहां चला जायेगा। तो कम से कम एक राज्य के अंदर एक सा तरीका होना चाहिये। यह बात आज से नहीं माननीय उपाध्यक्ष जी वर्षों से है लेकिन पता ही नहीं लगता राज्य सरकार का कि वह क्यों नहीं एकसा करना चाहती है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में सोचती तो बहुत है लेकिन करती कुछ नहीं है। हाउस टैक्स का मसला भी ऐसा ही है। कहीं कुछ है और कहीं कुछ है। एकसा होना चाहिये, स्लेब से होना चाहिये। छोटे लोगों को छोड़ना चाहिए, मझले लोगों से कुछ लेना चाहिए, ऊपर वालों से ज्यादा लेना चाहिए और इससे भी ऊपर वालों से और ज्यादा लेना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए लेकिन बिलकुल इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ब्यावर में कुछ रेट है और दूसरी जगह कुछ और रेट है और इन सब रेट्स को एक करना बहुत आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यक नहीं है कि सभी मुद्दों पर बोलें। बहुत लम्बा विषय है म्युनिसिपैलिटी का।

श्री केशरीमल : दो मिनट में समाप्त करता हूं।

ऐसे ही उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत से ऐसे मसले हैं, उनके लिए अगर ऐसे नियम नहीं बनायेंगे तो मसले बढ़ेंगे इसलिए एक-सी व्यवस्था होनी चाहिए, एक से नियम बनाने चाहिए, चाहे हाउस टैक्स का मसला हो, चाहे और कोई टैक्स का मामला हो, एक सी व्यवस्था होनी चाहिए।

फिर यह हरिजन कर्मचारी हैं, दूसरे कर्मचारी हैं उनका कोई काम का अनुपात नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। या तो काम करने वालों पर बहुत भार होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन पर कुछ भी भार नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि उनका कार्य-भार निश्चित होना चाहिए। आखिर वह मैन्युअल वर्क करते हैं, उनके काम की कोई सीमा होनी चाहिये, आखिर एक आदमी कितना काम करेगा।

साथ साथ मे यह 27 साल की आजादी के बाद भी हम उनसे गन्दगी को उठाने का काम लेते हैं। हमने यह घोषणा की थी कि उनसे गन्दगी को उठाने का काम नहीं लेंगे उस ओर हम कहां जा रहे हैं क्या तरक्की की गई कौन सी ऐसी व्यवस्था की है। आज भी शौचालय ऐसे ही बन रहे हैं, गटरें नहीं डाली जा रही हैं। यह हालत भी वैसी की वैसी बनी हुई है, आजादी के 25-27 साल के बाद भी मैला सिर पर ढोना पड़ता है। हरिजन कर्मचारियों पर जुल्म होते हैं। जो हरिजन कर्मचारी उनके मुंह लगे हुए हैं, रिश्वत देते हैं महीने के महीने, उनको तो सहूलियतें मिल जाती हैं लेकिन जो जमादारों को, इन्सपेक्टरों को रिश्वत नहीं देते हैं उनके लिये मुश्किल है काम करना। इसलिये काम की सीमा होनी चाहिए, कार्यभार तय होना चाहिए। कितने अधिकारी लोग अपने घरों पर कई लोगों से काम कराते हैं और उनका काम दूसरों को करना पड़ता है। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिनके लिये व्यवस्था होना जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री केशरीमल)

एक शब्द कहकर ही समाप्त कर रहा हूं। इन शहरों की सड़कें इतनी खराब हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सड़क का उदाहरण देता हूं ऐसी तो बहुत सी हैं लेकिन एक उदाहरण देता हूं कि जो सडक रूपवानी सिनेमा से कृष्णा मिल तक जाती है और जिस सड़क पर दिन भर में पचास हजार आदमी निकलते हैं, सबसे अधिक गाडियां निकलती हैं, उस सड़क पर कम से कम डेढ डेढ, दो दो फुट के खड्डे हैं। हम तो उनको कहते है कि शफाखाने में किसी का बच्चा नहीं होता हैं, उसको वहां भर्ती होने की जरूरत नहीं है, उनको वहां मौका न मिले भर्ती होने का तो इस सड़क पर तांगे में बिठा कर ले आओ, इस सड़क पर बच्चा हो जाएगा, शफाखाने में जाने की जरूरत नहीं पडेगी। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नारकीय जीवन है तो कैसे समाज का भला होगा। अगर कोई मंत्री महोदय के समझ में आ जावे और अमेंडमेंट ले जावें तो ज्यादा अच्छा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इसको जनमत जानने को भेजा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमान मल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका अधिनियम, 1969 में संशोधन किया जा रहा है उसमें दो पहलू हैं। एक संशोधन तो यह किया जा रहा है कि हमने दो वर्ष तक अवधि बढ़ाने का जो अधिकार लिया है लेकिन एक बार अवधि बढ़ाने के बाद उसको कम करने का अधिकार हमारे पास नहीं है और इस कारण उस अधिकार को हम लेना चाहते हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो प्रशासक नियुक्त करने का चुनाव से सम्बन्धित है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दो वर्ष तक का अधिकार एक्सटेंशन करने का उसमें राज्य सरकार कितना एक्सटेन्शन करे, कितना न करे, यह उनके अधिकार में है और इस कारण से पहले वह यह कहें कि अमुक नगरपालिका का कार्यकाल दो साल के लिए बढाया जाता है, एक साल के लिए बढ़ाया जाता है, उसके बाद में फिर यह कहें कि वह एक साल का अधिकार बढ़ाये उसको हम छः महीने के लिए कर्टेल करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि इसमें जहां तक मैं समझ पाया हूं, साधारणतया इसकी आवश्यकता नहीं थीं, यह अधिकार उनके पास में है। यह अवश्य है कि यदि वे दुरुपयोग करना चाहें, यदि किसी नगरपालिका के सदस्य हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया एक साल का, उसके बाद तलवार रखना चाहें और यह कहें कि देखो तुम्हारा कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन हमारे पास में यह अधिकार है, तुमने हमारी तरफ से काम नहीं किया, हमारा मन चाहा सिविल रिसेप्शन नहीं किया, हमारा समर्थन नहीं किया तो हम तुम्हारे कार्यकाल को कर्टेल कर देंगे, हम तुमको समाप्त कर देंगे। मैं समझता हूं कि यह संशोधन जो किया गया है इस दुर्भावना पूर्ण नियत से किया गया है अन्यथा इस संशोधन की आवश्यकता नहीं थी और यह संशोधन करके राज्य सरकार जो अपने पास में अधिकार लेना चाहती है जिसके कारण से सदस्यों का शोषण कर सकें, राजनैतिक शोषण कर सके, उनका राजनैतिक दुरुपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त मेरी समझ में यह नहीं आता कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, यह दूसरा अमेंडमेंट क्यों किया जा रहा है। यह तो सर्वविदित है कि राज्य सरकार के पास में जब यह जानकारी है कि नगरपालिकाओं का कार्यकाल कितना है और उसके बाद वह सुपरसेशन करती है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि चुनाव कराने में कौन सी रुकावट आती है और चुनाव न करवा कर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करना, एक्सटेंशन बोर्ड को देना, अमुक बोर्ड को देना और अमुक बोर्ड को न देना, वास्तव में यह राजनैतिक सौदेबाजी है, यह राजनैतिक षडयन्त्र है, दुरुपयोग है अधिकार का और एक तरह की राजनैतिक चाल है। इट इज ए पोलिटिकल कोंस्प्रेसी एण्ड फ्राड। वह यह चाहते हैं कि जो जनता के चुने हुए नुमाइन्दे हैं उन पर तलवार के रूप में लटका कर रखें। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जहां तक विचार है यह संशोधन देखने में बहुत इन्नोसेंट है जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि मैं तो इन्नोसेंटली इसको लेकर आया हूं और जितना इन्नोसेंट यह दिखाई देता है वास्तव में यह उतना ही मिसचीवियस है यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अब इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि यह पीसमिल में अमेंडमेंड क्यों आते हैं। हर सदन के अन्दर, हर सत्र के अन्दर, एक न एक अमेंडमेंट आर्डीनेंस के रूप में लाकर, आर्डीनेंस की शक्ति का दुरुपयोग है, राज्यपाल को आपका एक अंगूठा लगाने वाला बना कर हर समय आर्डीनेंस लाकर कहते हैं कि हमने यह आर्डीनेंस निकाल दिया है आप इस पर छाप लगा दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें आज सारी स्वायत्त शासन संस्थाओं के बारे में विचार करना चाहिए। रायल कमीशन ने स्वायत्तशासी संस्थाओं का प्रावधान किया था और उसका विश्लेषण किया है, इवेल्यूएशन किया था भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में। उन्होंने कहा कि हमारा यह मंतव्य है कि अधिक से अधिक जनता के प्रतिनिधियों को, कम से कम इन सिविक मैटर्स के अन्दर उनको अपना निर्णय लेने का अधिकार दिया जाय और इसलिए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नगरपालिकाओं के माध्यम से, म्युनिसिपेलिटिज के माध्यम से, लोकल बोर्डस के माध्यम से एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्स्टीट्युशन का यहां पर प्रादुर्भाव किया जाय, इसकी वृद्धि की जाय। दुर्भाग्य यह है, उपाध्यक्ष महोदय, काले अंग्रेज रह गए और गोरे अंग्रेज चले गये। इन काले अंग्रेजों ने उनको अच्छा कहला दिया। आज नगरपालिकाओं की राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति है इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा मिसाल के तौर पर। आज से कुछ साल पहले डीडवाना नगर पालिका में जनसंघ का बहुमत था, उसको कांग्रेस सरकार ने सुपरसीड कर दिया। उसको सुपरसीड क्यों कर दिया इसका कोई कारण नहीं। साइकिल टैक्स को उन्होंने एग्जेम्प्ट करने का प्रस्ताव पारित कर दिया यह एक कारण था। क्या नागरिकों द्वारा चुने हुए नगर पार्षदों को यह अधिकार नहीं है कि वह यह तय करें कि कौन सा टैक्स उचित है और कौनसा टैक्स अनुचित है और

Page No 154

(154)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

फिर हाई कोर्ट ने चपत लगाई राज्य सरकार के मुंह पर यह कहा कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से सुपरसीड किया गया है। अलवर के अंदर वहां की नगरपालिका के अध्यक्ष हैं वह कांग्रेस के विरोध में हैं। उन्होंने पिछले समय में चुनाव लड़ लिया था कांग्रेस के नुमाइन्दे के विरुद्ध विधान सभा के लिए और इस कारण से हमारी राज्य सरकार और कांग्रेस सरकार के कोप-भाजन बन गए थे। उपाध्यक्ष महोदय, अलवर के अन्दर आर्य समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उस समय बाहर के प्रधान मन्त्री रामगुलाम आए थे जिनके सार्वजनिक स्वागत के लिए द्वार बनाए गए थे। उन पर यह आरोप लगाया गया कि उनके स्वागत द्वार में नाजायज खर्चा कर दिया इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के पहले अविश्वास प्रस्ताव आया उपाध्यक्ष महोदय, तो प्रसाइडिंग आफिसर द्वारा यह कहा गया कि मेरा घेराव हो गया, मीटिंग कराने नहीं आ सका, क्योंकि उस समय अविश्वास 'प्रस्ताव फैल होने वाला था और उसके बाद सस्पेंड कर के उनकी सदस्यता का एक नम्बर कम करके उसको पास करवा दिया। इस प्रकार से विरोधी पक्ष का हर प्रकार से शोषण किया जाता है, राजनैतिक हथकण्डों के द्वारा उनको समाप्त करने के लिए, उनको जलील करने के लिए, उनके बहुमत को खत्म करने के लिए षडयन्त्र करते हैं इन प्रावधानों के द्वारा।

एक और उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अजमेर की नगरपालिका में भारतीय जन संघ के विरोधी पक्ष के लोग हैं, उनके नेता को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? बिहार के अन्दर, उड़ीसा के अन्दर उत्तर प्रदेश के अन्दर, राज्यपाल जैसे उच्च स्तर के व्यक्ति, जो कि सारे प्रदेश के सबसे विशिष्ट व्यक्ति हैं कांस्टीट्यूशन के तहत, संविधान के तहत, ऐसे व्यक्तियों का इन विधान सभाओं के अन्दर जा करके कोई एम. एल. ए. कोई विधायक राज्यपाल महोदय के भाषण की प्रतियां फाड़ दें, उनके साथ धक्का मुक्की कर, उनको सस्पेंड नहीं किया गया लेकिन अजमेर नगर पालिका के विरोधी पक्ष के नेता को सस्पेंड कर दिया उन्होंने यह जुर्म की कि स्टेज पर आकर के वहां के चेयरमैन की अवैधानिक कार्यवाहियों के खिलाफ आवाज उठायी और हाथापाई हो गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा का सारा प्रावधान किया जाता है जिसका एक उदाहरण आपको दिया है। जनतन्त्र को कायम रखने के लिए स्वायत्त शासन की बात की जाती है। परन्तु हमारी कथनी और करनी में अन्तर है। बड़े 2 भाषण देकर, उपदेश देकर ही क्या हम स्वायत्त शासन को मजबूत करना चाहते हैं। क्या इन्हीं से हम जनतन्त्र को सींचना चाहते हैं। यह कह देते हैं कि हमने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण कर दिया है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि हम लोकतन्त्र की हत्या करते जा रहे हैं, यह कहां तक उचित होगा। यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वायत्त शासन संस्थाएं आर्थिक दृष्टि से पंगु हो गयी है। एन्टरटेनमेंट टैक्स था, वह आपने ले लिया। इसके लिए भी आपको विचार करना चाहिये था। इसके लिये अमेन्डमेन्ट लाये होते। यह विचार करना चाहिये था कि नगर पालिकाओं के आमदनी के क्या क्या जरिये हो सकते है। होना

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सैल अमेन्डमेन्ट आप लाते । यह एक अमेन्डमेंट आप लेकर आ गये । एन्टरटेनमेंट टैक्स राज्य सरकार के पास में जाता है । रोड टैक्स राज्य सरकार लेती है । सारे जितने भी टैक्सों के प्रावधान हैं उन सब का पैसा राज्य सरकार के पास जाता है । सड़कें टूटी हुई है । उन पर गड्डे पड़े हुए हैं । ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य अभी कह रहे थे, ब्यावर की सड़कें ऐसी हैं कि औरतो को बच्चों के अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है । जोधपुर में भी सड़कों की ऐसी ही हालत है कि किसी व्यक्ति को अपनी कब्र बनाने की आवश्यकता नहीं है । सड़क में कब्र तैयार है । आप अन्दाज लगा सकते हैं कि 60/80 साल के वृद्ध व्यक्ति कैसे उन सड़कों पर चल सकते है ? चलते है तो राम नाम सत्य हो जाता है । यह दुर्दशा हमारे नगर की, जोधपुर शहर की है - अन्य स्थानों पर भी यही स्थिति है । सड़कों पर एक पैसा आप खर्च नहीं कर रहे हैं । जालोरी गेट से नागोरी गेट तक घूम कर आ जाइये । हर तरफ सड़क टूटी हुई मिलगी और कोई व्यक्ति, कोई तागा, कोई साइकिल, कोई मोटर, कोई इन्सान वहां से नहीं जा सकता है । आज नगरपालिकाएं नरकपालिकाएं बनी हुई हैं । नरक पालिकाएं इस हद तक हैं उपाध्यक्ष महोदय कि आपको निवेदन करना चाहता हूं कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, कच्ची बस्तियों में रहने वाले तो इंसान ही नहीं हैं । उन्होंने जन्म लेकर ही पाप किया है । इस देश के अन्दर और खास कर के इस प्रदेश के अन्दर उनको जीने का अधिकार नहीं हैं, इस कानून के अनुसार । गांधी जयन्ति के अवसर पर, पन्द्रह अगस्त के अवसर पर हमारे देश के नेता, हमारे कांग्रेसी नेता सफेद टोपी लगाकर इनके साथ बैठ कर फोटो खिचवाते हैं । इसके बाद तो ये लोग नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं । उनकी और बातों को छोड़िये जब तक अपने अधिकारों के लिये वे संघर्ष नहीं करेंगे तब तक इस परम्परा से उनको राहत नहीं मिलेगी । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य स्थानों को भी आप देखें । किसी बस्ती में जाइये डवलपमेंट का कोई काम नहीं है । नगरपालिकाओं से जमीन बेचने का अधिकार ले लिया गया । जमीन को बेचने का उनको अधिकार नहीं है । यू. आइ. टी. जमीन बेचती है । आमदनी यू. आइ. टी. को जाती है । तो नगरपालिकाएं क्या हरे राम हरे कृष्ण किया करें । उनके पास आमदनी का जरिया नहीं है तो डवलपमेंट कैसे करेगी ? जब वे आक्ट्राय के वसूल करती हैं आक्ट्राय के बारे में भी मेरे एक मित्र ने यहां पर बताया है । ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे यह आक्ट्राय किस प्रकार लगायी है । कहीं पर तो एक क्विन्टल सोने पर एक रुपया है और कहीं पर 100 रुपये की कीमत पर 9 रुपया है । एक क्विन्टल में कितना सोना होता है अन्धेर नगरी अनबूझ राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा । यह कहावत आपने चरितार्थ कर रखी है, आपको इसमें समानता लानी होगी । बीकानेर, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, जयपुर में जो आक्ट्राय की विषमता है, उसमे आपको समानता लानी चाहिये । यह क्या तरीका है एक क्वीन्टल सोने पर भी एक रुपया और 100 रुपये पर पर भी एक रुपया परन्तु हमारी राज्य सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है । वह तो कुम्भकर्ण की नींद से अधिक नींद सो रही है । मन्त्री मण्डल में हेर फेर होता है या जब कोई नया मुख्य मन्त्री बनता है तो हमारे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लोग जाग जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं अन्यथा इनको कोई चिन्ता नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था सड़कों की मरम्मत की, डवलपमेंट की। आज नगरपालिकाओं को भूखंड बेचने का अधिकार नहीं है। जोधपुर नगरपालिका की क्या स्थिति है। पिछले ढाई तीन साल में 10/8 बार अध्यक्ष बदल गये। अविश्वास का प्रस्ताव आया और फिर चुनाव। यह स्थिति चलती रही। हमारे कुछ नगर पार्षद भी ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आता रहे ताकि दो-चार महीने का खर्चा निकले। उनमें कुछ ईमानदार व्यक्ति भी हैं जो यह चाहते है कि कुछ काम हो किन्तु नियमों का प्रावधान हो ऐसा है कि चाहते हुए वे कुछ नही कर सकते। इस प्रकार जनता का स्वायत्त शासन संस्थाओं के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। अब टर्म एक्सटेन्ड करने का अधिकार अपने पास ले ले रहे हैं, टर्म कम करने का अधिकार भी आप रहे हैं। पहले से ही एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने और हटाने का अधिकार भी आपके पास है। पार्षद को सस्पेन्ड करने का अधिकार मन्त्री महोदय को है। इस प्रकार नगर पार्षद, मन्त्री महोदय रामनारायणजी के चक्कर लगाते रहेंगे वे यह चाहेंगे कि उनके खिलाफ कार्यवाही न हो। जिस पर मेहरबानी हो गई उसकी टर्म बढ़ा दी, एक्सटेन्ड कर दी। इसके लिए कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं है कि कैसे टर्म को एक्सटेन्ड किया जायेगा, क्यों किया जायेगा और कब किया जायेगा। इसका आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई सिद्धान्त नहीं है। मंत्री महोदय को यह पावर आप दे रहे हैं जिसको चाहेंगे उसको वे सुपरसीड कर सकते हैं। जहां पर मन्त्री महोदय या राज्य सरकार किसी कारण से नाराज हो गये वहां पर टर्म को कम कर सकते हैं। यह डिस्क्रीशन है राज्य सरकार को। तो टर्म एक्सटेन्ड करने या न करने का यह जो अधिकार है, यह कानून का सब से बड़ा दुरुपयोग करने का साधन बनता है। हमने भंगी कष्ट निवारण कानून बनाया। यह जो भिस्टा सिर पर ले जाने की प्रथा है उसको समाप्त करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका अधिनियम भी इसके लिये बन सकता है। हमने मृत्यु भोज को समाप्त किया, अछूतों के साथ दुर्व्यवहार समाप्त करने के लिये अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया। मतलब यह है कि आपने ऐसा कानून बनाया। तो क्या ऐसा कानून नहीं बना सकते कि एक इन्सान द्वारा की गई भिस्टा दूसरा इन्सान अपने सिर पर ले जाता है। क्या यह अमेन्डमेन्ट आप नहीं ला सकते? घोषणाएं होती हैं। उससे क्या होता है। यह कैसा देश है। एक आदमी टट्टी जाकर बाहर आता है और दूसरा आदमी उसको अपने सिर पर लेकर जाता है जैसे चन्दन लेकर जा रहा है। क्या यह शर्मनाक बात नहीं है। क्या यह इस देश की इमेज को खराब नहीं कर रही है? क्या इसके लिए आप अमेन्डमेन्ट नहीं ला सकते हैं? ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं। हमारे देश में जो विदेशी लोग आते है वे क्या इम्प्रेशन लेकर जाते है?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं को राज्य सरकार की ओर से जो मदद दी जाती है उसके बारे में भी प्रावधान होना चाहिये। अमेन्डमेन्ट होलसेल होना चाहिये। यह कौनसा तरीका है कि एक जगह 60 लाख रुपया दे दिया और दूसरी जगह नहीं दिया। इससे क्या होता है उपा-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

ध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है, मनमुटाव होता है। कुछ समय पहले घोषणा की गई 60 लाख रुपया जयपुर को उसके विकास के लिये दिया जायेगा और वह नगरपालिका के माध्यम से खर्च किया जायेगा बहुत अच्छी बात है। हम इसका विरोध नहीं करते हैं लेकिन दूसरी भी नगरपालिकाएं हैं उन्होंने क्या कसूर किया है? जोधपुर ने क्या कसूर किया है। वहां पर उद्योग नहीं लगाये जाते हैं। खेतसिंहजी ने कह दिया वहां पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, आने जाने के साधन नहीं है। आडगेज नहीं है। तो फिर आप जोधपुर को कालापानी क्यों नहीं घोषित कर देते हैं। उद्योग नहीं है। नगरपालिका को एड नहीं देते हैं। आपने जयपुर को दिया है, वह राजधानी है, ठीक है। स्वर्गीय बरकतुल्ला खां साहब ने कहा था एक साल जयपुर को देंगे, दूसरे साल दूसरी नगरपालिका को देंगे। लेकिन दुख इस बात का है उपाध्यक्ष महोदय कि जोधपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। जोधपुर का विकास अवरुद्ध है इसलिये वहां के लोगों में आक्रोश है। इस प्रकार की भावना आज भंयकररूप से लोगों में है। पाकिस्तान के सेबर जेट जब जोधपुर की धरती पर धमाधम बम गिराते हैं तो हमें जोधपुर की याद नहीं आती है। वे बम हम सहन करते हैं उपाध्यक्ष महोदय, और जिस समय विकास का प्रश्न आता है उस समय यह कहते हैं कि यह राजधानी है, यह पर्यटक केन्द्र है, यहां पर यह केन्द्र है, और जोधपुर के लोगों को टीबों के अन्दर ले जाकर, जो रेत कें टीबे बने हुए हैं धोरों की धरती के अन्दर, एक आज्ञा प्रसारित कर दी जाय कि इनको समाप्त कर दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में जन-आक्रोश की जो भावना है वह इस प्रदेश की एकता के हित में नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा उनके साथ में न्याय किया जाय।

यहां पर यह कहना चाहूंगा कि आपने दो लाख रुपये भी नहीं दिये, ड्रेनेज के लिए नहीं दिये, रोड्स के लिए नहीं दिये, सीवेज सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए नहीं दिये। इरिगेशन का सवाल तो उठता ही नहीं है। भगवान भी नाराज है। बरसात होती नहीं है। रेगिस्तान तो है ही लेकिन उस रेगिस्तान को आप कब्रिस्तान अगर बनाना चाहते हैं तो बना दें। घोषणा कर दें, एक आदेश जारी कर दें। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आज के युग के अन्दर किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं है। इस कारण से मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर के लोगों के साथ में डिफरेन्स कर रहे हैं, जोधपुर के साथ में अन्याय हो रहा है जहां पर कि लोकनायक जयनारायणजी व्यास हुए हैं। वहां पर एयरलाइंस बन्द हो गई है, रेलवेज 85 पर्सेंट बन्द हो गई हैं, यातायात सारा बन्द हो गया है। वहां के लिए जो कुछ करने जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे है इसके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए, वर्ना वहां की ढाई तीन लाख की जनता चुप नहीं बैठने वाली है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका अधिनियम के अन्दर इस प्रकार का स्पष्ट प्रावधान रखना चाहिए, चाहे वह पापुलेशन बेसिस पर रखें, या और कोई फार्मूला रखें। आप एक कमेटी बनाइये, एक आयोग बनाइये जो नगरपालिकाओं की सारी स्थिति का अवलोकन करके नगरपालिकाएं राजस्थान के अन्दर कौन कौन सा टैक्स लगायेंगी, आक्ट्राय

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

किस फार्म में लिया जाना चाहिए, एन्टरटेनमेंट टैक्स गवर्नमेंट लेगी तो कितना मिलेगा नगरपालिकाओं को, क्या एमेनिटीज दी जायगीं, नगर पालिका के मेम्बर्स को क्या अधिकार होंगे, इन सारे मुद्दों के बारे में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए नगरपालिका आयोग बनाया जाय, और उसके बाद के अन्दर सारे के सारे एमेंडमेंट्स लायें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि नगर-परिषदों को अपने हिसाब से चुनाव के लिए जो एमेंडमेंट लेकर आये है मैं उस एमेंडमेंट का समर्थक नहीं हूं। इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि जनमत के लिए भेजें और जनता की भावनाओं को जानना चाहिए और उसके बाद आप विचार कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे यह समझ में नहीं आती कि आज भी जब कि सारे प्रदेश में कुछ नगर परिषदों में और नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त किये गये हैं हमारी सरकार वहां पर चुनाव करवाने में क्यों हिचकिचाहट कर रही है, क्यों कतरा रही है और ऐसा बिल लाकर विकेन्द्रीकरण के नाम पर सत्ता का केन्द्रीकरण करने का रास्ता क्यों अपना रही है? मैं यह मानता हूं कि नगरपालिकाएं जनतन्त्र की मूल इकाई हैं, उस मूल इकाई को भी आज ऐसा बना रखा है कि यह नगरपरिषदें और नगरपालिकाएं आज एक झाडू डिपार्टमेंट हैं। आज उनके पास में कोई विकास का कार्य नहीं है, आज उनको जमीनें बेचने के पावर्स नहीं हैं, कुछ नहीं है और केवल झाडू डिपार्टमेंट है। उस पर भी उनको राजनितिक ढकोसला और राजनीति का शिकार बनाना चाहते हैं। मैं, माननीय उपाध्यक्ष यह कहना चाहता हूं कि आज जो नगर परिषदें चलाई जा रही हैं आज उनको राजनीति के सीखचों में चलाने से मैं यह समझता हूं कि किसी भी कीमत पर उन नगरपालिकाओं के माध्यम से और परिषदों के माध्यम से हम जनतन्त्र की मूल भावना उत्पन्न नहीं करा सकते हैं। मेरा यह अनुभव है उदयपुर में जब जनसंघ की नगर परिषद् थी तो हमारी राज्य सरकार ने यह कह कर कि उन्होंने सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया है इसलिए ग्रान्ट इन एड बन्द कर दी। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि क्या नगर परिषदो को इस प्रकार से राज्य के डंडे पर चलाना चाहते हैं। सफाई करें, नगर का विकास करें इस पर भी यहां कांग्रेस के कर्णधारों को, राज्य सत्ताधारियों को, मिनिस्टरों को यह विचार आता है कि क्योंकि यह परिषद् जनसंघ के हाथ में आगई है इसकी ग्रान्ट-इन-एड बन्द कर दी, क्योंकि इसने हाउस टैक्स नहीं लगाया है। हाउस टैक्स यदि नहीं लगाया है तो इसका जुर्माना किस के ऊपर? जनता के विकास के ऊपर। जनसंघ को परिषद् थी इसलिए उनको परेशान करने के रास्ते ढूंढ निकाले गये और ग्रान्ट-इन-एड बन्द कर दी गई, और उसके बाद जब कांग्रेस की परिषद् आ गई तो ग्रान्ट-इन-एड देना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में हाउस टैक्स लगाने की भी कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई। जनता की भावनाओं के विरोध में कांग्रेस की नगर परिषद् को उदयपुर में हाउस टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं हुई। बावजूद हाउस टैक्स नहीं लगाने के यहां के सत्ताधारियों ने, कांग्रेस सरकार ने इस म्युनिसिपेलिटी को ग्रान्ट-इन-एड दे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

दी। इसलिए दे दी कि कांग्रेस नगर परिषद् में आ गई। जनसंघ की थी तो नहीं दी और कांग्रेस की है तो दे दी। यह राजनैतिक भेदवभावपूर्ण रखने वाले जनतन्त्रीय संस्थाओं को कैसे चला सकते हैं? क्या वे नगर परिषदों को चला सकते हैं?

दूसरा यहां पर जो महकमा है वह धृतराष्ट्र बना हुआ है और दुर्योधन राज्य चला रहा है। कांग्रेस की हुकूमत दुर्योधन की है। चाहे सो करते जाओ। चिट्ठी लिखे तो सब दबा दें और मंत्री मण्डल के पास पहुंचे या न पहुंचे उसका कोई हिसाब किताब नहीं। यह क्या यहां पर नियमों के अनुसार कोई कार्यवाही हो रही है कि नहीं हो रही है? कोई डाइरेक्टोरेट में उसको देखता भी है या नहीं देखता है?

मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उदयपुर में शायद अनोखी घटना हो गई है। शहर के परकोटे के बाहर सरकारी जमीन है, सरकारी खाई है उसके ऊपर एक प्राइवेट व्यक्ति ने उस सारी जमीन को मैं समझता हूं कि लगभग एक मील लम्बी वह खाई है उसको यह बताकर कि मेरी है, प्लाट्स निकाल दिये। डाइरेक्टोरेट उनसे मिला हुआ है या न जाने क्या है कि कोई पता नहीं और अपने प्लाट्स बना बना कर बेच रहा है। वहां की नगरपरिषद् चुप, वहां का सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चुप और डाइरेक्टोरेट भी चुप। सब शान्ति धारण किये हुए हैं। चिट्ठियां जाती हैं लेकिन बैठे धृतराष्ट्र बनकर। आंखें मींचे हुए बैठे हैं। कोई ध्यान देने वाला नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस व्यक्ति विशेष से पूछें। मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन पब्लिक की सम्पत्ति है और नगरपालिका की सम्पत्ति की रक्षा करना हरेक का काम है। उदयपुर में एक लम्बे एरिया तक एक व्यक्ति ने कब्जा करके प्लाट बनाकर बेच दिये हैं और वह खाई जो है वह सरकारी जमीन है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं पॉलिसी मैटर के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि नगर विकास न्यास और नगर परिषदें यह एक नगर के दो बाप बना दिये हैं। एक नगर के अन्दर दो हुकूमतें बना दी हैं। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि सरकार का नुकसान हो रहा है। कोई व्यक्ति नगर परिषद् को नुकसान पहुंचाता है, कोई व्यक्ति म्युनिसिपेलिटी की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वह न्यास वाले कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं है और यू. आइ. टी. वाले कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं हैं, स्थान नहीं है। दो बाप बन गये और काम सम्पूर्ण हुआ कोई नहीं। विकास न्यास जो बनाये गये थे वे नगर का डेवलपमेंट करने के लिए बनाये गये थे तो फिर नगर परिषदें किस बात के लिए हैं? यह किस खेत की मूली है। यह विकास करने के लिए नहीं हैं क्या? मेरा यह विचार है कि विकास की दृष्टि से जो हमारा मौलिक अधिकार है जनतन्त्र में नगरपालिका का तो नगर विकास न्यास की स्थापना करना उस मौलिक अधिकार पर कुठाराघात है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न्यास को नगर परिषद् का एक पार्ट बना दिया जाय। उसका एक विभाग बनाना चाहिए, और जो इलेक्टेड मेम्बर्स हैं वह

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अगर विकास करने के लिए अलग विभाग निकाला हुआ होगा तो नगर का विकास देख सकेंगे। लेकिन वहां पर नोमीनेटेड लोग बैठे हुए हैं वह कौन लोग हैं। सारे नगर विकास न्यास को देखिये तो कोई मेम्बर विरोधी दल का नहीं होगा, और कांग्रेस के लोग जो हैं वह पक्की हजम कर जायं और पता न चले......

श्री रामकिशन : पक्की ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : कच्ची रोटी खा जायं और डकार भी न लें और पता भी न चले। कहीं कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण न हो जाय यह उन्होंने हालत बना दी है।

एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं सिद्धान्त के रूप में कि जब तक आप नगर विकास न्यास को भंग नहीं करते हैं तो जहां पर वह काम करते हैं वहां पर डेवलपमेंट को अधूरा छोड़ देते हैं। गंदगी की सफाई का काम, बिजली का काम नगर परिषद् को करना पड़ता है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि नगर विकास न्यास डवलपमेंट फीस लेता है तो उसका एक पोर्शन नगर परिषद् को दिया जाय। जब तक यह तय न हो तब तक कुछ हिस्सा नगर परिषद् को मिले तो उनको कुछ हिस्सा मिल सकता है।

... उदयपुर के अन्दर जब से राजस्थान मंत्रीमण्डल की घोषणा हुई है कि नगर प्रन्यास भंग होंगे, वहां के चेअरमैन ने एक दो महीने के अन्दर हजारों प्लाट इधर उधर कर दिये। मैं आपको यह कहना चाहूंगा, उदयपुर के अन्दर सबसे बड़ा पोलो ग्राउन्ड है, जहां किसी समय में खेल हुआ करते थे, वह कौड़ियों में, हजारों में, लाखों में नहीं बड़े बड़े आफिसरों, आइ. ए. एस. आफिसरों, आइ. पी. एस. आफिसरों, इंजिनियरों को बेच दिया है। यह कलेक्टर की नालेज में है, यह मंत्री महोदय की नालेज में है, उनके यहां एप्लीकेशन देने के बाद, इस सदन में आवाज उठाने के डाइरेक्टर चुप, कलेक्टर भी चुप। इसलिए कि बड़े बड़े आफिसरों ने बंगले बना लिये हैं। मैं कहना चाहूंगा, पोलो ग्राउन्ड में एक प्लाट हमारे माननीय मंत्री, हीरालाल देवपुरा का है, वह उन्होंने 26 हजार मे लिया है। वैसा ही प्लाट उदयपुर के सिटी मजिस्ट्रेट ने 4 हजार रुपये में लिया है, वैसा ही हमारे सिटी यू.आइ.टी. के सेक्रेटरी ललित शाह ने दो हजार में लिया है। क्यों भाई ! क्या मुफ्त की सम्पत्ति है ? लेकिन डाइरेक्टर चुप। यह ललित शाह, आप पता लगाइये, जब से सेक्रेटरी बने हैं, तब से तीन तीन, चार चार, पांच पांच प्लाट अनधिकृतरूप से बना लिये हैं। कहां से प्लाट इनके पास आ गये ? कहां से बना लिये हैं। बिना किसी एप्लीकेशन के प्लाट कैसे मिले ? बिना किसी एप्लीकेशन के लोन कैसे सेंक्शन हो गया। नगर परिषद् के चेअरमैन के प्लाट हो गये, उन्होंने मकान बना लिये, कैसे बन गये ? किसने दिये ऐसी लाखों रुपये की सम्पत्ति पर डकैती डाल रहे हैं वह जो न्यास के अन्दर बैठे हुए हैं। लेकिन डाइरेक्टोरेट चुप। उनके पास चिट्ठयां जा रही हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन सब दब जाता है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कितना भयंकर अत्याचार हो रहा है, उसमें वहां के चेअरमैन और वहां के सेक्रेटरी सब मिले हुए हैं।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

वनवासियों के लिए, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए नीमच माता के खेड़े में प्लाट रखे हुए हैं कि यहीं पर उनको बसायेंगे। लेकिन वहां के सेक्रेटरी से मिल कर कुछ बदमाश तत्व, जो इस प्रकार का काम करना चाहते हैं, ने एक व्यक्ति के नाम पर 26-26 प्लाट ले लिये। वनवासियों को दिखा दिया, वनवासियों को बताया, यह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नीमच माता के खेड़े में जो प्लाट दिये हैं, उसके लिए दो दो हजार रुपये दे दीजिये। वह दो दो हजार रुपये दे दिये और प्लाट बन गये कार्यकर्ता के नाम पर। उन वनवासियों के नाम पर प्लाट नहीं थे। उस कांग्रेसी कार्यकर्ता ने पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर नीमच माता के खेड़े के प्लाट बेच दिये, पट्टे चेंज हो गये और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग वैसे के वैसे ही रह गये। यह सारा मामला डाइरेक्टोरेट जानता है लेकिन चुप है। सारी मिली भगत है। कौन एक्शन ले उनके प्रोटेस्ट में? कौन हाथ डाले? लाखों रुपये की सम्पत्ति सारी की सारी ट्रस्ट और म्युनीसिपैलिटी को साफ कर दें, लेकिन बोलने वाला नहीं है। माननीय मंत्री नये आये हैं, भले आदमी हैं, मैं यह चाहूंगा कि नये और भले होने के साथ आप हिम्मत के साथ एक जांच आयोग बिठा दें। यह एन्टी-करप्शन को मामला सौंपा था, सारी की सारी फाइलें सीज की थीं, हमने आवाज उठाई थी, वह सारा का सारा मामला दबा गया है, खत्म हो गया है। आप देखिये एक चेअरमैन ने कितने प्लाट बेच दिये हैं और उसने कुर्सी छोड़ते छोड़ते दो महीने में कितना कंस्ट्रक्शन किया है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यह देख लें।

दूसरे नगर परिषद की सम्पत्ति के बारे में बताऊंगा, जहां सार्वजनिक लेट्रिन थे, शौचालय थे, वहां एक कम्युनिटी को प्रसन्न करने के लिए उस पर मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए इजाजत दे दी। वहां जो सार्वजनिक शौचालय था वह मार्केट के रूप में परिणत हो गया। उस जमीन पर अधिकार कैसे हो गया। वहां कम्युनिटी के कुछ लोगों ने ऐतराज किया, आस पास, पड़ोस के लोगों ने दरख्वास्त भी दी। डाइरेक्टोरेट बिल्कुल शांत, आंखें मूंदे हुए है, जो समय पर सुनता नहीं। मुझे ऐसा लगता है, इस हुकूमत में सुनने वाला है या नहीं। इन सारी चीजों को खोल कर देखा जाय तो आपको पता लगेगा कि नगर-पालिका का प्रशासन है, यह सारा झाड़ू डिपार्टमेंट बना हुआ है, वह उसमें झाड़ू नहीं लगा सकता है, उसकी सफाई नहीं कर सकता है। उसकी सफाई नहीं कर सके तो यह लोकतंत्र की मूल इकाई है, वह समाप्त हो जायगी। माननीय मंत्री को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि नगर परिषद और न्यास को तोड़ कर एक इकाई बनाई जाय।

नगर परिषद के बारे में कई माननीय सदस्यों ने बोला है, जिन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं, उन पर मैं नहीं कहूंगा। मैं केवल यह कहूंगा कि प्री-आडिट सिस्टम विरोधियों को चुप करने का रास्ता है। मुझे अवसर मिला है, मुझे मालूम है, जब नगर परिषद हमारे हाथ में थी, हरिजनों को तनख्वाह देनी थी, प्री-आडिट वालों ने कहा, हम पास नहीं करते हैं बिल। हरिजन हड़ताल करके हमारे सामने आ जायं लेकिन हम उनका पेमेंट न कर सकें। कलेक्टर से कह कर बड़ी मुश्किल से पेमेंट करवाया

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

गया। मैं कहता हूं कि प्री आडिट सिस्टम पी डब्ल्यू. डी. में रख कर देख लीजिये, कलेक्टोरेट और डाइरेक्टोरेट में रख कर देख लीजिये। कब तक काम चला सकते हैं। क्या तमाशा है। एक तरफ कहते हैं कि इलेक्टेड लोग काम करें। यह कहते हैं कि जन प्रतिनिधि काम करें। दूसरी ओर यह हालत है, उदयपुर नगर परिषद् के प्रशासक हैं उन्होंने हैल्थ आफिसर को केवल इसलिए सस्पेन्ड कर दिया, जब कि वह कर नहीं सकते, क्योंकि एडल्ट्रेशन के मामले को पकड़ने का उनको अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको कन्फर किया हुआ है, लेकिन सस्पेन्ड इसलिए कर दिया कि वह उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, और उनके जो लोग हैं उनको वह पकड़ते हैं। ऐसे ऐसे मुद्दे पर, मैं समझता हूं, हैल्थ आफिसर को छूट नहीं है, इसमें भी प्रशासक कंट्रोल करेगा। वह कहेगा, इसका सैम्पल भरो, इसका नहीं भरो। इस प्रकार फिर हैल्थ आफिसर को क्या करना है। ऐसे ऐसे अनेक धन्धे हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। उदयपुर में हमारे राष्ट्रपति आये थे, हमारे देश के राष्ट्रपति, उनको खाना अच्छा मिलना चाहिए, शुद्ध मिलना चाहिए। उनको जो खाना मिला, मसाले मिले, दाल मिली उनको अनेलेसिस्ट के पास भेजा गया तो पाया गया कि अडल्ट्रेशन है, इस हैल्थ आफिसर ने जो वह सारे मसाले और सारी चीजें पेश कीं, वह अडल्ट्रेटेड थीं। कमिश्नर ने गला घोंटा, मत बोलो, हम मर जायेंगे। कलेक्टर ने रोका, कमिश्नर ने रोका। उसने कहा, रोकते क्यों हो, यह राष्ट्रपति को चीजें दी जा रही हैं, यह अडल्ट्रेटेड हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। लेकिन वह नया हैल्थ आफिसर था, नवयुवक था, कमिश्नर के साथ उसकी पूरी पटरी नहीं मिलती थी, वह रिश्वत नहीं खाता था। उसको सस्पेन्ड करके गवर्नमेंट को पत्र लिखा है कि इसको ट्रान्सफर कर दीजिये, जब कि यह आर्डर है कि वह सस्पेन्ड नहीं कर सकते, उसको सस्पेन्ड कर दिया, उसका टेलीफोन छीन लिया। ऐसी व्यवस्था कौन करते हैं? आपके आफिसर करते हैं, इलेक्टेड लोग नहीं करते हैं। जो इलेक्टेड लोग हैं वह नहीं करते हैं और आपके आफिसर करते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि आफिसरों का राज्य बना रहे, आर. ए. एस. के व्यक्ति जाकर हुकूमत करें और जनता के लोग हुकूमत न करें। मैं समझता हूं, यह दुःखद घटना है।

दूसरी बात, नगर परिषद् में चेयरमैन की पोस्ट रखी है, जो चेयरमैन बनता है, प्रेसीडेन्ट बनता है, वह एक प्रकार से होल टाइमर होता है, उसको 150 रुपये देते हैं। वह 150 रुपये लेगा तो दूसरा धन्धा करे, नौकरी करे, फिर नगर परिषद् सम्भाले। मैं समझता हूं, यह अलाउन्स के रूप में, सैलेरी के रूप में, नहीं, आनरेरियम के रूप में कम से कम पांच सौ रुपये मिलने चाहिएं, ताकि काम करे, नगर परिषद् का दिल खोल कर काम करे और दूसरा धन्धा नहीं करे।

इसी प्रकार नगर परिषद का एडवोकेट होना चाहिए. उसकी लाइब्रेरी होनी चाहिए, एडवोकेट पेड होना चाहिए। जितने केसेज होते हैं, वह एडवोकेट को जाते हैं, वह पार्टी से मिल जाते हैं और मामले में लेकूना रख देते हैं, फिर भी बंधा हुआ पैसा ले लेते हैं। हमारा पेड हो, हमारा एडवोकेट

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

हो, होल टाइमर हो, अपना एडवोकेट बैठा हुआ हो तो मैं समझता हूं कि सीगल लेकुना के कारण केस हार जाते हैं, वह नहीं हारेंगे। इससे छोटी मोटी मदद भी मिल जायगी और जो पैसा एडवोकेट को देंगे, उससे ज्यादा आमदनी मिल जायगी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप स्वायत्तशासी संस्थाओं को मजबूत बनायें। मैं यह नहीं कहूंगा कि उनको भंग कर दिया जाय। ऐसा मौका मत आने दीजिये कि निर्वाचित व्यक्तियों की जगह जो आर० ए० एस० लोग हैं वह बैठे हों और जिन निर्वाचित व्यक्तियों के द्वारा जो सुधारा हुआ प्रशासन है उसको एक साल में तहस नहस कर दें। सारी व्यवस्था बिगाड़ दें, फिर निर्वाचित लोग आयें, फिर उसको सुधारने में महीने लग जायें, फिर आर. ए. एस. वाले आयें, मनपाने ढंग से किसके मनसे पास हो रहे हैं, जैसे चाहा कर लिया नगरपालिकाओं की सारी बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में सौंपकर उनकी स्वायत्तता का हनन न करें। यह कहता हुआ मैं आपके बिल का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि आप नगर परिषदों को कम से कम उनके ही हाथों में छोड़ दे तो अच्छा होगा। नगरपालिकाओं का टर्म खतम होता है उससे दो महीने पहले चुनाव करायें, आने वाले निर्वाचित व्यक्ति पुराने व्यक्तियों से टेकओवर कर लें। बाकी यह अच्छी परिस्थिति नहीं है कि राज्य सरकार अपने प्रशासकों के मारफत भ्रष्टाचार को तूल देकर काम करें, यह बुरी परम्परा होगी और जो जनतंत्र की मूल इकाई है, उस पर कुठाराघात होगा। इस प्रकार इनट के अन्दर पाबंदी रखें कि तीन साल के बाद एक महीना भी न निकले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवंतसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं क्या निवेदन करूं, सरकार ने जो समय बढ़ाया है, उसके अन्दर तो कम से कम चुनाव करावें।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री): उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनको मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। मैं माननीय सदस्यों की गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस कानून के द्वारा भेदभाव बरतेगी और युनिफार्म पालिसी एडाप्ट नहीं करेगी। माननीय सदस्यों ने, विशेषतौर से जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि एक्स-टेन्डेड टर्म को इन्ट्रोड्यूस करने का अधिकार सरकार को क्यों लेना चाहिए? इससे दुरुपयोग होने की संभावना है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार सब नगरपालिकाओं के बारे में एक ही नीति रखती है। यदि राज्य सरकार भेदभाव करना चाहती जिनको पसंद करती उनको सुपरसीड करती और जिनको ना-पसंद करती उनको कन्टीन्यू करती, तो आपने देखा होगा कि 126 नगरपालिकाओं को एक साथ सुपरसीड किया गया था तो किसी बात का भेदभाव नहीं रखा गया, सबके साथ समान नीति का पालन किया। इसी प्रकार माननीय सदस्यों ने अनुदान के बारे में आशंका व्यक्त की और आरोप लगाया है कि युनिफार्म नीति नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार नहीं होता है कुछ को अधिक और कुछ को कम ....

श्री भानुकुमार शास्त्री : किसी को कुछ नहीं ।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान में नगरपालिकाओं को अनुदान देने के नियम बने हुए हैं, इस समय जो नियम है वह है 50 पैसा प्रति व्यक्ति के हिसाब से। संपूर्ण राजस्थान के नगरपालिकाओं को अनुदान दिया जाता है। इसके अन्दर भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। चालू वर्ष में, जैसे राज्य सरकार ने घोषणा की है, एक रुपया प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जाएगा तो इसके अन्दर भेदभाव की गुंजाइश नहीं रहती है। दूसरे माननीय सदस्यों ने डेवलपमेंट के बारे में भेजे गए प्रस्तावों का उल्लेख किया। जितनी नगरपालिकाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए, यदि वे नियमानुसार पाए गए और पुराना हिसाब ठीक मिला तो उन सबको अनुदान देने की कोशिश की गई है। किसी विशेष नगरपालिका को राज्य सरकार ने पसंद किया हो, ऐसा एक उदाहरण भी नहीं है, जिसको अनुदान अधिक दिया हो और आपकी नजर में दूसरी नगरपालिका को कम दिया हो। एक उदाहरण भी बता दें तो मैं स्वीकार करूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं आपके सामने बता दूं कि उदयपुर नगर परिषद् को 1964 से लेकर 1967 तक एक नया पैसा भी राज्य सरकार ने अनुदान का नहीं दिया और 1967 के बाद जब कांग्रेस की नगरपालिका आई तो उन्हीं टर्म्स के आधार पर वापस अनुदान दे दिया।

श्री रामकिशन : वह पुरानी बात है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस मंत्री के आने के बाद की बात बताओ। वह अपने धर्म ईमान से बोल रहे हैं।

श्री रामकिशन : वह सरकार ही ऐसी थी।

श्री रामनारायण चौधरी : राज्य सरकार की स्वायत्त शासन संस्थाओं के संबंध में एक ही नीति है, कहीं भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने जमीन के बेचने के बारे में नगरपालिकाओं के अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। विशेष तौर से उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि उदयपुर में कुछ लोगों ने हजारों रुपए की जमीन को कौड़ियों के भाव बेच दिया, उदाहरण के लिए देवपुराजी ने कोई जमीन 26,000 रु. में खरीदी, वहां सिटी मजिस्ट्रेट ने 2-4 हजार हजार रुपये में समानांतर जमीन खरीदी है। माननीय सदस्य ने पूर्व में इस प्रकार की जानकारी नहीं दी इसलिए मैं इसकी जानकारी नहीं करा सका। इतना ही नहीं...

श्री भानुकुमार शास्त्री : सदन में डिस्कस हो चुका है। मंत्री महोदय, परसराम मदेरणा है, श्री आचार्य ने कहा था, मकान बना रखा है, आपने कहा था कि जांच कराऊंगा, आज तक जांच नहीं की।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य यह बात सदन के ध्यान में लाए हैं इसको और डिटेल्ड जांच के लिए, यदि आप की नजर में और भी बातें हों तो वह सरकार को दें, मैं इसकी जांच कराने की व्यवस्था करूंगा और जिन सरकारी अधिका-

Page No 165

(165)

(श्री रामनारायण चौधरी)

रियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अधिकारियों ने मिलकर नाजायज फायदा उठाया है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

श्री गफ्फार अली ने अपने भाषण में जिक्र किया था कि 91 फाइलें ऐसी हैं जिनके बारे में राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका ने गलत तरीके से जमीन खरीदी है, लोगों को 100-50 रुपये में बेचकर नाजायज फायदा उठाया गया है और राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार जिन्होंने नाजायज फायदा उठाया है, उनके खिलाफ पुलिस में केसेज दर्ज करवाए गए हैं और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री गफ्फार अली: उनको डिस्क्वालीफाइ करेंगे?

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय सदस्य स्वयं कानून के जानकार हैं और नगर पालिका कानून से तो अच्छी तरह से जानकारी है कि किस प्रकार से उनको डिस्क्वालीफाइ किया जाएगा, कितना समय उसमें लगता है इसलिए मुझे उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गफ्फार अली: कितनों को शो-काज नोटिस दिया?

श्री रामनारायण चौधरी: शो-काज नोटिस नहीं दिया। जिनके खिलाफ यह चीज पाई गई है उनके खिलाफ एफ. आइ. आर. पुलिस में दर्ज कराई है और कानून के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री केदारनाथ संतुष्ट हो गए हैं।

श्री रामनारायण चौधरी: दीपंकर साहब ने कहा कि जिला स्तर पर कमेटी बना दी है जिसमें चेयरमैन सदस्य होते हैं और कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं। जो जमीन की रेट्स तय करती है, इन रेट्स के लिए नगरपालिकाओं को छूट दी गई है कि उन्हीं रेट्स के हिसाब से जमीनें बेच दें। इससे एग्री नहीं करता। जो जमीन के रेट्स तय होते हैं वह सरसरी तौर पर तय करते हैं, चूंकि जमीन का लोकेशन अलग अलग होता है। मेन सड़क को टच करने वाली जमीन की रेट अलग होगी, पीछे रहने वाली जमीन की रेट अलग होगी तो मौके पर जमीन की मांग के हिसाब से और दूसरी चीजों को ध्यान में रखते हुए नीलाम के द्वारा बेची जाए तो उससे बेहतर कोई तरीका नहीं।

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने डबल मेम्बर वार्ड्स को सिंगल मेम्बर वार्ड्स बनाने के लिए कहा है। आपके इस सुझाव से राज्य सरकार सहमत है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं, आने वाले चुनावों में सिंगल मेम्बर कान्स्टीटयुएंसी के हिसाब से चुनाव करवाने की व्यवस्था की जाएगी।

श्री केदार नाथ: चेयरमैन का डाइरेक्ट इलेक्शन?

श्री रामनारायण चौधरी: इस बारे में आप स्वयं ही विचार करें कि सीधा चुनाव आसान नहीं होता है, उसके अन्दर

(166)

(श्रीरामनारायण चौधरी)

कितना खर्चा होता है, यह जो वर्तमान में अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था है, इससे बेहतर व्यवस्था कोई नहीं है।

चुंगी के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि शिड्यूल्ड रेट्स सारे राजस्थान में एक जैसे हों। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं क्योंकि जयपुर के रेट्स, जोधपुर के रेट्स, अजमेर के रेट्स का मुकाबला सूरतगढ़ और खेतड़ी से नहीं करेंगे। तो जहां जैसा व्यापार है उस आधार पर विचार करके चुंगी के रेट्स तय करने पड़ेंगे। तो मैंने माननीय सदस्यों ने जो मोटी 2 बातें कही उनके बारे में उत्तर दिया। बाकी मैं समझता हूं कि डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अनअथोराइज्ड कब्जा कर लिया है तो या तो उनको डिमोलिश करें या उनको रेगुलेराइज करें। इस बात से मैं सहमत हूं।

श्री रामकिशन : दो सुझावों के अलावा और कोई तीसरा रास्ता है क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : या तो डिमोलिशन हो या रेगुलेराइज हो। आपने कहा और मैंने उसे मान लिया। इसमें मेरी नाइत्तफाकी नहीं है।

दूसरा, माननीय सदस्य ने यह बताया कि एक नाला जयपुर में है, उसमें से बहुत बदबू आती है। माननीय सदस्य ने नाम नहीं बताया। नाम बतायेंगे और सुझाव उसके लिए आवेगा तो जरूर उस पर विचार किया जावेगा।

ये जो मोटी मोटी बातें माननीय सदस्यों ने रखी, मैंने उनका उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किया है।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो अमेंडमेंट प्रस्ताव पेश किया है बहुत ही इन्नोसेन्ट टाइप का है। माननीय सदस्य जोधपुर से आने वालों ने स्वीकार नहीं किया है। परन्तु वे स्वयं गौर करेंगे कि राजस्थान सरकार ने अपने अमेंडमेंट के द्वारा बांधा है, एक साल में चुनाव करने के लिए अपने आपको प्रतिबन्धित किया है। यदि यह मंशा नहीं होती तो यह अमेंडमेंट क्यों लाते ? जिन नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहां पर एक साल में चुनाव कराने की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि या तो इस संकल्प को वापिस ले लिया जाय या इसको अस्वीकार कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री दीपंकर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1974 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने वाला प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ?

(विराम)

विधेयक पर खण्डशः विचार।

श्री रामनारायण चौधरी : एक माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव रखा है वह व्यवहारिक नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : चौधरी साहब फरमाते हैं इसलिये मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

शासकीय संकल्प

शासकीय संकल्प पर विचार।

शासकीय संकल्प संविधान (बत्तीसवां संशोधन) 1973 का अनुसमर्थन

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) (विधि मंत्री की ओर से) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सदन, संसद् के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 द्वारा किये जाने वाले प्रस्थापित भारत के संविधान के संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के सीमान्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।"

श्री रामकिशन : खेतसिंहजी, को रखना था। उनका तो पता ही नहीं है। क्या अमेन्डमेन्ट है वह गिरधारीलाल जी बता दें तो मैं आज सदन से उठकर जा सकता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : इस सदन से अनुसमर्थन के लिये यह यहां आया है। भारत के कान्स्टीट्यूशन में दोनों सदनों से पार्लियामेंट के परव्यू में आता है अमेन्डमेन्ट किया है जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं आर्टिकल 368 के नीचे उन्होंने इस बिल को पारित कर दिया है। इस बिल के चार क्लाजेज हैं। इसमें एक क्लाज टाइटल का है। दूसरा आन्ध्र के सम्बन्ध में 371 वें आर्टिकल के नीचे जो अमेंडमेंट किया था उसको विलोपित किया है। क्लाज 3 है यह आर्टिकल 371 (डी) कहलायेगा इसमें सब क्लाजेज दिये हैं। इसमें 6 पाइन्ट फार्मूला दिया है जो कि आन्ध्र में एजीटेशन के बाद पापुलर गवर्नमेंट इन्स्टाल हुई तेलंगाना और आंध्र के मसले को लेकर, एम्प्लोयमेंट अपोरचुनिटी, एजुकेशन फेसिलिटीज, सेन्ट्रल युनिवर्सिटी की स्थापना के सम्बन्ध में और

(167)

(श्री हरसहाय मदेरणा)

भी मुद्दे थे जिनको 6 पोइन्ट में इन्कोपोरेट किया गया है। लीगल और कोन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने के लिये है ताकि आन्ध्र में कोई गवर्नमेंट आये तेलुगू भाषा बोलने वाले डिसइन्टीग्रेट न हो। यह आन्ध्र के इंटीग्रेशन के लिये एक बहुत बड़ा स्टेप है और मैं समझता हूं कि क्योंकि आर्टिकल 368 के प्रोविजो के नीचे जब इस प्रकार का कोई भी बिल जिसका सम्बन्ध सातवें शिड्यूल से होता है लेजिस्लेट करते हैं तो भारत के पचास प्रतिशत लेजिस्लेचरों द्वारा उस संशोधन का रेक्टीफिकेशन किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि जिसको बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में संविधान में संशोधन किया गया है वह आन्ध्र प्रदेश के हित में है। आन्ध्र की जनता के हित में है। इसमें दो राय नहीं हो सकती। आन्ध्र के संसद में जितने भी सदस्य थे उनमें से एक को छोड़कर सभी ने इसका समर्थन किया है। मैं आशा करता हूं कि यह सदन भी इसे अनुसमर्थन देगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसका सम्बन्ध केवल आन्ध्र से नहीं है। जहां तक व्यवहारिक दृष्टिकोण का सवाल है आन्ध्र से इसका सम्बन्ध है, परन्तु भावना का जहां तक सवाल है यह सभी प्रान्तों से संबन्धित है। तेलंगाना और आन्ध्र का विवाद क्या था, कैसे पैदा हुआ और भारत सरकार ने छः सूत्री फार्मूला कायम किया उसका इसमें समावेश किया गया है। इस दृष्टि से अगर देखें तो भी यह संशोधन बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब भाषावार प्रांतों का निर्माण हुआ उस समय पुराने हैदराबाद स्टेट का तेलंगाना इलाका तेलुगु भाषी था इसलिये इस तेलुगु भाषी आन्ध्र प्रदेश से मिला दिया गया और आन्ध्र स्टेट की जो स्थिति थी उसके अनुसार वह तेलुगु भाषी क्षेत्र तमिलनाडु से निकाला गया, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में से लिया गया जो तेलुगु भाषी था। अब हैदराबाद से जो हिस्सा लिया गया जिसको तेलंगाना कहते हैं गिरधारीलालजी व्यास को पता ही नहीं है वहां की क्या भूगोल है और तेलंगाना के कितने जिले हैं। अब पुराने हैदराबाद के वारंगल वारंकोट आदि जो जिले हैं उनकी स्थिति यह है।

एक माननीय सदस्य : आपको भी कहां मालूम है? कैसे मालूम है?

श्री रामकिशन : मैं तो सारे देश में घूमता ही रहता हूं। तो उनकी स्थिति यह है कि वे जिले आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और मर्जर के समय यह वादा किया गया था कि उनकी सुरक्षा की जावेगी, उनका आर्थिक दृष्टि से विकास किया जावेगा और दूसरे जिलों के समकक्ष लाया जावेगा। सरकारी सेवाओं में और आर्थिक विकास में बराबर का हिस्सा दिया जायेगा। इससे पहले इस दृष्टि से एक फार्मूला रखा गया था और उसके तहत आन्ध्र का निर्माण हो गया और उसमें तेलंगाना शामिल हो गया। पर जैसे जैसे समय बीतता गया आन्ध्र की तरफ से जो गारन्टी दी गई थी उसको नहीं निभाया गया। सरकारी सेवाओं में और आर्थिक विकास के मामलों में तेलंगाना की उपेक्षा होती रही और वह पिछड़ता चला गया।

(श्री रामकिशन)

फिर एक स्थिति यह भी आती है कि इस तरह का जो वादा किया गया था उस फार्मूले के अन्तर्गत उसे हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया। उन्होंने जो व्यवस्थाएं दीं खास तौर पर मुल्की रूल के मातहत उनको रद्द कर दिया भेदभाव का बरताव कहकर। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय यह सवाल आन्ध्र वालों के लिये उल्टा पड़ गया आन्ध्र वाले सोचने लगे कि हमारी स्थिति विषम हो जावेगी। संघर्ष छिड़ा और वह विषम स्थिति बनी। उस संघर्ष के बारे में आप हम सब जानते हैं। सारा देश जानता है। उस संघर्ष का निराकरण छः सूत्री फार्मूले की मार्फत किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, पर छः सूत्री फार्मूले में सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का सवाल है, वह समझ में आ सकता है, पर एक प्रावधान लोकल और गैरलोकल का है। यह प्रश्न फिलहाल तो हल हो जावेगा लेकिन इसने एक नया प्रश्न और खड़ा कर दिया है। हर जिले में लोकल और गैरलोकल का सवाल खड़ा कर दिया है। आशंका यह है कि जब इस पर अमल होगा तो संघर्ष की सम्भवनाएं इसमें निहित हैं। संसद के दोनों सदन इसे पास कर चुके हैं वह हमारे परव्यू में नहीं है। हमें तो इसे अपना अनुमोदन करना है। अगर पच्चास प्रतिशत विधान मंडल इसका अनुमोदन नहीं करेंगे तो कान्स्टीट्यूशन में संशोधन नहीं हो सकेगा अब हमें इसका विरोध नहीं है। हमारा यह कहना नहीं है कि संघर्ष होता रहे। हमारी कभी इच्छा नहीं है यह कि देश के किसी भी भीतरी इलाके में इस तरह की अशांति हो।

पर इसका मूल कारण और है। चाहे आंध्र का क्षेत्र हो चाहे राजस्थान का हो चाहे उत्तरप्रदेश का बिहार का कहीं का भी हो, सारे देश में इस तरह के जिले और इलाके पैदा हो गये हैं जो पिछड़ गये हैं, या जिनको पिछड़ा रख दिया गया है और वे इलाके अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिये निरन्तर मांग करते जा रहे हैं लेकिन खेद है कि राज्य सरकारें अथवा केन्द्रीय सरकार और उसका योजना आयोग वगैरह इसमें प्रभावशाली कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

इस सदन में भी जब सवाल उठता है कि कुछ जिले यहां भी पिछड़ रहे हैं विकास की दौड़ में तो इसके पीछे भी वही आन्ध्र और तेलंगाना की स्थिति है। मैं यह संघर्ष यहां भी हो, इस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। अगर कभी हो भी तो इसके निराकरण की जिम्मेदारी भी राज सरकार केन्द्र सरकार और योजना आयोग की समझी जावेगी। योजना आयोग को साफ देखना चाहिए कि योजना बनाते समय क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना हमारा और उनका प्रारम्भिक धर्म है। इस धर्म को न निभा पाने के कारण ही आन्ध्र में खून खराबा हुआ। इस असन्तुलन के कारण ही उन उन हिस्सों में और भी स्टेटों में नाराजगी है असन्तोष भी है। अगर कहीं ऐसी स्थिति आ गई है कि दो इलाके एक में मिलकर भी भाषायी प्रान्त होते हुए भी विकास नहीं कर पाते हैं व्यवहारिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से तो यह कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि वह प्रान्त एक ही बना रहे, आर्थिक विकास की दृष्टि से अलग 2 राज भी बन सकते हैं एकही भाषा भाषी इलाके के। एक भाषी राज भी अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक भाषा का एक राज्य ही हो। तमिल भाषा-वालों का एक हो। या तेलुगू वालों का एक

(श्री रामकिशन)

ही रहे । हिन्दी भाषियों के कई राज्य हैं । अलग 2 हैं । राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है । बिहार है । विकास अगर नहीं होता है आर्थिक विकास में पिछड़ता है उन इलाकों में पिछड़ेपन को दूर करने का मुख्य मुद्दा नहीं बनाया है, किसी क्षेत्र के साथ इस दृष्टि से अन्याय होता है तो आन्ध्र तेलंगाना वाली स्थिति सारे देश में और राज्यों में भी पैदा हो सकती है ।

आज आपके इस छः सूत्री फार्मूले में भी यूनिवर्सिटी में विवाद रहेगा । लोकल और गैरलोकल का सवाल आज भी नौकरियों में रहेगा । नौकरियों में इस छः सूत्री फार्मूले के अनुसार लोकल को प्राथमिकता दी जावेगी । हमारे यहां भी यह सवाल है । राजस्थान में उद्योग धन्धे लग रहे हैं । कोटा में लग रहे हैं । भरतपुर में लग रहे हैं, चाहे अलवर में लग रहे हों कहीं लग रहे हों वहां लोकल लोगों को भरती में प्राथमिकता नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए । इससे असन्तोष पैदा हो सकता है । वहां बाहर के आदमी अनावश्यक होते हुए भी लिये जाते हैं । आज जब ऐसी स्थिति उठती है लोकल और गैरलोकल के आधार पर तो एक तरफ संविधान की व्यवस्थाएं लागू हो सकती है दूसरी तरफ असन्तोष फैल सकता है । संविधान के अनुसार देश के निवासी को देश में कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी जिले में किसी भी जगह किसी भी गांव में आने जाने घूमने, काम करने, कमाने, आदि की आजादी है । अब यह जो व्यवस्थाएं इस छः सूत्री फार्मूले में लोकल और गैरलोकल के रूप में की गई है वे संविधान की व्यवस्थाओं के विपरीत हैं। अब इस बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कार्ट में मामले आवेंगे तो उनका क्या फैसला होगा , यह आगे का सवाल है । पर संभावनाएं निर्मूल नहीं हैं । पहले पांच सूत्री फार्मूले की जो हालत हुई वह इस छः सूत्री फार्मूले की भी हालत हो सकती है । और फिर से वही हालत दुबारा वहां पैदा हो सकती है । तो मैं कह रहा था कि इसके अमल में जो कठिनाइयां आवेंगी उनका हम किस तरह से निराकरण कर पावेंगे यह सब इस पर निर्भर करता है । इसका एक मात्र समाधान यही है कि उन पिछड़े इलाकों में ईमानदारी से विकास की गति तेज की जाय ।

इसका समर्थन हम करेंगे । इसके अन्तर्गत जो भावना निहित है वह दूसरी है । हम भी चाहते हैं कि आन्ध्र में अब अधिक खून खराबा न हो उसका विभाजन न हो । पर मूल कारण जो झगड़े के थे उनको इस में अब भी दूर नहीं किया जा सका है पूरी तरह से ।

मन्त्री जी ने कहा कि संसद में केवल एक ने विरोध किया है। आज वही एक सदस्य उस पिछड़े इलाके से हैं । जिनको दर्द है । ईस्ट कोस्ट, गोदावरी, वारंगल के इलाके हैं वहां से गिरी साहब आये हुए हैं। अब दूसरे लोग दल के अनुशासन में बन्धे हुए थे इसलिए वे लोग जो छः महिने पहले लड़ रहे थे अनुशासन के कारण एक जगह बंध गये और बाकी एक ने जो भावनाएँ व्यक्त की हैं वे ज्यादा व्यवहारिक हैं और वहां की हालात के सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी देने वाले हैं । इसके साथ रायल सीमा वगैरह हैं । उनके बारे में भी जिक्र किया गया है । राजस्थान असेम्बली में कितने ऐसे माननीय सदस्य हैं जो वहां की भौगोलिक

(श्री रामकिशन)

स्थिति से परिचित हैं ? तेलुग भाषा समृद्ध है, उसकी अपनी विशेषताएं है, यह अलग प्रश्न हैं। पर जो आर्थिक विकास वहां हुआ यह और ढंग का सवाल है। आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किये बिना और स्थानीय लोगों का काम देने के बिना इस समस्या का वहां समाधान होने वाला नहीं है।

मैं समझता हूं कि इसके अन्दर हम लोगों ने जो व्यवस्था की है दिल्ली में बैठकर आंध्र के और तेलंगाना के नेताओं को बुलाकर, हैदराबाद के नेताओं को बुलाकर और जो चर्चा इस पर की है वह इसका सही निराकरण नहीं है। सही निराकरण यही है कि योजनाओं के माध्यम से उन पिछड़े क्षेत्रों के लिये अलग से वित्तीय विकास की संभावनाएं पैदा की जायं वहां के लोगों को काम धन्धे में लगाया जाय। अन्यथा केन्द्र वहां की समस्या को इस तरह से हल नहीं कर पावेगा। इससे फिर वही निष्कर्ष निकलेगा कि दो हिस्से उसके किये जायं। एक भाषी राज्य के इस आधार पर कई हिस्से कई राज्य बन सकते हैं। इसमें न किसी के विभाजन का सवाल है, न देश के विभाजन का सवाल है। यह तो व्यवस्था के हित में क्या उपयुक्त है क्या अनुपयुक्त है यह सवाल है। आर्थिक दृष्टि से किस तरह से वे हिस्से विकसित हो सकते हैं इस सम्बन्धी व्यवस्था का सवाल है। न इससे कोई दिक्कत होनी चाहिये न एक भाषी राज्य से इसमें कोई बन्धन होना चाहिये। एक भाषी से बहुभाषी बन सकते हैं। एक भाषी के दो भाग हो सकते हैं। मन मुटाव न हो, दंगे फिसाद न हों। इससे बचा जाय। इसकी पुनरावृत्ति न हो ऐसा करना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आपने जो प्रस्ताव रखा है उसे वापिस केन्द्र को लौटा दें और दुबारा उनको बतावें कि इससे इस मामले के हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने की सम्भावनाएं हैं। लोकल और गैर-लोकल के प्रश्न पर दुबारा कठिनाई आने वाली है। यह रद्द भी किया जा सकता है और इस तरह से इसके अमल में आंध्र प्रदेश में फिर दुबारा झगड़े हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ संकल्प की व्याख्या करते हुए माननीय मन्त्री महोदय की जो मंशा थी उसके सम्बन्ध में मैंने अपने भाव व्यक्त किये हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल संसद के के दोनों सदनों से पास होकर अनुमोदन के लिये हमारे यहां आया है वह उचित ही है। यह सही है कि यह प्रश्न तेलंगाना तक ही सीमित नहीं है बल्कि मुल्क में अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार की टेन्डेन्सी पैदा हो रही है और जो मुल्क को 16 के बजाय 28 और 38 हिस्सों में बांट देना चाहते हैं ऐसी प्रतिगामी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि इन्टीग्रेशन का सबसे पहले खयाल रक्खे।

श्री रामकिशन : सोवियट यूनियन में पता आपको है कितने सूबे हैं और कितने जिले हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आन्ध्र और तेलंगाना में उपद्रव करना चाहते थे, वह उपद्रव किया और नौबत यहां तक पहुंची कि सैकड़ों लोग घायल हुए और उस वक्त जिस समय राजनैतिक पार्टियां अपना सारा दृष्टिकोण खो चुकी थीं, मैं गौरव के साथ कह सकता हूं हमने इन्टीग्रेशन के लिए बड़ी से

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

बड़ी कुर्बानी पेश की इसलिए हमें फक्र है कि हमने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पेश किया है। मैं ज्यादा न कहता हुआ जो.......

श्री रामकिशन : उमाशंकर दीक्षित ने जो कहा है.......

श्री मोहम्मद गफार अली : हां, उमा शंकर दीक्षित जी ने जो कुछ कहा है उसको पढ़ देता हूं। भाई गुमानमल जी बिला वजह बहुत सी चीजें पढ़ देते हैं और मैं वजह की चीज पढ़ देता हूं—

"Sir, in this context it is said sometimes that the Congress Party is listening to the CPI or that we have gone over to them or they have come over to us and things of that kind. Sir, this is a state where so much of violence had taken place where arson had taken place, where lives had been lost and unfortunately the use of force had occurred. In that situation the C. P. I. is the one party—though its earliest slogan was that this was an international party and that they did not believe in local things–according to a spokesman of the C. P. I. "authoritative limb of the party, which consistently supported the idea of integration of Andhra Pradesh. Not only that, they have exposed themselves to misunderstandings in the State. and at a time when the Congress people by and large were in two minds or were openly against maintaining the integrity of the State, even at that time these people did not speak in any equivocal language."

श्री उपाध्यक्ष : Are you reciting from the Parliamentary proceedings ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अकेला बोल रहा हूं और कोई तो है नहीं।

एक माननीय सदस्य : यह दिखाना चाहते हैं कितना इन्टीग्रेशन हम कर रहे हैं...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : And therefore, I want to take this opportunity of expressing my appreciation of so much understanding and support that has been signified by the C.P.I.
मुझे यह अफसोस है आप दो किस्म का अपना दृष्टिकोण रखते हैं। गुमानमल जी पढ़ रहे थे तो कोई आपत्ति नहीं है और जब मैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को पढ़ना चाहता हूं तो आपत्ति है। मैं अच्छी चीज पढ़ता हूं तब भी आपत्ति है। मैं आइन्दा कोई चीज नहीं पढ़ूंगा और जो मैं सदन का अच्छा टाइम लेता हूं वह भी अगर आपको आपत्ति है तो नहीं लूंगा। जो सबसे बड़ा खतरा है वह यह था कि मुल्क के जो टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, उनको रोका गया

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

है। 6 फार्मूले में कुछ मसले हल किये गये हैं, जो थोड़े से रिजर्व रखे हैं–स्टूडेन्ट्स को दाखिला दिलाने का, युनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कुछ चीजें तय की थीं और वे आपस की बातचीत से तय हुई। वे अरमान जो अब भी जग रहे होंगे वे जगने वाले नहीं हैं।

मैं रामकिशन जी की इस बात से जरूर सहमत हूं कि राजस्थान में जो इम्बेलेन्स है, उसको जरूर खतम करना चाहिये। जैसे बाड़मेर, जैसलमेर के इलाके हैं, उनका डवलपमेंट कम हुआ है। तो जो इस प्रकार के इम्बेलेन्सेज हैं उनको खतम करना चाहिये ताकि विस्फोटक स्थिति न हो सके। मेरी अर्ज है जो 6 सूत्री फार्मूला अपनाया गया है, मेरी पार्टी और मैं यह मानता हूं कि हमको बराबर सतर्क रहना चाहिये। ऐसी जो तोड़ फोड़ करने वाली शक्तियां हैं उनको टाइटिज के जरिये, प्रपोगेण्डे के जरिये तेलंगाना के लोगों को, आन्ध्र के लोगों को जहां इस तरह का सिर उठाते हैं उनको यह बता देना चाहिये कि मुल्क की यूनिटी कायम रखने की जरूरत है और आज उसी के लिए संघर्ष किया और कुर्बानी की। इसलिए जो 6 सूत्री फार्मूला है चाहे इसमें सुधार होने की गुंजाइश हो तो उसको भी हम एन्डोर्स करेंगे लेकिन उसके साथ हमें एतिहात रखना चाहिये। जो मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए जो पेश हुआ है बिल उसका मैं अनुमोदन करता हूं और मैं सपोर्ट करता हूं कि इसको यूनेनिमसली एन्डोर्स करना चाहिये। किसी प्रकार की बाधा डालने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा। आप भी संक्षेप में ही

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प शासकीय संकल्प के रूप में अपने यहां आया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न ने लोक सभा और राज्य सभा में ही नहीं बल्कि आन्ध्र की सड़कों पर बहुत समय तक आन्ध्र की जनता ही नहीं बल्कि सारे देश की जनता को उद्वेलित किया है। राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू किया गया। कई लोगों का जीवन और बहुत बड़ी सम्पत्ति इस सन्दर्भ में समाप्त हुई और अन्ततोगत्वा 6 सूत्री कार्यक्रम के नाम पर तेलंगाना और आन्ध्र की जो मूलभूत भावनाएं हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, देश की अखण्डता और देश की एकता के बारे में सबसे अधिक यदि कोई दल कह सकता है कि उन्होंने हमेशा देश की अखण्डता का नारा लगाया तो वह भारतीय जनसंघ है जिनका नारा ही यह है कि कौन करेगा देश को अखण्ड, भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग देश की एकता की बातें करें जो समय समय पर ···आग लगाई···

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आज हम दोनों को मान लेते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ····लेकिन मेरे सामने दोनों तरफ से कांग्रेस के लोग हैं। आग लगाने वाले कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। सड़कों पर जो हिंसा की घटनायें घटीं और सारे देश में त्याग-पत्र किन मन्त्रियों ने दिये, क्या जनसंघ के मंत्री थे–केबिनेट में अधिकतर त्याग–पत्र दे दिये। राष्ट्रपति शासन स्थापित करना पड़ा। दोनों तरफ की भावनायें जागृत हो गईं।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

ये सारी चीजें किसने पैदा कीं। इसके इतिहास में तो मैं जाना नहीं चाहता लेकिन जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने दीक्षित साहब का प्रमाण-पत्र लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। दीक्षित साहब ने कम्यूनिस्ट पार्टी को बहुत बड़ा प्रमाण-पत्र दे दिया है। इसको सी. बी. आई. में रख सकते हैं ...

श्री केदारनाथ : रि-एक्शनरी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ये स्वयं रि-एक्शनरी हैं, चीन की भाषा में और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं इतिहास के पन्नों को हमें ध्यान में रखना होगा। पाकिस्तान का निर्माण किसने किया, जिन्ना की थ्योरी को किसने सपोर्ट किया। सबको आत्म-निर्णय का अपना अधिकार है और इस कारण पाकिस्तान बनना चाहियें यह न्यूज-ऐज के पृष्ठ पर क्यों छपा और सारे देश में खून खराबी हुई। सोहराबवर्दी से बंगाल में डाइरेक्ट एक्शन, यू. पी. में डाइरेक्ट एक्शन करवाये गये। स्थान स्थान पर झगड़े हुए। कम्यूनिस्ट पार्टी किसका समर्थन करती थी, मुस्लिम लीग का समर्थन कौन करता था? और भारत माता के टुकड़े करवाने में किसने अगवानी की? क्या यह किसी से छिपा हुआ है? मैं समझता हूं जिनके चोले के ऊपर हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को बेघर-बार करके लाखों माताओं की कोख सूना करके

(व्यवधान)

जरा शांति से सुन लें। और मैं यह निवेदन कर रहा था कि खून के दाग जिनके चोलों पर लगे हुए हों और जिनका इतिहास सारे विश्व के अन्दर इस प्रकार का रहा हो, जनतंत्र के अन्दर उनका लेना देना नहीं है, जनतंत्र के लिए तो वह कहते हैं कि यह केपेटिलिस्टों का है, बुर्जुआ वाद का है—उनका तो कन्सेप्ट ही नहीं है। उनका जनतंत्र में विश्वास ही नहीं है, उनका सारा का सारा दर्शन इसमें है कि एक साथ देश में इतनी अराजकता फैल जाये, ऐसा विस्फोटक वातावरण बन जाये, आगजनी हो जाये, आन्दोलन हो जाये, अशांति हो जाये और सारे देश में विध्वंस के अलावा कुछ न हो और आज वही लोग यहां आकर अखण्डता की बातें करें, एकता की बातें करें तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है ..

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह आप कर रहे हैं या कौन कर रहा है?

श्री गुमानमल लोढ़ा : .....वह लोग यहां आकर अखण्डता की बातें करें और क्रोकोडाइल टीयर्स जनता के सामने और हमारी इस विधान सभा के सामने आकर बहायें इससे बढ़कर शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती, इससे बढ़कर हिप्पोक्रैसी नहीं हो सकती। आज सिविल मेरेज हुई है दीक्षित साहब के साथ। वह सर्टीफिकेट लिये फिरो इसमें हमें आपत्ति नहीं है। हमने तो केवल यह कहा है कि आप केवल कान्स्टीट्यूशनल अमेन्डमेंट्स के द्वारा जन भावनाओं को नहीं दबा सकते। उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास इसका साक्षी है कि जनता की जो भावनायें हैं, जनता की जो आकांक्षायें हैं उनको दबाने का कितना भी प्रयास किया जाये यह दब नहीं सकती। यदि तेलंगाना के लोग यह फील करते हैं कि उनको ऐतिहासिक अधिकार थे यूनिवर्सिटी के बारे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

में, सविसेज के बारे में, वह दबा हुआ इलाका था, दबे हुए लोग थे, पिछड़े हुए लोग थे और वह चाहते थे आगे बढ़ना और वह चाहते थे कि उनको अधिक प्रिफरेन्स मिले और वह यह समझते थे कि उनका विकास इस प्रकार से नहीं हो सकता आंध्र के साथ में तो उपाध्यक्ष महोदय यदि हम एक प्रदेश, दो प्रदेश या चार प्रदेश बनायें तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की आपत्ति किसी भी दल को नहीं होनी चाहिये। मेरे साथ भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सोवियत यूनियन में 200 से अधिक स्टेट्स हैं। वहां होंगी मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं कहता हूं कि स्टेट्स बनाना तहसील बनाना या नगर बनाना इससे देश की अखण्डता में कोई बाधा नहीं होगी। दूसरे देशों की हमारे ऊपर निगाहें लगी हुई हैं उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार हो, यदि वह हमारे दुश्मन देश को सहायता देते हैं और फिर हम उसके लिए कुछ न बोलें यह देश के साथ गद्दारी होगी। हम लिबरेशन की बातें करें या रूस का समर्थन करें, दूसरे देशों को हथियार दें और हम उसका समर्थन करें तो यह गद्दारी है। लेकिन अमेरिका हमारी सहायता करता है और उस समय कह दें कि अमेरिका को समर्थन नहीं देना चाहिए तो वह देश के साथ गद्दारी है। शुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा। हमने अमेरिका का विरोध भी किया है, हमने रूस का भी विरोध किया है, हमने पाकिस्तान का भी विरोध किया है लेकिन किन्हीं सिद्धांतों पर किया है और देश के हितों को सर्वोपरि मानकर किया है। हम यह तो नहीं चाहते कि किसी न किसी नाम पर यहां देश के जो स्वच्छ राष्ट्रीय तत्व हैं उनको बदनाम किया जाये और ऐसे तत्वों को हम तो बचाने का प्रयास नहीं करते। हम तो यह चाहते हैं कि राष्ट्र की एकता और अखण्डता सबसे ऊपर हैं। राष्ट्र के अन्दर फिर चाहे जैसा एडजस्टमेंट करें यह अलग बात है। जो संघर्ष हुआ यह सारे देश में इस रूप में है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर का उदाहरण दूं। वहां पर फर्टीलाइजर कारपोरेशन बना हुआ है। वहां पर बिहार के एक मैनेजर आये। वह चपरासी लेते हैं तो बिहार का, बाबू लेते हैं तो बिहार का। अब चपरासी और बाबू बिहार के आयें और जोधपुर के लोग अपना खून बेचकर पेट पालन करें और कुत्तों के साथ झगड़ा करके उनकी रोटियां खायें तो यह कैसे सहन होगा ?

अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो बातें होती हैं अभी सदन में यह कहा गया और मैं आपसे निवेदन करूं कि 3 तारीख को विधान सभा में कुछ बातचीत हुई। मैं अभी जोधपुर में गया तो वहां जाने के बाद मुझे लोगों ने घेर लिया और मुझे पूछने लगे कि 3 तारीख को क्या हुआ और किस प्रकार से कार्यवाही हुई। मैंने कहा कि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, रेडियो पर सुना होगा तो उससे उनको सन्तोष नहीं हुआ। वह कहने लगे कि आप क्या करना चाहते हैं ? क्या आप जोधपुर की जनता को फांसी लगाना चाहते हैं ? क्या जोधपुर को आप काला पानी घोषित करवाना चाहते हो ? आखिर जोधपुर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हो ? क्या ऐसा व्यवहार करना चाहते हो जैसा कि अण्डमान निकोबार के साथ किया जा रहा है ...

श्री केदारनाथ : यह बोलने का अच्छा मौका मिला ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह मेरा कर्त्तव्य है । खैर आंध्र का प्रश्न है । इसका इतिहास है । उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जोधपुर का भी एक इतिहास है । राजस्थान का एकीकरण हुआ और उस समय पटेल कमेटी का निर्माण हुआ और कहा गया कि राजस्थान में जो भी नगर हैं उनका महत्व कैसे रखा जाये तो उसके अन्दर फैसला दिया और उसमें यह कहा कि यहां पर राजधानी रखी जाये, यहां पर रेवेन्यू बोर्ड रखा जाये, यहां पर हाईकोर्ट रखी जाये । अब पटेल कमेटी का निर्माण कोई मेरे कहने से या दूसरी पार्टी के कहने से तो नहीं हुआ । यह सब ऐतिहासिक कारणों से हुआ । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह ऐतिहासिक कारण भुला दें तो जनता के लोग हमको कहते हैं; जोधपुर के लोग कहते हैं कि आप जोधपुर के नुमाइन्दे हो । वह मुझे कहने लगे कि यह फैसला सर्व सम्मति से हुआ और आप भी सर्वसम्मति में शामिल थे क्या ? ऐसा प्रश्न वहां के लोग मुझसे करते हैं । तो उपाध्यक्ष महोदय, यह भावनायें इस प्रकार से उभरती हैं । जो भी हुआ आपके सामने हुआ मैं तो उस समय चेम्बर में बैठा हुआ था । सर्वसम्मति से कहा था, वह भी आपके सामने था । मुझे कोई कन्सल्ट नहीं किया गया, जोधपुर के लोगों से नहीं पूछा गया । आचार्य जी ने कह दिया । सर्वसम्मति से घोषणा कैसे हुई ? मैं तो उस समय अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में बैठा हुआ था ...

श्री केदारनाथ : आपने क्या कहा ? आपने यही कहा था कि मैं तो चेम्बर में बैठा हुआ था ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : नाहर साहब और हम बैठे हुए डिसकशन कर रहे थे ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप कहें तो मैं जोधपुर लिखकर भेज दूं कि था या नहीं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम और नाहर साहब डिसकशन कर रहे हैं और यहां पर आचार्य जी घोषणा कर देते हैं तो क्या सर्व सम्मति से हो गया ? जोधपुर के लोग कहते हैं कि सर्वसम्मति से कैसे हो गया मैंने कहा कि सदन में कोई बात हुई है और कैसे घोषणा की मैं पूछूंगा । नाहर साहब मेरे साथ बैठे हुए थे और यहां पर घोषणा की मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने तो उपाध्यक्ष महोदय इसके पीछे तीव्र प्रतिक्रिया है । वहां के लोग आन्दोलन करने की तैयारी में हैं, मुझे घेर रहे हैं । वहां के विकास करने की बात कही जाती है तो कहा जाता है कि वहां पानी नहीं है, वहां बिजली नहीं है, वहां पर यातायात के साधन नहीं हैं, कोई ट्रेन नहीं आती इसलिए कोई इन्डस्ट्री वहां नहीं लग सकती । इन्डस्ट्री वहां लगे नहीं और इन्द्र भगवान का प्रकोप रहता है, कोई प्राजेक्ट नहीं, कोई डवलपमेन्ट का तरीका नहीं । धोरों की धरती रेगिस्तान चारों तरफ बालू के टीले, एक बार गोता लगाओ तो वापिस नहीं आओ । फिर मुख्य मंत्री जा ने और घोषणा कर दी । यह घोषणा कर दी और उसका विस्तृत विवेचन नहीं किया कि जिस जिले से जितनी आमदनी हुई है मैं

(श्री गुमानमल लोढ़ा

प्लानिंग कमिशन को इन्सट्रक्शन्स इश्यू कर रहा हूं कि वहां पर डवलपमेन्ट की वहीं पर रोक कर दी जायेगी। अब उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में क्या आमदनी होने वाली है। वहां पर क्या पैदा होता है। वहां पर तो पाकिस्तान के टैंक आते हैं, लोंगावाला से पाकिस्तान के टैंक आते हैं और जैसलमेर के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, खून दिया है। खून की क्या आमदनी होती है। इन्सान के खून की किस से कीमत आंकी जा सकती है। जोधपुर में सेवरजेट ने बम्बार्ड किया, 65 में बम्बार्डमेंट किया, 71 में बम्बार्डमेंट किया। जब भी लड़ाई होती है तो पाकिस्तान का मुंह जोधपुर की तरफ रहता है। जोधपुर के लोगों ने लड़ाइयां देखी हैं। रात रात भर सेवरजेट घूमते रहे और उपाध्यक्ष महोदय, एक एक रात में दस दस बम्बार्डमेंट हुए हैं। अब आप यदि यह कहें कि आमदनी क्या होती है तो खून की कोई आमदनी होती है? कुर्बानी की कोई आमदनी होती है, बलिदान की कोई आमदनी होती है। वे तो सीमा के प्रहरी हैं। जोधपुर में लोग मुझ से कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हम सीमा के सेनानी हैं, हम सीमा के प्रहरी हैं। ऐतिहासिक कारणों से यह सब कुछ हुआ है और आप यह कहें विधान सभा के अन्दर नाटकीय ढंग से कोई समझौता हो गया। किससे समझौता हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के लोग यह समझते हैं कि समझौता करने से पहले जोधपुर के लोगों से पूछेंगे, विधायकों से मिलेंगे। मुझे बताया भी नहीं गया, मेरे से बातचीत नहीं की गई। जोधपुर के लोग कहते हैं कि यहां पर बैठ कर फैसला कर लेने से कैसे मान्य होगा। क्या फायदा होगा गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ने से। जन आक्रोश इस तरह की बातों से भड़केगा, लोग मुझ से पूछते हैं तो मैं उनको क्या जवाब दूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह समस्या आंध्र की समस्या आपके सामने आई है जोधपुर के लोग कहते हैं कि राजस्थान में इसको पैदा करना आवश्यक नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि हम जनता की भावनाओं को समझ करके और उसको शान्ति के साथ समझ करके और सारे प्रदेश की जनता को राहत मिल सके इस प्रकार कार्यवाही करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसलिए मैं निवेदन करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सिक्स पोइन्ट फार्मूले के द्वारा जो कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है तो यह अमेंडमेंट कांस्टीट्यूशन में तो ऐसा हो गया उपाध्यक्ष महोदय, जैसे गवर्नमेंट का सर्कूलर निकलता है, आज सर्कूलर डिस्पेच में गया और डिस्पेच होने से पहले ही कैंसिल कर दिया। दूसरा अमेंडमेंट निकाल दिया गया। यही स्थिति आज कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट की हो रही है। 32वां पास नहीं हुआ उसके पहले ही 33वां कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट आ गया। यह कोई संविधान का तरीका है, कोई मर्यादा ही नहीं है। आप आन्ध्रप्रदेश में यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते थे तो यह काम तो आन्ध्रप्रदेश की सरकार ही कर सकती थी, वही वहां पर यूनिवर्सिटी बना सकती है लेकिन नहीं, इस काम को भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट करेगी। केन्द्र पैसा दे सकता है उसके लिए। आप लोकल, नोनलोकल का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अपने प्रदेश में कई

(श्री गुमानमल लोढा)

फोरिनर हो जायेंगे, अपने प्रदेश में ही विदेशी बन जायेंगे। आन्ध्र में रहने वाले तेलंगाना में विदेशी बन जायेंगे और तेलंगाना वाले आन्ध्र में फोरिनर हो जायेंगे। यह लोकल एरिया का इस प्रकार का जो प्रावधान किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे कोई प्रदेश के हित में हो और तेलंगाना आन्ध्र प्रदेश की समस्या हल हो जायगा, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। इससे यह समस्या हल नहीं हो सकेगी। आन्ध्र-प्रदेश तेलंगाना की समस्या हल करना चाहते हैं कि तेलंगाना की मूलभूत आवश्यकता है, जो वहां की जनता की आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करना पड़ेगा। जब हम राजस्थान की जनता के हित में ऐसा करना चाहें, यहां के क्लास फोर्थ सर्विस के लिए प्रावधान करना चाहें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें पाकिस्तान आड़े आता है, चीन आड़े आता है, रूस आड़े आता है और अमेरिका आड़े आता है। जब देश की अखण्डता खतरे में हो तभी ये प्रश्न सामने आते हैं वरना तो ये हमारे परिवार के झगड़े हैं जिनको हम समझ सकते हैं, उनको सुलझा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इस सारी समस्या को मूलतः हल करने का प्रयास करना चाहिए और यह जो सिक्स पोइन्ट फार्मूला है, मेरे हिसाब से समस्या का समाधान यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक इन्फार्मेशन के लिए स्पेसिफिक प्रश्न करना चाहता हूं। जब मुल्क में कोई एजीटेशन हो और उस एजीटेशन में गवर्नमेंट भी शामिल हो जाय, अप्राइजिंग स्थिति पैदा हो जाय और रूलिंग पार्टी, चाहे पालियामेंट हो या लेजिस्लेशन में, मास एजीटेशन को एरोगरेट कर ले, उससे समझौता कर ले यह कहां तक उचित है। वहां मास एजीटेशन हुआ, इतना बड़ा रेफरेन्डम हुआ, लोगों ने इस्तीफे दिए, विधान सभा डिजोल्व हुई, प्रेसीडेंट रूल लागू हुआ, वहां सरकार इक्वेट कर ले अपने आपको एजीटेटर्स के साथ और फिर कमरा में मीटिंग बुला कर जो कुछ तय किया जाय उसके लिए कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाय, यह क्या ठीक अप्रोच है?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं उन ऐतिहासिक कारणों में नहीं जाना चाहता जो आंध्र में एजीटेशन हुआ और न मैं मुल्की रूल्स के इतिहास में जाना चाहता हूं। लेकिन भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में बात कही और आंध्र के समान राजस्थान का भी यहां उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की, इसी तरह से जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जो कुछ कहा है, तीन तारीख के संदर्भ में, शायद उन्हें यह अवसर मिला जिसका उन्होंने फायदा उठाया है।

श्री गुमानमल लोढा : जोधपुर की जनता की बात कही है।

श्री परसराम मदेरणा : यह ज्यूडिशियल प्रोनाउन्समेंट मुल्की, गैर मुल्की रूल्स के बारे में क्या हुआ उसकी डिटेल्स में भी मैं नहीं जाना चाहता और इस संबंध में अभी आपने एक्सप्रेशन कास्ट किया, सिविल

(श्री परसराम मदेरणा)

मेरीज की बात कही, दीक्षितजी ने जो कुछ कहा है सी. पी. आई. के बारे में, उसके बैकग्राउन्ड में भी मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यह जो क्रेडिट लेने वाली बात है, मैं अपने आप इसकी क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, मैं हाउस में इसको पारित करा कर, माननीय सदस्यों के अनुसमर्थन से स्वीकार करा रहा हूं। यहां मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुल्की रूल्स के बारे में पहला मौलिक सुधार रिक्रूटमेंट के बारे में है। लोकल और गैर लोकल कौन है, कौन मुल्की और कौन मुल्की नहीं है, इस बारे में भी मैं विस्तार में जाना जरूरी नहीं समझता। जो बाई बर्थ उस एरिया का है वह मुल्की हो गया और जो बाहर से आकर रहता है वह मुल्की नहीं है यह बात नहीं है। यह जो एक्ट था उसके बारे में 1969 के सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउन्समेंट को जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया, उस क्लाज 31 को स्ट्रक डाउन कर दिया तो फिर रिट हुई और 72 के अन्दर मुल्की को अपहेल्ड किया गया। मुल्की रूल्स को अपहेल्ड करने के बाद जो स्थितियां बनी, जो एजीटेशन हुआ, उसके इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना निवेदन करना चाहूंगा कि तेलंगाना के लोगों ने कभी भी यह नहीं चाहा कि हम जो कंसेशन और फैसेलिटि चाहते हैं वह आंध्र के जो दूसरे बैकवर्ड इलाके हैं उनको नहीं दी जाय यहां यूनिफार्मिटि आफ प्रिंसिपल लाईन होता है। जो बैकवर्ड इलाके आंध्र और तेलंगाना क्षेत्र के अन्दर है कांस्टीट्यूशनली वे कामन रहेंगे और इसीलिए यह कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट है। रिक्रूटमेंट के बारे में लोकल आदमियों के लिए जो प्रोविजन रखा है, जैसा अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य यहां कह रहे थे कि फर्टीलाईजर कारपोरेशन में एक चपरासी को भी चांस नहीं है और बाहर के लोगों को प्रिफरेंस दिया जाता है, बिहार के लोगों को लाकर बसाया जाता है, वहां पर आंध्र के लोगों की भी अपनी जगह यही मांग है और तेलंगाना के लोगों की भी मांग है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन इन पोस्टों पर तो लोकल आदमियों को प्रिफरेंस दिया जाय और यही बात कांस्टीट्यूशन में रखी गई है। प्रिंसिपल आफ यूनिफार्मिटि को रखा गया है और इसी भावना से मुल्की रूल्स का विवेचन करना है। डवलपमेंट के सम्बन्ध में भी ट्रिब्यूनल बनाया गया है। हाईकोर्ट में हजारों ऐसे मामले हैं, जिनमें सर्विस कंडीशन में इनरेस्ट है। इसके लिए भी जूरिस्डिक्शन हाईकोर्ट का नहीं रखा है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकेंगे। जो डवलपमेंट के बारे में ट्रिब्यूनल बनाया गया है उसमें भी इसी बात को ध्यान रखा गया है कि किसी प्रकार की डिस्पैरिटी नहीं रहे। लोगों में जो डिस्कन्टेंटमेंट है, आंध्र के विभाजन का जो मूल कारण बन रहा था, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि मूल कारण के अन्दर जो कारण था वह सिक्स पोइंट फार्मूला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिक्स पोइन्ट फार्मूले से सभी लोगों को लाभ है, चाहे आंध्रप्रदेश के हों, चाहे तेलंगाना के हों, उनको यूनिफार्मिटी ट्रीटमेंट मिलेगा। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि लोकल के सम्बन्ध में जो यहां पर बात कही गई, लोकल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पूरे आंध्रप्रदेश को रिक्रूटमेंट के अन्दर एक ही तरह की यूनिफार्म पोलिसी और

(श्री परसराम मदेरणा)

रहे हैं जिससे किसी को हार्ट बर्निग होने का या डिस्कंटेंटमेंट होने का प्रश्न नहीं है।

सी.पी.आई. के बारे में माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं समझता हूं कि उन्होंने नीचे से पढ़ लिया, ऊपर से पढते तो बात दूसरी होती। ऊपर से पढ़ने वाली बात यह है:

"Then Hon. members from C.P.I and C.P.M have actually welcomed this and they used their own language for it. The only grouse that they have expressed against this legislation is that we are trying to take all the credit for it. Nothing can be farther from truth than this. I take this opportunity to invite him and the other members of the House to share this credit." We are sharing with you and with other political parties who even support this resolution which we have brought here.

यहां पर लोढ़ाजी ने बात कही कि जनता की भावनाओं की पूर्ति नहीं की गई। जनता की भावनाएं बिल्कुल साफ हैं। आंध्र के लोगों ने सिक्स पोइन्ट फार्मूले को समर्थन दिया है। मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता इस वक्त लेकिन जिस समय स्टेट री-आर्गेनाईजेशन कमीशन बना था और उस कमीशन ने डेफिनेट यह सिफारिश की थी कि तेलंगाना एक स्टेट बननी चाहिए। उस वक्त भी वहां के लोगों ने यही बात कही थी कि हमारा उद्देश्य एक विशाल आंध्र बनाने का है, हम अलग नहीं रहना चाहते लेकिन हमको कुछ संरक्षण मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए क्योंकि हमारा बैकवर्ड एरिया है। बैकवर्ड एरिया में जो रीजनल डवलपमेंट कमेटी के साथ में जो रीजनल इम्बैलेंसेज के बारे में आप बात कह रहे थे, वह रीजनल इम्बैलेंस नहीं रहे इसीलिए प्रेसीडेंट को आर्म किया जा रहा है कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करके कि जिससे वह आर्डर दे सके प्लान आउट ले के प्रश्न पर। जो इकोनोमिकली बैकवर्ड हैं उनके लिए प्रोपर प्रोविजन किया जा सके, इसके लिए ही मौलिक अमेंडमेंट किया गया है और उस हिसाब से ही उस रीजन के लिए प्लान किया जाएगा। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि तेलंगाना के लोगों ने कभी भी यह बात नहीं कही है कि दूसरी बैकवर्ड स्टेट के बारे में जो इकोनोमिक अनडन है, उस ऐरिया से डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं। जितने भी बैकवर्ड एरिया हैं प्रान्त में उनकी यूनिफार्मिटी रहेगी और समान ट्रीटमेंट मिलेगा, यही सिक्स पोइन्ट फार्मूले में प्रयास किया गया है। जो आंध्र की समस्या थी और उसको जिस प्रकार से सोल्व करने का प्रयास किया गया है उसके सोलूशन्स को कांस्टीट्यूशन में इन्क्लूड करना इसलिए आवश्यक है कि कांस्टीट्यूशन जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। मैं यहां पर यह एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता जैसा कि अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नमेंट के सर्कूलर की तरह कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहे हैं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी बनते हुए राष्ट्र के

(श्री परसराम मदेरणा)

लिए, जिस राष्ट्र का निर्माण हो रहा है कांस्टीट्यूशन के अन्दर कई ऐसे मेटर्स हैं सिक्स पोइन्ट फार्मूला है इसको कांस्टीट्यूशन में इन्क्लूड नहीं किया जाएगा तो तेलंगाना के लोगों की भावना है, जो बैकवर्ड इलाके के लोगों की भावना है, जो आंध्र के लोग हैं। क्योंकि ऐजीटेशन दोनों तरफ से हुआ है। दोनों को शंका, आशंकाएं थी। तेलंगाना का इलाका आन्ध्र के इलाके से बैकवर्ड है। उसके लिये फाइनेन्शियल कमिटमेंट किया है। इसलिये कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट आवश्यक हो गया है। हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां हम एक नया सोशल आर्डर इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वहां पर इस प्रकार से अमेंडमेंट करना आवश्यक है और यह अमेंडमेंट जनता की भावनाओं के प्रतिकूल हो ऐसा मैं नहीं मानता हूं। यह जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल है। इन्हीं शब्दों के साथ जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है, यह निवेदन करता हूं कि यह सदन उसको रेक्टीफाय करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 द्वारा किये जाने वाले प्रस्थापित भारत के संविधान के संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के सीमान्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।

जो पक्ष में हों वे हां कहें।

जो विपक्ष में हों वे ना कहें।

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता। संकल्प पारित किया गया तथा भारत के संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक 1973 का अनुसमर्थन किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 9, अप्रैल, 1974 की प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 7 बजकर 42 मिनिट पर दिनांक 9 अप्रैल, 1974 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।)

Page No 182

(181)

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 724 की सूची)

क्र०सं०	नाम	जाति	शकूनत	विशेष
1.	श्री जगदीश लाल दुआ	दुआ	श्री मनोहर लाल दुआ जयपुर	
2.	श्री कृष्णावतार खंडेलवाल	खंडेलवाल	श्री गोविन्द प्रसाद खंडेलवाल जयपुर	
3.	श्री रमेशचन्द्र गोयल	गुप्ता	श्री गेंदालाल गुप्ता जयपुर	
4.	श्री भानुप्रकाश जैन	जैन	श्री परोपकारीलाल जैन जयपुर	
5.	श्री उमाकांत कुर्कते	कुर्कते	श्री प्रेमलाल कुर्कते अजमेर	

(182)

परिशिष्ट

(ता. प्र. सं. 726 की सूची)

प्रश्न एक की सूची

क्र. सं.	नाम योजना	स्वीकृत तखमीने (लाखों में)	माह फरवरी 1974 तक खर्चा	राशि जो योजना को पूर्ण करने के लिये वांछित (लाखों में)	विवरण
1.	झालावाड़	0-32	0-31	—	योजना चालू है
2.	मनोहरथाना	0-89	0-97		
3.	चोम्हेला	1-20	1-73	—	
4.	रायपुर	1-50	1-70		
5.	खानपुर	3-13	1-04	4-00	योजना में निर्माणा-धीन है
6.	डग	2-33	1-35	2-00	
7.	पिडावा	2-13	1-70	-45	
8.	असनावर	1-16	0-65	1-50	
9.	पकलेरी	2-38	2-33	0-05	
10.	बकानी	4-87	—	4-87	

(183)

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 737 की सूची)

सूची कार्यालय जिलाधीश (भू. अ.) चित्तौड़गढ़ उन पटवारियों की जो तहसील प्रतापगढ़ के निवासी होकर इस जिले की अन्यत्र तहसील में निम्नानुसार कार्यरत हैं।

क्र. सं.	नाम पटवारी	तहसील काम नाम जहां नियुक्त है।	
1.	श्री हीरालाल पिता गिरधारीलाल	डूंगला	(1)
2.	,, मोहनलाल पिता रेवाशंकर	बड़ी सादड़ी	(6)
3.	,, ओंकारदास पिता नृसिंहदास	,,	
4.	,, चन्द्रप्रकाश पिता रतनलाल	,,	
5.	,, शान्तीलाल पिता पन्नालाल	,,	
6.	,, धन्नालाल पिता गंगाराम	,,	
7.	,, जगदीशचन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण	,,	
8.	,, नारायणसिंह पिता निर्भयसिंह	छोटी सादड़ी	(12)
9.	,, जुगल किशोर पिता नन्दलाल	,,	
10.	,, रामचन्द्र पिता कालूराम राव	,,	
11.	,, शिवशंकर पिता नाथूलाल शर्मा	,,	
12.	,, रामनारायण पिता रतनलाल	,,	
13.	,, खुमाणसिंह पिता भरूसिंह	,,	
14.	,, रशीद अहमद पिता अब्दुल जी	,,	
15.	,, जगन्नाथलाल पिता नन्दलाल टांक	,,	
16	,, सरदार खां पिता ऊमराव खां	,,	
17.	,, हीरालाल पिता घासीराम	,,	
18.	,, भैरुलाल पिता हीरालाल	,,	
19.	,, अमृतलाल पिता किशनलाल	,,	
20.	,, रतनलाल पिता गुमानजी	निम्बाहेड़ा	(7)
21.	,, रामचन्द्र पिता तुलसीराम	,,	
22.	,, शोभागमल पिता प्रतापमल	,,	
23.	,, हीरालाल पिता कुन्दनलाल	,,	
24.	,, अमीरबेग पिता रहीमबेग	,,	
25.	,, जमनाशंकर पिता नारायणलाल	,,	
26.	,, रामप्रताप पिता विष्णुराम शर्मा	,,	
27.	,, नाथूलाल पिता हीरालाल	बेगूं	(4)
28.	,, भगवानलाल पिता भागीरथ जी	,,	
29.	,, बसन्तीलाल पिता रेवाशंकर	,,	
30.	,, गिरजाशंकर पिता रेवाशंकर	,,	

परिशिष्ट—4

(तारांकित प्रश्न संख्या 738 की सूची)

Copy of Rule 26 and 28 of the Rajasthan Agriculture Service Rules, 1960.

Rule 26—Procedure for promotion to senior selection posts (Group A and B)

(a) When a vacancy in senior/selection posts is to be filled by promotion, the Director shall prepare a list of all persons holding post in the next below group who are eligible for promotion under the provisions of these rules and forward the same to the Commission referred to in Rule 25 (1) (b) in the manner prescribed in sub-rule 25 (a) above. The committee shall consider the cases of all these who are included in the list, interviewing such of them as they deem necessary and shall select suitable candidates for promotions.

(b) The names of these selected by the Committee as also of other superseded, if any, shall be forwarded to the Government with their personal files and character rolls, who shall made the final selection;

Provided :

(1) That if Government is satisfied in consultation with the Commission, that no suitable officer is available from the services for the post of Director, they may appoint an officer of the I.A.S., R.A.S., or an officer on contract, or on deputation from the Government of India or any other State Government or by re-employment of retired member. of the Service of this State on this post provided that such appointment shall not be made for a period exceeding two years without obtaining the concurrence of the Commission.

(185)

(2) That if Government is satisfied in consultation with the Commission that no member of the service is suitable for appointment to any of the senior posts they may fill such posts by appointment thereto of a person or persons on contract or on deputation from the equipment service of the Government of India or any other State Government or by re-employment of a retired member of the service of this State, provided that such appointment or appointments shall not be made for a period exceeding two years without obtaining the concurrence of the Commission.

Rule 28 : *Emergent temporary appointments :* A temporary vacancy in the service may be filled by Government by appointing thereto an officer eligible for appointment to the post by promotion or in the absence of a suitable officer by appointing thereto temporarily a person eligible for direct appointment to the service, under the provisions of these rules provided that no such appointment shall be continued beyond a period of one year without referring it to the Commission for their concurrence and shall be terminated immediately on their refusal to concur.

(186)

SCHEDULE

(*See* Rules 4 (b), 8, 12, 13, 16, 20, 26)

Sl. No.	Posts	Method of recruitment with %	Post from which recruitment by promotion is to be made	Minimum qualification for promotion		Minimum qualification/ age limit for direct recruitment		
				Educational	Experience	Educational	Experience	Upper age limit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SECTION I (SELECTION POSTS) GROUP 'A'				
1.	Director	100% by promotion	(Group 'B' posts except Agriculture Engineer) * Addl. Director or equivalent	—	5 years (Experience (on posts mentioned in Col. 4)* as Addl. Director or Jt. Director	Post graduate in Agriculture	20 years out of which at least 12 years should be on post similar to or higher than senior post in the service (Excluding Agriculture Engg.)	45 years relaxable upto 5 years in suitable cases.

* Amended vide Notification No: F. 20 (25) Agr/III/58; dated 4-12-71.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Additional Director (Soil Conservation)	100% by promotion	Joint Directors or equivalent posts	—	2 years experience and must have had experience of soil conservation		—	—
B.	Additional Director (Hqrs.)	—do—	Joint Directors or equivalent post	—	2 years experience on the post of Jt. Director or equivalent.		—	—
				GROUP—B.				
2.	Jt. Director (Extension)	—do—	posts in Group 'A' of Sec. II	B. Sc. (Agr.)	5 years experience in posts mentioned in Col. 4.	Post graduate in Agriculture	15 years of which atleast 7 years should be on posts similar to or higher than senior post in the service.	40 years relaxable upto 5 years in suitable cases.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Soil Conservation Officer	—do—	—do—	B.Sc.(Agr.)or M.Sc.(Chemistry) or (Agronomy) or B.Sc. with Specialisation in Soil Conservation.	—do—	With Specialisation in Soil Conservation.	—do—	—do—
4.	Jt. Director (Research)	—do—	Posts in Group 'A' of Section IV.	Post graduate in any of the subject related to the posts mentioned in Group 'A' of Section IV.	—do—	Ph. D. in one of the subjects related to the posts mentioned in Group 'A' of Section IV.	10 years of which atleast 5 years should be on a post similar to or higher than the posts mentioned in Col. 4.	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Agriculture Engineer	100 % by promotion	Post in Group 'A' of Section V.	Degree in Mechanical or Agriculture Engineering.	5 years Experience on posts mentioned in column 4.	At least 2nd class degree in Mechanical Engineering or Agriculture Engineering.	7 years experience on posts similar to or higher than the Group 'A' Posts in Section V.	40 years relaxable upto 5 years in suitable cases,

(190)

परिशिष्ट 5

स्थगित प्रश्न

(ता. प्र. सं. 567 की सूची)

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 11/प्रा. का. सू. के भाग नं. 2 की तालिका (गेहूं वितरण की) मात्रा क्विटल्स में/

क्र. सं.	नाम तहसील	अप्रेल 73	मई, 73	जून, 73	जुलाई, 73	अगस्त, 73	सितम्बर, 73	अक्टूबर, 73	नवम्बर, 73	दिसम्बर, 73	जनवरी, 74	फरवरी, 74	मार्च, 74
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	दौसा	90	45	190	190	190	90	—	—	—	—	—	464
2	लालसोट	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	बसवा (बान्दी कुई)	50	—	100	100	100	60	—	—	—	—	—	327
4	सिकराय	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

नोट।—गेहूं का आवंटन कम प्राप्त होने से केवल शहरी क्षेत्रों में ही वितरण किया गया है ।

(191)

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 11/अ. का. सू. के भाग 2 की तालिका चीनी

क. सं.	नाम तहसील	अप्रेल, 73 श.	अप्रेल, 73 ग्रा.	मई, 73 श.	मई, 73 ग्रा.	जून, 73 श.	जून, 73 ग्रा.	जुलाई, 73 श.	जुलाई, 73 ग्रा.	अगस्त, 73 श.	अगस्त, 73 ग्रा.
1	दौसा	62	407	62	407	62	407	62	407	62	407
2	लालसोट	30	357	30	357	30	357	30	357	30	357
3	बसवा (बान्दीकुई)	39	360	39	360	39	360	39	360	39	360
	बान्दीकुई	28	—	28	—	28	—	28	—	28	—
4	सिकराय	17	287	17	287	17	287	17	287	17	287

नोट :—माह अक्टूबर, 1973 में चीनी 400 ग्राम त्योहार

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 11/अ, का. सू./के भाग 2 की तालिका केरोसिन

क. सं.	नाम तहसील	अप्रेल, 73 श.	अप्रेल, 73 ग्रा.	मई, 73 श.	मई, 73 ग्रा.	जून, 73 श.	जून, 73 ग्रा.	जुलाई, 73 श.	जुलाई, 73 ग्रा.	अगस्त, 73 श.	अगस्त, 73 ग्रा.
1	दौसा	22.4	6.3	34.2	8.5	50.3	11	44.7	5.6	14.4	9
2	लालसोट	5.6	—	25.7	8.4	13.9	5.6	16.8	8.4	22.8	9
3	बसवा	42.5	—	62.5	5.6	37	—	79.8	—	46.8	—
4	सिकराय	—	4.3	3	—	5.8	8.1	5.7	5.6	10.5	4.5

(आवंटन विबंटलों में)

सितम्बर, 73		अक्टूबर, 73		नवम्बर, 73		दिसम्बर, 73		जनवरी, 74		फरवरी, 74		मार्च, 74	
श.	ग्रा.	श.	ग्रा.	श.	ग्रा.	श.	ग्रा.	श.	ग्रा.	श.	ग्रा.	श.	ग्रा.
62	407	76	501	62	407	62	407	62	407	62	407	62	407
30	357	36	441	30	357	30	357	30	357	30	357	30	357
39	360	47	444	39	360	39	360	39	360	39	360	39	360
28	—	35	—	28	—	28	—	28	—	28	—	28	—
17	287	20	354	17	287	17	287	17	287	17	287	17	287

होने के कारण दी गई है।

(किलो मीटर में)

सितम्बर, 73		अक्टूबर, 73		नवम्बर, 73		दिसम्बर, 73		जनवरी, 74		फरवरी, 74		मार्च, 74	
श.	ग्रा.	श.	ग्रा.	श.	ग्रा.	श.	ग्रा.	श.	ग्रा.	श.	ग्रा.	श.	ग्रा.
18	—	107	2.7	97	—	51.4	7	24.8	—	38.8	—	40.2	—
—	9	59	6.8	10.8	6.8	4.2	7 7	11	3.4	9	—	9	—
31.8	—	71	—	26.4	—	20.8	3.4	10.4	—	25	—	18	—
6	—	27	3.4	18	17.4	10 6	3.4	—	—	9	—	9	—

परिशिष्ट 6

समय अभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

जिलाधीश झालावाड़ द्वारा कैंसिल किया गया लाइसेंस

741. श्री हाजीजान मोहम्मद (पिड़ावा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री नेमीचंद पुत्र फूलचन्द, तहसील पिड़ावा ने कुछ कन्ट्रोल का गेहूं 1/- रुपय प्रति किलो के बजाए 1 रुपये 5 पैसे के हिसाब से बेचा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जांच करने पर जिलाधीश झालावाड़ ने उसका लाइसेंस कैन्सिल कर दिया है ?

(3) क्या राज्य सरकार श्री नेमीचन्द के खिलाफ फौजदारी केस चला रही है ? अगर हां, तो केस किस स्टेज पर है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नेमीचन्द पुत्र फूलचंद तहसील पिड़ावा ने कुछ कन्ट्रोल का गेहूं 1/- रुपये प्रति किलो के बजाए 1-05 पैसे के हिसाब से बेचा है।

(2) यह सही है। जिलाधीश कार्यालय के आदेश क्रमांक 668-72/प्र शा./ दिनांक 7-2-74 द्वारा लाइसेन्स कैन्सिल किया गया और समस्त जमाशुदा प्रतिभूति (सिक्योरिटी) की राशि जब्त की गई है क्योंकि लाइसेन्सदार ने जनता से पांच पैसे अधिक गेहूं प्रति किलो पर चार्ज किए हैं।

(3) उपरोक्त आइटम नं. 2 के अनुसार जिलाधीश झालावाड़ द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही ही की गई है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए न्यायालय में चालान पेश करने के निर्देश जिलाधीश झालावाड़ को दे दिये गये हैं।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव

742. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव सहायक रजिस्ट्रार जिले में न कराके अब केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जिले में करायेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों व क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव में जो सहकारी समितियां भाग लेंगी उनकी लिस्ट ही पब्लिश होती है न कि उनके प्रतिनिधियों की ?

(3) क्या सरकार यह प्रबन्ध करेगी कि ग्राम स. समितियों की लिस्ट के आगे उसके प्रतिनिधि जिसको मत देने का अधिकार होगा चुनाव के पूर्व इस प्रकार की लिस्ट घोषित करने को तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(उत्तर)

(3) जी नहीं। राजस्थान सहकारी संस्था नियम 1960 के नियम 32 के अनुसार समिति के सदस्यों की सूची 10 दिन पूर्व प्रकाशित की जाती है जबकि समिति द्वारा प्रतिनिधि भेजने का निर्णय ग्राम सभा के पूर्व किसी भी समय लिया जा सकता हैं।

तहसील छीपा बड़ौद की ए. आर. सी. की योजना

743. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील छीपा बड़ौद जिला कोटा के लिये कोई ए. आर. सी. की लघु सिंचाई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) यदि नहीं, तो क्यों नहीं? और क्या विभाग इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए यहां पर ए. आर. सी. की उक्त योजना शीघ्र ही लागू करने की कार्यवाही करेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) किसी भी क्षेत्र के लिये "लघु सिंचाई योजना" तैयार करने से पूर्व, भू-जल विभाग द्वारा क्षेत्र का "अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण" करना आवश्यक होता है। सर्वेक्षण के सुझावों के आधार पर ही "लघु सिंचाई योजना" तैयार की जाती है। पंचायत समिति छीपा बड़ौद का अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है। अतः क्षेत्र के लिये लघु सिंचाई योजना तैयार करना सम्भव नहीं हो सका है।

भारत-पाक युद्ध के कारण हटाये गये कृषकों का मंजूर की गई राशि

744. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंहनगर): क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील रायसिंहनगर जिला गंगानगर में गत भारत पाक युद्ध के समय सीमावर्ती क्षेत्रों से किसानों को हटाया गया था? यदि हां, तो क्या उन किसानों को फसलों और घरों का 400) प्रति परिवार मंजूर किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि फसलों के और घरों के पैसे अब तक नहीं दिये गये हैं? अगर दिये गए हैं तो रायसिंहनगर तहसील में किन किन को दिये गये है? सूची सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान कैनाल उपनिवेशन क्षेत्र के हरिजनों को पैसे नहीं दिये गये हैं? अगर दिये गये हैं तो किस किस को? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। फसलों व घरों के नुकशान का कुल मुआवजा जिला गंगानगर में 2,56,44,900/- रुपये का तखमीना किया गया है उसमें से सिर्फ 2,04,220/- रुपये 223 परिवारों को रायसिंहनगर के वासिन्दाओं को भुगतान किया गया है। बाकी रकम भारत सरकार से प्राप्त होने पर वितरण करदी जायगी।

(उत्तर)

भुगतान किये गये आसामियों की सूची प्रस्तुत है ।

(3) जी नहीं । भुगतान दस माइल क्षेत्र में रहने वाले उन पंजीयक परिवारों को किया गया है जो सीमावर्ती क्षेत्रों से हटाये गये थे उसमें जातिपांति का कोई भेदभाव नहीं वर्ता गया । सूची तैयार कराई जाकर सदन की मेज पर रखदी जायगी क्योंकि इसे बनाने में काफी समय लगेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बूंदी जिले की जल प्रदाय योजनाओं का सर्वे

745. श्री रमेश चन्द्र सैनिक (हिन्डोली)-क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के कुछ ग्रामों का जल प्रदाय योजना के लिये सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो हिण्डोली एवं तहसील नैनवा के कौन कौन से ग्रामों का चयन किया गया ? सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) जिन ग्रामों को उक्त योजना के लिए चुना गया है उनके लिए अन्य व्यवस्थाओं का होना आवश्यक है ?

(3) जिन ग्रामों को नल योजना के अन्तर्गत लिया गया है उनमें यह स्कीम कब तक कार्य रूप में प्रचलित हो जायेगी ?

(4) अब तक बूंदी जिले में से कौन से ग्राम नई योजना के अन्तर्गत इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं ? सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) ग्रामों की आबादी 2000 से अधिक होनी चाहिए ।

(3) धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

प्रश्न एक की सूची :—

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	अनुमानित लागत
1.	हिंडोली	डसलाना	1.07 लाख रु०
2.	हिंडोली	जोटरा	1.20 लाख रु०
3.	हिंडोली	बडोडिया	सिर्फ सर्वेक्षण किया गया है ।
4.	नैनवा	डूंगरी	सिर्फ सर्वेक्षण किया गया है ।

प्रश्न चार की सूची :—

क्र० सं०	गांव	विशेष विवरण
1.	हिंडोली	जल वितरण चालू है।
2.	करवार	जल वितरण चालू है।
3.	बंसी	जल वितरण चालू है।
4.	दई	जल वितरण चालू है।

सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति

746. श्री जेठमल बरडिया (परबतसर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक फा. शिविरा। नि. 28। स। 68-73 दिनांक 25-8-73 के अनुसार नियुक्त किये गये सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति के साथ राज्य सरकार के आदेश क्रमांक फा. 1 (22) APPTT/A/II/70 दिनांक 28-4-73 के अनुपालन में विभाग में कार्यरत मिनिस्टीरियल स्टाफ में से कितने व्यक्तियों को प्रोमोशन दिये गये ? यदि नहीं दिये गये, तो क्यों ? और अगर विभाग द्वारा अब प्रोमोशन दिये जायेंगे तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग ने सन् 1973 में विभाग में कार्यरत सहायक निरीक्षकों को प्रोमोशन दिये थे एवं विभाग में कार्यरत सहायक निरीक्षक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के तहत ही उक्त प्रोमोशन दिये गये थे ? यदि हां, तो किस प्रतिशत से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग में सहायक निरीक्षकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने और रिक्त स्थानों को भरने के लिए विभाग द्वारा कब तक एडवरटाइजमेंट किया जावेगा और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मिनिस्टीरियल स्टाफ में से सहायक निरीक्षक के पदों पर प्रमोशन देने हेतु नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां, विभाग द्वारा वर्ष 1973 में 100 सहायक निरीक्षकों का जो प्रमोशन किया गया था उसमें 13 अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, विभाग में इस समय 40 पद सहायक निरीक्षकों के रिक्त हैं। उनको भरने के लिए नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

पदोन्नत किये सहायक निरीक्षकों की सूची वर्ष 1973

क्र० सं० नाम

1. श्री घनश्याम लाल शर्मा
*2. ,, राजूराम सिगारिया
3. ,, राधेश्याम गाडिया
*4. ,, तुलाराम यादव पुत्र श्री कन्नीराम
5. ,, राम निवास पारीक
6. ,, कन्हैयालाल जाजू
7. ,, रामेश्वरसिंह चौहान
8. ,, धर्मनारायण निगम
9. ,, रणजीत सिंह राठौड़
10. ,, मांगीलाल पंवार
11. ,, लक्ष्मीलाल जोशी
12. ,, जुगलकिशोर शर्मा
13. ,, गोपाल सिंह
14. ,, बसन्ति लाल बोलिया
15. ,, मदनलाल जागेटिया
16. ,, अशफाक अली
17. ,, मोहम्मद हनीफ
18. ,, ऋषिदेवसिंह चौहान
19. ,, गहरीलाल महात्मा
20. ,, हमीरलाल धावाई
21. ,, जगन्नाथसिंह चौहान
22. ,, जीवनसिंह मेहता
=23. ,, नन्दकिशोर कलाल
24. ,, सोहनलाल चौधरी
=25. ,, रेवती रमण
26. ,, इन्द्रपुरी गोस्वामी
27. ,, केशरसिंह
*28. ,, हनुमानमल रेगर
29. ,, जगदीशनारायण श्रीवास्तव
30. ,, गोपीनाथ पुरोहित
31. ,, कृष्णाराम चौधरी
32. ,, भंवरलाल पुरोहित
33. श्री नन्दकिशोर व्यास
34. ,, महेन्द्रकुमार शर्मा
35. ,, पुनमसिंह चौधरी
36. ,, रामविलास पाठक
37. ,, भगवतीसिंह
*38. ,, जयपाल राम
39. ,, गोपाल अग्रवाल पुत्र श्री निरंजनलाल
40. ,, हीरालाल गुप्ता
*41. ,, बस्तीराम आर्य
42. ,, ओमप्रकाश शर्मा
43. ,, भंवरलाल पुत्र बनेसिंह
44. ,, सुखपालसिंह दीक्षित
*45. ,, राधेश्याम प्रजापति
46. ,, रामचरण गुप्ता
*47. ,, मानाराम
48. ,, त्रिवेणी सिंह
49. ,, बालकिशन पंवार
50. ,, रामसिंह शेखावत
51. ,, निर्मलकुमार जैन
52. ,, उम्मेदबहादुर श्रीवास्तव
53. ,, राम प्रकाश वशिष्ठ
*54. ,, भोलाराम
55. ,, सूर्यप्रसाद शर्मा
56. ,, सेवाराम जनेजा
57. ,, इन्द्रपाल सिंह
58. ,, गोपाल लाल शर्मा
59. ,, यादराम सिंह
60. ,, शिवप्रसाद श्रीवास्तव
61. ,, गंगासिंह राठौड़
62. ,, गोवर्धनलाल जैन
63. ,, शेरसिंह यादव
64. ,, वी० के० मूर्ति
65. ,, दुर्गाप्रसाद कौशिक
66. ,, कुन्दनमल जैन
67. ,, सुवालाल जांगिड
68. ,, राम मूरत सिंह

(उत्तर)

69. श्री रामजीलाल भारद्वाज
70. ,, हरसहाय अग्रवाल
71. ,, बूजनराम जाट
72. ,, धनया धावाई
73. ,, शांतिप्रसाद जैन
74. ,, भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र
*75. ,, राधाकृष्ण वर्मा
76. ,, व्रजमोहन शर्मा पुत्र श्री रामवल्लभ शर्मा
77. ,, जगन्नाथ सक्सेना
78. ,, वृन्दावन दास सेठी
79. ,, मुकुटबिहारी शर्मा
80. ,, रामावतार कावरा
81. ,, जगदीश प्रसाद गुप्ता
82. ,, कैलाशचन्द शर्मा
83. ,, शिवकृष्ण मिगरोट
*84. ,, कजोड़मल प्रेमी
85. ,, रामकिशोर श्रीवास्तव
86. ,, अब्दुल लतीफ
87. ,, जयराजकिशोर श्रीवास्तव
88. ,, मोहनलाल शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीलाल
89. ,, सियाराम शर्मा
*90. ,, ब्याजी राम राजोरा
91. ,, हरसिंह राणावत
92. ,, मंगलाराम भाटी
93. ,, रामजीलाल शर्मा
94. ,, ब्रह्मानन्द शर्मा
95. ,, धर्मवीर सिंह
96. ,, जमनालाल शर्मा
97. ,, फूलचन्द जैन
98. ,, रामस्वरूप गुप्ता
99. ,, बजरंगलाल शर्मा
100. ,, रामकिशोर नाई

* अनुसूचित जाति
= अनुसूचित जनजाति

दांतीवाड़ा परियोजना

747. श्री भूराराम (आबू) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की पिंडवाड़ा व आबूरोड़ तहसीलों में दांतीवाड़ा परियोजना व एरिया घोषित किया है? यदि हां, तो इन दोनों तहसीलों में इस परियोजना के अन्तर्गत कितने 2 क्लोजर व पैंडोक बनाये हैं प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च हुई ? प्रत्येक के नाम धनराशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि दांतीवाड़ा परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्लोजरों व पैडोकों में मवेशी चराई का शुल्क लिया जाता है ? यदि हां तो क्या यह शुल्क पाक्षिक है या मासिक है अथवा वार्षिक है? और कौन 2 से पशु इस क्लोजरों व पैंडोकों में चराते हैं? तथा कौन 2 से पशु पर कितना कितना चराई शुल्क मासिक वसूल किया जाता है ? अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। चराई शुल्क मासिक है। ऊंट, भेड़, व बकरी के अतिरिक्त अन्य पशुओं के पैंडाक्स में चराने की अनुमति दी जाती है। चराई निम्न दर से ली जाती है:—

(1) भैंस या भैंसा—दो रुपये प्रति मास
(2) घोड़ा या घोड़ी—एक रुपया प्रति मास
(3) गाय या बैल—एक रुपया प्रति मास
(4) केरडा या केरडी—पचास पैसे प्रति मास

(राज्यादेश की प्रतिलिपि संलग्न है)

दांतीवाड़ा परियोजना क्षेत्र में निर्मित पेडोक्स की सूची

क्रम संख्या 1	नाम पेंडोक्स 2	तहसील 3	क्षेत्रफल र 4	वर्षानुसार व्यय 1969–70	70–71	71–72 5	72–73	1973–74 अनुमानित व्यय	योग 6
1	दियाणा जे पेडाक खंड 1	पिन्डवाड़ा	600	49589	14168	—	—	—	63757
2	रेड्ढ्रा ,,	आबूरोड़	400	32800	7574	—	—	—	40374
3	डेरना ,,	,,	190	15580	4607	—	—	—	20187
4	ऋषिकेश ,,	,,	600	—	48356	17436	—	—	65792
5	दियाणा जे ,, खंड 2	पिन्डवाड़ा	720	—	30168	18027	—	—	48195
6	,, ,, खंड 3	,,	400	—	22892	7181	—	—	30073
7	,, ,, खंड 4	,,	500	—	22885	13610	—	—	36504
8	देलदर ,,	आबूरोड़	735	—	31985	20940	—	—	52925
9	भाकर ,,	,,	600	—	31780	14424	—	—	46204
10	लोटाना ,, खंड 1	पिन्डवाड़ा	670	—	7066	32701	15701	—	55468

1	2	3	4	5					6
11	आबूलेक नं० 2	पिन्डवाड़ा	1600	—	—	48201	21700	—	69901
12	अरभुजा पेडोक	,,	934	—	—	42012	18689	—	60701
13	आबू लीज ,,	आबूरोड़	170	—	—	8452	5100	—	13552
14	रामेश्वर ,,	पिन्डवाड़ा	600	—	—	9865	10510	—	20375
15	कुईसागना ,,	आबूरोड़	110	—	—	5709	3296	—	9005
16	करजैयाघाटा	,,	520	—	—	—	33796	—	33796
17	पहाड़कला ,,	पिन्डवाड़ा	720	—	—	—	17552	—	17552
18	छोटाना नं० 2	,,	1360	—	—	—	63800	—	63800
19	झरना ,,	आबूरोड़	700	—	—	—	44340	—	44340
20	नाथपुरा पेडोक्	पिन्डवाड़ा	965	—	—	—	—	62725	62725
21	तेलपुर भागली	,,	1192	—	—	—	—	77480	77480
22	सांभर पेडोक	आबूरोड़	1075	—	—	—	—	70000	70000
		योग	15361	97969	2,21,481	2,38,567	2,34,484	2,10,205	10,02,706

राजस्थान सरकार

(राजस्व (क) विभाग)

निमित्त,

श्री मुख्य वन संरक्षक,

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक 7 (285) रा. सं./68 दिनांक 30-9-69

विषय— चम्बल घाटीय संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत निर्मित्त पेडोक्स में चराई।

संदर्भ— आपका पत्र संख्या 24140 दिनांक 6 जून, 69

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार निवेदन है कि आपके प्रस्तावानुसार चम्बल घाटी भू-संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत निमित्त पेडोक्स में मवेशियों की चराई के लिए निम्नलिखित दरें राज्य सरकार द्वार मंजूर की जाती है।

(1) भैंस या भैंसा	(2) रुपये 2/-प्रति माह
(2) घोड़ा या घोड़ी	(1) रुपये एक प्रति माह
(3) गाय या बैल	(1) रुपये एक प्रति माह
(4) केरड़ा या केरड़ी	0-50 पैसे प्रति माह

पेड़ोक्त में चराई के लिए प्रार्थना-पत्र आने पर ग्रेजिंग परमिट प्रोजेक्ट आफिसर से हासिल करना होगा तथा ग्रेजिंग परमिट हासिल करने के पश्चात चराई जमा कर देने के बाद ही इजाजत दी जावेगी।

हस्ताक्षर

उप शासन सचिव (राजस्व)

क्रमांक एफ 7 (285) राज. ब./68 दिनांक 30-9-69

प्रतिलिपि श्री नन्दन भार्गव परियोजना अधिकारी कोटा को राजस्व सचिव महोदय से विचार विमर्श किया था उसके सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ताक्षर/-

सहायक सचिव (राजस्व)

———

अकलेरा की जल प्रदाय योजना

748. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कस्बा अकलेरा (जिला झालावाड़) की जल प्रदाय योजना का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया गया था अब तक इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च हुई है और अब इसका निर्माण कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जाकर इस (अकलेरा) कस्बे की जनता को पानी वितरण करना प्रारम्भ हो जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि इस (अकलेरा) जल प्रदाय योजना को सितम्बर, 72 में सम्पन्न करा दिया जाकर अक्टूबर, 73 में इस कस्बे की जनता को पानी वितरण करने का जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने सदन मे आश्वासन दिया था ?

उत्तर

(1) अकलेरा की जल प्रदाय योजना का कार्य दिनांक 27-2-71 को योजना स्वीकृति जारी होने के उपरान्त शुरू किया गया। योजना पर अब तक 2.40 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। मई, 1974 से योजना को अन्तरिम रूप से चालू किये जाने की सम्भावना है।

(2) जी हां, पहले नये कुए बनाकर योजना शुरू करने का प्रावधान था किन्तु राजस्थान भू-जल विभाग के वरिष्ठ भू-गर्भ वेत्ता से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि इस क्षेत्र में कुए खोदने के उपरान्त पानी मिलने की सम्भावना नहीं है अतः कार्य रोक दिया गया व उपलब्ध कुओं से ही योजना को अन्तरिम रूप से चालू किया जा रहा है।

नगरपालिका की भूमि

749. श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पचास हजार से ऊपर की जनसंख्या की नगरपालिका में भूमि की बिक्री नहीं करने तथा भूमि को लीज पर ही दी जाने के लिये राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित किये है ? यदि हां, तो यह आदेश कब से प्रसारित हुए ?

(2) उक्त आदेश से कितनी नगरपालिकायें प्रभावित हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या उक्त आदेश प्रसारित होने से पूर्व जिस भूमि की नगरपालिका बिक्री कर चुकी है उस पर भी यह आदेश लागू होगा ?

(4) क्या यह सही है कि किशनगढ़ नगरपालिका द्वारा शिवाजी नगर में कई चकों की बिक्री को रद्द कर लीज की प्रक्रिया लागू करने का दबाव डाला जा रहा है, जबकि उक्त नगरपालिका की जनसंख्या पचास हजार से कम अंकित है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्रीराम यूरिया खाद का भाव

750. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(1) कोटा, जोधपुर और श्री गंगानगर में सरकारी समितियों के माध्यम से बिकने वाला श्रीराम यूरिया के क्या खुदरा भाव निर्धारित किये गये हैं ?

(2) उपरोक्त सहकारी समितियों को कोटा फैक्टरी से श्रीराम यूरिया किस भाव मिलता है और वहां से उनके केन्द्र तक ले जाने का रेलगाड़ी का यातायात व्यय कौन वहन करता है ?

(3) यदि रेलगाड़ी के समय पर वैगन न प्राप्त होने के कारण, कोटा से यूरिया ट्रक से ले जाया जाय तो ट्रक का किराया कौन वहन करता है ?

(4) क्या राजस्थान में श्रीराम यूरिया खुदरा बेचने वाली समस्त सहकारी समितियों को एक ही कमीशन मिलता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रुपये 1097-83 प्रति मैट्रिक टन सेलसटैक्स सहित। खुदरा भाव निर्धारित किये गये हैं।

(2) कोटा फैक्टरी से श्रीराम यूरिया सहकारी समितियों को रु० 1004-33 पैसे प्रति मैट्रिक टन सेलसटैक्स पेड के हिसाब से मिलता है। फैक्ट्री से अपने केन्द्र तक ले जाने का रेलगाड़ी किराया रु० 29) प्रति मैट्रिक टन तक स्वयं समितियां वहन करती हैं तथा इससे अधिक रेल किराया फैक्ट्री वहन करती है।

(3) समितियां।

(4) जी नहीं। समस्त सहकारी समितियों को समान कमीशन इसलिये नहीं मिल पाता क्योंकि फैक्ट्री के पास वाली समितियों की तुलना में दूर की समितियों को यातायात पर अधिक खर्च करना पड़ता है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29-3-74)

तहसील सिकराय में बीज व खाद का वितरण

592. श्री रामचन्द्र (सिकराय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सिकराय में वर्तमान रबी की फसल में कितना चने व अन्य प्रकार का बीज और खाद वितरित करने को दिया गया ?

(2) क्या बीजों व खाद का वितरण पंचायत समिति, सिकराय द्वारा ठीक प्रकार से किया गया ?

(3) उक्त क्षेत्र के किन किन किसानों को कब कितना खाद व बीज किन किन डीलर्स द्वारा दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि मानपुर थाने द्वारा खाद का ट्रक इसी दौरान पकड़ा गया था ?

(5) यदि हां, तो उसमें कितने कट्टे थे व उनका क्या हुआ ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सिकराय में निम्नलिखित खाद एवं बीज रबी 1973-74

205

उत्तर

में वितरण के हेतु उपलब्ध करवाया गया था।

बीज— चने 200 क्वि.

मेक्सीकन गेहूं 14 क्वि. 39 किलो

खाद— यूरिया 2280 कट्टे

सी. ए. एन. 1036 कट्टे

(2) बीज एवं खाद की उपलब्धि को देखते हुए तथा वितरण विधि बावत कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप वितरण संतोषजनक ही समझा जा रहा है।

(3) 2486 किसानों को खाद जिन डीलर्स द्वारा वितरित कराया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। सम्पूर्ण बीज पंचायत समिति के माध्यम से बांटा गया।

(4) जी हां।

(5) उस ट्रक में 100 कट्टे यूरिया खाद के थे जो मालिक को जमानत लेने के पश्चात मजिस्ट्रेट बांदीकुई के आदेशानुसार वापिस लौटा दिए गए।

पंचायत समिति सिकराय में रबी 1973-74 में जिन जिन डीलरों द्वारा खाद वितरित किया गया उनका विवरण

	नाम डीलर	कृषकों की संख्या जिनको खाद दिया गया
1.	दौसा क्रय विक्रय सहकारी समिति	277
2.	मैसर्स राधेश्याम रामेश्वरलाल, दौसा	145
3.	आलूवाला एजेन्सीज, गीजगढ	350
4.	जवाहर पालडी ग्राम सेवा सहकारी समिति, सिकराय	236
5.	जैन एजेन्सीज, सिकन्दरा	123
6.	मैसर्स किशनलाल सत्यनारायण भाट बालाजी	33
7.	ग्राम सेवा सहकारी समिति हींगवा	609
8.	अग्रवाल एजेन्सीज	686
9.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, चन्दरा	27
		2486

परिशिष्ट-7

(ता० प्र० सं० 279 की सूची)

जिन 2 सहकारी समितियों को लाईसेन्स दिया गया है

की सूची

क०सं०	नाम सहकारी समिति
1.	शान्ती सहकारी भण्डार लि०, नागोर
2.	राम मनोहर ,, ,, ,,
3.	नागोर चर्म उ०स०स०लि० ,,
4.	मेड़ता सिटी घाणी तेल उ०स०स०लि०
5.	जसवन्तगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०
6.	रोड़ू ,, ,, ,,
7..	मेडास की ढ़ाणी जगदम्बा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०
8.	धिडरोदा मीठा ,, ,, ,,
9.	डांगावास ,, ,, ,,
10.	बरखूणा ,, ,, ,,
11.	नीम्बीजोधा ,, ,, ,,
12.	डुकिया ,, ,, ,,
13.	सुनारी ,, ,, ,,
14.	रिया श्यामदास ,, ,, ,,
15.	गुदियाड ,, ,, ,,
16.	मोरी ,, ,, ,,
17.	हंसोलाव ,, ,, ,,
18.	माल गांव ,, ,, ,,
19.	हुडारा ,, ,, ,,
20.	ढिगसरी ,, ,, ,,
21.	बायड ,, ,, ,,
22.	गोठन ,, ,, ,,
23.	भोलादन ,, ,, ,,
24.	रेण ,, ,, ,,
25.	सीवां ,, ,, ,,
26.	बांकलिया ,, ,, ,,
27.	हुडास फल सब्जी उ०स०स०लि०
28.	गेथापा संयुक्त कृषि स०स०लि०
29.	लाडनू फल सब्जी उ०स०स०लि०
30.	बडायली ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०
31.	दूजार ,, ,, ,,
32.	लेडी ,, ,, ,,
33.	महावीर बहुधन्धी स०स०लि०
34.	गणेश ,, ,, ध:ब
35.	कसुम्बी अलीपुर ,, ,,

परिशिष्ट-8

(ता. प्र. सं. 459 की सूची)

सूची (25 वर्गमील से अधिक क्षेत्रफल वाले ग्रामों की तहसीलवार)

क्रमांक	नाम तहसील	ग्राम व नाम	क्षेत्रफल वर्ग मीलों में	जनसंख्या वर्ष 1971 के अनुसार	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	बाड़मेर	बाड़मेर	44	38531	
2.	,,	शिक्कर	26	2311	
3.	,,	बान्दरा	53	2914	
4.	,,	माहबार	62	4623	
5.	,,	भाड़वा	44	3262	
6.	,,	बूठियां	26	838	
7.	,,	खड़ीन	37	2155	
8.	,,	सेतराऊ	26	1104	
9.	,,	विशाला	46	2979	
10.	,,	नान्द	39	1297	
11.	,,	जूना पतरासर	29	1055	
12.	,,	बायतू पनजी	29	2403	
13.	,,	,, चोपजी	26	3750	
14.	,,	कोलू	30	2349	
15.	,,	अकदड़ा	35	2472	
16.	,,	कानोड़	28	1902	
17.	,,	जाजवा	31	1611	
18.	,,	भाक	34	1751	
19.	,,	वाटाड़	66	5178	
20.	,,	चोखला	34	2041	
21.	,,	भुरटीयां	29	2740	
22.	,,	रावतसर	43	4264	
23.	,,	चवा	35	3522	
24.	,,	होड़	47	3999	
25.	,,	नोखड़ा	30	2510	
26.	,,	सनावड़ा	35	2956	

1	2	3	4	5	6
27.	,,	आडेल	33	3144	
28.	,,	सरली	35	3223	
29.	,,	भूवा भगतसिंह	29	1643	
30.	,,	पोखू	32	2185	
31.	,,	सड़ा	28	1727	
32.	,,	गुड़ा	51	4731	
33.	,,	नगर	35	2887	
34.	,,	धोरीमन्ना	27	3690	
35.	,,	दूधू	26	2778	
36.	,,	रेतऊ	51	2339	
37.	,,	खोखर	45	3143	
38.	,,	सवाऊ पदमसिंह	45	3356	
39.	,,	परेऊ	27	2302	
40.	चौहटन	चौहटन	32	4475	
41.	,,	तारातरा	37	3048	
42.	,,	लीलसर	30	2972	
43.	,,	नेतराड़	39	3680	
44.	,,	बिसारनीयां	36	3707	
45.	,,	आलमसर	29	2316	
46.	,,	गंगासरा	27	2046	
47.	,,	चौहटन बाखास	26	2375	
48.	,,	धनाऊ	31	2897	
49.	,,	बीजराड़	38	2333	
50.	,,	धारासर	27	2067	
51.	,,	देदूसर	30	1586	
52.	,,	इटादा	28	1794	
53.	,,	बावड़ी कलां	25	1688	
54.	पचपदरा	जसोल	35-01	4917	
55.	पचपदरा	दूधवा	25-07	1492	
56.	,,	बागावास	29-06	1700	
57.	,,	पाटोदी	49-02	9450	
58.	,,	धोब	30	1743	
59.	,,	कोरना	29-03	2053	

1	2	3	4	5	6
60.	शिव	बलाई	33	612	
61.	शिव	नीम्बला	26	809	
62.	,,	साजीतड़ा	29	307	
63.	,,	धारवी खुर्द	37	573	
64.	,,	धारवी कलां	29	803	
65.	,,	तण्डूं	51	2796	
66.	,,	कानासर	33	1453	
67.	,,	भियाड़	73	2548	
68.	,,	मोखाब कलां	30	677	
69.	,,	झिण्कली	35	242	
70.	,,	उनरोढ़	25	688	
71.	,,	आरंग	36	942	
72.	,,	चोचरा	31	912	
73.	,,	जैसिन्घर	143	3447	
74.	,,	डाबड़	52	345	
75.	,,	बन्धड़ा	41	703	
76.	,,	सुन्दरा	519	2197	
77.	,,	शिव	37	1905	
78.	,,	पूंगा	28	1437	
79.	,,	हुड़वा	28	615	
80.	,,	हरसाणी	155	4461	
81.	,,	मूगेरियां	47	1015	
82.	,,	कोटड़ा	101	2657	
83.	,,	बालेवा	36	686	
84.	,,	रेड़ाना	41	1101	
85.	,,	गिराव	157	2197	
86.	,,	मेदूसर	124	2934	
87.	,,	तामलोर	38	726	
88.	,,	बांड़ासर	31	653	
89.	,,	नागड़दा	34	447	
90.	,,	काशमेर	42	1965	

परिशिष्ट—9

(तारांकित प्रश्न संख्या 447 की सूची)

List of District Agricultural Offices

1. Alwar
2. Ajmer
3. Bharatpur
4. Jaipur (East)
5. Jaipur (West)
6. Sikar (for Sikar-Jhunjhunu)
7. Sawai Madhopur
8. Sri Ganganagar
9. Hanumangarh
10. Anupgarh
11. Chhatargarh (Bikaner H. Q.)
12. Churu (for Churu-Bikaner)
13. Jalore (for Jalore-Barmer)
14. Jodhpur (for Jodhpur Jaisalmer)
15. Nagaur
16. Pali
17. Sirohi
18. Kota (Two D. A. Os.)
19. Bundi
20. Jhalawar
21. Tonk
22. Banswara
23. Bhilwara
24. Dungarpur
25. Chittorgarh
26. Udaipur (Two D. A. Os.)

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 451 की सूची)

चूरू जिले में वन विभाग द्वारा वन विकास हेतु ली गई भूमि की सूची

क्रम संख्या	नाम गांव	नाम तहसील	वन विभाग के अधिकार की भूमि: क्षेत्रफल (हैक्टर में)	वन विभाग के अधिकार में आने का वर्ष	अधिकार में लेते समय भूमि की किस्म	वन विकास के कार्यों का विवरण: XVIII Grasing (डी०पी०ए०पी०): चारागाह सुधार कार्य	टिब्बा स्थिरीकरण	64 फेमिन: चराहगाह सुधार	टिब्बा स्थिरीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चूरू	चूरू	600 है०	1965-66	बीड़	—	—	600 हैक्टर	50 हैक्टर
2.	रतनगढ़	रतनगढ	125	1969-70	पड़त भूमि	125 है०	—	—	—
3.	सरदारशहर	सरदारशहर	300	C.A.Z.I.R.	,,	—	—	300	—
4.	डूंगर गढ	डूंगरगढ	400	C.A.Z.I.R.	घास बीड	325	—	—	—
5.	सुनारों की ओडी	,,	500	1972-73	बीड़	500	—	—	—
6.	समनसर	,,	300	1971-72	पड़त भूमि	—	—	300	—
7.	धीरदेसर	,,	100	,,	,,	—	—	—	100 हैक्टर
8.	बीधा	,,	50	,,	,,	—	—	—	50 ,,
9.	मोमासर	,,	300	1972-73	,,	—	—	300	—
10.	अमरतवासी	,,	100	,,	,,	—	—	100	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	सालासर	डूंगरगढ़	50	1972-73	पड़त भूमि	—	—	100	—
12.	भोजासर	,,	150	,,	,,	—	—	—	150
13.	बेनीसर	,,	50	,,	,,	—	—	—	50 ,,
14.	लखासर	डूंगरगढ	50हैक्टर	1972-73	पड़त भूमि	—	—	—	50 ,,
15.	राजलदेसर	रतनगढ	300	1971-72	,,	—	—	300 हैक्टर	—
16.	राजगढ	राजगढ	600	,,	बीड़	—	—	300	—
17.	लीलकी	,,	600	1972-73	बीड़	—	—	300	—
18.	देसली	,,	200	,,	पड़त भूमि	—	—	200	—
19.	चावकोठी	,,	200	,,	,,	—	—	200	—
20.	तारानगर	तारानगर	417	,,	,,	—	—	200	—
21.	तालछापर	सुजानगढ	820	1965-66	काले हिरनों की सेंचुरी	200 हैक्टर	—	—	—
22.	रतननगर	चूरू	540	1961-62	बीड़	200 ,,	—	200	—
23.	चूरू डाबला	चूरू	554	1971-72	बीड़	350 ,,	—	500	100
			7306			1700		3900	550

(213)

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 432 की सूची)

सूची

क्रम सं.	नाम तहसील	पास बुकें जो तहसीलों को दी गई	पास बुकें जो माह के अन्त तक वितरण की गई	शेष
1	जयपुर	5195	2438	2757
2	सांगानेर	7400	6407	993
3	बस्सी	8566	6117	2449
4	चाकसू	16819	13693	3126
5	आमेर	19953	11745	8208
6	जमावारामगढ़	8523	4525	3998
7	दौसा	12800	11560	1240
8	बसवा	9135	8427	798
9	सिकराय	9000	9000	—
10	लालसोट	8300	8300	—
11	फुलेरा	14000	9428	4572
12	दूदू	16164	14090	2074
13	फागी	17335	13361	3974
14	कोटपुतली	19820	10889	8931
15	विराटनगर	20180	17206	3974
	योग	1,93,190	1,47,186	

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 453 की सूची)

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 204/गम० द्वारा श्री ओंकार लाल चौहान सदस्य विधान सभा।

झालावाड़ जिले में विचाराधीन म्यूटेशन के मामलों की दिनांक 28-2-74 तक की सूची

दो माह से कम की अवधि के	दो माह से छः माह तक की अवधि के	छः माह से एक वर्ष तक की अवधि के	एक वर्ष से दो वर्ष तक की अवधि के	दो वर्ष से अधिक की अवधि के	कुल विचाराधीन
379	652	655	234	22	1942

215

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 454 की सूची)

Revenue Appellate Authority II Jaipur

FOLLOWING DAYS CAMP HOLD AT BIKANER

Month	*From*	*To*	*Halt days*
Feb. 72	16-2-72	22-2-72	7 days
March 72	16-3-72	22-3-73	7 days
April 72	2-4-72	11-4-72	10 days
May 72	2-5-72	11-5-72	10 days
June 72	1-6-72	13-6-72	13 days
July 72	6-7-72	19-7-72	14 days
Aug. 72	11-8-72	21-8-72	11 days
Sept. 72	6-9-72	16-9-72	11 days
Oct. 72	3-10-72	13-10-72	11 days
Nov. 72	9-11-72	18-11-72	10 days
Dec. 72	2-12-72	13-12-72	12 days
Jan. 73	2-1-73	12-1-73	11 days
Feb. 73	4-2-73	13-2-73	10 days
March 73	5-3-73	14-3-73	10 days
April 73	No. Tour	—	—
May 73	2-5-73	11-5-73	10 days
June 73	On P. L.		
July 73	3-7-73	12-7-73	10 days
	(Aug. 73 Sept. 73, Oct., Nov., Dec., 73 Jan. 74 on P. L.)		
Feb. 74	10-2-74	19-2-74	10 days
March 74	12-3-74	22-3-74	11 days

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 8 अप्रैल, 1974

क्र. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	3	ऊपर से 13	श्रीमती	सुश्री
2.	9	नीचे से 12	मन्त्री महोदय को	मंत्री महोदय की
3.	56	,, 5	खिलाफ करें	खिलाफ कार्यवाही करें
4.	98	,, 14	विभाग फतेह	विभाग के फतेह
5.	111	ऊपर से 4	श्री गुरुदयाल	श्री गुरदयाल
6.	214	,, 9	पार्लिया मेंटरी	पार्लियामेंटरी
7.	230	,, 9	बछड़ा	×××
8.	230	,, 10	बछड़ा	×××
9.	282	,, 16	मनोरंजन का	मनोरंजन कर का
10.	326	नीचे से 15	2–4 हजार हजार	2–4 हजार
11.	331–360	शीर्षक	रा.न.पा. (संशोधन) वि. 1974 पर प्र. वि. एवं पारण	शासकीय संकल्प
12.	340	ऊपर से 15	संसद के के	संसद के